जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN
2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद चम्पावत

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चम्पावत।

उत्तराखण्ड एक हिमालयी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। जनपद चम्पावत जोन 4 एवं 5 में स्थित होने के कारण विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। आपदायें आकस्मिक होती हैं जिनसे जन-धन एवं विकासीय परिसम्पत्तियों का नुकसान होता है। उक्त आपदाओं के प्रभाव एवं इनसे होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिए पूर्व तैयारियों की अत्यन्त आवश्यकता है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा जनपद की समस्त सम्भावित आपदाओं से निपटने हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। जिसमें आपदा के विगत अनुभव एवं जनपद में विद्यमान भौगोलिक, सामाजिक, विभागीय एवं सम्बन्धित संस्थाओं के संसाधनों के साथ-साथ उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिये आवश्यक है। इस कार्ययोजना का मूल्यांकन हर वर्ष आने वाली नई समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भी किया जाता रहेगा ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहे।

आपदा प्रबन्धन के लिये प्रथम एवं सबसे बड़ा कारक स्थानीय आपदा प्रतिवादक, समुदाय (सोसाइटी) होता है, जिसका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा-आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिये समुदाय (सोसाइटी) को व्यापक जागरुकता एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवजनित व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यवहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित

जिलाधिकारी
चम्पावत।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चम्पावत।

जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड राज्य का एक सीमान्त जनपद है जिसकी सीमा नेपाल राष्ट्र से लगी हुई है। जनपद हिमालय क्षेत्र के भूकम्पीय जोन 04 एवं 05 के अन्तर्गत है। जनपद से होकर मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (MBT), हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट (HFT) तथा अल्मोड़ा व नैनीताल थ्रस्ट AAT-NAT [illegible] गुजरते हैं। जनपद में उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख श्री पूर्णागिरि धाम [illegible] ऐतिहासिक [illegible] है। श्री पूर्णागिरि में [illegible] ऐतिहासिक में [illegible] पूर्णिमा को [illegible] का आवागमन रहता है। जनपद में जून से अक्टूबर के मध्य मानसून काल भी रहता है जिसके कारण सड़क दुर्घटनायें एवं भूस्खलन व [illegible] क्षेत्र में [illegible] आपदाओं की [illegible] बढ़ जाती है।

इन आपदाओं के निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्ययोजना के साथ-साथ [illegible] आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना एवं कार्यदलों का गठन किया जाना आवश्यक होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की [illegible] को [illegible] एवं उच्च श्रेणी के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा धीरे–धीरे नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है।

[illegible] कार्यदल अधिकारियों की [illegible] इस योजना की [illegible] आपदा के लिये [illegible] सहायक सिद्ध होगी ऐसा मेरा विश्वास है।

अपर जिलाधिकारी
चम्पावत।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
चम्पावत।

देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखण्ड की हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसी भू-भाग में स्थित जनपद [illegible] उत्तराखण्ड का जनपद है। जनपद में कुल 06 तहसीलें, 02 उप तहसील तथा 04 विकासखण्ड है।

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों की तरह ही इस भौगोलिक जनपद चम्पावत में भी आपदाओं में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने संवेदनशील क्षेत्र की तरफ विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचने पर मजबूर किया है। भौगोलिक परिस्थितियों के चलते क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जनपद भूकम्प के दृष्टिगत जोन 4 एवं 5 में आता है।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संवेदनशीलता को देखते आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके पीछे आपदाओं के न्यूनीकरण का मकसद ही प्रमुख है। यह प्रयास है कि गांव-गांव तक लोगों को आपदाओं के प्रति सचेत करने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया गया है। ग्रामीण स्तर समितियों के माध्यम से लोगों को इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है। अब यह जरूरी हो गया है कि इन आपदाओं से निपटने हेतु पूर्व की मानसिकता तैयार करें व अपनी भवन निर्माण शैली को भूकम्परोधी बनायें। हालांकि अभी तक के अनुभव बताते हैं कि जिन देशों ने आपदा के न्यूनीकरण की दिशा में कदम उठाये हैं वहां पर आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने में सफलता पायी है। इस बात को आत्मसात किए जाने के [illegible] के साथ आम जनमानस को इसमें भागीदार बनना होगा। विकास की प्रक्रिया को आगे जारी रखने के लिए हमें उन कारकों पर भी ध्यान देना होगा जिनसे प्रकृति के नष्ट होने वाले संतुलन से बचा जा सके। प्राकृतिक आपदाओं के बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ-बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी। जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (District Disaster Management Action Plan) की सहायता किसी भी आपदा के लिये अत्यन्त ही सहायक होगी।

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी
चम्पावत

ACKNOWLEDGEMENT (आभार)–

हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं उन सभी व्यक्तियों, विभागों तथा संस्थाओं का जिन्होंने जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के सफल निर्माण और तैयार करने में अपना अमूल्य समय, विशेषज्ञता एवं सहयोग प्रदान किया।

इस योजना के निर्माण में विशेष योगदान के लिए हम निम्नलिखित व्यक्तियों एवं संगठनों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं–

मुख्य मार्गदर्शन एवं समन्वय –

डा० नवनीत पाण्डे

अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिलाधिकारी, चम्पावत।

सचिव–

श्री कृष्ण नाथ गोस्वामी (आई०ए०एस०)

अपर जिलाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चम्पावत।

तकनीकी अवलोकन एवं संकलन –

श्री मनोज सिंह बनगाल

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, चम्पावत।

सहयोग एवं सहायता–

जनपद स्तरीय अधिकारी, जनपद चम्पावत।

टंकण एवं डाटा-संग्रह

[illegible]

मानचित्र सामग्री

[illegible]

हम आभारी हैं उन सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का जिन्होंने आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, समीक्षा, सुझाव और अधिक उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए। विशेष धन्यवाद उन समुदायों, स्वयंसेवकों, स्थानीय प्रतिनिधियों तथा स्थानीय युवाओं को जिन्होंने आयोजन / सर्वेक्षण कार्यों में सक्रिय भागीदारी की।

अंत में इस योजना की रूपरेखा और उसके प्रारूप को पूर्ण करने में सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति / संस्था को हमारा हार्दिक आभार।

:विषय–सूची:

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ
	अध्याय– 01 **जनपद परिचय (Introduction)**	
1	जनपद का ऐतिहासिक परिचय	1-2
2	जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य और लक्ष्य–	3-5
3	जिला आपदा प्रबंधन योजना का विधिक आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	5
4	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) का संक्षिप्त विवरण	5-6
5	हितधारक एवं उनकी जिम्मेदारियाँ	6-9
6	डीडीएमपी ढांचे का उपयोग कैसे करें	9-11
7	डीडीएमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र	11-12
8	योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया	12-13
	अध्याय–02 **खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन** **(Hazard, Risk, Vulnerability, and Capacity Assessment)**	
9	जनपद प्रोफाइल	14-16
10	जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु	16-17
11	जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु मौसमी कैलेंडर	17
12	जनपद में विगत आपदाओं का मैट्रिक्स	18
13	जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण	19-29
14	परिणाम (Outcome) और सुझाव (Recommendations)	29-30
	अध्याय–03 **आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें** **(Intuitional Arrangements for Disaster Management)**	
15	राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	31
16	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन	31-32
17	जनपद एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	32-39
18	जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली(आईआरएस)	40-43
19	जनपद में विभिन्न आपदाओं के रोकथाम हेतु समितियों का गठन	43-45
20	पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी नोडल एजेन्सी	45-46
	अध्याय– 04 **रोकथाम और शमन उपाय (आपदा जोखिम न्यूनीकरण** **(Prevention and Mitigation Measures)**	
21	रोकथाम के उपाय	47-48
22	विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का मुख्यधारा में समावेशन तथा केंद्र/राज्य योजनाओं के साथ समन्वय	48-49
23	आपदा रोकथाम से संबंधित प्रचलित एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सूची	49-50
24	शमन उपाय	50-53
	अध्याय–5 तैयारी के उपाय **(Preparedness Measures)**	
25	तैयारी उपाय का उद्देश्य	54
26	जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची	55-56
27	राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र	56

28	जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र	56-57
29	स्थानीय प्रशासन SDRF और NDRF	57-59
30	आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान	59-61
31	विकलांग व्यक्तियों की निकासी और प्रतिक्रिया	61-62
32	विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन	62-64
33	जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना	64-66
34	अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	66-67
35	लॉजिस्टिक्स उपकरणों और भंडारण की जांच एवं प्रमाणन	67
36	चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण	67-71
37	जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र का परीक्षण	71-72
38	मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु सुरक्षा ढांचे का निरीक्षण	72-73
39	त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान	73-75
40	गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों का समन्वय	75-76
41	जन हानि प्रबंधन	76-78
42	राहत भोजन और पानी की व्यवस्था	78-79
43	आश्रय, सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वच्छता प्रबंधन	79-81
44	प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	81-85
45	विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी	85-86
46	संचार तंत्र	86
	अध्याय– 06 **क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण** **(Capacity Building and training Measures)**	
47	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण	87-88
48	प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर	88-92
49	आपदा प्रबंधन शिक्षा	92-93
50	कौशल उन्नयन और मॉक–अप प्रशिक्षण कार्यक्रम	93
51	प्रशिक्षित पेशेवरों का सूचीकरण	94
52	विभिन्न संवेदनशील समूहों के लिए क्षेत्रीय डेटा दस्तावेजीकरण	94
	अध्याय– 07 **प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय** **(Response and Relief Measures)**	
53	राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य	95
54	प्रतिक्रिया योजना, बहु–आपदा प्रबंधन तैयारी और त्वरित मूल्यांकन	95-96
55	विभिन्न स्तरों के आपदाओं का स्तर एवं उत्तरदायी टीम	97-99
56	जिम्मेदारी मैट्रिक्स का विकास	99
57	आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व	100
	अध्याय– 08 **आपदा पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना उपाय** **(Reconstruction, Rehabilitation And Recovery Measures)**	
58	पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन के चरण	101
59	राहत और पुनर्वास	101
60	सामान्य नीतिगत दिशानिर्देश	102
61	राहत और पुनर्वास समन्वय	102
62	विस्तृत क्षति और हानि मूल्यांकन	102-103
63	पुनर्स्थापन	103-104
64	पुनर्निर्माण / मरम्मत	104-105
65	पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम	106

	अध्याय– 09 **आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था** **(Financial Resources For Implementation of DDMP)**	
66	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखण्ड में वित्तीय व्यवस्थाए	107
67	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष	107-108
68	राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ	108
69	तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था	108
70	अन्य वित्तीय विकल्प	108-109
71	राज्य आपदा मोचन निधि	109-116
72	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	116
73	15–वित्तआयोग	116-118
74	पुनर्वास / विस्थापन	119-120
	अध्याय– 10 **डीडीएमपी की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली** **(Procedure And Methodology For Monitoring Evaluation, Updation And Maintenance)**	
75	परिचय	121
76	DDMP के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी	121
77	DDMP की वार्षिक निगरानी और मूल्यांकन	121
78	DDMP के लिये आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र	121
79	DDMP के अद्यतनीकरण की अनुसूची	121-122
80	DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना	122
81	मॉक ड्रिल का आयोजन	122-123
82	निगरानी और अंतरिम मूल्यांकन	123
	अध्याय–11 **डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism for Implementation of DDMP)**	
83	अंतर्विभागीय (Intra) तथा अंतर–विभागीय (Inter) समन्वय एवं क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)	124-126
84	NGOs, CBOs एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तथा उद्योगों, निजी विद्यालयों एवं अस्पतालों के साथ समन्वय तथा ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय	126-129
85	ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages) तथा अंतर–ब्लॉक एवं अंतर–ग्राम समन्वय (Horizontal Linkages)	129-131
86	राज्य स्तरीय विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली	131-133
87	इंट्रा–ब्लॉक एवं इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Block and Intra-Village Coordination)	133-134
88	स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के साथ समन्वय (पंचायती राज संस्थाएँ – जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर एवं ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय)	134-136
89	पड़ोसी जिलों के DDMPs के साथ समन्वय (Linkage with DDMPs of Neighboring Districts)	136
90	राज्य आपदा प्रबन्धन योजना (SDMP) के साथ समन्वय (Linkage with SDMP)	136-137
	अध्याय–12 **मानक प्रचालन प्रक्रिया चैक लिस्ट** **(Standard Operating Procedures and Check list)**	
91	आपदा स्थिति की परिभाषा	138
92	चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही तथा चेतावनी का प्रसार	138-139

93	आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधनों तक पहुँच की प्रक्रिया	139
94	आपातकालीन प्रतिक्रिया में विभागों एवं हितधारकों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ	140-141
95	सूचना प्रबंधन एवं प्रसार रणनीति	142
96	मीडिया प्रबंधन रणनीति आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान	142-143
97	राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध (Request for State Government Assistance)	143
98	राहत और पुनर्वास मानक (आपातकालीन प्रतिक्रिया / सहायता कार्य)	144-145
99	मानवतावादी राहत और सहायता	145-148

परिचय (Introduction)

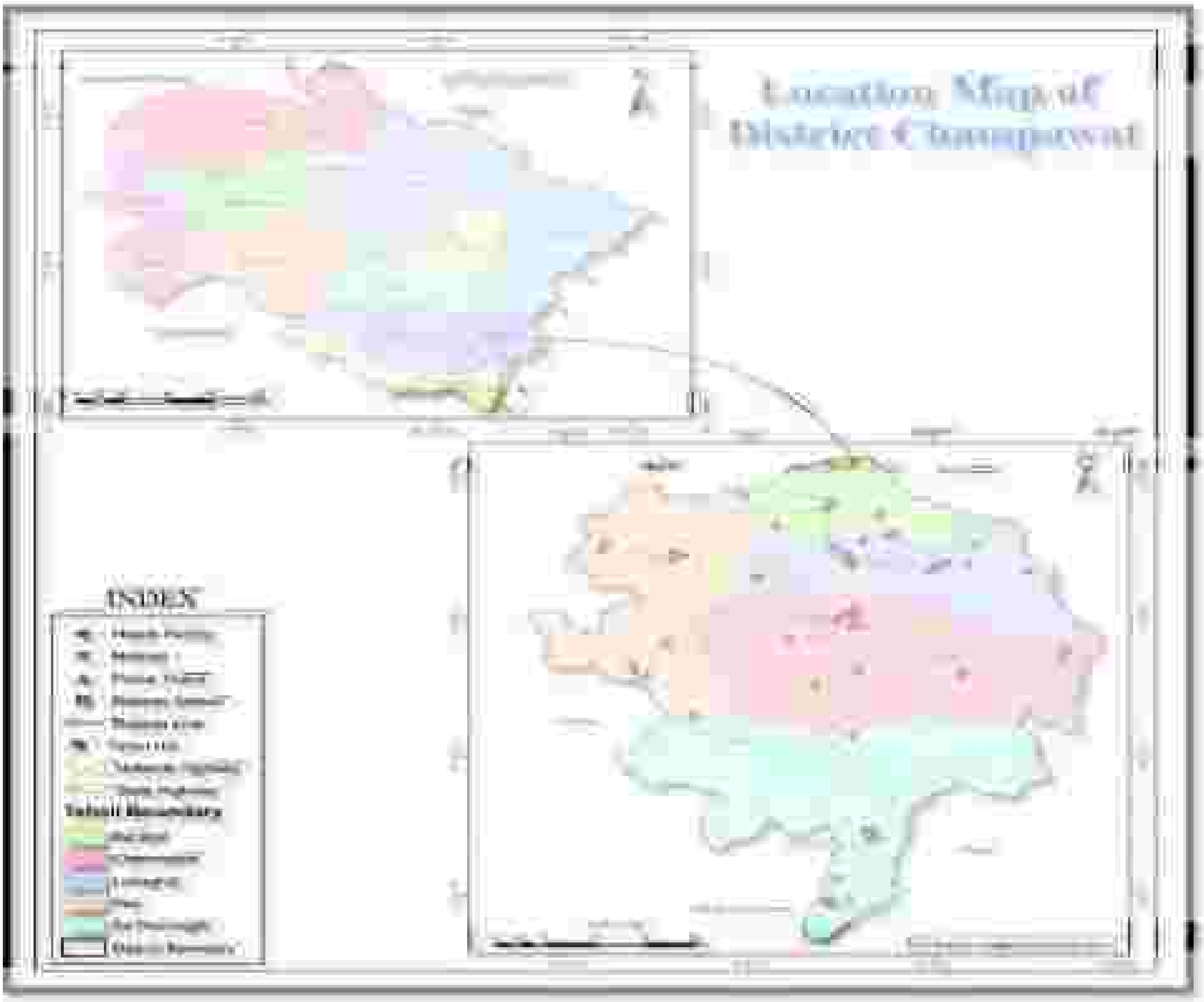

जनपद का ऐतिहासिक परिचय– कुमाऊँ में चन्द वंश का मूल संस्थापक सोम चन्द था, जो झूसी इलाहाबाद से बद्रीनाथ यात्रा के लिये सन् 1300 ई. के आस–पास पहाड़ आया था। तत्कालीन कत्यूरी राजा अर्जुन देव ने अपनी पुत्री का उससे विवाह कर चम्पावत के गढ़ के साथ लगी 300 नाली भूमि उसे दहेज में प्रदान की। सोम चन्द छोटे से राज्य का निर्माण कर चम्पावत को अपना स्थाई निवास बनाया। उसके वंशज अभय चन्द व ज्ञान चन्द ने वर्तमान चम्पावत नगर के बालेश्वर में खजुराहो शैली का भव्य मन्दिर बनवाया, साथ ही पैंगुनी, फफलानी एवं हथियानौला, मादली व जूप के शिव मन्दिर, मानेश्वर, डिप्टेश्वर और देवलनाथ के मन्दिरों का निर्माण करवाकर इस नगरी को राजधानी का महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान किया। ज्ञान चन्द, लक्ष्मण चन्द, बहादुर चन्द आदि ने राज्य का चतुर्दिक विस्तार कर इसे सुव्यवस्थित व सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चम्पावत नगर के निकट स्थित डिप्टा देवी मन्दिर के भीतर 4 फीट लम्बी 3 फीट चौड़ी 1 फीट ऊँची कूर्मशीला है, जिसके आधार पर यह पर्वत क्षेत्र कूर्मांचल अथवा कुमाऊँ कहलाया। स्कन्द पुराण के मानस खण्ड में उत्तर में रामेश्वर से लेकर दक्षिण में पूर्णागिरी तक की भूमि को कूर्मांचल कहा गया है। इस क्षेत्र में 1320 ई. से 1790 ई. तक चन्द वंश के ताम्र पत्र मिलते है। जोशीमठ की गुरूपादुका नामक ग्रन्थ के अनुसार नागों की बहिन चम्पावती ने चम्पावत के बालेश्वर मन्दिर के पास तपस्या की थी, उसकी स्मृति में एक प्राचीन मन्दिर आज भी विद्यमान है। वायु पुराण में चम्पावती पुरी का उल्लेख मिलता है जो नागवंशी नौ राजाओं की राजधानी रही। मध्य कालीन लोक गाथाओं मालूशाही एवं बागर, विक्रम चन्द का ध्यूनू में चम्पावतीगढ़ नाम मिलता है।

चन्दों का राज्य बारह गर्खों में बटा था। प्रत्येक भाग प्रधान को नेगी कहा जाता था। यह गर्खे आधुनिक परगने की तरह थे। वर्तमान समय में कुमाऊँ को गर्खों कहा जाता है। प्रत्येक गर्खे में स्थानीय थोकदारों की एक सभा होती थी। चम्पावत में इन्हीं पंचायतों के सदस्य को बूढ़ा कहा जाता था। विकास खण्ड चम्पावत में गंडेराला नदी के किनारे सिप्टी ग्राम पंचायत में स्थित बूढ़ा खोला गाँव चम्पावतखण्ड में आज भी विद्यमान है।

गोरखा आक्रमण से चन्द राज्य का पतन 1790 में हुआ। 1790 से 1815 तक गोरखों के आधिपत्य में रहने के बाद 1815 ई. में अंग्रेजों ने उत्तराखण्ड में कुमाऊँ व ब्रिटिश गढ़वाल जिले बनाये और चम्पावत तहसील को काली कुमाऊँ का नाम देकर प्रशासन प्रारम्भ किया। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में इस क्षेत्र के प्रभावशाली कालू सिंह मेहरा को अंग्रेजों ने मार डाला तथा ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया। तत्पश्चात वर्तमान उत्तराखण्ड में 03 तहसीलें पौड़ी, अल्मोड़ा, व चम्पावत स्थापित हुईं। सन् 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल जनपदों के सृजन होने पर चम्पावत अल्मोड़ा जनपद की तहसील बनी। सन 1968 में इसे नवसृजित पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। दुर्गम पर्वतीय अंचल में छोटी प्रशासनिक ईकाइयों को विकास का वाहक मानने की जनधारणा के फलस्वरूप चम्पावत को पृथक जनपद बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर प्रदेश शासन ने विज्ञप्ति संख्या–2798 दिनांक 15.09.1997 द्वारा चम्पावत जिले का सृजन कर इसका गठन किया जिसमें पूर्ववर्ती तहसील चम्पावत के अलावा खटीमा विकास खण्ड के 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये "माल और भाबर" (खर्कगोठ तथा उनके समीपवर्ती ग्राम) को पहली बार एक प्रशासनीय इकाई में संगठित करने का निर्णय लिया गया।

जनपद चम्पावत 29°31'20.57"N उत्तरी अक्षांश से 80°6'10.42"E पूर्वी देशान्तर और 29°18'35.56"N उत्तरी अक्षांश तथा 80°18'36.02"E पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। न्यूनतम समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर (टनकपुर) व अधिकतम ऊंचाई 7550 मीटर है। जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र है। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर को कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई वाले है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं–कहीं बहुत सुन्दर घाटियां भी है। प्रमुख नदियां काली, सरयू, पनार, लधिया, रतिया, गंडेराला एवं लोहावती अलग–अलग भागों से निकलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है।

पौराणिक ऐतिहासिक धरोहरों का विवरण– समृद्धि से भरपूर इस जनपद में बाराही देवी का मन्दिर देवीधुरा, बाणासुर का किला, कुमाऊँ में न्याय व्यवस्था के आधार स्तम्भ गोलू देवता का मन्दिर गोलचौड़, गुरु गोरखनाथ की अखण्ड धूनी–मठ (तामली), श्रद्धाधनी माँ पूर्णागिरी मन्दिर, सप्तेश्वर क्रान्तेश्वर महादेव, अखिलतारणी मन्दिर बड्डा और आदित्य के मन्दिर है। सिक्खों के प्रथम गुरु नानक देव द्वारा स्थापित रीठा साहिब गुरुद्वारा रीठा, स्वामी विवेकानन्द के वर्ष 1898 के प्रवास के प्रेरणा स्थल मायावती, एबटमाउन्ट, श्रद्धा से भरपूर श्यामलाताल, विकास प्रगति व समृद्धि के आधार स्थल बनबसा तथा टनकपुर बैराज इस जनपद की सुरम्य धरोहर है।

प्रशासनिक ढांचा– जनपद का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किमी. है। पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 50 किमी० तथा उत्तर से दक्षिण तक की लम्बाई 64 किमी. है। जनपद में 04 परगना, 05 तहसीलें, 02 उप तहसीलें 04 विकास खण्ड, 313 ग्राम पंचायतें तथा कुल ग्राम 705, राजस्व ग्राम 691, गैर आबाद ग्राम 43, आबाद वन ग्राम 18, गैर आबाद वन ग्राम 12 एवं 08 पुलिस थाने व 10 पुलिस चौकियां सृजित है।

जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था– तालिका 1.5

विकास खण्ड	04 (चम्पावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी)
तहसील	05 (चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरि (टनकपुर), बाराकोट)
उप तहसील	02 (पुल्ला, मंच)
परगने	04 (चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरि (टनकपुर))
पुलिस थाने	08 (बनबसा, टनकपुर, चम्पावत, तामली, पंचेश्वर, लोहाघाट, रीठा, पाटी)
पुलिस चौकी	11
ग्राम पंचायतों की संख्या	312
न्याय पंचायतों की संख्या	24
राजस्व ग्रामों की संख्या	(कुल ग्राम –705, राजस्व ग्राम –691, गैर आबाद ग्राम–43, आबाद वन ग्राम –18, गैर आबाद वन ग्राम –12)

1.1 जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य और लक्ष्य–

लक्ष्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम एक्ट) की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) बनाना अनिवार्य है। डीडीएमपी में खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन (एचवीसीआरए), रोकथाम, शमन, तैयारी उपाय, प्रतिक्रिया योजना और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

उद्देश्य–

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी)के उद्देश्य इस प्रकार है।

- जिले में प्रमुख प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- आपदा को रोकने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर पर सक्रिय उपाय अपनाना।
- आपदा से पूर्व और पश्चात के चरणों के दौरान हितधारकों को विभिन्न कार्य और जिम्मेदारियां परिभाषित करना और सौंपना।
- जिले के लोगों की आपदा सहनशीलता को क्षमता निर्माण के माध्यम से बढ़ाना।
- उचित योजना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संपत्ति, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की हानि को कम करना।
- जिले में प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य के विकास को प्रबंधित करना।
- खोज, बचाव और प्रतिक्रिया में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जिला स्तर पर एक आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना करना।
- आपदा स्थिति का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया एक मानकीकृत तंत्र विकसित करना।
- समुदाय को आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रमाणित तकनीक पर आधारित विश्वसनीय संचार प्रणाली स्थापित करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करना ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, बचाव और खोज समर्थन प्रदान किया जा सके।
- जिले में आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तंत्र को अपनाना और समुदाय को आपदा–प्रतिरोधी भविष्य विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग करना।
- आपदा प्रबंधन में मीडिया का उपयोग करना।
- प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजना और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर और स्थानीय प्राधिकरण पर पुनर्निर्माण उपाय करना।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का उद्देश्य शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक है। इस योजना को आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि मानवीय, संपत्ति और पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा–

आपदा प्रबंधन कार्य योजना का दायरा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कवर करता है। इसमें शामिल है

(i) आपदा पूर्व (Preparedne)

- संभावित खतरों का मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण।
- समुदाय को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना।
- चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- संसाधनों और उपकरणों का प्रबंधन।

(ii) आपदा के दौरान (Response)

- त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) का गठन।
- राहत कार्यों का कुशल संचालन।

- प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बचाव अभियान का समन्वय।

(iii) आपदा के बाद (Recovery)

- प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
- सामाजिक और आर्थिक पुनर्बहाली।
- आपदा के कारण हुए नुकसान का आंकलन।
- भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए उपाय करना।

(iv) शामिल हितधारक

- जिला प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य विभाग।
- गैर–सरकारी संगठन (NGO) और सामुदायिक संगठन।
- राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग।
- स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक।

(v) मुख्य घटक

- आपदा प्रबंधन टीमों और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सूची बनाना।
- संसाधनों का भंडारण और वितरण प्रणाली।
- आपदा जोखिम कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रभावित समुदायों को शीघ्रता से पुनर्बहाली में मदद करने का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह योजना जिला प्रशासन, समुदाय और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करने हेतु अधिकार एवं सन्दर्भ–

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) के अध्याय–IV के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority & DDMA) की स्थापना करेगी, जिसका नाम अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा। DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त, या जिलाधिकारी (जैसा मामला हो) करेंगे, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह–अध्यक्ष (Co-Chairperson) होंगे।
- राज्य सरकार उस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधिकारी, या अतिरिक्त उपायुक्त (जैसा मामला हो) के पद से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी को जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer (CEO)) नियुक्त करेगी।
- DDMA जिले में आपदा प्रबंधन (DM) के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत, यह जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सभी संबंधित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- DDMA यह भी सुनिश्चित करेगी कि NDMA और SDMA द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाए।

- इसके अलावा, "जिला योजना" (District Plan) का मतलब जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना से है जिसे धारा 31 के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य है। यह योजना जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित कराई जाएगी।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का विधिक आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन को एक व्यवस्थित, समन्वित एवं संस्थागत ढांचे के अंतर्गत संचालित करने हेतु Disaster Management Act, 2005 लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की संस्थाओं का गठन किया गया है तथा आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, क्रियान्वयन करने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

Disaster Management Act, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में District Disaster Management Authority (DDMA) का गठन किया जाता है। जिला स्तर पर यह प्राधिकरण आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों का नियोजन, समन्वय, निगरानी तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सह–अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक जिला प्राधिकरण अपने जिले के लिए एक District Disaster Management Plan (DDMP) तैयार करेगा। यह योजना जिले में संभावित आपदाओं की पहचान, जोखिम एवं संवेदनशीलता के विश्लेषण, संसाधनों की उपलब्धता तथा आपदा के समय विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।जिला चम्पावत, जो कि उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में स्थित एक पर्वतीय जिला है, भौगोलिक, जलवायु एवं भूसंरचनात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जिले में मुख्यतः भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प, जंगल की आग तथा सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं की संभावना बनी रहती है। इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए Disaster Management Act, 2005 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर एक समग्र एवं अद्यतन District Disaster Management Plan (DDMP)–Champawat तैयार किया जाता है। यह योजना जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, आपदा प्रबंधन से संबंधित एजेंसियों तथा समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से आपदा के पूर्व (Preparedness), आपदा के दौरान (Response) तथा आपदा के बाद (Recovery and Rehabilitation) की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है। जिला चम्पावत में District Disaster Management Authority (DDMA), Disaster Management Act, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप इस DDMP के निर्माण, अद्यतन (Updation), कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है।इस प्रकार, Disaster Management Act, 2005 जिला चम्पावत के District Disaster Management Plan (DDMP) के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक आधार प्रदान करता है।

1.3 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) का संक्षिप्त विकास

भारत में आपदा प्रबंधन की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है। पूर्व में आपदा प्रबंधन मुख्यतः आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों तक सीमित था, परन्तु समय के साथ यह समझ विकसित हुई कि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा संस्थागत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया गया, जिसके माध्यम से देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक संगठित एवं संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) तथा जिला स्तर पर जिला आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए District Disaster Management Plan (DDMP) तैयार करना अनिवार्य किया गया है।

जिला चम्पावत में DDMP का निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। इस योजना में जिले की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्भावित प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं का विश्लेषण किया गया है।

DDMP एक गतिशील दस्तावेज है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि बदलती परिस्थितियों, नए जोखिमों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP)की तैयारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की जिम्मेदारी है। प्रारंभिक मसौदा योजना को (DDMA) में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस योजना के विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

- NDMA टेम्पलेट के अनुसार DDMP विकसित करने के लिए राज्य और NDMA के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण।
- सभी संबद्ध विभागों से डेटा संग्रह।
- डेटा का विश्लेषण।
- विशेषज्ञों के साथ चर्चा।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ।
- सभी संबद्ध विभागों के लिए कार्य योजनाओं की तैयारी।
- मसौदा योजना दस्तावेज की तैयारी।
- कार्यान्वयन की विधि की व्यवहार्यता और संभाव्यता जांचने के लिए मॉक ड्रिल।
- सार्वजनिक और विभागीय टिप्पणियों के लिए व्यापक प्रसार।
- अंतिम योजना दस्तावेज की तैयारी।

आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में एकरूपता प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह योजना क्षेत्र स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससे आगे तक विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया की दक्षता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार स्थिति में रखती है।

1.4 हितधारक (Stakeholders) एवं उनकी जिम्मेदारियाँ

जिला आपदा प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं, संगठनों तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। आपदा प्रबंधन एक समन्वित प्रक्रिया है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों (Stakeholders) की स्पष्ट भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाती हैं। जिला चम्पावत में आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रमुख हितधारक तथा उनकी जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं–

• राष्ट्रीय और राज्य स्तर – राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, NIDM, NDRF की प्रमुख भूमिकाएं निर्धारित हैं। राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राहत आयुक्त (CoR), राजस्व विभाग, प्रमुख संस्थाएं हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं से निपटती हैं। सभी प्रमुख विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति) और आपातकालीन समर्थन कार्य एजेंसियों (पुलिस, होम गार्ड, फायर और स्वास्थ्य/प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान SEOC में एकत्र होती हैं।

• जिला स्तर पर– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसने जिला कलेक्टर को प्रतिक्रिया अधिकारी (IRO) के रूप में नामित किया गया है और जिला मुख्यालय पर अन्य संबंधित विभाग, जिले के भीतर आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं।

• अन्य तकनीकी संस्थाएँ, समुदाय, स्थानीय स्व–सरकारें, NGOs आदि भी जिला आपदा प्रबंधन योजना के हितधारक हैं। हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि संबंधित संगठनों को उनके

कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिले, जो कि सभी स्तरों पर आपदा प्रबन्धन से संबंधित हैं और उन्हें पूरा किया जा सके।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• आकस्मिक योजना का क्रियान्वयन। • आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, सैन्य बलों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना। • समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन। • आपदा की स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना।
2.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	• DDMP को अनुमोदित करना। योजना की निगरानी और क्रियान्वयन। • इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए DDMP को मार्गदर्शन प्रदान करना। • आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना। • शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	• आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रणयन और क्रियान्वयन का समन्वय करना।
2.	पुलिस, होम गार्ड, पी.आर.डी.	• कानून और शांति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा। • मोटर मार्ग बाधित होने पर यातायात व्यवस्था। • दूरसंचार विहीन क्षेत्रों में वायरलैस के माध्यम से वैकल्पिक संचार व्यवस्था। • चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण
3.	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस आदि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
4.	स्वास्थ्य विभाग	• घायलों व प्रभावितों को चिकित्सीय सुविधा तथा उक्त सम्बन्धी उपकरणों / दवाइयों की व्यवस्था किया जाना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना।
5.	विद्युत विभाग	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि। • क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। • आपदा की स्थिति में विद्युत बहाल करते हुये वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था किया जाना। • राहत कार्यों व शिविरों में विद्युत व्यवस्था
6.	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।

7.	जनसंपर्क विभाग	▪ आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि जनपद स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। ▪ सभी टी.वी. और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना। ▪ समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण।
8.	परिवहन विभाग	▪ परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। ▪ विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। ▪ आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के आंकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग / लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी.एस. वाई.	▪ निर्माणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना। ▪ ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलिया का रख रखाव। ▪ सड़क मार्ग अवरूद्ध होने पर डाइवर्जन, आपातकालीन स्थिति में हेलीपैड सक्रिय किया जाना, क्षतिग्रस्त पुल / पुलिया, सड़कों की मरम्मत, अवसंरचना क्षति आंकलन अन्य विभागों को तकनीकी सहयोग।
10.	राजस्व विभाग	▪ वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रतिक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। ▪ आपातकालीन सावधानी से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण।
11.	वन विभाग	▪ वन्यजीव मानव संघर्ष की रोकथाम तथा आपदा के समय राहत बचाव कार्य में सहयोग। ▪ ऐतिहासिक वन मार्गों को आपदा की स्थिति में सुचारू किया जाना।
12.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	▪ आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था। ▪ आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप में भोजन प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय कर राहत सामग्री / खाद्यान्न वितरण।
13.	पेयजल विभाग	▪ स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।
14.	नगर पालिका एवं जिला पंचायत	▪ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था।
15.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	▪ प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत शिविरों एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन, खोज एवं बचाव
16.	शिक्षा विभाग	▪ चिन्हित आपातकालीन राहत शिविरों कि व्यवस्था एवं समन्वय। ▪ मतदेय स्थलों में ए.एम.एफ. सम्बन्धी सुविधाएं एवं कार्मिकों हेतु भोजन आदि व्यवस्था।

17.	सिंचाई विभाग	• नदी नालों से कटाव तथा जल भराव की स्थिति में तात्कालिक रूप से आबादी की सुरक्षा हेतु कार्य।
18.	उरेडा विभाग	• विद्युत विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था।
19.	पशुपालन	• आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिये रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। • सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों की सूची तैयार करना और आपदा की स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का आँकलन करना।

इस प्रकार जिला चम्पावत में आपदा प्रबंधन की सफलता विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय, सहयोग एवं सहभागिता पर निर्भर करती है। DDMP के माध्यम से सभी संबंधित संस्थाओं की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती हैं, जिससे आपदा के समय त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1.5 डीडीएमपी ढांचे का उपयोग कैसे करें

1. डीएम एक्ट 2005 की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए, ताकि जिले के भीतर खतरनाक घटनाओं के प्रभाव से बचाव हो सके।
2. महत्वपूर्ण आपात स्थितियों या आपदाओं में, जिला मजिस्ट्रेट या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष की राज्य सरकार के नियमों/राज्य आपदा प्रबंधन योजना के दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
3. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) स्थिति की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों से संचालित किया जाएगा। सक्रिय होने पर, संचालन में लाइन विभागों और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए जानकारी, डेटा और संसाधन प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
4. डीडीएमए, डीएम एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
5. उन सुविधाओं की पहचान की गई है, जो जिला सरकार के कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
6. जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उनके नामित व्यक्ति जिला संसाधनों का समन्वय और नियंत्रण करेंगे।
7. आपातकालीन सार्वजनिक जानकारी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों से नामित मीडिया और सूचना अधिकारी द्वारा प्रसारित की जाएगी।
8. कारगर आपातकालीन संचालन के लिए पूर्व योजना और कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है और इसे आपदा तैयारी के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
9. जब कोई घटना जिले की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है, तो आसपास के जिलों के साथ समन्वय आवश्यक है। अंतर–जिला सहयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनका अभ्यास किया जाना चाहिए।
10. इस दस्तावेज़ में जिन विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्राथमिक या सहायक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें इस योजना का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन दस्तावेज विकसित करना चाहिए।
11. आपातकालीन संचालन के दौरान जब स्थानीय संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य या उच्च स्तर की सरकार और अन्य एजेंसियों से मदद मांगी जाएगी।
12. जिला प्राधिकरण सहायता और/या संसाधनों के लिए अनुरोध करने के लिए सामान्य चैनलों का उपयोग करेगा, अर्थात् जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से राज्य SEOC तक। यदि राज्य के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो राज्य आवश्यक संसाधन केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।

13. जिला DEOC राज्य SEOC, और भारत सरकार की एजेंसियों जैसे IMD / CWC के साथ समन्वय करेगा ताकि संभावित बाढ़, भूस्खलन आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी बनाए रखी जा सके। इस प्रकार की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को उपयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।
14. इन क्षेत्रों में संभावित समस्याओं की सूचना प्राप्त होने पर, DEOC / नामित अधिकारी उचित रूप से अलर्ट जारी करेंगे और निवासियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना देंगे।
15. आपदा के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी स्तरों की स्थानीय सरकार और उनके विभागों को ऐसी प्रक्रियाएं विकसित और बनाए रखनी चाहिए, जो सरकार की कार्रवाई की निरंतरता सुनिश्चित करें।

यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियों की स्वतः सक्रियता (Suo & moto Activation) के लिए एक संस्थागत ट्रिगर तंत्र हो, ताकि आपदा के समय प्रत्येक एजेंसी अपनी सौंपी गई भूमिका निभाए। आगामी चेतावनी संकेतों की उपलब्धता के आधार पर तीन प्रकार के ट्रिगर तंत्र स्थापित किए जाएंगे:

पूर्व चेतावनी संकेत–

ऐसे मामलों में, भारत सरकार/राज्य सरकार ने ऐसी पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक/तहसील/ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाए जाएंगे। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसी चेतावनी/परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) इसे तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा।

इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगा–

With warning Information flows from Top - Down

पूर्व चेतावनी के बिना संकेत

जब कोई आपदा बिना किसी प्रारंभिक चेतावनी के आती है, तो उस स्थिति में घटना स्थल से सूचना सरकारी एजेंसी या अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है और ऐसी स्थिति में संस्थागत तंत्र निम्नानुसार होगा–

1. संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन/एसडीएम/डीएम को घटना की सूचना देगा, और यह सूचना उपायुक्त (Deputy Commissioner) तक भेजी जाएगी।
2. DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जानकारी का आकलन करेगा और आपदा को स्तर L0, L1, L2 या L3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
3. DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) सक्रिय किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) को सतर्क रखा जाएगा; अन्यथा, घटना की सूचना SEOC को दी जाएगी।
4. DDMA, DEOC की बैठक आयोजित करेगा और घटना प्रबंधन योजना (Incident Response Plan) के तहत आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करेगा।
5. संबंधित घटना प्रतिक्रिया टीमों (Incident Response Teams) को प्रभावी प्रबंधन के लिए घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

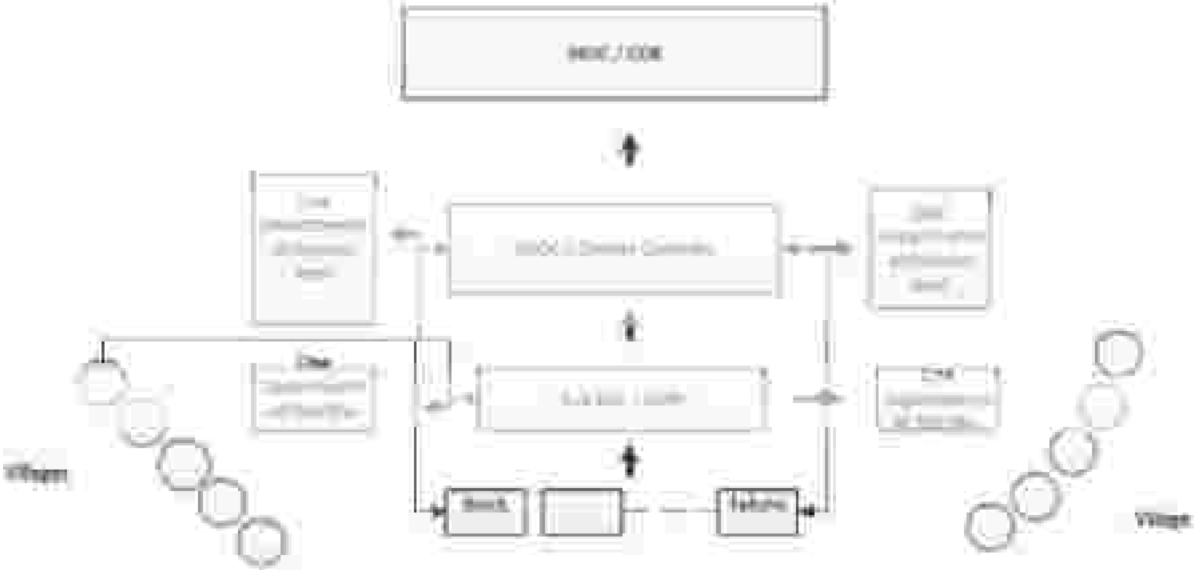

Without Warning – Information, generally, should flow from Bottom side – up but it is a crisscross scenario

आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपदा के घटित होने पर आपदा प्रतिक्रिया संरचना सक्रिय की जाएगी। आपदा के घटित होने की सूचना संबंधित निगरानी प्राधिकरण द्वारा राहत आयुक्त/एसडीएमए को सबसे तेज माध्यम से दी जा सकती है। एसडीएमए/एसईसी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा, जिसमें राज्य ईओसी, जिला ईओसी, पुलिस कर्मी और ईआरसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, व निम्नलिखित विवरणों को शामिल करते हुए निर्देश जारी करेंगे:

1. आवश्यक सहायता की सटीक मात्रा (जनशक्ति, उपकरण और प्रमुख विभागों/हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के रूप में)।
2. प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।
3. वह समय सीमा जिसके भीतर सहायता की आवश्यकता है।
4. अन्य टास्क/प्रतिक्रिया बलों का विवरण जिनके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।
5. राज्य स्तर पर राज्य ईओसी, ईआरसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ–साथ जिला नियंत्रण कक्षों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

1.6 डीडीएमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तत्–

डीडीएमपी को जिला और राज्य स्तर पर प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह योजना स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के तहत लागू की जाती है। आपदा

प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत परिभाषित, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, समन्वय और क्रियान्वयन करने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करेगा।

तदनुसार, जिला आपदा प्रबंधन योजना (District DM Plan) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National DM Plan) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State DM Plan) को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति, और इसमें किए गए किसी भी संशोधन की प्रति उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) विचार के बाद योजना को स्वीकृत करेगा और कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगा।

1.7 योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया–

अध्यक्ष, डीडीएमए, चम्पावत का दायित्व है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का वार्षिक रूप से और आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाए। सभी संबंधित विभाग आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। हाल के समय में, आपदाओं के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी, संबंधित विभागाध्यक्षों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को पहले से आवंटित कर्तव्यों और सार्वजनिक तथा एनजीओ की साझेदारी के कारण संभव हुआ है।

प्रशिक्षण: योजना विकसित करने के बाद, इसे प्रसारित किया जाना चाहिए और आपदा प्रबंधन समन्वयक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि उन्हें योजना में पहचाने गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ प्राप्त हों।

योजना का अभ्यास करें: योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और वास्तविक घटनाओं के संयोजन से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना में उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य, निर्णय, क्रियाएँ और समय प्रतिक्रिया को सफल बना सके। अभ्यास का उद्देश्य नीतियों, योजनाओं का परीक्षण करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके तैयारी को बढ़ावा देना है।

संशोधन और रखरखाव: योजना तैयार करने वाली टीमों को योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। समीक्षा एक आवर्ती गतिविधि होनी चाहिए और वार्षिक आधार पर समीक्षा को न्यूनतम माना जाता है। योजना की समीक्षा और अद्यतन निम्नलिखित घटनाओं के बाद किया जाएगा

- किसी बड़ी घटना के बाद
- संचालन संसाधनों में परिवर्तन (जैसे, नीति, कर्मचारी, संगठनात्मक संरचनाएं, प्रबंधन प्रक्रियाएं, सुविधाएं, उपकरण)
- योजना मार्गदर्शन या मानकों का औपचारिक अद्यतन
- हर सक्रियता के बाद
- प्रमुख अभ्यासों के बाद
- जिले के जनसांख्यिकी, खतरों या खतरे की प्रोफाइल में परिवर्तन
- नए या संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन

मूल योजना, परिशिष्टों, उप परिशिष्टों और कार्यान्वयन निर्देशों के विकास और पुनरीक्षण के समन्वय की जिम्मेदारी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपी जानी चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि एक DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का आंतरिक रूप से हर वर्ष समीक्षा किया जाए और उसे या तो अद्यतन किया जाए या पुनः पुष्टि की जाए। अद्यतन किए गए या पुनः पुष्टि किए गए दस्तावेज़ का उपयोग पिछले वर्ष की उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और अगले वर्ष के लिए न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में प्रशासन की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है।

Annexure-A

- 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/आर्थिक विवरण
- नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का विवरण
- जनपद अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण
- विकास खण्डवार ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत एवं पंचायत घर
- विकास खण्डवार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या विवरण–
- विकास खण्ड मुख्यालय से ग्रामों की दूरी का विवरण–
- जनपद की तहसील, विकास खण्ड, थाने, चौकियां तथा संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र–
- जलवायु एवं वर्षा–
- भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति–
- भौतिक स्वरूप, नदियां एवं भू–उपयोगिता
- प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा
- कृषि एवं फसल चक्र
- विद्युत उत्पादन
- यातायात एवं संचार व्यवस्था
- खनिज संसाधन
- भूमि उपयोग एवं वर्गीकरण
- जनपद की सीमा से लगे अन्य जनपद/प्रदेश/देश एवं सीमायें
- जनपद को अन्य राज्य/जनपद से जोड़ने वाले विभिन्न माध्यम

अध्याय– 02

खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन

(Hazard, Valunurability, Capacity and Risk Assessment)

2.1. जनपद प्रोफाइल–

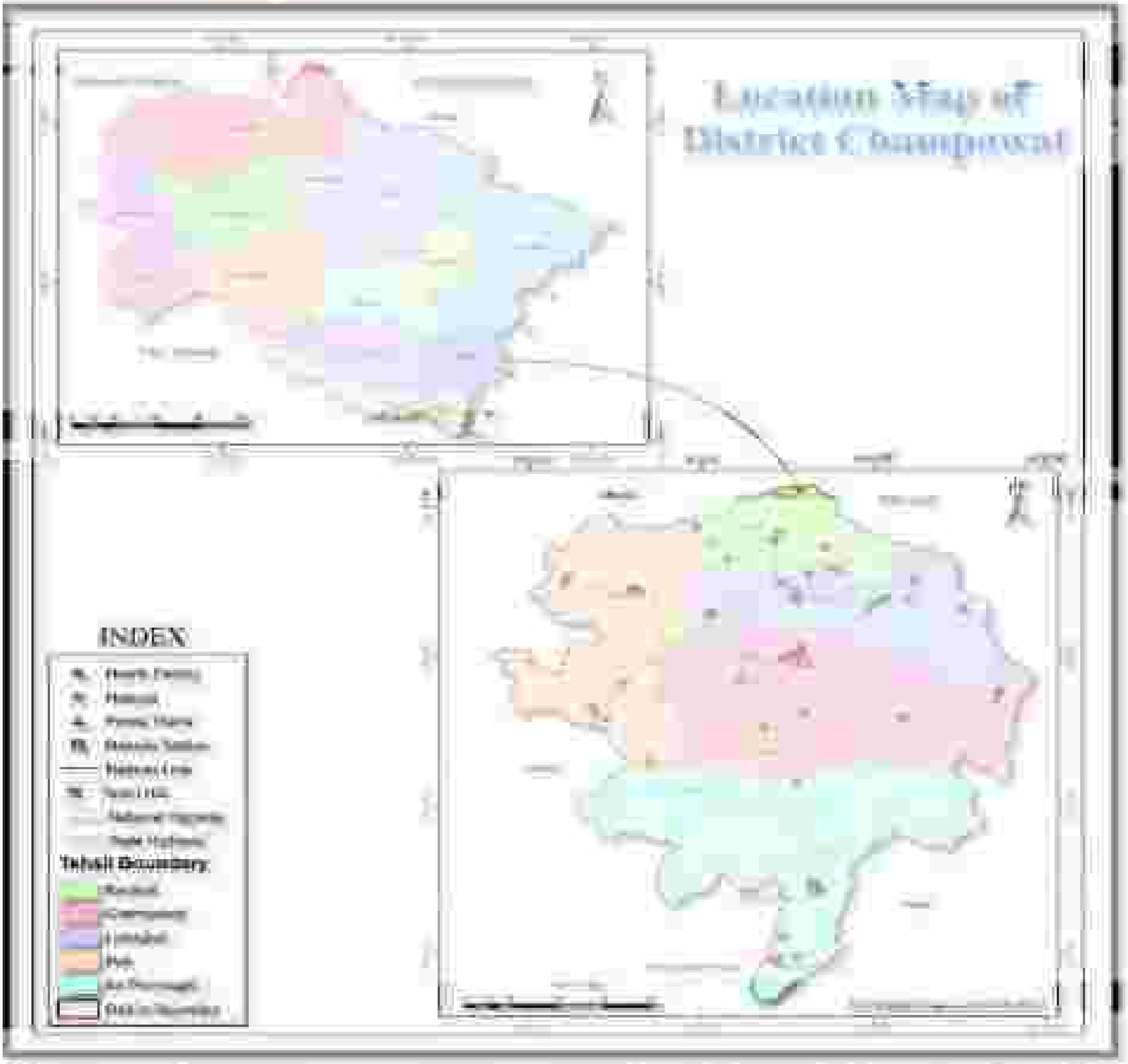

(1) सामान्य परिचय– जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में स्थित एक सीमांत पर्वतीय जनपद है। यह जनपद प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। चम्पावत नगर जनपद मुख्यालय है तथा ऐतिहासिक रूप से यह चन्द वंश की प्राचीन राजधानी रहा है।

जनपद का एक भाग नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जनपद की श्रेणी में आता है।

➢ भौगोलिक स्थिति–

- अक्षांश: 29°15' से 29°35' उत्तरी अक्षांश
- देशान्तर: 80°05' से 80°30' पूर्वी देशांतर
- औसत ऊँचाई: 400 मीटर से 2500 मीटर तक
- कुल क्षेत्रफल: लगभग 1,766 वर्ग किलोमीटर

➢ जनपद की सीमा से लगे अन्य जनपद/प्रदेश/देश एवं सीमायें–

उत्तर में	पिथौरागढ़
दक्षिण पूर्व में	नेपाल
दक्षिण में	ऊधम सिंह नगर
पश्चिम में	नैनीताल
उत्तर पश्चिम में	अल्मोड़ा

➢ जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था–

विकास खण्ड	04 (चम्पावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी)
तहसील	05 (चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरि (टनकपुर), बाराकोट)
उप तहसील	02 (पुल्ला, मंच)
परगने	04 (चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरि (टनकपुर))
पुलिस थाने	08 (बनबसा, टनकपुर, चम्पावत, तामली, पंचेश्वर, लोहाघाट, रीठा, पाटी)
पुलिस चौकी	11
ग्राम पंचायतों की संख्या	312
न्याय पंचायतों की संख्या	24
राजस्व ग्रामों की संख्या	(कुल ग्राम –706, राजस्व ग्राम –691, गैर आबाद ग्राम–43, आबाद वन ग्राम –15, गैर आबाद वन ग्राम –12)

➢ जलवायु एवं मौसम– जनपद की जलवायु ऊँचाई के अनुसार परिवर्तित होती है–

- निचले भाग (टनकपुर क्षेत्र)– उष्ण एवं आर्द्र
- मध्य पर्वतीय भाग– समशीतोष्ण जलवायु
- ऊँचे भाग– शीतोष्ण से शीत जलवायु
- औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1500–2000 मिमी. रहती है, जो मुख्यतः दक्षिण–पश्चिमी मानसून से होती है।

➢ प्राकृतिक विशेषताएँ–

- प्रमुख नदियाँ– शारदा, लधिया, लोहावती, पश्चिमी रामगंगा
- प्रमुख पर्वत एवं स्थल– एबट माउंट क्षेत्र, मल्ला बाराकोट, लोहाघाट, पूर्णागिरि पर्वत
- प्रसिद्ध तीर्थ स्थल– पूर्णागिरि मंदिर, बाणासुर का किला, मानेश्वर मंदिर, नागनाथ मंदिर
- प्रमुख पर्यटन स्थल– Abbott Mount, बालेश्वर मंदिर, चाय बागान, बाणासुर किला, पूर्णागिरि मंदिर।

➢ अर्थव्यवस्था एवं आजीविका–

- जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं पर्यटन पर आधारित है।
- मुख्य कृषि उत्पाद– धान, गेहूं, मडुवा, झंगोरा, आलू, दालें।

- बागवानी उत्पाद– सेब, आडू, नाशपाती, अखरोट, माल्टा, नींबू वर्गीय फल।
- वनों से ईंधन, चारा, औषधीय पौधे एवं लकड़ी की प्राप्ति होती है।
- टनकपुर क्षेत्र व्यापार एवं परिवहन का प्रमुख केंद्र है, जहाँ से नेपाल तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ होती हैं।

➢ आपदा संवेदनशीलता– भौगोलिक दृष्टि से जनपद चम्पावत भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध, वनाग्नि एवं बादल फटने जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। निचले क्षेत्र (टनकपुर, पूर्णागिरि) बाढ़/जल भराव, जबकि ऊपरी भाग (लोहाघाट, बाराकोट, पाटी) भूस्खलन जोखिम से प्रभावित होते हैं।

2.2. जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु

चम्पावत एक सीमान्त जनपद है, जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगी है। यह जनपद हिमालय क्षेत्र के भूकंप संवेदनशील जोन 04 एवं 05 के अन्तर्गत है। इस जनपद से होकर मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (MBT), हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट (HFT) तथा साउथ व नार्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट (SAT/NAT) सहित रामगढ़ थ्रस्ट (RT) निकल रहे हैं। जनपद चम्पावत सिस्मिक जोन 4 एवं 5 के अन्तर्गत है, इसके अतिरिक्त जनपद वर्ष 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 एवं 2024 में अतिवृष्टि/बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित रहा। वर्ष 2021 में चम्पावत जनपद के अन्तर्गत तहसील लोहाघाट के सूखा धारम, तहसील पाटी एवं चम्पावत के तेलवाड़ा व सिंगदा बाराकोट नामक स्थान पर भीषण भूस्खलन हुआ था। वर्ष 2024 में जनपद चम्पावत की तहसील लोहाघाट के मटियानी नामक स्थान के भूस्खलनों से जन–धन की क्षति हुई एवं पूर्णागिरि (टनकपुर) तहसील के छीनीगोठ, पचपकरिया, वार्ड नं0 04, अम्बेडकरनगर, बंगाली कॉलोनी, मनिहारगोठ, गुदमी, नैराकाट, बनगुड़ी, धसियाखण्डी, देवगांव, आमबाग, खालखेड़ा, गजलपुर, बनबसा, चन्दनी, शाहपुर, बोरागोठ, भैलानीगोठ, कम्फा, छिनीगोठ, थपलियालखेड़ा, मझोला, बिचई, पतलपुर, नायकखेड़ा, आदि ग्रामों में अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण जलभराव के कारण व्यापक हानि हुयी। जनपद में भविष्य में भी इन आपदाओं की सम्भावना आसन्न है। अतः जनपद में उक्त प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने की दृष्टिगत जनपद की आपदा/जोखिम एवं संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिससे सम्भावित आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके।

Geological Map of Uttarakhand– (मानचित्र 2.1)

Geological Map with Major Fault Lines of Champawat – (मानचित्र 2.2)

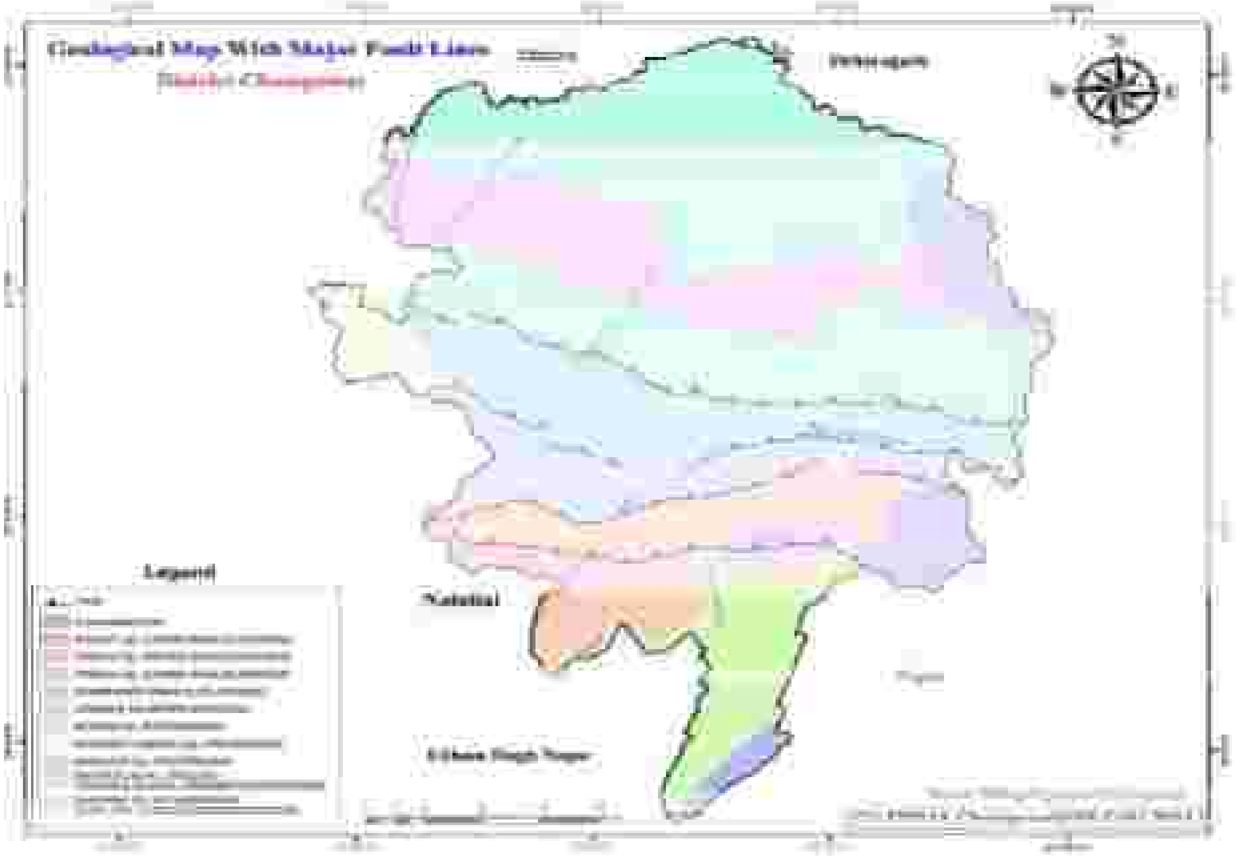

2.3– जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर–

घटना / आपदा	सम्भावित माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकम्प												
वर्षा / भू–स्खलन / जलभराव												
वनाग्नि												
अग्निकाण्ड												
बर्फबारी												
तूफान												
ओलावृष्टि												
वज्रपात												

2.4–जनपद मे विगत आपदाओं का मैट्रिक्स

Year	2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				2015-16			
Incident Type	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
Hailstorm	2	10	196	0	2	0	25	0	1	25	164	0.7	1	26	27	0	1	9	50	0
Landslide	2	5	200	0	0	8	20	0	5	0	0	0	0	30	100	5.87	3	30	139	0
Cold Wave													3							
Total	4	15	396	0	2	8	45	0	6	25	164	0.7	4	56	127	5.87	4	39	189	0

Year	2016-17				2017-18				2018-19				2019-20			
Incident Type	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
Hailstorm	4	8	11	0.48	1	0	0	0	3	14	81	0	0	0	0	0
Landslide	0	8	41	0	2	8	43	0	1	0	0	0	0	7	22	0
Total	4	16	52	0.48	3	8	43	0	4	14	81	0	0	7	22	0

Year	2020-21				2021-22				2022-23				2023-24			
Incident Type	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
Hailstorm	0	12	31	0	2	0	25	0	2	13	22	6.6	1	13	19	0.8
Landslide	0	0	0	0	13	56	1107	0.8	2	7	56	0	1	22	50	0
Total	0	12	31	0	15	56	1132	0.8	4	20	78	6.6	2	35	69	0.8

2.5– जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण –

2.5.1– भूकंप– जनपद चम्पावत जोन 4 व 5 में स्थित होने के कारण भूकंप हेतु अत्यन्त संवेदनशील है। जनपद से होकर प्रमुख मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT), हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट (HFT) तथा नार्थ व साउथ अल्मोड़ा थ्रस्ट (SAT/NAT) सहित रामगढ़ थ्रस्ट (RT) होकर गुजरती है। जिससे भूकम्प के लिए जनपद की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

क्र० सं०	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	अतिवृष्टि/भूस्खलन	जनपद चम्पावत जोन IV एवं V में होने के कारण समस्त तहसील के समस्त ग्राम/क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं।	मानचित्र 2.1 व 2.2 में प्रदर्शित जनपद से होकर (MBT), (HFT), (SAT/NAT) सहित (RT) Fault Lines दर्शायी गयी हैं। मानचित्र 2.3 में उत्तराखण्ड में भूकंप के दृष्टिगत जनपद चम्पावत की संवेदनशीलता की स्थिति दर्शायी गयी है। भूकंप से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं। ➢ संभावित जान एवं पशु हानि ➢ सड़क मार्गों की क्षति ➢ सरकारी भवनों/संरचनाओं की क्षति ➢ पेयजल/विद्युत लाईनों की क्षति ➢ विद्युत परियोजनाओं/लाईनों की क्षति

2.5.1.1– भूकंप के दृष्टिगत जनपद चम्पावत की संवेदनशीलता की स्थिति– (मानचित्र 2.3)

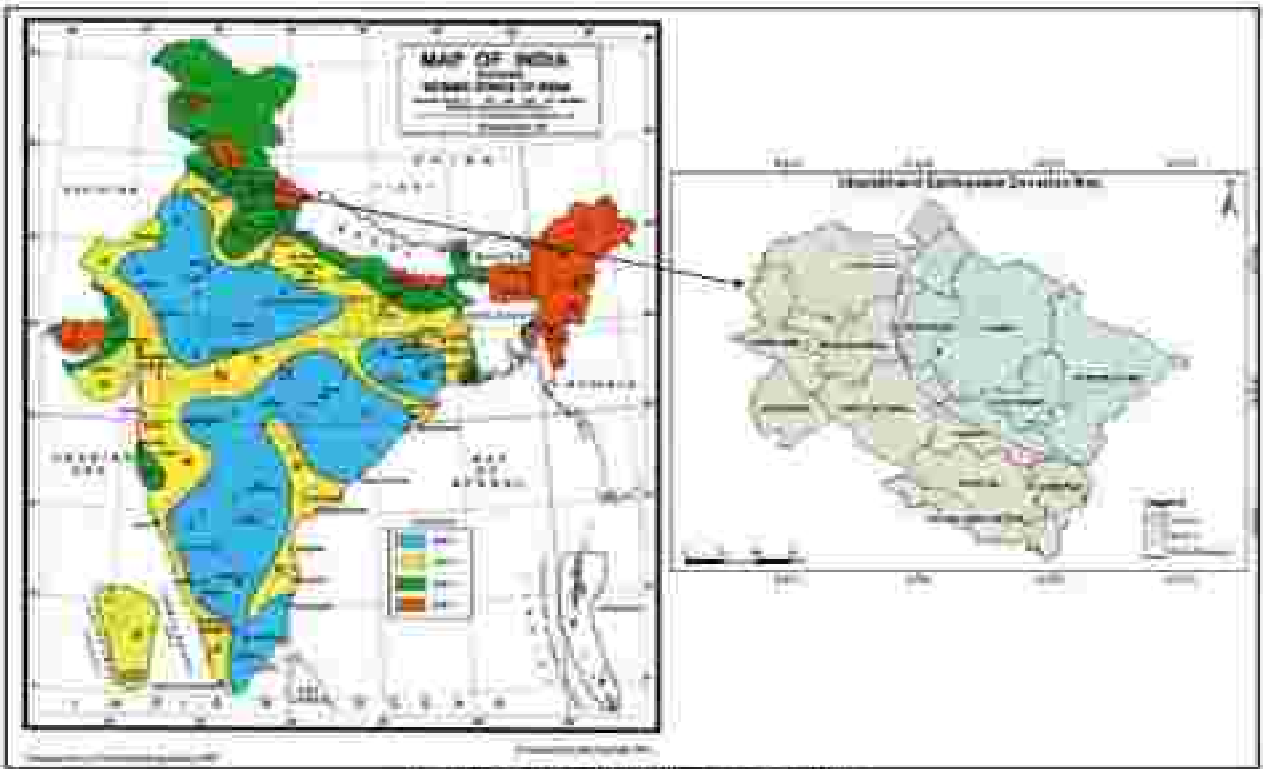

Fig- Seismic Zone Atlas of Uttarakhand as per IS 1893/2016

Level	Description	Occurrence	Information
1.0-1.9	Micro	Millions per year	Not felt or rarely felt
2.0-2.9	Minor	One million per year	Slightly felt by some people
3.0-3.9	Minor	1,00,000 Per year	Often felt but very rarely causes damage
4.0-4.9	Light	10,000 Per year	Felt by people near the epicenter, zero or minimal damage
5.0-5.9	Moderate	1,000 Per year	Felt by everyone, damage to weak building
6.0-6.9	Strong	100 Per year	Felt in wider areas, moderate to severe damage
7.0-7.9	Major	10 Per year	Felt across great distance, severe damage
8.0-8.9	Great	1 Per year	Felt at extremely large regions, very severe damage
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.5.1.2— वर्ष 2015 से वर्तमान तक जनपद में महसूस किये गये भूकम्पो का विवरण—

दिनांक	समय	तीव्रता रिक्टर पैमाने पर	भूकम्प का क्षेत्र	गहराई (कि0मी0)	अक्षांश	देशान्तर
25-04-2015	12:15AM	6.6	नेपाल भारत बॉर्डर	10 किमी	29.1° N	84.0° E
09-11-2022	01:57 AM	5.7	नेपाल भारत बॉर्डर		29.24° N	81.06° E
12-11-2022	07:57 PM	5.1	नेपाल सिपाला भारत बॉर्डर		29.01° N	81.20° E
24-01-2023	02:28 PM	5.4	नेपाल कालिका भारत बॉर्डर	10 किमी	29.41° N	81.68° E
21-03-2023	10:17 PM	6.6	अफगानिस्तान (हिन्दुकुश क्षेत्र)	156 किमी	36.09° N	71.35° E
21-12-2024	03:59AM	4.8	नेपाल भारत बॉर्डर	10 किमी	29.17° N	81.59° E
23-05-2025	01:33AM	4.3	NW Of Dadeldhura Nepal	10 किमी	29.36° N	80.44° E

2.5.2— त्वरित बाढ़/जलभराव—

क्र.स.	सम्भावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	त्वरित बाढ़/जलभराव	जनपद के तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) में नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों (छीनी, आनन्दपुर, कलमुनिया, मुड़ली, पचपकड़िया, [illegible], उचौलीगोठ, [illegible], [illegible], [illegible], शारदा घाट, बंगाली कॉलोनी, छीनीगोठ) में बाढ़/जलभराव की स्थिति।	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➢ फसल क्षति ➢ पेयजल की कठिनाई ➢ पशु–चारे की समस्या ➢ जल जनित बीमारियों का प्रसार ➢ यातायात में रूकावट एवं कठिनाई ➢ शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

2.5.3— वर्षा / भूस्खलन— जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील है। भू–गर्भीय हलचल एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद के समस्त क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।

क्र.स.	सम्भावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	राष्ट्रीय राजमार्ग–09 पर भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित है।	अमोड़ा बैण्ड से चल्थी, सूखीढांग, सिन्याड़ी, बेलखेत, अमोड़ी, स्वाला, ब्रिदियाखुरा, धौन, छिनका, सौनेश्वर, खुनाबोरा, मरोड़ाखान, ब्रापल, ज्वालीया, मानतोली, मूड़ाघाट, घाट के निकट।	मानचित्र 2.4 में जनपद में वर्षा / भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनशीलता स्थिति दर्शायी गयी है। वर्षा / भूस्खलन से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➤ सम्भावित जन हानि ➤ सड़क मार्गों की क्षति ➤ संचार व्यवस्थाओं की क्षति ➤ पेयजल लाइनों की क्षति ➤ विद्युत परियोजनाओं की क्षति
2	राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त अन्य मोटर मार्ग, संपर्क मार्गों पर भी भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित है।	घाट–पनार एन.एच.-10 किमी, कापड़ी, पाटीबाज़ी मोटर मार्ग, लोहाघाट–देवीधुरा मोटर मार्ग, कर्णकरायत, बाराकोट, मटेला, कलाई, लमाई, छतकोट, बजोल, जैनल, डुंगरी, फरसा, कुलेल, गोल, ल्वाड़, मौराड़ी, रीठा, कूल, पिगराड़ा, बनलेख, जाड़, रमेगांव, सिनदा, सिप्टी।	ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध होने से उपरोक्त सम्भावित जोखिमों के अतिरिक्त निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➤ फसल नुकसान ➤ पेयजल की कठिनाई ➤ पशु–चारे की समस्या ➤ रसद सप्लाई का बाधित होना ➤ स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रभाव पड़ना ➤ शिक्षा एवं अन्य सेवाओं पर प्रभाव

2.5.3.1— वर्षा/भूस्खलन भू–स्खलन के दृष्टिगत जनपद चम्पावत कि संवेदनशीलता की स्थिति —

(मानचित्र 2.4)

- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मोटर मार्गों का विवरण– Annexure-1
- जनपद अन्तर्गत चिन्हित क्रोनिक लैण्ड स्लाइड जोनस् (37) का विवरण– Annexure-2

2.5.4– तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात– तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद चम्पावत कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिनसे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एवं जन हानि और संपत्ति के नुकसान की संभावना बनी रहती है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उंचाई, उच्च आबादी क्षेत्र और विशेष आबादी संरचनाएं होती हैं।

क्र.सं.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	ओलावृष्टि से फसलों को काफी क्षति पहुंचती है, वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशु हानि तथा बिजली के उपकरणों को भी क्षति होती है।	जनपद के उच्च भौगोलिक क्षेत्र।	जनपद में तूफान/ओलावृष्टि, वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं: ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ फसलों का क्षतिग्रस्त होना ➢ इमारतों की हानि ➢ बिजली से सम्बंधित उपकरणों की क्षति

2.5.4.1– वर्ष 2015 से 2024 तक घटित तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात दुर्घटनाओं का विवरण–

क्र0सं0	वर्ष	स्थान	कुल मृतक	कुल घायल
1	2015	लोहाघाट	01	01
2	2016	—	00	00
3	2017	—	00	00
4	2018	बुडम टनकपुर	01	00
5	2019	—	00	00
6	2020	—	00	00
7	2021	—	00	00
8	2022	पूर्णागिरि टनकपुर	03	06
9	2023	—	00	00
10	2024	—	00	00
कुल योग			05	07

2.5.5– बर्फबारी/हिमस्खलन– जनपद का अधिकांश भू–भाग मध्यम एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़ता है। जनपद की सीमा नेपाल के साथ मिलती है जिस कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर्यन्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं भारतीय सेना तैनात रहती है। इन स्थानों के अलावा बर्फबारी स्थानीय आबादी, वन्य जीव और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

क्र0 स0	संभावित खतरे	जनपद के संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	बर्फबारी/हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो हिमखण्ड या हिम के टुकड़ों के अचानक गिरने के कारण होती है।	कालीगुरु, [illegible], एबट माउन्ट, लोहाघाट क्षेत्र, देवीधुरा, मंच तामली।	जनपद में बर्फबारी/हिमस्खलन के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ समुदाय एवं दैनिक आवागमन का प्रभावित होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति

2.5.6– सड़क दुर्घटना– पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनपद की सभी सड़कें अत्यधिक ढाल पर निर्मित तथा अत्यन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड़ युक्त है। वर्षा व भूस्खलन से सड़क मार्ग समय–समय क्षतिग्रस्त हो जाते है। सड़को की खराब स्थिति, अप्राप्त प्रशिक्षण, यातायात संकेतों का ज्ञान न होना, लापरवाही व नशे में वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है।

क्र0 सं0	सम्भावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है। अत्यन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड़ युक्त सड़कें तथा लापरवाही इसके मुख्य कारण है।	सम्पूर्ण जनपद के अंतर्गत राज्य/ग्रामीण मोटर मार्ग	जनपद में वाहन दुर्घटना के कारण निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➤ सम्भावित जन हानि ➤ परिवार को आर्थिक हानि ➤ सम्पत्ति का नुकसान ➤ सामाजिक दुष्प्रभाव

2.5.6.1– सड़क मार्गों में चिन्हित दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र–

क्र.सं.	स्थान	मार्ग का नाम	कुल चिन्हित स्थान	थाना क्षेत्र	विवरण
1	किमी0 115 [illegible] के पास	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	12	चम्पावत	संकरी मोड़/तीव्र मोड़/भूस्खलन
2	किमी0 131.100 [illegible] के पास चम्पावत की ओर				
3	किमी0 126.730 [illegible] के पास				
4	किमी0 134.300 [illegible] बैण्ड			लोहाघाट	
5	किमी0 135.425 [illegible] पुल				
6	किमी0 136.700 [illegible] तिराहा				
7	किमी0 138.00 [illegible] मार्केट				
8	किमी0 143.730 [illegible]				
9	किमी0 161.200 [illegible] लिंक रोड				
10	किमी0 165.050 [illegible]				
11	किमी0 163.00 [illegible]				
12	किमी0 172.00 [illegible] पुल				

2.5.6.2– वर्ष 2005 से 2024 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

क्रमांक	वर्ष	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	कुल मृतक	कुल घायल
1	2015	00	00	00
2	2016	00	00	00
3	2017	05	13	02
4	2018	13	38	49
5	2019	11	11	20
6	2020	27	22	37
7	2021	10	22	20
8	2022	23	28	54
9	2023	37	0	10
10	2024	41	12	128
	कुल योग	167	144	321

मै0 जेपी रिसर्च इण्डिया प्रा0 लि0 पुणे द्वारा जाँच की गई 30 में दुर्घटनाओं के कारक–

क्र.सं.	श्रेणी	कारक	प्रभावितों की संख्या
1	मानवीय कारण (41)	हेल्मेट न पहनना	12
		सीट बेल्ट न पहनना	08
		ध्यान भंग होना	04
		अनुचित ओवरटेकिंग	07
		तीव्र गति	02

		नशे की हालत में वाहन चलाना / मद्यपान	05
		बिना संकेत पार्किंग	03
2	वाहन सम्बन्धी (03)	यांत्रिक दशा ठीक न होना	01
		दृश्यता प्रभावित	02
3	सड़क सम्बन्धी (34)	रोड साईन न होना	17
		प्रकाश व्यवस्था न होना	04
		खराब इन्टरसेक्सन डिजाइन	02
		ट्रैफिक काल्मिंग उपायों का अभाव	03
		अनाधिकृत डिवाइडर खोला जाना	02
		क्रेश बैरियर न होना	01
		गलत पार्किंग के कारण व्यवधान	01
		गलत रोड मार्किंग	04
		कुल योग	79

2.5.7– नदियों में डूबने की घटनाएँ– जनपद अन्तर्गत नदी एवं नालो की संख्या अधिक है साथ ही विद्युत परियोजनाओं की झील भी है, जिसमें लोग नहाने जाते है अधिक गहराई व तैरने का अनुभव न होना, लापरवाही, आत्महत्या का प्रयास व नशे की हालत में होने के कारण यह घटनायें प्रायः होती रहती है।

क्र0 सं0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	नदियों में डूबने के मुख्य कारण तैरने का अनुभव न होना व लापरवाही है।	जनपद के प्रमुख नदियां, जलाशय, गाड़, गधेरे आदि	➤ जनपद में विभिन्न नदियों/गाड़/झीलों में तैरने की अनुभवहीनता के कारण संभावित जन हानि का जोखिम समाहित है। ➤ संभावित जन हानि। ➤ परिवार की आर्थिक हानि।

2.5.7.1–वर्ष 2018 से जनपद में बहने / डूबने से हुयी मृत्यु का विवरण–

क्र. सं.	दिनांक	घटना का स्थान	तहसील	मृतक	घायल	नदी का नाम
1	25.07.2018	ख्नेता गांव के निकट लोहावती नदी	लोहाघाट	2	1	लोहावती नदी
2	24.06.2022	गौड़ मंच	चम्पावत	1	0	काली नदी
3	28.02.2023	शारदा घाट	पूर्णागिरि (टनकपुर)	1	0	शारदा नदी
4	30.06.2024	कौड़िया ताल	चम्पावत	1	0	कौड़िया ताल

2.5.8–वनाग्नि / अग्निकांड–जनपद में स्थित वन भूमि एवं मौसमी स्थितियां वनाग्नि के लिए परिस्थिति बनाती है। वनाग्नि के सबसे प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं–

1. मानवीय गतिविधियां– पशु चारे के लिए जंगल में आग लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गांव के घरों में आग लगने की घटनाएं भी मानवीय कारणों से समय–समय पर होती रहती है।
2. मौसमीय स्थिति– माह मार्च से जून तक जनपद में शुष्क मौसम बना रहता है, जिसमें सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं।
3. प्राकृतिक स्थिति– जनपद चम्पावत की वन सम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, चील, बांज, बुरांस तथा झाड़ियां आदि सम्मिलित हैं जोकि सूखे मौसम में बहुत आसानी से जलती हैं।

क्र.स.	सम्भावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	जनपद की समस्त सिविल/वन पंचायत/वनाग्नि हेतु संवेदनशील है। 1– वन सम्पदा की हानि 2– वायु प्रदूषण 3– स्वास्थ्य जोखिम 4– आर्थिक हानि 5– भूक्षरण	कठोली कं0–2, 3 नीम कं0–3, 10 अमोड़ी कं0 3 पा कमलेखा कं0 न0 10 ए और 10 बी, [illegible] कम्पार्टमेंट 11 ए और 11 ब, बुंगलचाकु कम्पा0 1 से 28 [illegible] कं0–4, 12, 13, 16, 17, 25, [illegible] कम्पा0–12 [illegible] कं0–1 [illegible] [illegible] कं0–12 [illegible] कम्पा0–2 [illegible] [illegible] 21, [illegible] [illegible] कं0–10 [illegible] कम्पा0–1 [illegible]	जनपद में वनाग्नि के कारण निम्नलिखित जोखिम सम्भावित हैः ➤ सम्भावित जन एवं पशु हानि ➤ भवनों एवं परिसम्पत्ति की क्षति ➤ वन्यजीवों की हानि ➤ बहुमूल्य वन सम्पदा की हानि ➤ पर्यावरण की हानि ➤ पशु चारे की हानि

2.5.8.1– वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण–

ऐसे वन क्षेत्र जहां विगत कुछ वर्षों से वनाग्नि की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही हो अथवा एक ही अग्निकाल में कई बार अग्नि घटनायें घटित हुई हो, का विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल है0 में	रेन्ज का विवरण
1	चम्पावत वन प्रभाग	62098.32	1. चम्पावत रेंज– 8960.10 है0 2. लोहाघाट रेंज– 3071.00 है0 3. देवीधुरा रेंज– 11679.70 है0 4. भिंगराड़ा रेंज– 11849.70 है0 5. काली कुमाऊँ रेंज– 2145.70 है0 6. बूम रेंज– 17687.20 7. दोगाड़ी रेंज– 6714.92

2.5.8.2– अग्नि संवेदनशील/अति संवेदनशील क्षेत्र (मानचित्र 2.5)

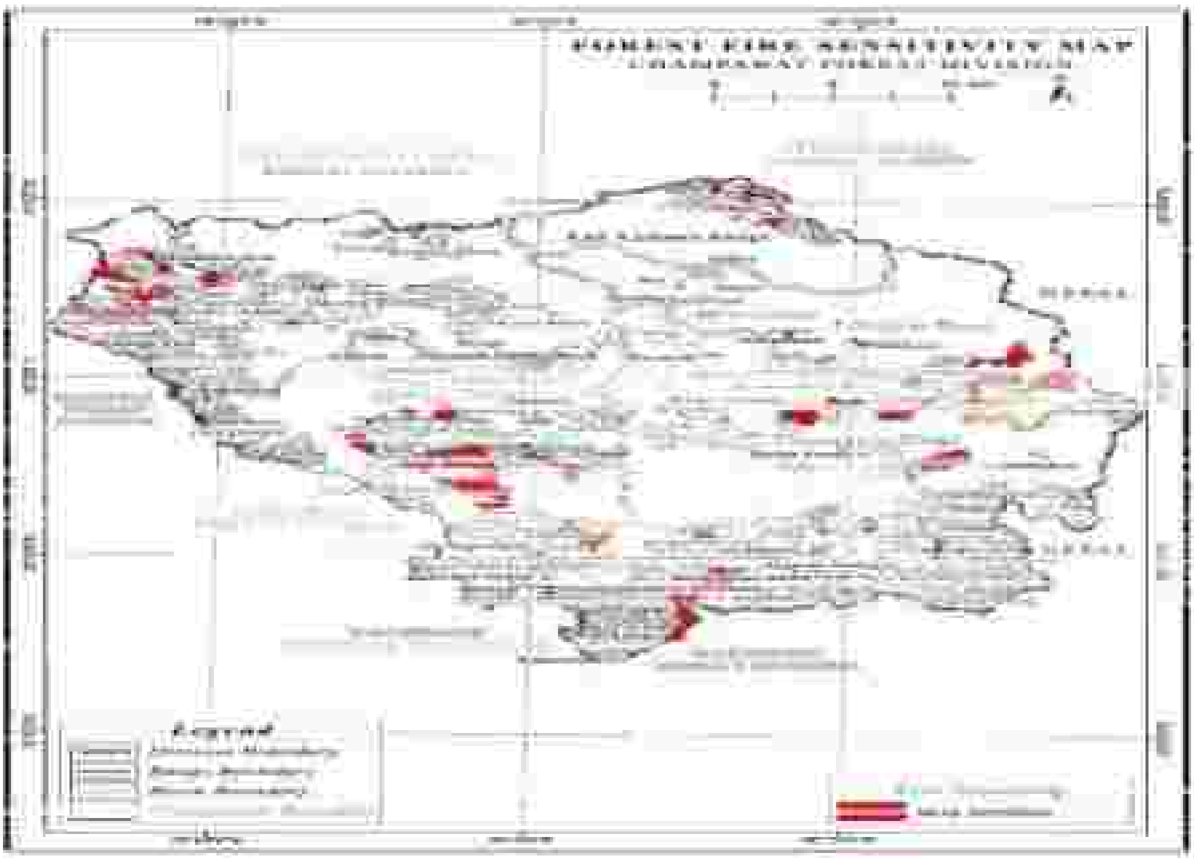

2.5.8.3– अग्नि संवेदनशील/अति संवेदनशील क्षेत्र– Annexure-3

2.5.8.4– रेंजवार अग्नि संवेदनशील/अति संवेदनशील क्षेत्रफल

Range	Low Sensitive	Moderately Sensitive	Very Sensitive
Bhingrara	1296.43	1750.9	2591.7
Boom	3009.63	3959.39	1571.18
Champawat	2708.6	1374.07	1007.63
Devi Dhura	4874.8	1616.5	1928.1
Dogadi	3936.2	0	0
Kali Kumaun	931.6	461.4	415.5
Lohaghat	54.8	128.5	1387.2
Total	**18792.06**	**9311.66**	**8901.31**

2.5.8.5– वर्षवार अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण

वर्ष	अग्नि घटनाओं की संख्या		प्रभावित क्षेत्रफल (है0)	
	आरक्षित	पंचायत/सिविल	आरक्षित	पंचायत/सिविल
2011-12	22	3	47	9
2012-13	0	1	0	2
2013-14	13	2	32	8
2014-15	6	7	7.5	7.3
2015-16	32	29	54	61
2016-17	20	14	31.9	18.5
2017-18	60	24	95.06	39.25
2018-19	83	28	113.64	48.2
2019-20	5	3	5	2.5
2020-21	60	13	45.47	12.5
2021-22	68	12	42.68	9.1
2022-23	23	3	15.03	3.9
2023-24	22	3	13.82	1.7
2024-25	43	29	49.89	26.65
योग–	**457**	**171**	**572.95**	**247.6**

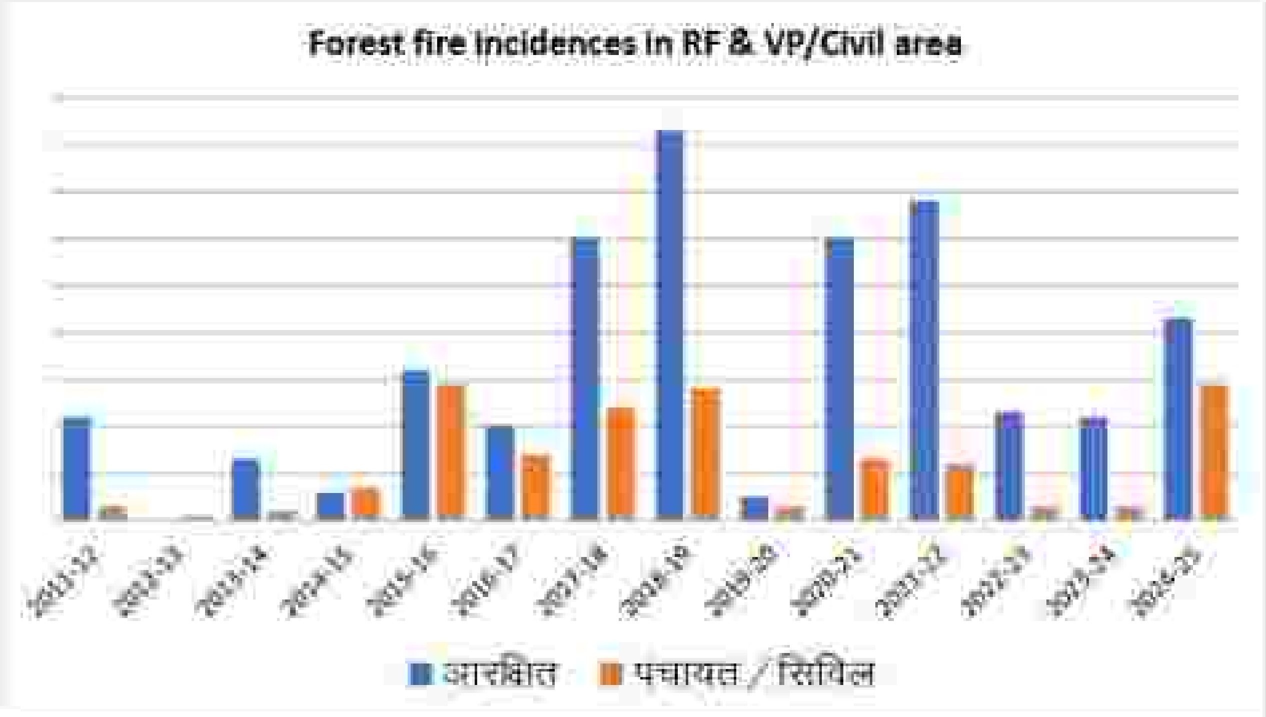

2.5.8.8— वर्षवार अग्नि दुर्घटनाओं का रेंजवार विवरण (आरक्षित वन)

वर्ष	चम्पावत	लोहाघाट	काली कुमाऊं	देवीधुरा	भिंगराड़ा	बूम	दोगाड़ी	योग–
2011-12	4	2	3	7	2	5	2	25
2012-13	0	1	0	0	0	0	0	1
2013-14	4	0	0	6	2	3	0	15
2014-15	4	4	0	2	1	2	0	13
2015-16	7	14	10	7	11	12	0	61
2016-17	3	8	4	11	6	2	0	34
2017-18	12	9	3	32	26	2	0	84
2018-19	23	17	8	21	11	15	16	111
2019-20	0	1	3	1	1	0	2	8
2020-21	5	7	4	14	10	14	19	73
2021-22	7	10	0	21	33	7	2	80
2022-23	0	4	1	3	2	8	8	26
2023-24	0	4	1	3	2	8	7	25
2024-25	6	12	1	15	20	13	5	72
योग–	75	93	38	143	127	91	61	628

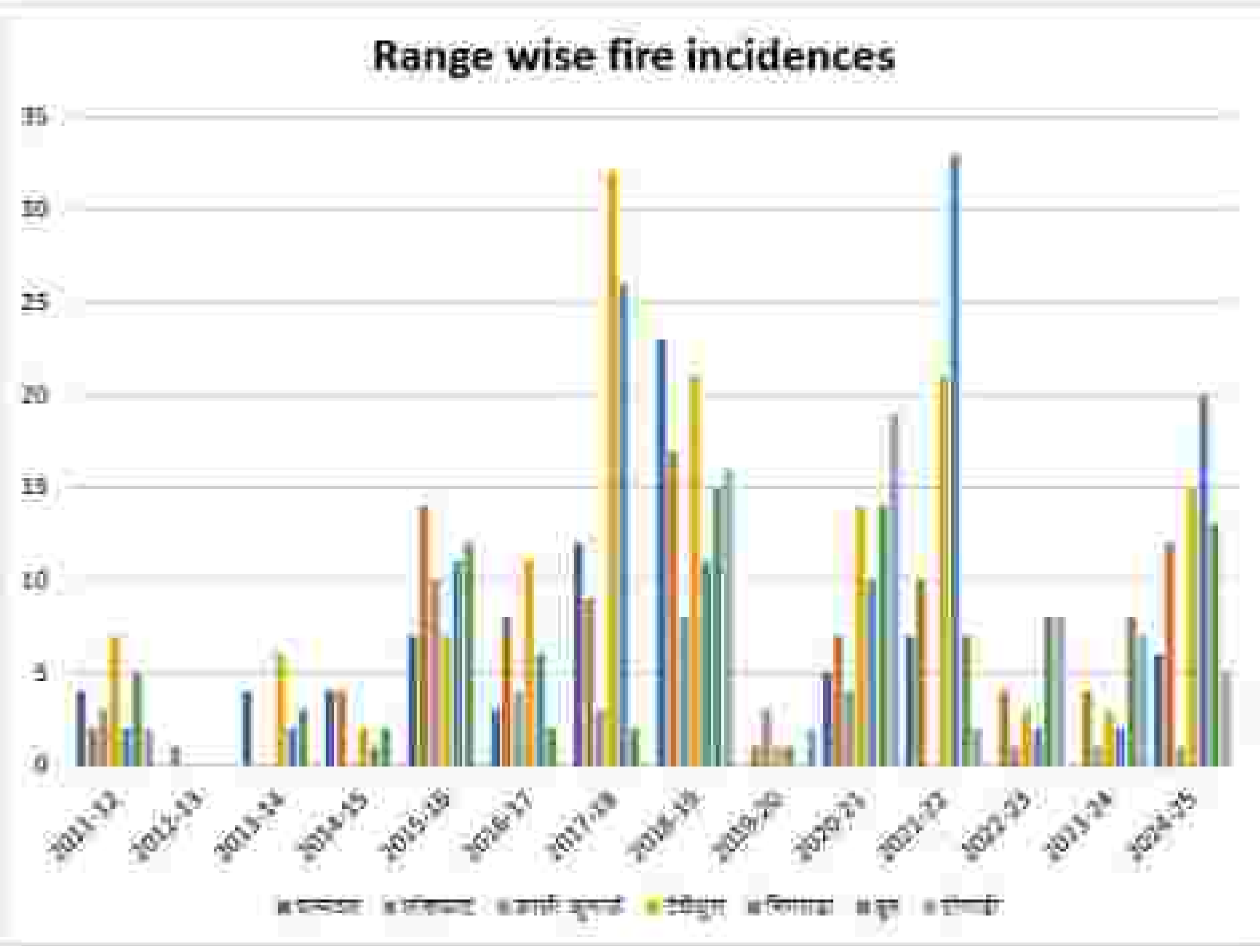

2.5.8.6– अग्नि विभीषिका सूचकांक (Fire danger rating index)-

मास्टर कन्ट्रोल रूम द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से अग्नि विभीषिका सूचकांक निम्न सूत्र से निकालना है।

$$\text{Nesaterov Index}(N) = \sum_{1}^{W} (ti - Di) \times ti$$

N = Nesaterov Index
W = number of days since the last rainfall > 3mm
t = temperature ° C
D = dew point temperature ° C

2.5.8.7– वायु की गति ज्ञात करने का अनुमान

1	धुआँ ऊपर	1-5 किमी० प्रति घं०	शांत
2	पत्तियाँ लगातार हिलती हैं छोटी शाखायें, चलने हवा से जरा झुकती हैं।	2-5 किमी० प्रति घं०	बहुत हल्की
3	खुली हवा में कानों तक आती है पेड़ हवा की आवाज हिलते/ बढ़ते हैं। हवा चेहरे में अनुभव होती है कागज उड़ने लगते हैं।	6–11 किमी० प्रति घं०	हल्की
4	हल्की शाख की पेड़ हिलती हैं उनमें पेड़ों के झुण्ड हवा के साथ बहती है। छोटे–छोटे झाड़ें फहराने लगते हैं, तालों से लहरें दिखने लगती हैं।	12–19 किमी० प्रति घं०	साधारण
5	खुले में पेड़ तेजी से हिलने लगते हैं छोटे पेड़ पूरा हिलने लगते हैं सड़कों में धूल उड़ने लगती है।	20–29 किमी० प्रति घं०	तेज
6	पेड़ों से छोटी–छोटी शाखायें टूटने लगती हैं। हवा के विरुद्ध चलने में असुविधा होती है।	30–40 किमी० प्रति घं०	बहुत तेज
7	पेड़ शाखाओं के टूटने से क्षतिग्रस्त होते हैं। हवा के विरुद्ध विपरीत चलने में बाधा उत्पन्न होती है। मकानों को क्षति हो सकती है।	41–60 किमी० प्रति घं०	आँधी (Storms)

2.6.9–मानव–वन्यजीव संघर्ष (Man & Animal Conflict Short Note)–

मानव और वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में मानव– वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व पारिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान और अन्य विकास कार्यों के लिए जंगल काटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो जाते हैं साथ ही मृत्यु होने की सम्भावना बनी रहती है। अन्य मामलों में पशुओं के साथ संघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे हैं।

क्र० सं०	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मानव–वन्यजीव संघर्ष एक मानव जनित आपदा है जिससे दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।	जनपद के समस्त विकासखण्डों के वन क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्राम	मानव–पशु संघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित मानव / पशुहानि ➢ फसलों का नुकसान ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति ➢ आर्थिक जोखिम ➢ आजीविका प्रभावित

2.5.9.1 वर्ष 2018 से वर्तमान तक मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृत/घायल व्यक्तियों का विवरण–Annexure-4

2.5.9.2 मानव–वन्यजीव संघर्ष (पालतू पशुओं के सम्बन्ध में) की वर्षवार घटनाओं का विवरण–

क्र.सं.	वर्ष	चम्पावत वन प्रभाग की घटनाओं की संख्या
1	2019–20	75
2	2020–21	122
3	2021–22	189
4	2022–23	373
5	2023–24	498
6	2024–25	773

2.5.9.3 मानव–वन्यजीव संघर्ष (मानव क्षति के सम्बन्ध में) की वर्षवार घटनाओं का विवरण–

क्र.सं.	वर्ष	चम्पावत वन प्रभाग की घटनाओं की संख्या
1	2019–20	02
2	2020–21	05
3	2021–22	03
4	2022–23	15
5	2023–24	17
6	2024–25	11

- माँ पूर्णागिरि मन्दिर में आने वाले दर्शनार्थियों का वर्ष 2024 व 2025 का विवरण–Annexure-5
- वर्ष 2025 में माँ पूर्णागिरि मन्दिर में आने वाले अधिकतम दर्शनार्थियों व वाहनों का विवरण–Annexure-5
- जनपद अन्तर्गत कलवर्ट/नालियों का विवरण–Annexure-6
- जनपद अन्तर्गत संचार विहीन क्षेत्रों का विवरण–Annexure-7

➢ परिणाम (Outcome) और सुझाव (Recommendations)

- परिणाम (Outcome)

जिला चम्पावत की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह जिला विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जिले की पर्वतीय भौगोलिक संरचना, तीव्र वर्षा, संवेदनशील ढाल एवं नदी तंत्र के कारण यहाँ विशेष रूप से भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, भूकम्प तथा जंगल की आग जैसी आपदाओं की संभावना बनी रहती है।

जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र दूरस्थ एवं दुर्गम हैं, जिसके कारण आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त सड़क नेटवर्क, संचार व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता भी आपदा प्रबन्धन को प्रभावित कर सकती है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले में आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness), जोखिम न्यूनीकरण (Mitigation), त्वरित प्रतिक्रिया (Response) तथा प्रभावी समन्वय को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है।

- ## सुझाव (Recommendations)

जिला चम्पावत में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं–

- ✓ जिले में आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित पहचान एवं निगरानी की जाए।
- ✓ भूस्खलन एवं बाढ़/जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों को बढ़ावा दिया जाए।
- ✓ आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों को समुदाय स्तर तक विस्तारित किया जाए।
- ✓ आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- ✓ संचार व्यवस्था, सड़क संपर्क एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।
- ✓ विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए।
- ✓ स्कूलों, संस्थानों एवं समुदायों में आपदा प्रबंधन अभ्यास (Mock Drills) नियमित रूप से आयोजित किए जाएं।
- ✓ इन उपायों के माध्यम से जिला चम्पावत में आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है तथा आपदा के समय प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

अध्याय– 03

आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें (Institional Arrangements for Disaster Management)

3.3.1 राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना [At the National Level]

भारत में आपदा प्रबंधन का संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थागत व्यवस्थाएं कार्यरत हैं–

1.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, भारत सरकार
- NDMA नीतियों, दिशा–निर्देशों एवं योजनाओं के निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है।
- यह राज्य एवं जिला स्तर की योजनाओं को अनुमोदित करता है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

2.राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)

- अध्यक्ष: केंद्रीय गृह सचिव
- NEC NDMA की नीतियों को लागू करने और आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है।
- यह राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (NEOC) का संचालन करता है।

3.राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

- गठन: वर्ष 2006
- उद्देश्य: आपदाओं के दौरान त्वरित बचाव एवं राहत कार्य करना।
- नियंत्रण: NDMA / गृह मंत्रालय
- उत्तराखंड के लिए NDRF की यूनिट आमतौर पर गाजियाबाद / वाराणसी / लखनऊ से सहायता प्रदान करती है।

4.राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (NEOC)

- स्थान: नई दिल्ली
- यह देश के सभी राज्य रूप से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग, अलर्ट जारी करने एवं समन्वय का कार्य करता है।

3.3.2 राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन (At the State Level – Uttarakhand)

राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के अधीन संचालित होती है।

3.2.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA / USDMA)

- अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
- उपाध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
- सदस्य: प्रमुख सचिव (वित्त, गृह, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, वन आदि विभागों के)।
- मुख्यालय: देहरादून
- कार्य:

  –राज्य की आपदा प्रबंधन नीति बनाना।

–जिला योजनाओं को अनुमोदन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
–राज्य स्तरीय राहत, पुनर्वास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।

3.2.2 राज्य कार्यकारी समिति (SEC)

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
- सदस्य सचिव: अपर मुख्य सचिव / सचिव (आपदा प्रबंधन)
- कार्य:
  –SDMA की नीतियों को लागू करना।
  –सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग।
  –राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC) का संचालन।

3.2.3 राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC)

- स्थान: आपदा प्रबंधन विभाग, सचिवालय, देहरादून
- यह 24×7 संचालित रहता है।
- राज्य स्तर पर अलर्ट, चेतावनी, राहत और संसाधन समन्वय का कार्य करता है।
- SEOC जिला स्तर के सभी केंद्रों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

3.2.4 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)

- गठन: उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत 2013 में
- मुख्यालय: जोलीग्रांट, देहरादून
- कार्य:
  –आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव कार्य करना।
  –मलबा हटाना, फंसे लोगों को निकालना, शव पुनः प्राप्ति एवं राहत सामग्री वितरण में सहायता।
  –जनपद चम्पावत में भी SDRF की एक फील्ड यूनिट / पोस्टिंग टीम तैनात रहती है जो अल्प सूचना पर कार्यरत होती है।

3.3.3– जनपद एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना–

जनपद में संभावित आपदाओं के शमन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 की धारा 25 के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। जनपद में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पादित करने हेतु जनपद, तहसील व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन हेतु आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा जनपद आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा आपातकालीन कार्यों के संचालन हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में ही जिला आपातकालीन केंद्र स्थापित किया गया है।

जनपद में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत व्यवस्था

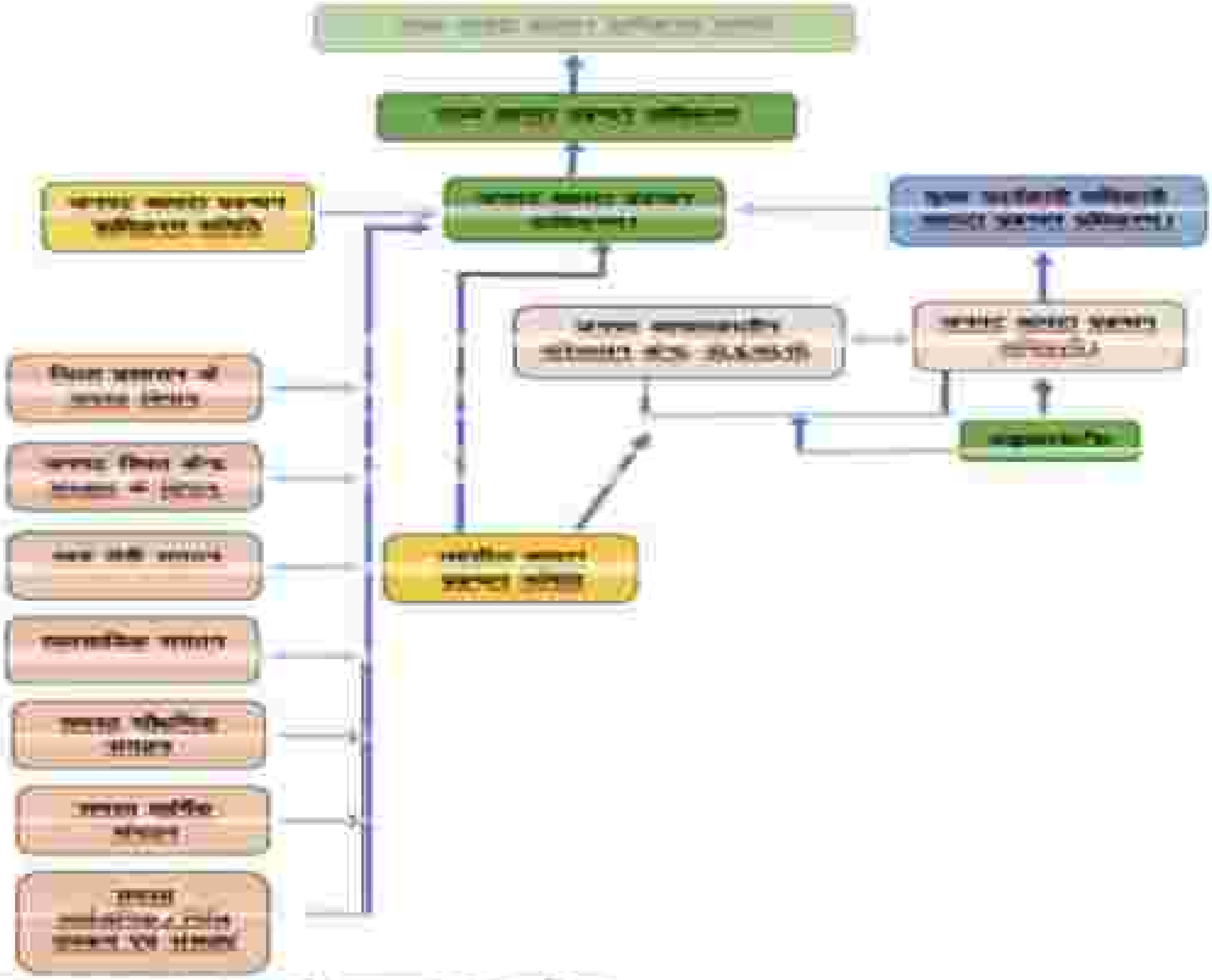

जनपद आपदा प्रबन्धन की संरचना एवं दायित्व–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्न प्रकार अधिसूचित है–

क्र.सं.	पदनाम		फोन नं.	
			कार्यालय	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	05965–230285	7579106767
2	जिला पंचायत अध्यक्ष	सह अध्यक्ष	–	8650606834
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	05965–230276	9411112707
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	05965–230560	8650888888
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05965–230290	7078162375
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	05965–230312	7417583832
7	अधिशासी अभियंता प्रा.ख. लो.नि.वि.	सदस्य	–	9389968164

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्व–

1. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
2. जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अद्यतन रखना।
3. जनपद में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
5. जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
6. जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
7. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।
8. जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
9. किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति में मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्विलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
10. आपदा सम्बन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्विलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहीं प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
11. जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
12. आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
13. जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
14. यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण में अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
15. जनपद की सीमा के अंदर सभी सम्बन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
16. जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन में लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
17. जनपद के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
18. ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। ऐसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
19. राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
20. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
21. जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
22. संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
23. जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों एवं उनमें पदस्थ प्रभारी अधिकारियों के नाम एवं संपर्क नम्बरों की अद्यतन सूची एवं उनकी संसाधनों की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।
24. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अद्यतन करना।

3.3.3.1 संकट प्रबन्धन समूह–

1. उद्देश्य–संकट प्रबंधन समूह का उद्देश्य है–

- आपदा की स्थिति में समन्वित एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करना।
- विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- निर्णय लेने, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक केंद्रीय तंत्र उपलब्ध कराना।

2. संकट प्रबंधन समूह की संरचना–

पदनाम	विभाग / संस्था	दायित्व
जिलाधिकारी, चंपारण	जिला प्रशासन	समूह के अध्यक्ष, समस्त आपदा प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी एवं दिशा–निर्देशन।
मुख्य विकास अधिकारी, चंपारण	विकास विभाग	समन्वयक अधिकारी, राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधन।
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)	जिला प्रशासन	राहत वितरण एवं वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंपारण	स्वास्थ्य विभाग	आपदा के दौरान चिकित्सा एवं एम्बुलेंस व्यवस्था, प्राथमिक उपचार दलों की तैनाती।
अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	निर्माण एवं सड़क विभाग	क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों व भवनों की मरम्मत एवं यातायात बहाली।
अधिशासी अभियंता, जल संस्थान / जल निगम	पेयजल विभाग	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं टैंकर व्यवस्था।
जिला पूर्ति अधिकारी	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	राहत सामग्री, राशन एवं ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
जिला पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग	ग्राम स्तर पर राहत कार्यों में सहयोग।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा./माध्यमिक)	शिक्षा विभाग	विद्यालय भवनों को अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में तैयार रखना।
अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग	विद्युत विभाग	बिजली आपूर्ति बहाल करना और सुरक्षित लाइन व्यवस्था।
जिला पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग	सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन।
अग्निशमन अधिकारी	अग्निशमन विभाग	आग लगने की घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया।
जिला सूचना अधिकारी	सूचना विभाग	मीडिया समन्वय, प्रेस विज्ञप्ति और चेतावनी प्रसारण।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)	DDMO Office	संचालन केंद्र का संचालन एवं रिपोर्टिंग।
जिला आपात संचालन केंद्र प्रभारी (EOC In-charge)	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सूचनाओं का संकलन, संसाधनों की सूची तैयार करना।
जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग	कृषि हानि का आकलन और मुआवजा प्रक्रिया।
जिला पशुपालन अधिकारी	पशुपालन विभाग	पशुधन हानि का मूल्यांकन व टीकाकरण।
वन विभाग अधिकारी (DFO)	वन विभाग	पहाड़ी इलाकों, वृक्ष गिरने, वनों में आग आदि से संबंधित कार्रवाई।
एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. प्रतिनिधि	राहत दल	बचाव एवं खोज कार्यों में प्रत्यक्ष सहायता।
एन.जी.ओ./रेडक्रॉस सोसाइटी क्रिश्चियन प्रतिनिधि	सामाजिक संगठन	राहत वितरण, सामुदायिक सहायता।

3. समूह की कार्यप्रणाली

1. पूर्व आपदा स्थिति में

- संवेदनशील स्थानों की पहचान, संसाधन सूची अद्यतन करना।
- आपदा नियंत्रण कक्ष की कार्यशीलता की समीक्षा।
- प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का आयोजन।

2. आपदा के दौरान:

- चेतावनी प्राप्त होते ही त्वरित बैठक एवं कार्य आवंटन।
- राहत एवं बचाव दलों की तैनाती।
- संसाधनों का आवंटन और आवश्यक निर्णय लेना।

3. आपदा के बाद:

- क्षति का त्वरित आंकलन।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी।
- रिपोर्ट तैयार कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजना।

आपदा त्वरित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.)–

जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वरित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी घटना के घटित होने पर तत्समय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुँच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वस्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा विविधिता के दृष्टिगत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यों, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यों हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद चम्पावत की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है–

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी/ थानाध्यक्ष	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., लो.नि.वि.	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., पी.एम.जी.एस.वाई.	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहा. अभि. सिंचाई	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ., विद्युत विभाग	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ., बी.एस.एन.एल.	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/ पंचायत	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
19	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–

उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, सम्बन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेगी–

1. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का चिन्हीकरण कर ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
3. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
4. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
5. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।

6. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
7. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वयंसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
8. आपदा प्रबन्धन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
9. आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
10. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वयं की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0 एवं उत्तरदायित्व– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है।

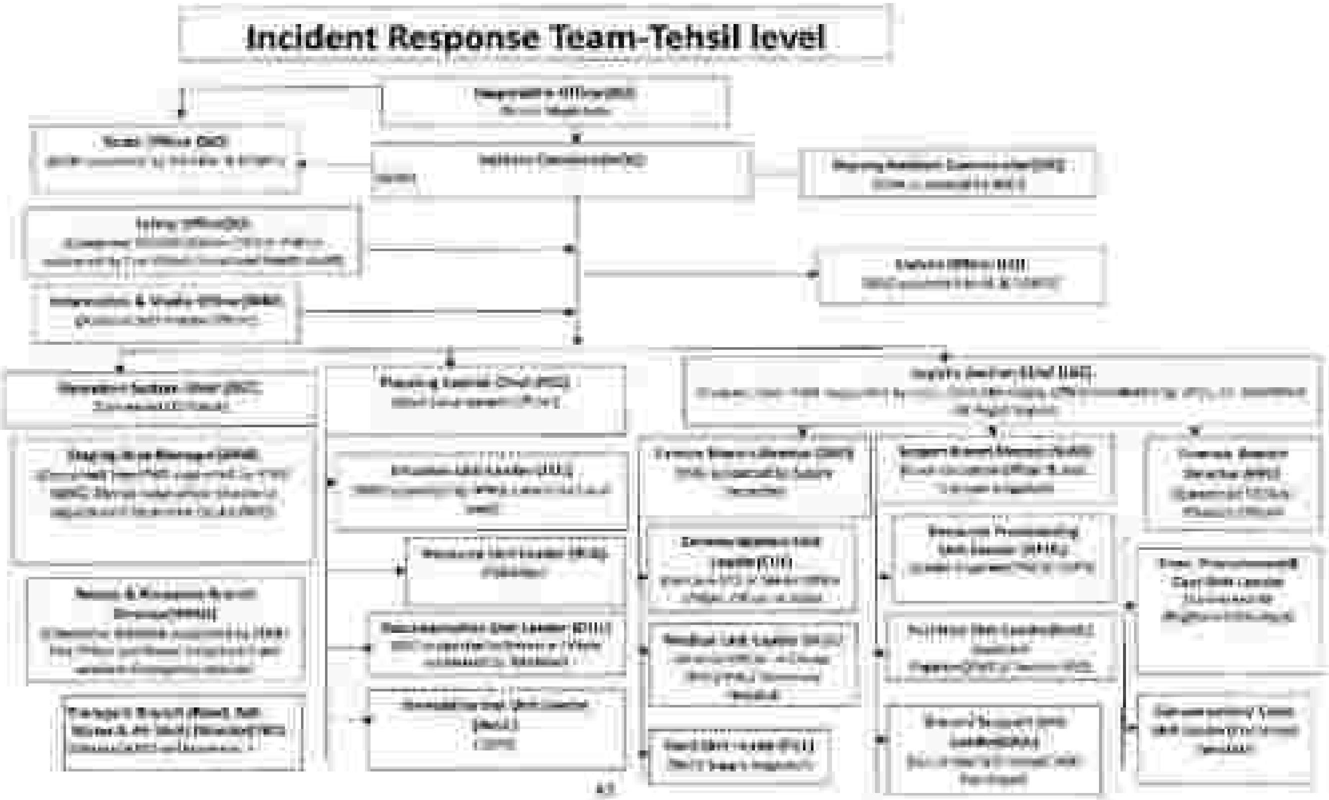

तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल– जनपद की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं के दौरान खोज व बचाव कार्यों, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यों हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है–

तहसील चम्पावत –

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, चम्पावत।
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार चम्पावत।
सदस्य	पुलिस उपाधीक्षक चम्पावत
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
सदस्य	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, चम्पावत / मंच

जिसके अन्तर्गत थाना चम्पावत / प्रथम वाहिनी एस.एस.बी., चम्पावत / 119 आ.एम.सी., चम्पावत / एस.डी.आर.एफ. दल चम्पावत एवं अग्निशमन केन्द्र चम्पावत तथा आवश्यकता 36वीं वाहिनी आई.टी.बी.पी., लोहाघाट एवं आवश्यकतानुसार अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील लोहाघाट :–

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, लोहाघाट।
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार लोहाघाट।
सदस्य	पुलिस उपाधीक्षक लोहाघाट
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, लोहाघाट
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, लोहाघाट

जिसके अन्तर्गत थाना लोहाघाट/36वीं वाहिनी आई.टी.बी.पी., लोहाघाट/एस.डी.आर.एफ. दल चम्पावत/अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट/पंचम वाहिनी एस.एस.बी., चम्पावत एवं यथा आवश्यक अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील पाटी :–

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, पाटी।
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार, पाटी
सदस्य	थानाध्यक्ष पाटी
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, पाटी
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वा0 केन्द्र, पाटी
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, लोहाघाट

जिसके अन्तर्गत थाना पाटी/रीठा साहिब/36वीं वाहिनी आई.टी.बी.पी., लोहाघाट/एस.डी.आर.एफ.दल चम्पावत/अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट/पंचम वाहिनी एस.एस.बी., चम्पावत एवं यथा आवश्यक अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील बाराकोट :–

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, लोहाघाट
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार बाराकोट
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वा. केन्द्र, बाराकोट
सदस्य	थानाध्यक्ष, लोहाघाट
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, बाराकोट

जिसके अन्तर्गत थाना लोहाघाट/36वीं वाहिनी आई.टी.बी.पी., लोहाघाट/एस.डी.आर.एफ.दल चम्पावत/अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट/पंचम वाहिनी एस.एस.बी., चम्पावत एवं यथा आवश्यक अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील पूर्णागिरि :–

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरि (टनकपुर)
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार पूर्णागिरि (टनकपुर)
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
सदस्य	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, टनकपुर
सदस्य	थानाध्यक्ष, टनकपुर
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक, टनकपुर

जिसके अन्तर्गत थाना टनकपुर/28वीं रेजिमेंट राजपूत, बनबसा/एस.डी.आर.एफ. दल टनकपुर/अग्निशमन केन्द्र टनकपुर/पंचम वाहिनी एस.एस.बी., चम्पावत एवं यथा आवश्यक अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यों, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य प्रा.वि./उ.प्रा.वि./जू.हा./इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वयं सहायता समूह/महिला मं. दल/युवक दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि/भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियाँ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यों में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे –

1 ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।

2 तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।

3 अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्रारम्भिक सूचना।

जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली(आईआरएस)– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 को सक्रिय किया जाता है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होंगे तथा आई0आर0एस0 कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

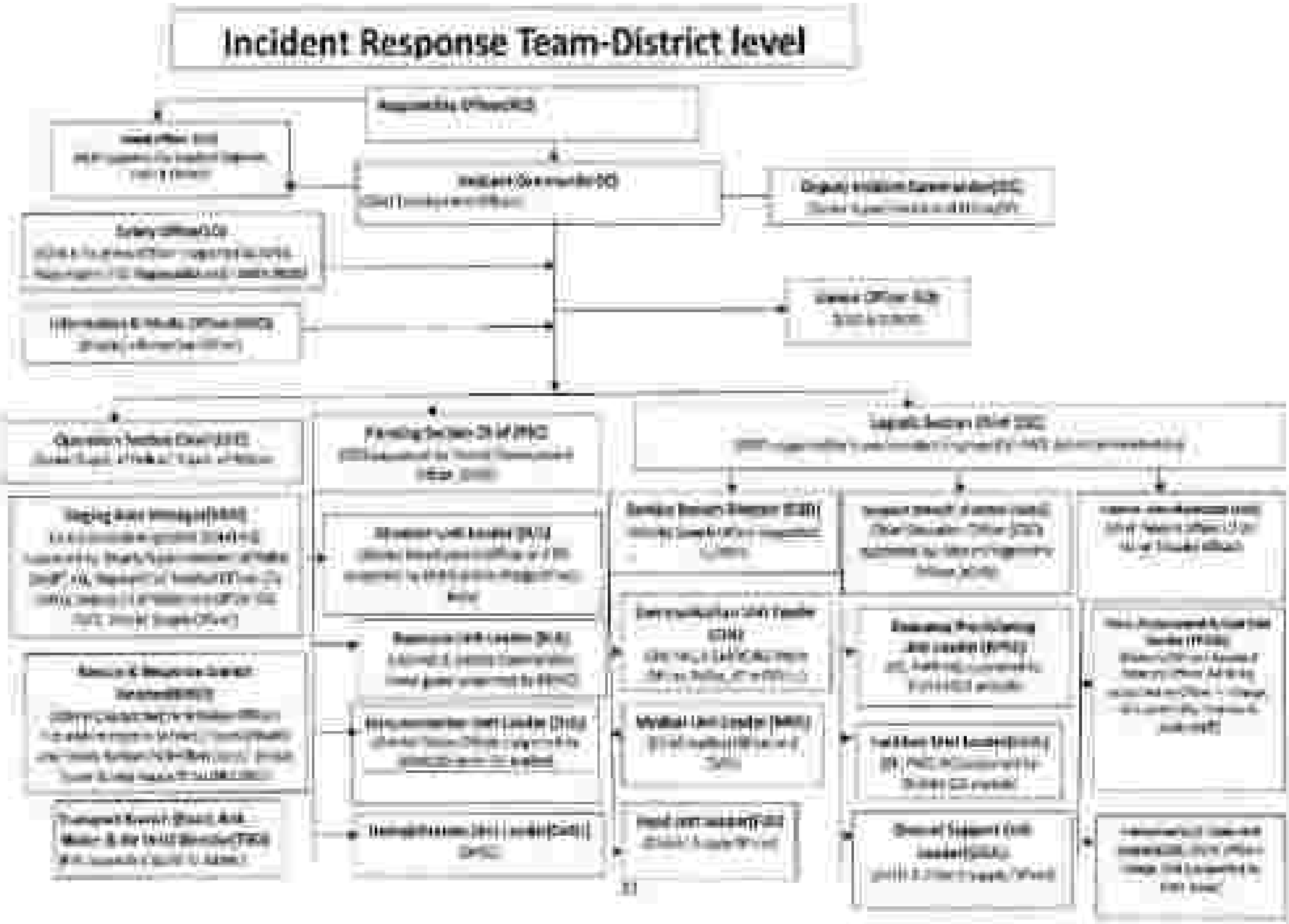

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण– Annexure-8

Sn.	Position of IRS	Abrev	Nomination in IRT
1	Responsible Officer	(RO)	DM Chairman DDMA Champawat
2	Incident Commander	(IC)	CDO Champawat
3	Deputy Incident Commander	(DIC)	SP Champawat
4	Information & Media	(IMO)	DIO Champawat
5	Liaison Officer	(LO)	DDO Champawat
6	Safety Officer	(SO)	SDM Champawat
7	Nodal Officer (Air Operation)	(NO)	ADM Champawat
8	Operation Section Chief	(OSC)	SP Champawat
8(a)	Staging Area	(SAM)	SDM Champawat
8(b)	Rescue & Response Branch Director	(RRBD)	SDM Champawat
8(c)	Transport Branch (Road, Rail, Water & Air Unit) Director	(TBD)	ARTO Tanakpur Champawat
9	Planning Section Chief	(PSC)	CDO Champawat
9 (a)	Situation Unit Leader	(SUL)	DDO Champawat BDO Champawat
9 (b)	Resource Unit Leader	(RUL)	DO PRD PC Homgard

9(c)	Documentation Leader	(DUL)	DESTO
9(d)	Demobilization Leader	(DEUL)	DPRO
10	Logistic Section Chief	(LSC)	ADM Champawat
(a)	Service Branch Director	(SBD)	DSO Champawat
i	Communication Leader	(CUL)	DIO NIC
ii	Medical Unit Leader	(MUL)	CMO Champawat CVO Champawat
iii	Food Unit Leader	(FUL)	DSO Champawat
B.	Support Branch Director	(SUBD)	CEO Champawat
i.	Resource Provisioning Unit Leader	(RPUL)	Ex.En. PD PWD Champawat
ii	Facilities Unit Leader	(FAUL)	Ex.En. PD PWD Champawat
iii	Ground Support Unit Leader	(GSUL)	ARTO Tanakpur Champawat DSO Champawat
C.	Finance Branch Director	(FBD)	STO Champawat
i	Time Procurement & Cost Unit Leader	(TPCUL)	STO Champawat
ii	Compensation/Claim Unit Leader	(CCUL)	ADM Champawat

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएं–

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज की जाती है। कन्ट्रोल रूम को 24X24 की तर्ज पर कार्यशील रखते हुये मूल कार्मिकों (ड्यूटी प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अनुसेवकों) की शिफ्टवार तैनाती की गयी है। मानसून काल में अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाती है।
- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में 01 सेटेलाइट फोन, 01–पुलिस वायरलैस सेट, तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर निम्नवत है–

Phone: 05965-230819, 230703, 1077 (Toll free),
Mobile: + 917895318895
+ 919917384226
+ 918126360465
Mail Id: deoccpt@gmail.com

A. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा भारतीय मौसम विभाग की वेबसाईड से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी सम्बन्धितों/मीडिया तथा जनसामान्य हेतु प्रसारित किया जाता है।

B. परिचालन केन्द्र में जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, आशा, ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सूची संकलित की गयी है, जिससे आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

C. विभिन्न मार्गों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। मानसून अवधि में अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन, पी.एम.जी.एस.वाई. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा संसाधनों की सूची उपलब्ध है। मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।

D. जनपद में एस.डी.आर.एफ., आई.टी.बी.पी., सेना, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर प्रशिक्षित टीमें एवं जनपदीय अधिकारियों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाईड तथा पी.आर.आई.एस. तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष नंबर सहित सूची कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

E. आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये हैं। उनके कोऑर्डिनेटस् कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध हैं।

F. आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा दैनिक रूप से वर्षा, नदियों का डिस्चार्ज, मौसम की स्थिति, जनपद के समस्त मार्गों की स्थिति, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति की सूचना संकलित कर दैनिक रूप से आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों को सभी आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुये नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

स्थापना का उद्देश्य

जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है–

- आपदा की स्थिति में सूचना प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा त्वरित निर्णय लेकर राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय करना।
- यह केंद्र जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन की कमान और नियंत्रण इकाई (Command – Control Centre) के रूप में कार्य करता है।

केंद्र की संरचना एवं नियंत्रण व्यवस्था

पदनाम	भूमिका / जिम्मेदारी
जिलाधिकारी, चंपावत	आपातकालीन परिचालन केंद्र के मूल प्रभारी एवं नियंत्रक अधिकारी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)	केंद्र के संचालन की प्रत्यक्ष निगरानी, संसाधन प्रबंधन एवं निर्णय क्रियान्वयन।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)	केंद्र के दैनिक संचालन, रिपोर्टिंग और सूचनाओं के संकलन के लिए उत्तरदायी।
EOC ऑपरेटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर	डेटा एंट्री, संचार एवं संदेश प्रसारण कार्य।
नोडल अधिकारी (विभिन्न विभागों से)	अपने विभाग से संबंधित सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना।

मुख्य सुविधाएं (Facilities Available at EOC, Champawat)

1. संचार सुविधाएं (Communication Facilities):
   - वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन (SAT Phone), VHF नेटवर्क।
   - लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन (BSNL, Jio, Airtel)।
   - इंटरनेट और ईमेल सुविधा।
   - व्हाट्सएप ग्रुप व SMS अलर्ट सिस्टम।
   - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और आपातकालीन नंबर 1077 / 1070 से सीधा संपर्क।
2. भौतिक अवसंरचना (Infrastructure):
   - कंट्रोल रूम हॉल व मॉनिटरिंग डेस्क।
   - LED डिस्प्ले बोर्ड एवं GIS आधारित नक्शा प्रदर्शन।
   - CCTV एवं ऑनलाइन प्रोजेक्शन सुविधा।
   - फाइलिंग, रिकॉर्ड रूम और मीटिंग एरिया।
   - बैकअप बिजली आपूर्ति हेतु जनरेटर एवं इन्वर्टर।
   - पेयजल व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
3. सूचना एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (Information – Monitoring System):
   - आपदा की सूचना प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने एवं शीर्ष स्तर पर भेजने हेतु रियल-टाइम डेटा सिस्टम।
   - मौसम पूर्वानुमान एवं अलर्ट सिस्टम (IMD/SDMA से लिंक)।
   - रेस्क्यू संसाधनों की उपलब्धता सूची (Manpower, JCB, Vehicle, Medical Unit आदि)।
   - प्रभावित क्षेत्रों का GPS आधारित मैपिंग सिस्टम।

4. तकनीकी संसाधन (Technical Resources):
   - कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन।
   - सॉफ्टवेयर आधारित आपदा रिपोर्टिंग प्रणाली (IDRN – IRS)।
   - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।
5. मानव संसाधन (Human Resource):
   - DDMO, ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व उपनिरीक्षक, होमगार्ड प्रतिनिधि, और तकनीकी सहायक।
   - आवश्यकतानुसार SDRF/पुलिस कर्मी तैनात।

कार्यप्रणाली (Functions of DEOC Champawat)

चरण	कार्य विवरण
पूर्व–आपदा अवस्था (Before Disaster)	संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी – संसाधन व संपर्क सूची का अद्यतन– चेतावनी संदेशों का प्रसारण।
आपदा के दौरान (During Disaster)	त्वरित सूचना प्राप्त करना और विश्लेषण– राहत एवं बचाव टीमों को निर्देश देना– संचार नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान।
आपदा के बाद (Post Disaster)	क्षति का मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करना– राहत वितरण की मॉनिटरिंग– राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजना।

समन्वय और संपर्क

- केंद्र का समन्वय राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC), देहरादून से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।
- EOC के सभी अधिकारी व विभागीय नोडल अधिकारी 24×7 on-call duty पर रहते हैं।
- केंद्र से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आपात संचालन कक्षों (TEOC / BEOC) को आदेश एवं निर्देश भेजे जाते हैं।

3.3.4– जनपद में विभिन्न आपदाओं के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

वनाग्नि घटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1786/एक्स(आर0डी0सी0)/2002 दिनांक 11.1.2002 में निर्गत निर्देशों के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

(तालिका–3.10)

1	जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी	सदस्य
5	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य है–

इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य है–

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक
3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
5	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
7	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रुचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्यकतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन– वन पंचायत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत हैं–

1. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
2. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. लोक निर्माण विभाग की सड़कों की रक्षा करते समय अग्नि को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
4. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
5. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही एवं प्रतिवादन हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का विवरण–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्राविधानों के तहत निम्न अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो भविष्य में आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी व विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण/पुनर्निर्माण करेंगे–

क्र.स.	विभाग	नामित विभागीय नोडल अधिकारी	दूरभाष नम्बर		
			कार्या.	फैक्स नम्बर	मो.
1	पुलिस	पुलिस अधीक्षक	230276		9411112707
2	वन	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग	230373	230180	9719523412
3	विकास	मुख्य विकास अधिकारी	230550 230882	230030	8650888888
4	राजस्व	प्रभारी अधिकारी/सहायक राजस्व लेखाकार			9897013211
5	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्साधिकारी	230312 230480		7417363822
6	शिक्षा	मुख्य शिक्षा अधिकारी	230531	230531	9411127547
7	परिवहन	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	266498/ 266422		9436512364
8	पशुपालन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	230843 230593		8476822444
9	पूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी	230746		8791264617
10	विद्युत	अधिशासी अभियंता, पावर कॉरपोरेशन	230572		9412093029
11	राष्ट्रीय राजमार्ग	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट	234078		8979333940
11	लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता,प्रा.ख.,लो.नि.वि., चम्पावत	230034		9837933807
12	लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता, नि.ख.,लो.नि.वि., लोहाघाट	234323		7302049090
13	पी.एम.जी.एस. वाई	अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., चम्पावत	230148		7830302348
14	पी.एम.जी.एस.	अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लोहाघाट	234118		8533042259

	गाई				
15	सिंचाई	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	234349		8958814178
16	जल निगम	अधिशासी अभियंता, जल निगम	230644		9412121206
17	जल संस्थान	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान	230483/ 230029		7088114730
18	वैकल्पिक ऊर्जा	परियोजना अधिकारी, (उरेडा)	230794		9458323080
19	बैंकिंग	लीड बैंक प्रबन्धक			9568488705
20	पुलसंधान	प्रभारी, एस.डी.ओ. बी०एस०एन०एल०	230020		9458138680
21	कृषि	मुख्य कृषि अधिकारी	230952		8173419609
22	सूचना	जिला सूचना अधिकारी	230790		7895230580
23	ग्राम पंचायत	जिला विकास अधिकारी / जिला पंचायतराज अधिकारी	230384		8397881778 / 7906998760
24	समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण अधिकारी	230107		9412017548
25	उद्यान	जिला उद्यान अधिकारी	230185		9411338025
26	पर्यटन	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	230866		8979224141
27	नगर पालिका	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत	230047		8077000418
28	नगर पालिका	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, लोहाघाट	234504		7300747049
29	नगर पालिका	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, टनकपुर	05943-265023		9412100439
30	नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बनबसा			9639121727
31	ग्रामीण निर्माण	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग	230980		9412159364
32	युवा कल्याण	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	230774		9761165792
33	डोमगाई	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स	231033		7248162360
34	अग्निशमन	अग्निशमन अधिकारी, चम्पावत			9758150424
35	अग्निशमन	अग्निशमन अधिकारी, लोहाघाट			9456596925
36	अग्निशमन	अग्निशमन अधिकारी, टनकपुर			9456525390
37	एन.एच.पी.सी	महाप्रबन्धक, एन.एच.पी.सी., बनबसा	05943/ 262384/ 263077		9810083485
38	जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चम्पावत	230421		9837443973
39	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	जिला कार्यक्रम अधिकारी	230643		9410793300

3.3.6 – पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी नोडल ऐजेन्सी।

क्र.सं	घटना का प्रकार	पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी ऐजेन्सी	सम्पर्क विवरण
1	भूकंप	N- (IMD) Indian Meteorological Department S- USDMA-SEOC D- DDMA/ DEOC	011-24344599 wxchannel1@gmail.com मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून फोन नम्बर- 7078875082 01374 – 222722 / 7310913129 deoccpt@gmail.com
2	भूस्खलन	N- (GSI) Geological Survey of India S- ULLMC Dehradun D- DEOC	0172-2622529 IP 10013 – 10014 ocbcr.helpdesk@gsi.gov.in ULMMC - 8228867085 ulmmc.uk@gmail.com 01374 – 222722 / 7310913129 deoccpt@gmail.com
3	भारी वर्षा / बर्फबारी	N- (IMD) Indian Meteorological Department	011-24344599 wxchannel1@gmail.com

		S- IMD Dehradun/USDMA D- DEOC	मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून फोन नंबर- 7078673062 01374 – 222722 / 7310913129 deocept@gmail.com
4	बाढ़ / त्वरित बाढ़	N- (CWC) Central Water Commission IMD Indian Meteorological Department S - USDMA D – Irrigation: DEOC	011-26187232 Secy-cwc@nic.in SEOC – 8218867005 seoc.dmmc@gmail.com 01374 – 222722 / 7310913129 deocept@gmail.com
5	एवलांच	Snow & Avalanche Study Establishment	+011-26582122/25/33/44, director.dgre.gov.in
6	फारेस्ट फायर	S – Forest Fire Alert System 3.0 D – Forest Departement	01374-222444 05965-230180 6398214623 dfo.champawat@rediffmail.com
7	महामारी	S- Health and Family Welfare Department of Uttarakhand D – Health Department	0135-2608763@0135-2608646 dghealth.uttarakhand@gmail.com
8	डेम / जलाशय टूटना	NHPC Banbasa / Tanakpur	8400225919 sdobanbasa@gmail.com 9911544705 ageeshmg@nhpc.nic.in

अध्याय– 04

रोकथाम और शमन उपाय/आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Prevention and Mitigation Measures)

आपदा प्रबंधन में रोकथाम (Prevention) एवं शमन (Mitigation) अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य संभावित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना तथा समुदाय की आपदा से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। जिला चम्पावत हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील है। जिले में मुख्य रूप से भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प, जंगल की आग तथा सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं की संभावना बनी रहती है। इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर विभिन्न रोकथाम एवं शमन उपायों को अपनाना आवश्यक है।

4.1 रोकथाम के उपाय (Prevention Measures)

जिला चम्पावत में संभावित आपदाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उपायों को लागू किया जाना आवश्यक है। इन उपायों का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना, संरचनात्मक सुरक्षा को बढ़ाना तथा समुदाय को आपदा के प्रति तैयार करना है।

- रोकथाम के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:
- भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान एवं स्थिरीकरण कार्य।
- नदी तटों पर बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण।
- भूकम्परोधी भवन निर्माण मानकों को लागू करना।
- जंगल की आग की रोकथाम के लिए वन प्रबंधन उपाय।
- संवेदनशील क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) की स्थापना।
- सड़कों एवं पुलों की संरचनात्मक मजबूती।
- समुदाय स्तर पर आपदा जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।

इन उपायों को विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से लागू किया जाता है।

4.1.1 आपदाओं की रोकथाम के लिए प्रस्तावित विशेष परियोजनाएँ (Special Projects Proposed for Preventing the Disasters)

जिला चम्पावत में संभावित आपदाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न विशेष परियोजनाएँ प्रस्तावित की जाती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जोखिम को कम करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संबंधित विभाग	उद्देश्य
1	भूस्खलन नियंत्रण एवं ढाल स्थिरीकरण परियोजना	मोटर मार्ग विभाग / भू-विज्ञान विभाग	भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में ढाल स्थिरीकरण एवं सुरक्षा दीवारों का निर्माण
2	बाढ़ सुरक्षा एवं नदी तट संरक्षण परियोजना	सिंचाई विभाग	नदियों के किनारे तटबंध एवं सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण
3	प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System)	आपदा प्रबंधन विभाग	बाढ़, अतिवृष्टि एवं बादल फटने की घटनाओं की समय से सूचना प्रदान करना
4	भूकम्परोधी भवन निर्माण कार्यक्रम	नगर निकाय & ग्रामीण विकास विभाग	भवन निर्माण में भूकम्परोधी तकनीकों को बढ़ावा देना
5	वन अग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन परियोजना	वन विभाग	जंगल की आग की घटनाओं की रोकथाम एवं नियंत्रण व्यवस्था विकसित करना
6	सड़क एवं पुल सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	मोटर मार्ग विभाग	आपदा के समय आवागमन बनाए रखने हेतु सड़क एवं पुलों को मजबूत बनाना

4.1.2 संवेदनशील समूहों के लिए विशेष परियोजनाएँ (Specific Projects for Vulnerable Groups)

आपदा की स्थिति में समाज के कुछ वर्ग जैसे महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए इनके लिए विशेष परियोजनाएँ एवं कार्यक्रमों का संचालन आवश्यक है।

जिला चम्पावत में संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पहल की जा सकती हैं–

1. **सुरक्षित आश्रय स्थल (Safe Shelter) की व्यवस्था**–आपदा संभावित क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए सुरक्षित राहत शिविरों की व्यवस्था की जाएगी।
2. **विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ**–स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा के समय बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।
3. **दिव्यांगजन सहायता कार्यक्रम**–दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आपदा के समय विशेष सहायता एवं निकासी (Evacuation) व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
4. **सामुदायिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण**–ग्राम स्तर पर महिलाओं एवं युवाओं को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार तथा बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. **विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम**–स्कूलों में बच्चों के लिए School Safety Programme के अंतर्गत मॉक ड्रिल, आपदा जागरूकता एवं सुरक्षित निकासी अभ्यास आयोजित किए जाएंगे।
6. **आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम**–आपदा प्रभावित परिवारों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए आजीविका पुनर्स्थापन योजनाएँ लागू की जाएगी।

इन उपायों के माध्यम से संवेदनशील समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है तथा आपदा के समय उनकी जोखिम को कम किया जा सकता है।

4.2 विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का मुख्यधारा में समावेशन तथा केंद्र/राज्य योजनाओं के साथ समन्वय

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction – DRR) को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि इसे विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में समाहित किया जाए। विकास कार्यों की योजना बनाते समय संभावित आपदा जोखिमों को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में होने वाली आपदाओं से जन–धन की हानि को कम किया जा सके।

जिला चम्पावत, जो कि एक पर्वतीय एवं भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील जिला है, में विकास योजनाओं के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में आपदा जोखिम को कम करने वाले उपायों को शामिल किया जाता है। इससे विकास कार्य अधिक सुरक्षित, टिकाऊ एवं आपदा–रोधी बनते हैं।

जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के दौरान भूस्खलन, बाढ़, जलभराव, भूकम्प, अतिवृष्टि तथा जंगल की आग जैसे संभावित खतरों को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को आपदा–सुरक्षित बनाया जाता है।

केंद्र एवं राज्य योजनाओं के साथ समन्वय (Synchronization with Centre/State Sector Schemes)

जिला चम्पावत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना विकास, आजीविका सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है जिससे आपदा जोखिम को कम किया जा सके।

DRR को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना **(MGNREGA)**-जल संरक्षण, भू–सुधार, नालों की सफाई तथा ढाल स्थिरीकरण जैसे कार्यों के माध्यम से भूस्खलन एवं बाढ़ के जोखिम को कम करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना **(PMAY)**–सुरक्षित एवं भूकम्परोधी आवासों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना **(PMGSY)**–आपदा के समय सुरक्षित एवं टिकाऊ सड़क नेटवर्क का विकास।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)–आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- जल जीवन मिशन (JJM)-सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा आपदा के समय जल स्रोतों की सुरक्षा।
- राष्ट्रीय वन मिशन एवं वन विभाग की योजनाएँ–वनीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से भूस्खलन तथा जंगल की आग के जोखिम को कम करना।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)-स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, जिससे आपदा के बाद होने वाली बीमारियों की संभावना कम हो।

समन्वय की आवश्यकता

इन सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों तथा सामुदायिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में इन योजनाओं के माध्यम से ऐसे विकास कार्य किए जाते हैं जो आपदा जोखिम को कम करने के साथ–साथ सतत विकास को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में Disaster Risk Reduction को मुख्यधारा में शामिल करके जिला चम्पावत में आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है तथा सुरक्षित एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

4.3 आपदा रोकथाम से संबंधित प्रचलित एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सूची

(List of On&going and Proposed Development Projects and Programs Addressing Disaster Prevention – Directly and Indirectly)

जिला चम्पावत में आपदा जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कई विकास योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ सीधे तौर पर आपदा रोकथाम से संबंधित हैं, जबकि कुछ योजनाएँ अप्रत्यक्ष रूप से आपदा जोखिम को कम करने में सहायक होती हैं।

इन योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है तथा समुदाय की आपदा से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ किया जाता है। जिला प्रशासन तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

इन विकास परियोजनाओं को मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्तर Individual Level तथा सामुदायिक स्तर Community Level पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

4.3.1 व्यक्तिगत स्तर (Individual Level)

व्यक्तिगत स्तर पर लागू की जाने वाली योजनाएँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनका लाभ सीधे किसी व्यक्ति या परिवार को मिलता है। ये योजनाएँ लोगों की सुरक्षा, आवासीय संरचना की मजबूती तथा आजीविका को सुरक्षित बनाकर आपदा जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

जिला चम्पावत में व्यक्तिगत स्तर पर लागू प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)–इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सुरक्षित एवं मजबूत आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। भूकम्परोधी निर्माण तकनीकों को अपनाकर आपदा के समय होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है।
- किसान बीमा योजनाएँ (Crop Insurance Schemes)–प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा योजनाएँ किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- जल जीवन मिशन (JJM)–इस योजना के अंतर्गत घर–घर सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिससे आपदा के समय जल संकट एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)–यह योजना किसानों को बाढ़, अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)-व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे आपदा के बाद फैलने वाली बीमारियों की संभावना कम होती है।

इन योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों एवं परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, जिससे वे आपदा की स्थिति में बेहतर तरीके से सामना कर सकें।

4.3.2 सामुदायिक स्तर (Community Level)

सामुदायिक स्तर पर लागू योजनाएँ पूरे समुदाय या गाँव/क्षेत्र के विकास से संबंधित होती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा समुदाय को आपदा के प्रति अधिक सक्षम बनाना है।

जिला चम्पावत में सामुदायिक स्तर पर संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)– इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, नालों की सफाई, मिट्टी संरक्षण एवं ढाल स्थिरीकरण जैसे कार्य किए जाते हैं, जिससे भूस्खलन एवं बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाकर आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को सुगम बनाया जाता है।
- नदी तट संरक्षण एवं बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएँ– सिंचाई विभाग द्वारा नदी किनारों पर तटबंध एवं सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके।
- वन संरक्षण एवं वनीकरण कार्यक्रम– वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिससे भूस्खलन की संभावना कम होती है तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (School Safety Programme)– स्कूलों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदा के समय सुरक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है।
- सामुदायिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम– ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों एवं समुदाय के लोगों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार एवं खोज–बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इन सामुदायिक स्तर की योजनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र की आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाया जाता है तथा आपदा के समय नुकसान को कम किया जा सकता है।

4.4 शमन उपाय (Mitigation Measures)

आपदा शमन (Mitigation) का उद्देश्य संभावित आपदाओं से होने वाले जोखिम एवं क्षति को कम करना है। इसके अंतर्गत ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं जो आपदाओं के प्रभाव को कम करने तथा समाज की आपदा से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं।

जिला चम्पावत की भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय भू–संरचना तथा जलवायु परिस्थितियों के कारण यह जिला विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, भूकम्प, जंगल की आग तथा सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त रासायनिक, जैविक एवं औद्योगिक जोखिम भी सीमित रूप से मौजूद रहते हैं।

इन जोखिमों को कम करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं संबंधित विभागों द्वारा संरचनात्मक (Structural) तथा गैर–संरचनात्मक (Non-Structural) शमन उपायों को अपनाया जाता है।

संरचनात्मक उपाय (Structural Measures)

संरचनात्मक उपाय वे होते हैं जिनमें भौतिक संरचनाओं का निर्माण या सुधार किया जाता है ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। उदाहरण के रूप में–

- भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रिटेनिंग वाल एवं ढाल स्थिरीकरण।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों एवं जल निकासी व्यवस्था का निर्माण।
- भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीकों का उपयोग।
- सड़क एवं पुलों की संरचनात्मक मजबूती।

गैर–संरचनात्मक उपाय (Non-Structural Measures)

गैर–संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत नीतिगत, प्रशासनिक एवं सामाजिक पहल शामिल होती हैं, जैसे–

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित नीतियाँ एवं नियम।
- भवन निर्माण मानकों का पालन।
- आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल।
- समुदाय में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियाँ

गैर–संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत Information, Education and Communication (IEC) गतिविधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इनके माध्यम से समुदाय को संभावित आपदाओं के प्रति जागरूक किया जाता है तथा उन्हें आपदा के समय सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

जिला चम्पावत में IEC गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं–

- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आपदा जागरूकता कार्यक्रम।
- ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का आयोजन।
- पोस्टर, पम्पलेट एवं जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जागरूकता अभियान।
- स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार एवं खोज–बचाव का प्रशिक्षण।

इन उपायों के माध्यम से समुदाय को आपदा के प्रति तैयार किया जा सकता है तथा आपदा के समय होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है।

4.4.1 आपदा–वार संरचनात्मक शमन उपाय (Hazard-wise Structural Mitigation Measures for Natural and Manmade Disasters)

जिला चम्पावत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित संरचनात्मक शमन उपाय अपनाए जा सकते हैं।

1. भूस्खलन **(Landslide)**
   - भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रिटेनिंग वाल (Retaining Walls) का निर्माण।
   - ढाल स्थिरीकरण (Slope Stabilization) एवं भू–संरक्षण कार्य।
   - संवेदनशील क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली का विकास।
   - सड़क किनारे सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण।
2. बाढ़ एवं अतिवृष्टि **(Flood and Heavy Rainfall)**
   - नदी तटों पर तटबंध (Embankments) का निर्माण।
   - नदियों एवं नालों की नियमित सफाई एवं चौड़ीकरण।
   - बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली का विकास।
   - पुलों एवं कल्वर्ट्स की क्षमता में वृद्धि
3. भूकम्प **(Earthquake)**
   - भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीकों का उपयोग।
   - पुराने भवनों का संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण (Retrofitting)।
   - सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, अस्पताल एवं सरकारी कार्यालयों को भूकम्परोधी बनाना।
4. जंगल की आग **(Forest Fire)**
   - वन क्षेत्रों में फायर लाइन (Fire Line) का निर्माण।
   - अग्निशमन टावर एवं जल स्रोतों की व्यवस्था।
   - वन क्षेत्रों में निगरानी एवं नियंत्रण संरचनाओं का विकास।
5. सड़क दुर्घटनाएँ **(Road Accidents)**
   - पर्वतीय सड़कों पर सुरक्षा बैरियर एवं संकेतक बोर्ड की स्थापना।
   - खतरनाक मोड़ों पर चेतावनी संकेत एवं रिफ्लेक्टर लगाना।
   - सड़क किनारे सुरक्षा दीवारों का निर्माण।
6. रासायनिक एवं औद्योगिक जोखिम **(Chemical and Industrial Hazards)**
   - रासायनिक पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए मानक संरचनाओं का निर्माण।
   - औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा उपकरण एवं आपातकालीन निकासी व्यवस्था।
   - खतरनाक पदार्थों के परिवहन के लिए सुरक्षित व्यवस्था।
7. जैविक जोखिम **(Biological Hazards)**
   - अस्पतालों में जैविक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
   - स्वास्थ्य संस्थानों में संक्रमण नियंत्रण के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएँ।

8. परमाणु जोखिम (Nuclear Hazards)

- यद्यपि जिला चम्पावत में कोई प्रमुख परमाणु संयंत्र नहीं है, फिर भी संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

4.4.2 आपदा–वार गैर–संरचनात्मक शमन उपाय (Hazard-wise Non- Structural Mitigation Measures for Natural and Manmade Disasters)

1. भूस्खलन (Landslide)-
   - नियम और भूमि उपयोग योजना– संवेदनशील ढालों पर निर्माण को नियंत्रित करना।
   - सावधानी और चेतावनी प्रणाली– Landslide Early Warning Systems का कार्यान्वयन।
   - IEC (सूचना, शिक्षा और संचार)– भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण।
   - समुदाय आधारित निगरानी– स्थानीय स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से ढाल और नालों की नियमित निगरानी।
2. बाढ़ एवं अतिवृष्टि (Flood and Heavy Rainfall)
   - जल निकासी और नदियों की योजना– गैर–संरचनात्मक उपायों के रूप में आपदा-पूर्व जल स्तर निगरानी और मानसूनी पूर्वानुमान।
   - सामुदायिक प्रशिक्षण– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित निकासी मार्गों और आपातकालीन प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण।
   - IEC गतिविधियाँ– समुदाय को बाढ़ की चेतावनी, सुरक्षा उपाय, और आपदा किट के बारे में जानकारी देना।
3. भूकम्प (Earthquake)
   - भूकम्प सुरक्षा नियम– सभी नए और पुराने भवनों में भूकम्परोधी निर्माण को अनिवार्य बनाना।
   - सामुदायिक शिक्षा– स्कूलों और समुदाय में भूकम्प जागरूकता कार्यक्रम।
   - आपातकालीन अभ्यास Mock Drills स्कूल, अस्पताल, और कार्यालयों में नियमित आपदा अभ्यास।
4. जंगल की आग (Forest Fire)
   - प्रशासनिक उपाय– वन क्षेत्रों में आग नियंत्रण नीतियाँ और फायर बैन।
   - IEC: स्थानीय समुदाय, वन विभाग कर्मचारी और पर्यटकों को जंगल की आग की चेतावनी, सुरक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना।
   - समुदाय आधारित निगरानी– वनों में निगरानी दल और सूचना नेटवर्क।
5. सड़क दुर्घटनाएँ (Road Accidents)
   - सुरक्षा नीतियाँ– सड़क सुरक्षा कानूनों का पालन और सड़क उपयोग के नियम।
   - सार्वजनिक शिक्षा– वाहन चालकों और यात्रियों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान।
   - आपातकालीन प्रतिक्रिया– दुर्घटना सूचना एवं बचाव प्रणाली का प्रशिक्षण।
6. रासायनिक एवं औद्योगिक जोखिम (Chemical and Industrial Hazards)
   - प्रशासनिक उपाय: Hazardous Materials Management Rules का पालन।
   - IEC: औद्योगिक कर्मचारियों और समुदाय को रासायनिक आपदा सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण।
   - आपातकालीन योजना: Chemical Safety Plan और Rapid Response Team का प्रशिक्षण।
7. जैविक जोखिम (Biological Hazards)
   - स्वास्थ्य नियम और निगरानी: जैविक संक्रमण नियंत्रण, अस्पतालों में संक्रमण प्रबंधन।
   - IEC और प्रशिक्षण: समुदाय और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जैविक जोखिम और बचाव उपायों के लिए जागरूक करना।
   - आपातकालीन प्रोटोकॉल: Containment Zones और Quarantine Guidelines।
8. परमाणु जोखिम (Nuclear Hazards)
   - सुरक्षा नियम: Nuclear Safety Regulations और परमाणु आपदा प्रोटोकॉल का पालन।
   - IEC: परमाणु जोखिम के प्रति समुदाय जागरूकता और आपातकालीन कार्रवाई प्रशिक्षण।
   - समन्वित योजना: District Response Team और Nuclear Emergency Response Plan का अभ्यास।

ज़िम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) का सुझाव–

संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपायों को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक उपाय की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। Responsibility Matrix में निम्नलिखित कॉलम शामिल किए जा सकते हैं–

आपदा प्रकार	संरचनात्मक उपाय	गैर–संरचनात्मक उपाय	जिम्मेदार विभाग/एजेंसी	समय सीमा
भूस्खलन	Retaining Wall, Slope Stabilization	Early Warning, Community Training	PWD, Revenue Dept, DDMA	नियमित / वर्षाकाल
बाढ़	Embankments, Drainage	Community Awareness, Mock Drills	Irrigation Dept, Health Dept, DDMA	मानसून से पहले
भूकंप	Retrofitting, Earthquake-resistant Buildings	IEC, Mock Drills	Urban Dev, Revenue, Schools, DDMA	नियमित
जंगल की आग	Fire Lines, Watch Towers	Community Awareness, Patrolling	Forest Dept, DDMA	आग का मौसम
Chemical Hazards	Safe Storage, Containment	Training, Emergency Response	Industries, Police, DDMA	लगातार

- समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य– Annexure-9
- ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना –Annexure-10

अध्याय– 05 तैयारी के उपाय

(Preparedness Measures)

5.1 तैयारी उपाय का उद्देश्य– जनपद चंपावत में आपदा के समय जनहानि और सम्पत्ति की हानि को न्यूनतम करना, समय पर राहत एवं बचाव कार्यों को क्रियान्वित करना तथा त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। इसके अन्तर्गत सभी विभागों, एजेंसियों एवं समुदायों को आपदा से पूर्व तैयार रहने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना।

सक्षम प्रशासनिक तंत्र द्वारा पूर्व चेतावनी जारी कर आपदा से होने वाले सम्भावित जन–धन की हानि को कम किये जाने में सहायक है। पूर्व चेतावनी का मुख्य उद्देश्य जन–जीवन, सम्पत्तियों एवं पर्यावरण की रक्षा करना तथा आपदा के पश्चात् समुदाय के बुनियादी जरूरतों को सामान्य करना है। पूर्व चेतावनी की तैयारी का उद्देश्य उन प्रभावित लोगों के बचाव का है जिन्हें आपदा से प्रभावित होने की सम्भावना है।

पूर्व- तैयारी के महत्वपूर्ण तत्व

आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों की प्रभावशीलता पूर्व में की गई समुचित तैयारी पर निर्भर करता है। इन तैयारियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है:-

- आकस्मिक दलों का गठन एवं उनकी क्षमतावृद्धि।
- जनपद के समस्त सम्बन्धित विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना।
- तहसील एवं जिला स्तर पर इंसिडेंट रिस्पांस टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण।
- जनपद एवं तहसील स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना व संचालन।
- आपदा की स्थिति में आवश्यक संचार व्यवस्था की पूर्व तैयारी।
- आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक संसाधनों का चिन्हांकन एवं उनकी तैयारी।
- राहत शिविरों का चिन्हांकन तथा उनकी तैयारी।
- आपदा हेतु संवेदनशील वर्गों की पहचान एवं उनकी सुरक्षा की विशेष योजना।
- जनपद में संभावित आपदाओं के प्रतिक्रिया हेतु अभ्यासिक अभ्यासों का आयोजन।

पूर्व तैयारी की सुनिश्चितता के मुख्य तत्व– जनपद में संभावित आपदाओं के त्वरित प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों को योजना अनुसार सुनिश्चित करने हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। जिसके तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 37 (A) में दिये गये प्राविधान के अनुसार आपदा न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन की योजना बनायी गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22(2), 30 एवं 34 में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित करने के प्राविधान है। संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा के अनुसार जनपद में आपातकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग एवं सी0डब्लू0सी0 से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसार करेगा।

मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10.00 बजे दिन में 1.00 बजे सांय 5.00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल, तथा अधिकारियों एवं मीडिया के सहयोग के द्वारा प्रसारित किया जाता है।

जिला स्तरीय सूचना तंत्र

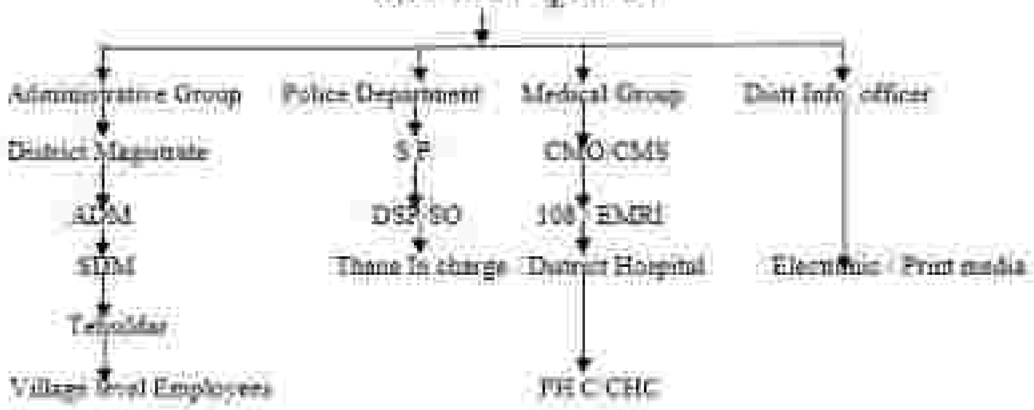

5.2 जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची

- सभी विभागों के कंटिंजेंसी प्लान का अद्यतन।
- आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष की 24X7 कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक चिकित्सा, राहत सामग्री एवं आपात उपकरणों की उपलब्धता जांच।
- विद्यालयों, अस्पतालों, पुलिस, अग्निशमन और राजस्व विभाग द्वारा मॉक ड्रिल आयोजन।
- संचार माध्यमों की कार्यशीलता की जांच (वायरलेस, सैटेलाइट फोन आदि)।

आपदा से पूर्व सभी विभागों, संस्थाओं एवं समुदायों की तैयारी का मूल्यांकन करने हेतु यह जांच सूची बनाई गई है।

इसका उद्देश्य है–

- संसाधनों की तत्परता सुनिश्चित करना
- संचार और समन्वय प्रणाली को सक्रिय रखना
- राहत एव बचाव दलों को पूर्व–सज्जित रखना

(A) प्रशासनिक तैयारी

1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है या नहीं।
2. सभी विभागों के आपदा प्रबंधन प्लान (DMP) का अद्यतन किया गया है या नहीं।
3. जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष (Control Room) 24x7 कार्यशील है या नहीं।
4. Incident Response System (IRS) के प्रमुख अधिकारियों की सूची अद्यतन एवं DEOC में प्रदर्शित है।
5. जिला आपदा कोष (District Disaster Response Fund) में पर्याप्त राशि उपलब्ध है या नहीं।

(B) संचार एवं सूचना व्यवस्था

1. जनपद, SEOC, तहसील, पुलिस और SDRF के बीच संचार नेटवर्क कार्यशील है या नहीं।
2. सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, वॉकी–टॉकी की कार्यशीलता की जांच की गई है।
3. BSNL, NIC और रेडियो संचार प्रणाली का परीक्षण पूरा किया गया है।
4. सोशल मीडिया, FM रेडियो और स्थानीय चैनलों के माध्यम से चेतावनी संदेश प्रसारित करने की तैयारी है।
5. आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (1077, 100, 101, 102) जनसाधारण को ज्ञात है या नहीं।

(C) राहत एवं बचाव तैयारी

1. SDRF, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग एवं PWD की Quick Response Teams (QRT) गठित हैं।
2. राहत शिविरों का चयन, मानचित्रण एवं निरीक्षण किया गया है।
3. राहत शिविरों में टेंट, पानी, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय की उपलब्धता है।
4. जनरेटर, मोटर बोट, ट्रैक्टर, JCB, क्रेन आदि उपकरण तैयार हैं।
5. प्राथमिक चिकित्सा किट, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित है।

(D) लॉजिस्टिक और आपूर्ति व्यवस्था

1. खाद्यान्न, पानी, दवाइयाँ, कंबल, तिरपाल आदि राहत सामग्री का पर्याप्त भंडारण है।
2. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए वितरण बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
3. परिवहन विभाग द्वारा राहत वाहनों की सूची तैयार की गई है।
4. सभी गोदामों की स्थिति व सामग्री का सत्यापन किया गया है।

(E) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तैयारी

1. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC/CHC) में आपातकालीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं।

2. मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस चालकों की ड्यूटी लिस्ट तैयार की गई है।

3. जिला चिकित्सालय में आपदा हेतु विशेष वार्ड चिह्नित है।

4. ब्लड बैंक में रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।

5. पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा टीम तैयार की गई है।

(ङ) शिक्षा एवं प्रशिक्षण तैयारी

1. सभी विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा योजना अद्यतन है।

2. छात्रों एवं शिक्षकों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।

3. आपदा मित्र, रेडक्रॉस, NSS, NYK आदि संस्थाओं का प्रशिक्षण पूरा हुआ है।

4. स्वयंसेवकों की सम्पर्क सूची DEOC में प्रदर्शित है।

(च) अवसंरचना और निरीक्षण कार्य

1. पुल, सड़कें, भवन, विद्युत लाइन, जल स्रोतों का निरीक्षण कार्य समय पर हुआ है।

2. संवेदनशील क्षेत्रों (भूस्खलन, जलभराव, नदी किनारा) की पहचान और निगरानी की जा रही है।

3. बिजली और पेयजल विभाग ने आपात मरम्मत दल गठित किए है।

4. मौसम विभाग और जल संस्थान द्वारा चेतावनी प्रणाली सक्रिय है।

(छ) समन्वय एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था

1. सभी विभागों के नोडल अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी नामित किए गए हैं।

2. DEOC में सभी विभागों के सम्पर्क नंबर और ईमेल अद्यतन है।

3. SEOC, SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य, PWD के साथ आपसी समन्वय योजना तैयार है।

4. प्रत्येक माह विभागीय स्थिति रिपोर्ट (SITREP) प्रस्तुत की जा रही है।

(ज) विशेष संवेदनशील समूहों हेतु तैयारी

1. दिव्यांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की सूची ग्राम स्तर पर तैयार है।

2. राहत केंद्रों में विशेष सहायता (व्हीलचेयर, पैड, स्वच्छता सामग्री) की व्यवस्था है।

(झ) मॉक ड्रिल एवं समीक्षा

1. जनपद, ब्लॉक एवं संस्थागत स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।

2. ड्रिल के परिणामों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।

3. कमियों के सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई गई है।

5.3 राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC)

देहरादून स्थित SEOC के साथ जिला DEOC का सीधा समन्वय स्थापित रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में SEOC को तत्काल सूचना एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।

5.4 जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC)

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/ नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज किया जाता है। कन्ट्रोल रूम को 7x24 घंटे कार्यशील रखते हुये कार्मिकों की शिफ्टवार तैनाती की गयी है।

- Phone: + 91 - 05965 - 230819, 230703, 1077 (Toll free)
- Mobile: +917895318895
- Mobile: + 919917384326
- Mail id: deoccpt@gmail.com
- website: https://champawat.nic.in

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र संचालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी–

क्र.सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1	श्री कृष्ण नाथ गोस्वामी	प्रभारी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	9411333185
2	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	9456147974
3	श्री ललित लखपाल	कनिष्ठ अभियन्ता	9719513707
4	श्री मनोज गुसाँई	मास्टर ट्रेनर	9411561003
5	श्री शिव दत्त भट्ट	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / ड्यूटी इन्चार्ज	9410701525
6	श्री हेम पाण्डे	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / ड्यूटी इन्चार्ज	9927310938
7	श्री हरीश राम	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / ड्यूटी इन्चार्ज	9568482642
8	श्री निर्मल चन्द्र जोशी	मल्टी पर्पज वर्कर	9759027823
9	श्री रमादत्त भट्ट	मल्टी पर्पज वर्कर	9761885754
10	श्री प्रकाश राम	मल्टी पर्पज वर्कर	9917719034

तहसील स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र– मानसून पूर्व सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है एवं चेतावनी मिलने के उपरांत संबंधित तहसील में आपातकालीन संचालन केन्द्रों से आवश्यक समन्वय कर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जाएगा। जनपद में आपदा के दृष्टिगत प्रत्येक तहसील में एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम स्थापित है। सभी तहसीलदार / उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तहसीलदार समस्त तहसील स्तरीय विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

क्र.सं.	तहसील	दूरभाष
1	चम्पावत	8394075014 / 7456016714
2	लोहाघाट	9520119445 / 7900381128
3	पाटी	7351303430 / 9458148878
4	पूर्णागिरि (टनकपुर)	7456016119 / 9105150058
5	बाराकोट	7247892437 / 7037098303

5.5 स्थानीय प्रशासन, SDRF और NDRF–

आपदा के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बीच समन्वित व्यवस्था स्थापित करना। स्थानीय प्रशासन की भूमिका (Role of Local Administration)– जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का है। यह प्रशासनिक ढाँचा ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक फैला है।

मुख्य जिम्मेदारियाँ:

1. आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness):
   - ग्राम, ब्लॉक और तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
   - आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण करना।
   - आपदा से पूर्व जनजागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल आयोजित करना।
2. आपदा के समय (During Disaster)
   - राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और समन्वय करना।
   - आपदा स्थल पर त्वरित निर्णय लेकर संसाधनों की तैनाती करना।
   - प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।
3. आपदा के बाद (Post Disaster)
   - क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजना।
   - पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों का समन्वय करना।
   - सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

स्थानीय स्तर की संरचना–

स्तर	अधिकारी / संस्था	प्रमुख जिम्मेदारी
ग्राम स्तर	ग्राम प्रधान / ग्राम आपदा प्रबंधन समिति	प्रारंभिक सूचना, निकासी, राहत शिविर व्यवस्था
ब्लॉक स्तर	खंड विकास अधिकारी	राहत सामग्री वितरण, संचार और समन्वय
तहसील स्तर	उप जिलाधिकारी	राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व
जिला स्तर	जिलाधिकारी (Incident Commander)	समग्र दिशा, नियंत्रण एवं नीति निर्धारण

3. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की भूमिका– SDRF (State Disaster Response Force) उत्तराखंड सरकार के पुलिस विभाग के अधीन कार्यरत एक विशेष बल है।

मुख्य कार्य

- आपदा स्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाना।
- भूकंप, भूस्खलन, जलप्रलय, सड़क दुर्घटना और आग लगने जैसी घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देना।
- खोज एवं निकासी (Search and Rescue) कार्यों के लिए उपकरणों का प्रयोग करना।
- विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं संस्थाओं में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- जिला प्रशासन एवं DEOC के साथ सतत समन्वय बनाकर कार्य करना।

SDRF तैनाती चम्पावत में–

- SDRF की एक यूनिट चम्पावत जनपद में पूर्व से अलर्ट मोड पर रखी जाती है।
- आवश्यकता अनुसार टनकपुर, लोहाघाट या पिथौरागढ़ से अतिरिक्त टीमें तैनात की जा सकती हैं।
- SDRF नियंत्रण कक्ष, DEOC चम्पावत के साथ सीधे संपर्क में रहता है।

4. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की भूमिका–NDRF (National Disaster Response Force) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है।
यह राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की आपदाओं में राज्य सरकार को तकनीकी और मानव संसाधन सहायता प्रदान करती है।

मुख्य कार्य–

1. विशेषज्ञ खोज एवं बचाव कार्य (Specialized Search & Rescue)
   - भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, रासायनिक, जैविक और औद्योगिक दुर्घटनाओं में तैनाती।
2. राज्य एवं जिला प्रशासन को तकनीकी सहयोग
   - SDRF व स्थानीय टीमों को तकनीकी दिशा–निर्देश देना।
   - आपदा प्रतिक्रिया में विशेष उपकरण और संचार सहायता प्रदान करना।
3. सामुदायिक प्रशिक्षण
   - ग्राम, विद्यालय और संस्थागत स्तर पर आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

NDRF तैनाती प्रक्रिया

1. जब जनपद स्तर पर आपदा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो जिलाधिकारी द्वारा SEOC को रिपोर्ट भेजी जाती है।
2. राज्य स्तर से NDRF सहायता हेतु अनुरोध भारत सरकार को भेजा जाता है।
3. आवश्यकता पड़ने पर गाजियाबाद या लखनऊ स्थित NDRF बटालियन को तैनात किया जाता है।
4. NDRF टीम स्थानीय प्रशासन और SDRF के साथ संयुक्त अभियान चलाती है।

5. समन्वय एवं संचार प्रणाली (Coordination Mechanism)

- DEOC जनपद का मुख्य नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ SDRF और NDRF दोनों की सूचना प्रणाली जुड़ी रहती है।
- प्रत्येक अभियान के लिए Incident Commander (DM) द्वारा आदेश जारी किया जाता है।
- SDRF और NDRF की टीमें स्थानीय प्रशासन की अनुमति एवं नियंत्रण में कार्य करती हैं।
- सभी रिपोर्ट, वीडियो और ड्रोन सर्वे DEOC के माध्यम से SEOC को भेजे जाते हैं।

6. संयुक्त प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल (Joint Training – Mock Drill)

- SDRF, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं प्रशासन की संयुक्त मॉक ड्रिल प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाएगी।
- NDRF की सहायता से जनपद स्तर पर Search and Rescue प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
- ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों में आपदा सुरक्षा अभ्यास (Drop-Cover-Hold) कराया जाएगा।
- स्थानीय पुलिस, राजस्व उपनिरीक्षक, अग्निशमन एवं SDRF की टीमों को तहसील स्तर पर तैनात किया जाएगा।
- आवश्यकता पड़ने पर NDRF को बुलाने हेतु राज्य स्तर पर अनुरोध भेजा जाएगा।

5.6 आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान– जनपद चम्पावत में आपदा के समय राहत, बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों में भाग लेने वाले सभी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, निजी और सामुदायिक हितधारकों की पहचान एवं उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना ताकि समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

2. हितधारकों की श्रेणियाँ (Categories of Stakeholders)– जनपद चंपावत में आपदा प्रबंधन में शामिल हितधारकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- प्रशासनिक हितधारक (Administrative Stakeholders)
- तकनीकी एवं आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियाँ (Technical / Response Agencies)
- सेवा प्रदाता विभाग (Service Provider Departments)
- सामुदायिक एवं स्वयंसेवी संगठन (Community & Voluntary Organizations)
- निजी क्षेत्र / कॉर्पोरेट इकाइयाँ (Private Sector & CSR Partners)
- मीडिया एवं सूचना साझेदार (Media & Communication Partners)

3. हितधारकों की सूची एवं जिम्मेदारियाँ (Stakeholder List & Responsibilities)

क्रम	हितधारक	भूमिका / जिम्मेदारी	प्रमुख अधिकारी / संस्था
1	जिला प्रशासन	समन्वय, आदेश निर्गमन, नीति निर्माण, DEOC संचालन	जिलाधिकारी, ADM
2	राजस्व विभाग	राहत वितरण, क्षति मूल्यांकन, प्रभावित परिवारों की सूची	SDM, तहसीलदार, राजस्व उपनिरीक्षक
3	पुलिस विभाग	कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा	पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष
4	SDRF / NDRF	खोज एवं बचाव (Search & Rescue), निकासी, तकनीकी सहायता	SDRF टीम कमांडर

5.	अग्निशमन विभाग	आग, विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाओं में प्रतिक्रिया	फायर स्टेशन अधिकारी, टनकपुर / चंपावत
6.	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा	मुख्य चिकित्साधिकारी, PHC/CHC प्रभारी
7	लोक निर्माण विभाग(PWD)	सड़कों, पुलों, भवनों की मरम्मत, वैकल्पिक मार्ग खोलना	EE PWD
8.	जल संस्थान / जल निगम	पेयजल आपूर्ति, पाइपलाइन मरम्मत, जल परीक्षण	EE, Jal Sansthan
9	विद्युत विभाग (UPCL)	बिजली आपूर्ति बहाल करना, खतरनाक तारों को सुरक्षित करना	EE, UPCL
10.	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	सफाई, अपशिष्ट निपटान, राहत शिविरों की व्यवस्था	EO नगर पालिका, ग्राम प्रधान
11	शिक्षा विभाग	स्कूलों को राहत शिविर के रूप में उपयोग, छात्रों का प्रशिक्षण	जिला शिक्षा अधिकारी
12.	परिवहन विभाग	राहत सामग्री और टीमों का आवागमन	ARTO चंपावत
13.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	खाद्यान्न, राशन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति	जिला आपूर्ति अधिकारी
14.	पशुपालन विभाग	पशुओं के लिए चिकित्सा सहायता, चारा आपूर्ति	जिला पशुपालन अधिकारी
15.	कृषि विभाग	फसल हानि मूल्यांकन, कृषि पुनर्वास योजना	जिला कृषि अधिकारी
16.	सूचना विभाग / NIC	सूचना प्रसारण, मीडिया समन्वय, रिपोर्टिंग/डिजिटल	सूचना अधिकारी, DIO NIC
17	रेडक्रॉस सोसाइटी / एनजीओ	राहत सामग्री वितरण, रक्तदान, चिकित्सा सहयोग	जिला रेडक्रॉस शाखा
18.	नेहरू युवा केंद्र / NSS / NCC / आपदा मित्र	स्वयंसेवक सहायता, निकासी, राहत शिविर सहयोग	NYK समन्वयक
19.	स्वयंसेवी संगठन / स्थानीय NGO	जनजागरूकता, राहत वितरण, पुनर्वास सहयोग	पंजीकृत स्थित NGOs
20.	सेना / ITBP / BRO (यदि तैनात)	दुर्गम क्षेत्रों में खोज एवं बचाव, सड़क पुनर्निर्माण	स्थानीय सैन्य इकाई
21.	मीडिया (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक / सोशल)	सूचना प्रसार, चेतावनी संदेश, जनसंपर्क	स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि
22.	निजी कंपनियाँ / CSR इकाइयाँ	राहत सामग्री, जल, चिकित्सा व उपकरणों की CSR सहायता	स्थानीय उद्योग या बैंक शाखाएँ
23	पंचायत एवं ग्राम स्तर की समितियाँ	प्रारंभिक प्रतिक्रिया, सूचना संप्रेषण, स्थानीय सहायता	ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)

4. विभागीय समन्वय व्यवस्था (Coordination Mechanism)

- जिलाधिकारी (Incident Commander) सभी विभागों के बीच समन्वय का केंद्र बिंदु होंगे।
- DEOC संचालन से सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को शीघ्र सूचना साझा की जाएगी।

- प्रत्येक विभाग अपने नोडल अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी की संपर्क सूची DEOC को देगा।
- आपदा की स्थिति में सभी हितधारक Incident Response System (IRS) संरचना के तहत कार्य करेंगे।
- नियमित समीक्षा बैठकें एवं संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो।

5. सामुदायिक भागीदारी (Community Participation)

- ग्राम प्रधान, स्वयंसेवक, शिक्षक, महिला समूह (SHG), और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर "पहली प्रतिक्रिया टीम (First Responders)" के रूप में कार्य करेंगे।
- "आपदा मित्र" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को राहत व निकासी कार्यों में शामिल किया जाएगा। होंगे।

5.7 विकलांग व्यक्तियों की निकासी और प्रतिक्रिया–

जनपद चंपावत पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्र होने के कारण भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटनाओं और आगजनी जैसी आपदाओं की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में विकलांग, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक रूप से अस्वस्थ और चलने–फिरने में असमर्थ व्यक्तियों की सुरक्षा विशेष प्राथमिकता का विषय है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की स्थिति में ऐसे सभी व्यक्तियों की सुरक्षित निकासी, प्राथमिक चिकित्सा और पुनर्वास के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

1. उद्देश्य (Objective)

- आपदा के दौरान विकलांग व्यक्तियों की पहचान एवं प्राथमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- राहत, निकासी और आश्रय स्थलों में विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों की सुविधा हेतु तैयारी करना।
- समुदाय और स्वयंसेवकों को ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित करना।
- प्रत्येक ग्राम व वार्ड में विकलांग व्यक्तियों का अद्यतन डाटा बनाए रखना।

2. पूर्व तैयारी (Pre&Disaster Preparedness)

क्र.	कार्य / गतिविधि	जिम्मेदार एजेंसी / अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में विकलांग व्यक्तियों की सूची तैयार कर अद्यतन रखना	समाज कल्याण विभाग, ग्राम प्रधान	सूची DEOC में भी रखी जाए
2	राहत शिविरों में रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय की व्यवस्था	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), PWD, नगर निकाय	निर्माण मानकों के अनुसार
3	प्रशिक्षित स्वयंसेवक (आपदा मित्र / NYK / NSS) को विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित करना	NYK / DDMA	सूची DEOC में उपलब्ध रहे
4	विद्यालयों, कार्यालयों और अस्पतालों में रैंप व व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना	शिक्षा विभाग, CMO, PWD	भवनों का निरीक्षण समय–समय पर
5	विकलांग व्यक्तियों को आपदा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना (SMS, घोषणाएं, रेडियो, ग्राम वार्ता)	सूचना विभाग, राजस्व विभाग	दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित हेतु वैकल्पिक संचार

4. निकासी प्रक्रिया (Evacuation Procedure)

1. प्रारंभिक पहचान

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) द्वारा पहले से तैयार सूची के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
- निकासी टीम को इन स्थानों की जानकारी पहले से होगी।

2. सहायता टीम की नियुक्ति
   - प्रत्येक ग्राम में 2–3 स्वयंसेवक विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित किए जाएंगे।
   - SDRF / पुलिस / स्थानीय युवा मिलकर सहायता करेंगे।
3. सुरक्षित मार्ग और वाहन
   - व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन, स्ट्रेचर और अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी।
   - पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी, रस्सी सहायता या अस्थायी स्ट्रेचर का उपयोग किया जाएगा।
4. राहत शिविरों में विशेष व्यवस्था
   - प्रवेश द्वार पर रैंप, फर्श पर नॉन–स्लिप मैट, प्रकाश व्यवस्था और अलग शौचालय सुविधा।
   - दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य संकेतक (Audio Alert)।
   - श्रवणबाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य चेतावनी संकेत (Flash Signal)।

5. राहत और चिकित्सा सहायता (Relief and Medical Assistance)
   - स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता टीम तैनात की जाएगी।
   - यदि किसी को चलने या सुनने में कठिनाई है, तो उनकी मदद के लिए सहायक उपकरण (crutches, hearing aid, wheelchair) मुहैया कराई जाएगी।
   - राहत शिविरों में बैठने और सोने की व्यवस्था अलग और सुरक्षित स्थान पर की जाएगी।
   - मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) की व्यवस्था भी की जाएगी।
6. प्रशिक्षण और जनजागरूकता (Training – Awareness)
   - आपदा मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, शिक्षक और पंचायत सचिव को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को कैसे निकाला और संभाला जाए।
   - स्कूलों और समुदायों में मॉक ड्रिल के दौरान ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति में कोई भ्रम न हो।
   - Inclusive Disaster Management की भावना को जन स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

5.8 विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन– आपदा के समय त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों को मिलाकर विभिन्न कार्यों हेतु टीमों का गठन किया जाता है। इन टीमों का उद्देश्य राहत, बचाव, पुनर्वास, चिकित्सा, संचार, परिवहन और लॉजिस्टिक कार्यों में दक्षता सुनिश्चित करना है।

1. उद्देश्य (Objective)
   - आपदा प्रतिक्रिया के दौरान कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
   - प्रत्येक टीम की जिम्मेदारी और नोडल अधिकारी निर्धारित करना।
   - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना।

- त्वरित निर्णय और स्थल पर क्रियान्वयन की सुविधा देना।

2. टीम गठन की प्रक्रिया (Team Formation Process)

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा प्रतिवर्ष सभी टीमों की सूची का अद्यतन किया जाएगा।
- प्रत्येक टीम में प्रमुख अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी नामित किए जाएंगे।
- टीमों के संपर्क विवरण (Mobile, WhatsApp, Email) जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) में प्रदर्शित रहेंगे।
- सभी टीमों को वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा।

3. विभिन्न कार्यों हेतु गठित टीमें (Teams for Specific Functions)

क्र.	टीम का नाम	मुख्य कार्य / जिम्मेदारी	नोडल विभाग / अधिकारी	सहायक विभाग
1.	चेतावनी एवं सूचना प्रसारण टीम(Warning-Communication Team)	मौसम पूर्व चेतावनी, जनता को अलर्ट संदेश, मीडिया समन्वय	जिला सूचना अधिकारी (DIO)	पुलिस, NIC, राजस्व विभाग
2.	राहत एवं बचाव टीम (Relief and Rescue Team)	प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, घायल व्यक्तियों की सहायता	पुलिस अधीक्षक (SP)/ SDRF प्रभारी	अग्निशमन, स्वास्थ्य, सेना, एनडीआरएफ
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य टीम (Medical-Health Team)	घायलों का उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस प्रबंधन	मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)	स्वास्थ्य, रेडक्रॉस, पशु चिकित्सा विभाग
4.	लॉजिस्टिक एवं परिवहन टीम (Logistics and Transport Team)	राहत सामग्री, वाहन, ईंधन एवं परिवहन व्यवस्था	ARTO / परिवहन अधिकारी	खाद्य एवं आपूर्ति, PWD
5.	भोजन एवं पेयजल आपूर्ति टीम (Food-Water Supply Team)	राहत शिविरों में भोजन व जल आपूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी	जल संस्थान, नगर निकाय, शिक्षा विभाग
6.	संचार एवं समन्वय टीम (Coordination-Communication Team)	विभागों के बीच सूचना प्रवाह और समन्वय	ADM (वित्त एवं राजस्व)	DEOC, सभी नोडल अधिकारी
7.	सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण टीम (Security-Law-Order Team)	सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण	पुलिस विभाग	होमगार्ड, PRD, SDRF
8.	निर्माण एवं मरम्मत टीम (Infrastructure-Engineering Team)	सड़क, पुल, विद्युत, जलापूर्ति की मरम्मत	PWD, UJVNL	जल संस्थान, ऊर्जा विभाग
9.	आश्रय एवं राहत शिविर प्रबंधन टीम (Shelter-Camp Management	शिविर की व्यवस्था, शौचालय, भंडारा, आवास प्रबंधन	नगर पालिका / पंचायत विभाग	शिक्षा, स्वास्थ्य, PRD

	Team)			
10.	सामग्री मूल्यांकन एवं क्षति आकलन टीम (Damage Assessment Team)	संपत्ति, भवन, सड़क, फसल आदि की क्षति का मूल्यांकन	राजस्व विभाग	कृषि, PWD, उद्यान विभाग
11.	विकलांग व विशेष समूह सहायता टीम (Disability–Special Group Support Team)	विकलांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा	समाज कल्याण अधिकारी	ICDS, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग
12.	पशुधन सहायता टीम (Animal Care Team)	पशुओं का उपचार, चारा वितरण, पशु शिविर प्रबंधन	पशुपालन विभाग	कृषि, वन विभाग
13.	स्वयंसेवक एवं एनजीओ समन्वय टीम (Volunteer - NGO Coordination Team)	स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, NGO के साथ समन्वय	DDMA / NYK	रेडक्रॉस, NSS, NCC
14.	प्रेस एवं जनसंपर्क टीम (Public Information-Media Team)	मीडिया ब्रीफिंग, जन–जागरूकता	सूचना विभाग, जिला सूचना कार्यालय	सभी विभाग
15.	वित्तीय प्रबंधन टीम (Financial Management Team)	राहत कोष का वितरण, लेखा परीक्षण, व्यय नियंत्रण	कोषाधिकारी / वित्त अधिकारी	लेखा एवं वित्त विभाग

5. टीमों का प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल (Training and Mock Drill)

- प्रत्येक टीम के सदस्य को आपदा प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, संचार और उपकरण उपयोग पर वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- SDRF और NDRF द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
- ग्राम और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में टीमों की भागीदारी अनिवार्य होगी।

5.9 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना–आपदा की स्थिति में समन्वित, त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए Incident Response System (IRS) को सक्रिय किया जाता है। यह प्रणाली आपदा प्रतिक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ, आदेश श्रृंखला (chain of command), और संचार व्यवस्था को स्पष्ट करती है।

1. **IRS सक्रिय करने की स्थिति**– जनपद चम्पावत में निम्न परिस्थितियों में IRS को तत्काल सक्रिय किया जाएगा–

- किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा जैसे भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, आग, सड़क दुर्घटना, जलभराव या महामारी की स्थिति में।
- जब स्थानीय प्रशासन की क्षमता से अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो।
- जब राज्य या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देश प्राप्त हो।

2. IRS के प्रमुख घटक (मुख्य अधिकारी)

पदनाम	जिम्मेदारी / भूमिका	अधिकारी / विभाग
Incident Commander (IC)	समग्र नेतृत्व एवं नियंत्रण	जिलाधिकारी, चंपावत
Operations Section Chief (OSC)	राहत, बचाव, निकासी कार्यों का संचालन	अपर जिलाधिकारी (राजस्व)
Planning Section Chief (PSC)	डाटा एकत्रीकरण, सूचना विश्लेषण, संसाधन योजना	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
Logistics Section Chief (LSC)	राहत सामग्री, उपकरण, परिवहन एवं मानव संसाधन व्यवस्था	जिला आपूर्ति अधिकारी / DPRO
Finance & Administration Section Chief (FSC)	व्यय, भुगतान, लेखा एवं संसाधनों का रिकॉर्ड	जिला कोषाधिकारी / लेखा अधिकारी

3. IRS की सक्रियण प्रक्रिया (Activation Procedure)

- आपदा की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी द्वारा DEOC को अलर्ट मोड पर किया जाएगा।
- DEOC स्थिति की पुष्टि कर Incident Commander (IC) को रिपोर्ट देगा।
- IC स्थिति के अनुसार IRS संरचना को सक्रिय करेगा और संबंधित Section Chiefs को आदेश जारी करेगा।
- सभी सेक्शन प्रमुख अपने–अपने नोडल अधिकारियों और टीमों को सक्रिय करेंगे।
- आवश्यकतानुसार SEOC (राज्य आपात केंद्र) को सहायता के लिए सूचना दी जाएगी।

4. IRS कमांड संरचना (Command Structure – Champawat District)

- Incident Commander: जिलाधिकारी, चंपावत
- Deputy Incident Commander: अपर जिलाधिकारी
- Operations Section: राजस्व, पुलिस, SDRF, PWD, स्वास्थ्य, जल संस्थान, अग्निशमन, परिवहन विभाग
- Planning Section: CDO, कृषि, शिक्षा, पशुपालन, पंचायत, नगर पालिका
- Logistics Section: आपूर्ति, परिवहन, खाद्य विभाग, डीआईओ (NIC), जल संस्थान
- Finance Section: कोषागार, लेखा, वित्त एवं योजना विभाग

5. IRS की बैठक एवं रिपोर्टिंग प्रणाली

- IRS बैठक DEOC चंपावत में नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएगी।
- प्रत्येक सेक्शन प्रमुख अपनी स्थिति रिपोर्ट (Situation Report – SITREP) प्रत्येक 6 घंटे में DEOC को देंगे।
- IC द्वारा समग्र स्थिति की समीक्षा कर SEOC को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

6. प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा IRS अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक छह माह में IRS आधारित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी ताकि सभी विभाग वास्तविक स्थिति में समन्वय के लिए तैयार रहें।

7. **IRS नियंत्रण कक्ष (IRS Control Room)**
- DEOC कलेक्ट्रेट चम्पावत में स्थित होगा।
- इसमें 24X7 संचार सुविधा, वायरलेस नेटवर्क, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट, वॉकी–टॉकी और व्हाइटबोर्ड सुविधा होगी।
- नियंत्रण कक्ष में सभी विभागों के संपर्क नंबर, राहत संसाधन सूची और मानचित्र प्रदर्शित रहेंगे।

8. **समन्वय एवं पुनर्संस्थापन (Coordination – Demobilization)**
- जब स्थिति नियंत्रण में आ जाए, तो Incident Commander द्वारा सभी संचालन इकाइयों की समीक्षा की जाएगी।
- राहत व पुनर्संस्थापन कार्य पूर्ण होने पर IRS को औपचारिक रूप से निष्क्रिय किया जाएगा।
- सभी रिकॉर्ड, व्यय विवरण और रिपोर्ट DEOC में सुरक्षित रखी जाएगी।
- किसी भी आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी "<u>Incident Commander</u>" के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभाग ICS संरचना के अनुसार दायित्व निभाएँगे।

5.10 अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

–राज्य, सेना, NDRF, BRO एवं अन्य एजेंसियों से सहायता हेतु औपचारिक अनुरोध DEOC के माध्यम से SEOC को भेजा जाएगा।

जनपद चम्पावत की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं सीमावर्ती होने के कारण यहां बाहरी एजेंसियों की सहायता समय पर प्राप्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

1. सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता
   - जब स्थानीय प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, या एसडीआरएफ की उपलब्ध क्षमता अपर्याप्त हो।
   - जब एक से अधिक तहसील/ब्लॉकों में एक साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र हो।
   - जब आपदा की तीव्रता "स्तर–2" या "स्तर–3" (राज्य या राष्ट्रीय स्तर) घोषित हो।
   - जब राहत शिविरों, परिवहन, चिकित्सा या संचार में बाहरी सहायता की आवश्यकता हो।
2. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया (Process Flow)

(क) प्रारंभिक सूचना एवं अनुरोध
- तहसील स्तर पर – तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC, Champawat) को तत्काल सूचित किया जाता है।
- जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार सहायता के प्रकार की पहचान की जाती है (जैसे– राहत सामग्री, मानव संसाधन, मशीनरी, हेलीकॉप्टर, चिकित्सक दल आदि)।

(ख) राज्य स्तर पर अनुरोध
- यदि स्थिति जिला स्तर की क्षमता से बाहर हो, तो जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) देहरादून एवं राजस्व सचिव/आपदा सचिव उत्तराखंड शासन को अनुरोध भेजा जाता है।
- अनुरोध लिखित, टेलीफोनिक या ई–मेल माध्यम से "Form–IRR (Immediate Resource Request)" के अनुसार भेजा जा सकता है।

(ग) विशेष बलों की सहायता प्राप्ति
- एसडीआरएफ उत्तराखंड – देहरादून से अनुरोध पर टीम चम्पावत भेजी जाती है;

- एनडीआरएफ / सशस्त्र बल – यदि आवश्यकता हो, तो राज्य के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध प्रेषित किया जाता है।
- आईटीबीपी/सेना इकाई – टनकपुर, लोहाघाट या पिथौरागढ़ सेक्टर में स्थित इकाइयों से तत्काल समन्वय किया जा सकता है।

(घ) एनजीओ / निजी एजेंसी सहयोग

- आपदा के दौरान चम्पावत में सक्रिय एनजीओ जैसे रेडक्रॉस सोसाइटी, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, स्काउट–गाइड, तथा स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य में शामिल किया जाता है।
- इन एजेंसियों को कार्य क्षेत्र (जैसे खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवा, पशु चिकित्सा सहायता, संचार आदि) के अनुसार दायित्व सौंपे जाते हैं।

- NGOs working in the District Champawat

S.no.	NGO Name	Address	Contact no.
1	Advaita Asrama	ADVAITA ASHRAMA MAYAVATI VIA LOHAGHAT, LOHAGHAT, UTTARAKHAND CHAMPWAT, 262524Email mail[at]advaitaashrama[dot]org	9065597686
2	Parmatma ki raah	BATHARANGIYA LOHAGHAT CHAMPAWAT 262524Email : parmatmakiraah[at]gmail[dot]co Website Link : http://www.parmatmakiraah.org	7351127382
3	Rural Environmental and Educational Development Society, REEDS	41 - Aambag, PO Tanakpur, Champawat Email : reeds41[at]rediffmail[dot]com Pincode: 26230	9719494987
4	Himalaya Water Service Danda Vikas Avamparyavaran sanrakshan Samiti	Himalaya Water Service Danda Vikas Avamparyavaran sanrakshan Samiti Dada, Post office Champawat,Distt Champawat Email: gbbisht[at]yahoo[dot]co[dot]uk Website Link : http://www.himwsds.org Pincode: 26232	+919412983619 05946-221882
5	Paryavaran Sanrakshan Samiti	Paryavan Sanrakshan Samiti Pati, District Champawat, State Uttarakhand Email : info[at]pssngo[dot]org Website Link : http://pssngo.org Category Type: NGO	9758164657
6	Vivekananda Ashrama Email : shyamlatal[at]rkmm[dot]org Phone : Website Link : http://shyamlatalashrama.org Category Type: NGO	P.O. Shyamala Tal (Himalayas), Sukhidhang, Dist. Champawat, Uttarakhand 262325, India Phone : +91-8006505187 / 8475090604	9674214195

5.11 लॉजिस्टिक उपकरणों और भंडारण की जांच एवं प्रमाणन–भंडारण स्थलों पर राहत सामग्री, JCB, जॉनर, टेंट, जनरेटर, बोट आदि का समय–समय पर परीक्षण एवं प्रमाणन किया जाएगा।

5.12 चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण–आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं। ऐसे में राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु अन्य विभागों, राज्य एवं केंद्र सरकार, निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों (NGO), स्वयंसेवी संस्थाओं (VOs), तथा सशस्त्र बलों (Army, ITBP, NDRF, SDRF आदि) से सहायता प्राप्त की जाती है।
आपदा की स्थिति में समय पर चेतावनी (Early Warning) जारी करना जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके लिए जिला स्तर पर स्थापित चेतावनी प्रणाली का सही संचालन एवं प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

जनपद चम्पावत की भौगोलिक परिस्थितियाँ — पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटियाँ, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र एवं नेपाल सीमा की निकटता — इसे आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इसलिए चेतावनी प्रणाली का नियमित प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. उद्देश्य

- जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी प्रणाली के संचालन का प्रशिक्षण देना।
- संचार चैनलों (Wireless, VHF, clockby, WhatsApp, Control Room) की कार्यप्रणाली को समझाना।
- सूचना के प्रवाह (Warning Flow) की समयबद्धता और सटीकता सुनिश्चित करना।
- समुदायों को चेतावनी मिलने पर उचित प्रतिक्रिया हेतु तैयार करना।

2. प्रशिक्षण की आवश्यकता

- पर्वतीय क्षेत्रों में संचार बाधित होने की संभावना रहती है।
- कुछ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, अतः वैकल्पिक संचार (VHF, HAM Radio) का प्रयोग आवश्यक है।
- चेतावनी मिलने पर अधिकारियों, पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य एवं ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया देने हेतु समन्वित अभ्यास आवश्यक है।

3. चेतावनी प्रणाली की संरचना (Champawat Early Warning System)

स्तर	नियंत्रण केंद्र	उपकरण / माध्यम	मुख्य जिम्मेदारी
जिला स्तर	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) – चंपावत	Wireless,VHF, Mobile, Satellite Phone	चेतावनी प्राप्त करना एवं प्रसारित करना
तहसील स्तर	तहसील आपदा नियंत्रण कक्ष (टनकपुर, लोहाघाट, पूर्णागिरि, बाराकोट)	VHF सेट, मोबाइल नेटवर्क	जिला EOC से सूचना लेकर ग्रामों तक पहुँचाना
ग्राम स्तर	ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)	मोबाइल, मेगा सायरन, माइक / ढोल / ग्राम सूचना तंत्र	समुदाय को सतर्क करना एवं निकासी शुरू करना

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया

(क) प्रशिक्षण आयोजन की रूपरेखा

- प्रशिक्षण नोडल एजेंसी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) चंपावत
- समन्वयक विभाग: राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, PWD, SDRF
- सहयोगी संस्थान: NDRF, रेडक्रॉस, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, स्काउट–गाइड, वन विभाग
- स्थान: जिला प्रशिक्षण केंद्र / तहसील मुख्यालय / विद्यालय / ग्राम पंचायत भवन

(ख) प्रशिक्षण के प्रमुख चरण

चरण	विवरण	उत्तरदायी अधिकारी
चरण–1	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण – चेतावनी प्रणाली की समझ	ADM / DDMO
चरण–2	उपकरण आधारित प्रशिक्षण – VHF, Wireless, Satellite Phone का उपयोग	SDRF / Police Radio Officer
चरण–3	संचार अभ्यास – सूचना प्राप्ति से प्रसारण तक मॉक ड्रिल	SDM Concerned
चरण–4	समुदाय स्तर पर चेतावनी सन्देश की पहचान एवं निकासी	ग्राम प्रधान / VDMC

	अभ्यास	
चरण–6	प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना	DDMO / CDO

5. प्रशिक्षण की आवृत्ति ([illegible])

स्तर	प्रशिक्षण आवृत्ति	टिप्पणी
जिला स्तरीय अधिकारी	वर्ष में 2 बार (पूर्व मानसून और शीतकाल से पूर्व)	मुख्यालय में आयोजित
तहसील स्तरीय कर्मचारी	वर्ष में 2 बार	SDM कार्यालय द्वारा
ग्राम स्तर / VDMC	वर्ष में 1 बार	ग्राम पंचायत में मॉक ड्रिल सहित
विद्यालय / समुदाय	वर्ष में 1 बार	स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत

6. प्रशिक्षण विषयवस्तु (Training Modules)

- आपदा चेतावनी प्रणाली का परिचय
- राज्य / जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की भूमिका
- चेतावनी प्राप्त करने एवं प्रसारित करने की विधि
- प्राकृतिक संकेतों की पहचान (जैसे बारिश, भूस्खलन, नदी जलस्तर)
- तकनीकी उपकरणों (VHF, Satellite Phone, SIREN System) का उपयोग
- संचार श्रृंखला में देरी न होने के उपाय
- चेतावनी के बाद जनसमुदाय को प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित करना
- मॉक ड्रिल एवं समीक्षा प्रक्रिया

आपदा एवं त्वरित बाढ़ की स्थिति में सायरन की व्यवस्था का विवरण–

- शारदा नदी की टनकपुर बैराज की डाउनस्ट्रीम में 2 सायरन स्थापित हैं (एक बैराज के नीचे तथा एक सिल्ट इजेक्टर के नीचे) जिन सायरनों से फ्लडवार्निंग एलर्ट के सम्बन्ध में सूचना प्रसारित की जाती है। इसके अतिरिक्त टनकपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर Electric सायरन स्थापित है।

क्र.सं.	सायरन स्थल	संख्या	कार्यवाही
1	एन.एच.पी.सी.	02	उक्त का संचालन एन.एच.पी.सी. द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है।
2	शारदा बैराज बनबसा	01	उक्त का संचालन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है।
3	कोतवाली टनकपुर	01	उक्त सायरन जनपद आपदा प्रबन्धन द्वारा स्थापित किया गया है। जिनका संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है।
4	थाना बनबसा	01	
5	पावर स्टेशन टनकपुर	01	
6	नगर पालिका परिषद टनकपुर	01	
7	नगर पंचायत बनबसा	01	
योग		08	

- जनपद में अन्य आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हेतु स्थापित सायरन का विवरण–

क्र.सं.	सायरन स्थल	संख्या	कार्यवाही
1	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत	01	उक्त सायरन जनपद आपदा प्रबन्धन द्वारा स्थापित किया गया है। जिनका संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है।
2	पुलिस लाईन चम्पावत	01	
3	आई.टी.बी.पी. लोहाघाट	01	
4	एस.एस.बी. चम्पावत।	01	
5	तहसील चम्पावत	01	
6	फायर स्टेशन चम्पावत	01	
7	फायर स्टेशन लोहाघाट	01	
8	नगर पालिका परिषद चम्पावत	01	
9	नगर पालिका परिषद लोहाघाट	01	
10	कोतवाली चम्पावत	01	
11	थाना लोहाघाट	01	
12	तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर)	01	
योग		12	

- उपरोक्तानुसार जनपद अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में कुल 20 सायरन क्रियाशील स्थिति में तथा 03 मरम्मत की स्थिति में है।

स्वचलित मौसम केन्द्र तथा वर्षामापी यंत्रों का विवरण–

क्र.सं.	उपकरण का नाम	स्थान	तहसील	पता
1	SFO (Surface Field Observatory)	चम्पावत	चम्पावत	जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत
2	AWS (Automatic Weather Station)	मंची	चम्पावत	जी.आई.सी. मंची
		देवीधुरा	पाटी	पटवारी चौकी देवीधुरा, ग्राम देवनाल
		पंचेश्वर (रायकोट)	लोहाघाट	लो.नि.वि. गेस्ट हाउस, तहसील लोहाघाट
		पाटी	पाटी	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पाटी
		चम्पावत	चम्पावत	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, चम्पावत
		टनकपुर	पूर्णागिरि (टनकपुर)	तहसील कार्यालय, टनकपुर
3	ARG (Automatic Rain Guage)	पूर्णागिरि	पूर्णागिरि (टनकपुर)	जी.जी.आई.सी. बस्तिया (टनकपुर)
4	ASG (Automatic Snow Gauge) & AWS (Automatic Weather Station)	लोहाघाट	लोहाघाट	विकास खण्ड कार्यालय लोहाघाट

परम्परागत वर्षामापी केन्द्र

1– जिला मुख्यालय 2– पाटी 3– लोहाघाट 4–बनबसा (शारदा बैराज) 5–टनकपुर (एन.एच.पी.सी._ बैराज)

- उपरोक्तानुसार स्थापित कुल 05 मानवचालित वर्षामापी यंत्रों से दैनिक रूप से प्रातः 8:00 बजे वर्षा मापी जाती है।

5.13 जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र का परीक्षण–प्रत्येक तीन माह में DEOC का मॉक टेस्ट एवं सैटेलाइट संचार प्रणाली की जांच की जाएगी। आपातकालीन संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre – EOC) किसी भी आपदा की स्थिति में कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन का मुख्य केंद्र होता है। जनपद चंपावत में स्थापित EOC का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय सूचना संग्रह, विश्लेषण, राहत–संसाधन प्रबंधन एवं त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना है। इसकी कार्यक्षमता बनाए रखने हेतु इसका नियमित परीक्षण (Testing) एवं मूल्यांकन (Evaluation) किया जाना आवश्यक है।

1. उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति में EOC की सभी संचार प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।
- उपकरणों (Wireless, VHF, Computer, Generator, CCTV, Satellite Phone आदि) की कार्यप्रणाली की जांच करना।
- प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और तत्परता का मूल्यांकन।
- डेटा बैकअप, संपर्क सूची (Directory) और संसाधन विवरण का अद्यतन सत्यापन करना।
- आपदा की स्थिति में Incident Command System (ICS) के अंतर्गत त्वरित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जनपद चंपावत में EOC की स्थिति

- स्थान: जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट भवन, चंपावत
- प्रमुख अधिकारी: जिलाधिकारी (Incident Commander)
- संचालन अधिकारी: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO), चंपावत
- संपर्क माध्यम: लैंडलाइन, VHF, ईमेल, मोबाइल, वायरलेस, व्हाट्सएप ग्रुप
- कर्मचारी: Control Room Operator, Data Entry Operator, सहायक कर्मचारी
- कार्य समय: सामान्य स्थिति में 24×7 मॉनिटरिंग / आपदा के समय निरंतर संचालन

3. परीक्षण की आवश्यकता

- पर्वतीय भूगोल के कारण बिजली, नेटवर्क या सड़क मार्ग बाधित हो सकता है।
- तकनीकी उपकरणों की निरंतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करनी होती है।
- EOC में कार्यरत कर्मियों को हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता विकसित करनी होती है।
- समय–समय पर अभ्यास (Mock Drill) के माध्यम से कमजोरियों की पहचान की जा सके।

4. EOC परीक्षण की प्रक्रिया (Testing Procedure)

(क) तैयारी चरण (Pre&Test Stage)

- DDMO चंपावत द्वारा परीक्षण की तिथि निर्धारित की जाती है।
- सभी संबंधित विभागों (पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य, PWD, जल संस्थान, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि) को सूचित किया जाता है।
- Control Room कर्मियों को उपकरण जांच की सूची (Checklist) दी जाती है।

(ख) परीक्षण चरण (Testing Stage)

1. संचार परीक्षण:

- VHF एवं वायरलेस नेटवर्क की जाँच (SDM कार्यालयों से सम्पर्क परीक्षण)।
- मोबाइल एवं लैंडलाइन के माध्यम से सूचना प्रसारण परीक्षण।
- इंटरनेट और ईमेल संचार की कार्यशीलता की पुष्टि।

2. विद्युत एवं बैकअप परीक्षण:

- DG Set (Generator) का संचालन परीक्षण।
- UPS / Solar Backup की क्षमता जाँच।

3. डेटा एवं सॉफ्टवेयर परीक्षण:

- आपदा प्रबंधन सॉफ्टवेयर, Google Sheet/Portal अपडेट चेक।
- सम्पर्क सूची, राहत सामग्री सूची और वाहन सूची का सत्यापन।

4. समन्वय परीक्षण:

- EOC से तहसील, ब्लॉक और पुलिस नियंत्रण कक्ष तक सूचना प्रवाह का मॉक ड्रिल।
- Incident Commander तक सूचना पहुँचने में समय का आकलन।

(ग) परीक्षण उपरान्त मूल्यांकन (Post&Test Evaluation)

- प्रत्येक विभाग से फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
- कमियों एवं सुधार के सुझावों को संकलित कर EOC Performance Report तैयार की जाती है।
- रिपोर्ट जिलाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है।
- सुधार कार्यों की समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है।

5.14 मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु सुरक्षा ढांचे का निरीक्षण–बरसात पूर्व भूस्खलन संभावित स्थलों, पुलों, सड़कों एवं नालों का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। जनपद चंपावत भौगोलिक रूप से पर्वतीय, भूस्खलन–प्रवण एवं वर्षा आधारित नदियों से प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष मानसून, शीतकालीन वर्षा, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण जन–धन की हानि की सम्भावनाएँ बनी रहती है। ऐसी मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु बनाए गए सुरक्षा ढांचे (Protective Infrastructure) — जैसे सड़कें, नालियाँ, पुल, ड्रेनेज, रिटेनिंग वाल, भूस्खलन सुरक्षा दीवारें, जल निकासी तंत्र, राहत शिविर, और चेतावनी उपकरण आदि की नियमित जाँच एवं निरीक्षण आवश्यक है।

1. उद्देश्य

- मौसमी आपदाओं के दौरान जनहानि एवं सम्पत्ति हानि को न्यूनतम करना।
- सुरक्षा ढांचे की स्थिति की समय–समय पर जाँच करना।
- दोषपूर्ण या कमजोर संरचनाओं की मरम्मत हेतु पूर्व–योजना बनाना।
- संवेदनशील स्थानों (भूस्खलन, बाढ़, कटाव, हिमपात क्षेत्र) की सूची तैयार करना।
- सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सतत निगरानी सुनिश्चित करना।

2. जनपद चंपावत में प्रमुख मौसमी आपदाएँ

क्रम	आपदा का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र / तहसील	संभावित प्रभाव
1	अतिवृष्टि / बादल फटना	लोहाघाट, बाराकोट, पूर्णागिरि	भूस्खलन, सड़क क्षति
2	नदी तट कटाव / बाढ़	टनकपुर क्षेत्र (शारदा नदी, कल्याणी नदी)	कृषि भूमि व आवासीय क्षति
3	हिमपात	उच्च हिमालयी क्षेत्र (बाराकोट, लोहाघाट)	सड़क अवरोध व संचार बाधा
4	ओलावृष्टि / तेज हवाएँ	संपूर्ण जनपद	फसल क्षति, बिजली बाधित
5	भूकंप जनित द्वितीयक आपदा	संपूर्ण जनपद	भवन संरचना प्रभावित

3. सुरक्षा ढांचे का प्रकार और जिम्मेदार विभाग

क्रम	सुरक्षा ढांचा / संरचना	उत्तरदायी विभाग	निरीक्षण आवृत्ति
1	तटबंध, नदी सुरक्षा कार्य	सिंचाई विभाग	वर्ष में 2 बार (पूर्व मानसून व पश्चात)
2	भूस्खलन निरोधक दीवारें / क्रेट वॉल	लोक निर्माण विभाग	वर्ष में 2 बार
3	ड्रेनेज एवं जल निकासी प्रणाली	नगर पालिका / ग्राम पंचायत	प्रत्येक 3 माह
4	राहत शिविर भवन / स्कूल भवन	शिक्षा विभाग / राजस्व विभाग	वर्ष में 1 बार
5	विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर	विद्युत विभाग	वर्ष में 2 बार
6	जलापूर्ति एवं पाइपलाइन	जल संस्थान / पेयजल निगम	वर्ष में 2 बार
7	चेतावनी सायरन / संचार उपकरण	DDMO / SDRF	प्रत्येक 6 माह

5. निरीक्षण प्रक्रिया (Inspection Process)

(क) पूर्व निरीक्षण योजना

- DDMO चंपावत द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल व अक्टूबर माह में निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है।
- संबंधित विभागों से संवेदनशील स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है।
- निरीक्षण दल गठित किए जाते हैं जिनमें संबंधित विभागों के अभियंता, राजस्व अधिकारी, और पुलिस प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ख) स्थल निरीक्षण

- प्रत्येक ढांचे की भौतिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
- फोटो, वीडियो एवं GPS लोकेशन के साथ Inspection Report तैयार की जाती है।
- यदि कोई ढांचा क्षतिग्रस्त या कमजोर पाया जाता है तो तत्काल मरम्मत की संस्तुति की जाती है।

(ग) रिपोर्ट एवं अनुवर्ती कार्रवाई

- सभी निरीक्षण रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) में संकलित की जाती हैं।
- DM/CDO के माध्यम से संबंधित विभाग को आवश्यक सुधार कार्य हेतु आदेश दिए जाते हैं।
- कार्य पूर्ण होने पर Compliance Report तैयार कर वह चंपावत को भेजी जाती है।

6. निरीक्षण टीमों का गठन (जनपद चंपावत)

क्रम	टीम का नाम	प्रमुख अधिकारी	सदस्य विभाग
1	तटबंध निरीक्षण टीम	EE, सिंचाई विभाग	राजस्व, SDRF, PWD
2	भूस्खलन निरीक्षण टीम	EE, PWD	वन विभाग, DDMO
3	शहरी सुरक्षा टीम	EO, नगर पालिका	विद्युत, स्वास्थ्य, जल संस्थान
4	ग्राम स्तरीय निरीक्षण टीम	संबंधित SDM / तहसीलदार	ग्राम प्रधान, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
5	शिक्षा भवन निरीक्षण टीम	BEO / खंड शिक्षा अधिकारी	राजस्व, PWD

5.15 त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान–प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, SDRF, और अग्निशमन विभाग से 'Quick Response Team (QRT)' गठित की जाएगी। आपदा की स्थिति में त्वरित राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के संचालन हेतु जनपद चंपावत में त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Teams – QRTs) गठित किए गए हैं। इन दलों का उद्देश्य आपदा की सूचना प्राप्त होते ही स्थल पर तुरंत पहुँचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना है।

(1) त्वरित प्रतिक्रिया दलों के गठन का उद्देश्य-

- आपदा की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन एवं सेवाएं शीघ्र पहुँचाना।
- सूचना, समन्वय एवं नियंत्रण तंत्र को प्रभावी बनाना।
- जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना।

(2) दलों की संरचना (जनपद स्तर पर):

- जिलाधिकारी चंपावत की अध्यक्षता में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों में सम्मिलित हैं—

क्र.सं	दल का नाम	नोडल विभाग / अधिकारी	प्रमुख उत्तरदायित्व
1.	खोज एवं बचाव दल	SDRF / पुलिस / फायर सेवा	फँसे हुए लोगों का रेस्क्यू, घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना
2.	चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार दल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	घायलों को प्राथमिक उपचार एवं अस्पताल तक परिवहन
3.	संचार एवं सूचना दल	सूचना विभाग / BSNL	संचार माध्यमों को सक्रिय रखना, सूचना का प्रसार
4.	पुलिस सुरक्षा दल	पुलिस विभाग	सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी
5.	पेयजल एवं स्वच्छता दल	जल संस्थान / जल निगम	स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, अस्थायी जलापूर्ति
6.	बिजली पुनर्स्थापना दल	विद्युत विभाग	बिजली आपूर्ति बहाल करना, क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत
7.	सड़क एवं परिवहन दल	लोक निर्माण विभाग	सड़कों से मलबा हटाना, आपात परिवहन की व्यवस्था
8.	खाद्य एवं रसद दल	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं राहत सामग्री वितरण
9.	पशुपालन सहायता दल	पशुपालन विभाग-पशुओं की देखभाल	चारे एवं दवा की उपलब्धता
10.	स्वयंसेवी दल / एनजीओ सहायता दल	आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / एनजीओ	राहत शिविरों में सहयोग, जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्य
11.	नगर निकाय दल	नगरपालिका / ग्राम पंचायतें	मलबा हटाना, सफाई एवं कचरा निस्तारण
12.	महिला एवं बाल कल्याण दल	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	राहत शिविरों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष सहायता

(3) त्वरित प्रतिक्रिया दलों का संचालन तंत्र:

- सभी दलों का समन्वय जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), चंपावत द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक दल का नोडल अधिकारी नामित है जो आपदा की सूचना प्राप्त होते ही अपनी टीम को सक्रिय करेगा।
- दलों की संपर्क सूची, दायित्व और संसाधनों की जानकारी कक्ष में संधारित की जाती है।
- सभी दलों को समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण द्वारा तैयार रखा जाता है।

(4) ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर दलों की व्यवस्था:

- तहसील टनकपुर, लोहाघाट, चंपावत और पूर्णागिरी में स्थानीय स्तर पर QRTs गठित हैं।
- प्रत्येक तहसील में राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, आशा कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ सहयोग करती हैं।
- ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा दलों की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है।

(5) संसाधन एवं प्रशिक्षण:

- सभी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को आवश्यक उपकरण जैसे — फर्स्ट एड किट, टॉर्च, रस्सियाँ, ट्रॉली, सायरन, संचार सेट आदि प्रदान किए गए हैं।
- प्रशिक्षण SDRF, NDRF एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
- प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर सेफ्टी, संचार प्रबंधन एवं लॉजिस्टिक समन्वय शामिल है।

5.16 गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों का समन्वय

–रेडक्रॉस, नेहरू युवा केंद्र, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और NSS के साथ पूर्व से समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँगी।

आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी कार्य है, जिसमें सरकारी तंत्र के साथ–साथ गैर सरकारी संगठन (NGOs), स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामुदायिक समूह, निजी क्षेत्र, मीडिया और आम नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जनपद चंपावत में आपदा के समय इन सभी हितधारकों का समन्वय जिला प्रशासन द्वारा स्थापित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) तथा जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) के माध्यम से किया जाता है।

(1) उद्देश्य

- गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी समूहों एवं निजी संस्थानों को आपदा प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना।
- राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- समुदाय स्तर पर जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।

(2) प्रमुख हितधारक (जनपद चंपावत में):

1. गैर सरकारी संगठन (NGOs):

- रेड क्रॉस सोसाइटी, हेल्प इन नीड्स, मानव सेवा समिति, सेवा भारती, और अन्य स्थानीय संस्थाएँ।
- इन संगठनों द्वारा राहत सामग्री वितरण, अस्थायी शिविर स्थापना, खाद्य सामग्री, वस्त्र और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

2. स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं सामाजिक समूह:

- स्काउट गाइड, NSS, नेहरू युवा केंद्र, और कॉलेज/विद्यालय स्तर के युवा समूह।
- आपदा के समय स्वैच्छिक श्रमदान, पीड़ितों की सहायता, और जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी।

3. धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थाएँ:

- मंदिर समितियाँ, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, महाविद्यालय समितियाँ आदि, राहत शिविरों में भोजन, आश्रय और सेवा उपलब्ध कराती हैं।

4. निजी क्षेत्र और व्यापारी वर्ग:

- स्थानीय व्यापारी संगठन, होटल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट यूनियन आपदा के समय आवश्यक संसाधन एवं वाहनों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं।

5. मीडिया एवं संचार हितधारक:

- स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, सोशल मीडिया समूह — चेतावनी, अलर्ट और जनसंपर्क में सक्रिय सहयोग देते हैं।

6. शैक्षणिक संस्थान:

- विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन क्लब बनाए गए हैं जो छात्र–छात्राओं को आपदा जागरूकता में प्रशिक्षित करते हैं।

(3) समन्वय की व्यवस्था:

- जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) सभी हितधारकों से नियमित संपर्क रखता है।
- आपदा की स्थिति में DEOC द्वारा एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यक्षेत्र (sector) आवंटित किए जाते हैं।
- प्रत्येक तहसील में राजस्व उपनिरीक्षक और तहसीलदार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियाँ गठित हैं।
- जिला स्तर पर नोडल अधिकारी (आपदा प्रबंधन अधिकारी, चम्पावत) को एनजीओ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

(4) नियमित बैठकें एवं प्रशिक्षण:

- प्रत्येक छह माह में एनजीओ समन्वय बैठक आयोजित की जाती है जिसमें सभी संगठनों को बुलाया जाता है।
- SDRF, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से संयुक्त प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल कराई जाती हैं।
- ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को चेतावनी प्रसारण, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत सामग्री वितरण में प्रशिक्षित किया जाता है।

(5) आपदा के समय समन्वय कार्यप्रणाली:

- घटना की सूचना मिलने पर DEOC द्वारा संबंधित एनजीओ को तुरंत सक्रिय किया जाता है।
- प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविर, चिकित्सा शिविर, एवं भोजन वितरण का दायित्व बांटा जाता है।
- प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी के अधीन रहता है और सभी एनजीओ उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक संगठन अपनी दैनिक रिपोर्ट DEOC को प्रस्तुत करता है।
- राहत कार्यों की पारदर्शिता के लिए रजिस्टर एवं डिजिटल रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाती है।

(6) आपदा के बाद पुनर्वास में भूमिका:

- पुनर्निर्माण कार्यों में एनजीओ समुदाय को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) और सामाजिक पुनर्वास में भी इनकी भागीदारी रहती है।
- दिव्यांग, वृद्ध, महिला एवं बाल हितधारकों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

5.17 जन हानि प्रबंधन—मृत एवं घायल व्यक्तियों की सूची संकलन, पहचान और परिजनों को सूचना देने हेतु तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित रहेंगे।

आपदा की स्थिति में जनहानि (मानव जीवन की हानि) सबसे गंभीर प्रभावों में से एक होती है।

जनपद चम्पावत में आपदा के दौरान जनहानि को न्यूनतम करने, मृतकों की पहचान, उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने तथा मृतक शरीरों के सम्मानजनक निस्तारण हेतु एक व्यवस्थित जन हानि प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

(1) उद्देश्य–

- आपदा में मृत व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं पंजीकरण।
- शवों का सम्मानपूर्वक निस्तारण।
- लापता व्यक्तियों की खोज एवं परिजनों को सूचना प्रदान करना।
- पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रबंधन।

(2) जन हानि प्रबंधन के लिए दायित्व निर्धारण (जनपद चम्पावत):

क्रमांक	विभाग / अधिकारी	प्रमुख उत्तरदायित्व
1.	जिलाधिकारी, चम्पावत	संपूर्ण जन हानि प्रबंधन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एवं आदेश जारी करना।
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	शवों की पहचान, पोस्टमार्टम, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।
3.	पुलिस विभाग	मृत व्यक्तियों की फोटोग्राफी, पहचान, शवों की सुरक्षा और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करना।
4.	राजस्व विभाग	मृतकों के परिजनों को मुआवजा वितरण, रिपोर्ट तैयार करना और सूची संधारित करना।
5.	नगर पालिका / ग्राम पंचायतें	शव निस्तारण हेतु आवश्यक स्थान, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाएँ करना।
6.	स्वास्थ्य विभाग	संक्रमण नियंत्रण, शवों के लिए सैनिटाइजेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
7.	स्वयंसेवी संगठन / रेड क्रॉस सोसाइटी	सहायता कार्य, शव पहचान में सहयोग और परिजनों को मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना।

(3) जनहानि की स्थिति में कार्यवाही की प्रक्रिया

1. सूचना प्राप्ति–

- आपदा के बाद मृत या लापता व्यक्तियों की सूचना DEOC चम्पावत को प्राप्त होती है।
- संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचकर स्थिति का आकलन करते हैं।

2. शवों की पहचान एवं रिपोर्टिंग–

- प्रत्येक शव का फोटोग्राफ लिया जाता है, अस्थायी टैग लगाया जाता है।
- शवों की पहचान परिवारजन, स्थानीय नागरिक या पंचायत प्रतिनिधि द्वारा कराई जाती है।
- अज्ञात शवों का DNA सैंपल सुरक्षित किया जाता है।

3. पोस्टमार्टम एवं प्रमाण पत्र–

- चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित परिजनों को प्रदान किया जाता है।

4. निस्तारण–

- यदि शव की पहचान हो चुकी है, तो परिजनों को सुपुर्द किया जाता है।
- अज्ञात शवों का दाह संस्कार या दफन स्थानीय प्रशासन की देखरेख में किया जाता है।
- धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है।

5. मुआवजा एवं सहायता:

- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राहत मानकों के अनुसार मृतक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है।

6. संक्रमण रोकथाम उपाय:

- शव निस्तारण के बाद क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाता है।
- स्वास्थ्य दल द्वारा दवाइयों का छिड़काव एवं जल स्रोतों की जांच की जाती है

5.18 राहत भोजन और पानी की व्यवस्था

–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा जल संस्थान द्वारा राहत शिविरों में भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आपदा की स्थिति में प्रभावित जनसंख्या के लिए तत्काल राहत, भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है।

जनपद चंपावत में इस उद्देश्य हेतु एक सुव्यवस्थित राहत आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली विकसित की गई है, जिससे आपदा के समय प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक शीघ्र सहायता पहुँच सके।

(1) उद्देश्य–

- आपदा प्रभावित व्यक्तियों को समय पर भोजन, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- राहत वितरण की पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित करना।
- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान करना।

(2) दायित्व निर्धारण (जनपद चंपावत):

क्रमांक	विभाग/संस्था	प्रमुख उत्तरदायित्व
1.	जिलाधिकारी चंपावत	राहत वितरण कार्यों की संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय।
2.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	राशन सामग्री (चावल, आटा, दाल, नमक, तेल आदि) की उपलब्धता और वितरण।
3.	नगर पालिका/ ग्राम पंचायतें	राहत शिविरों में भोजन पकाने व वितरण की व्यवस्था।
4.	जल संस्थान /जल निगम	स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, टैंकर प्रबंधन और जल गुणवत्ता की जांच।
5.	स्वास्थ्य विभाग	भोजन और पानी की गुणवत्ता की जांच एवं संक्रामक रोग नियंत्रण।
6.	पुलिस/ SDRF	राहत सामग्री की सुरक्षा और वितरण में सहयोग।
7.	एनजीओ/स्वयंसेवी संगठन	भोजन वितरण, राहत सामग्री पैकिंग और वितरण शिविरों में सहायता।

(3) राहत भोजन की व्यवस्था–

1. पूर्व तैयारी–

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा चंपावत, टनकपुर, लोहाघाट एवं पूर्णागिरि तहसील स्तर पर राहत खाद्य भंडार स्थापित किए गए हैं।
- प्रत्येक भंडार में सूखा राशन, ड्राई फूड, बिस्किट, रेडी–टू–ईट भोजन आदि का भंडारण किया जाता है।

2. आपदा के समय क्रियान्वयन:

- प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी "राहत रसोई (Relief Kitchen)" चलाई जाती हैं।
- स्कूल भवन, पंचायत घर या धर्मशालाएँ राहत भोजन केंद्र के रूप में उपयोग की जाती हैं।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोजन तैयार करने में सहयोग करती हैं।

3. विशेष प्रावधान:

- बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए पौष्टिक भोजन जैसे दूध, दलिया, बिस्किट, फल आदि की विशेष व्यवस्था की जाती है।
- भोजन वितरण की सूची DEOC में दर्ज की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

(4) पेयजल की व्यवस्था:

- जल संस्थान / जल निगम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति की जाती है।
- राहत शिविरों में अस्थायी पानी के टैंक (Syntax Tank) लगाए जाते हैं।
- हैंडपंप, ट्यूबवेल और जलस्रोतों की गुणवत्ता की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है।
- क्लोरीन टैबलेट एवं फिल्टर यूनिट राहत टीमों के पास उपलब्ध रखी जाती हैं।
- दुर्गम क्षेत्रों में जल बोतलों का पैकेट वितरण किया जाता है।

(5) राहत सामग्री का भंडारण और परिवहन:

- जनपद स्तर पर राहत सामग्री का मुख्य भंडारण स्थल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), चंपावत में किया है।
- अतिरिक्त भंडार तहसील टनकपुर, लोहाघाट और पूर्णागिरी में बनाए गए हैं।
- आवश्यकतानुसार निजी ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं राज्य परिवहन निगम के वाहनों का उपयोग किया जाता है।
- राहत सामग्री की नियमित जांच और अद्यतन सूची तैयार रखी जाती है।

(6) राहत वितरण की प्रक्रिया:

- सर्वेक्षण: राजस्व विभाग एवं ग्राम स्तर की टीमें प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करती हैं।
- वितरण सूची तैयार करना: सत्यापन के उपरांत राहत सूची तैयार की जाती है।
- वितरण: शिविरों या पंचायत स्तर पर प्रशासन की उपस्थिति में राहत सामग्री वितरित की जाती है।
- रिपोर्टिंग: राहत वितरण की दैनिक रिपोर्ट DEOC को भेजी जाती है।

5.19 आश्रय, सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वच्छता प्रबंधन–अस्थायी राहत शिविरों में शौचालय, पीने का पानी, चिकित्सीय सुविधा और बच्चों व महिलाओं के लिए पृथक व्यवस्था की जाएगी। आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय, चिकित्सकीय सहायता एवं स्वच्छता सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। जनपद चंपावत की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय होने के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूकंप एवं सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाएँ सामान्य हैं। अतः आपदा के समय राहत शिविर, अस्थायी आश्रय, स्वच्छ पेयजल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुव्यवस्थित व्यवस्था आवश्यक है।

1. आश्रय प्रबंधन (Shelter Management)

1.1 उद्देश्य

- प्रभावित परिवारों को तात्कालिक रूप से सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना।
- राहत शिविरों में भोजन, पानी, शौचालय, दवा एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान रखना।

1.2 संभावित आश्रय स्थल

जनपद चंपावत में निम्न स्थानों को अस्थायी राहत शिविर हेतु चिह्नित किया गया है:

क्रम	स्थान का नाम	क्षेत्र	सुविधा उपलब्धता
1.	राजकीय इंटर कॉलेज, चंपावत	चंपावत मुख्यालय	बिजली, पानी, शौचालय
2.	बालिका इंटर कॉलेज, टनकपुर	टनकपुर/मैदानी	चिकित्सा निकट

3.	नगर पंचायत सभागार लोहाघाट	लोहाघाट	रसोई, बिजली
4.	प्राथमिक विद्यालय, बाराकोट	बाराकोट	सीमित स्थान
5.	वन विभाग विश्राम गृह पूर्णागिरि	पूर्णागिरि क्षेत्र	अस्थायी आश्रय

1.3 जिम्मेदार विभाग

- नोडल विभाग: राजस्व विभाग / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
- सहायक विभाग: लोक निर्माण विभाग (PWD), पंचायत राज, नगर निकाय, शिक्षा विभाग, विद्युत एवं जल संस्थान।

1.4 प्रमुख कार्य

- राहत शिविरों का त्वरित संचालन एवं रख–रखाव।
- आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति (टेंट, चादर, पानी, बिस्तर)।
- अस्थायी आवास के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन।
- भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रबंधन (पुलिस विभाग)।

2. सार्वजनिक चिकित्सा प्रबंधन (Public Health Management)

2.1 उद्देश्य

- आपदा के दौरान घायल एवं बीमार व्यक्तियों को शीघ्र उपचार।
- प्राथमिक चिकित्सा शिविर एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना।?
- जलजनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम।

2.2 प्रमुख एजेंसियाँ

- नोडल विभाग: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), चम्पावत
- सहायक एजेंसियाँ: 108 आपात सेवा, रेड क्रॉस सोसायटी, एनजीओ, एनएसएस, तथा स्थानीय स्वास्थ्य उपकेंद्र।

2.3 क्रियान्वयन योजना

- प्रत्येक राहत शिविर में मेडिकल टीम की तैनाती।
- आवश्यक दवाइयों का पूर्व भंडारण जिला अस्पताल व CHC/PHC स्तर पर।
- चिकित्साकर्मियों की त्वरित मोबिलाइजेशन योजना।
- बीमारियों की निगरानी हेतु Disease Surveillance Team" का गठन।
- मृत व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य मानकों के अनुसार निस्तारण की व्यवस्था।

2.4 उपलब्ध संसाधन (जनपद स्तर पर)

संसाधन	संख्या	स्थान
जिला अस्पताल	1	चम्पावत
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)	4	टनकपुर, लोहाघाट, पूर्णागिरि, बाराकोट
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)	9	समस्त विकासखण्ड स्तर पर
एम्बुलेंस(108)	7	सभी ब्लॉक मुख्यालयों में

3. स्वच्छता प्रबंधन (Sanitation Management)

3.1 उद्देश्य

- राहत शिविरों में साफ–सफाई, कचरा निस्तारण एवं शौचालय सुविधा सुनिश्चित करना।
- संक्रमण एवं जलजनित रोगों से बचाव।
- जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना।

3.2 जिम्मेदार विभाग

- नोडल विभाग: जल संस्थान / नगर निकाय / स्वच्छ भारत मिशन इकाई
- सहायक विभाग: स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज, शिक्षा विभाग।

3.3 क्रियान्वयन प्रक्रिया

- अस्थायी शौचालयों की स्थापना (टेंट आधारित)।
- स्वच्छ पेयजल हेतु क्लोरीनेशन / ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग।
- राहत शिविरों में दैनिक सफाई कर्मियों की ड्यूटी तय करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट के पृथक्करण और निस्तारण की व्यवस्था।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान (हैंडवाश, स्वच्छता नियम)।

4. विशेष प्रावधान

- महिलाओं एवं बच्चों हेतु पृथक आश्रय कक्ष।
- दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा एवं सहायता कर्मी।
- प्रत्येक शिविर में शिकायत / सुझाव पंजी।
- मानसून पूर्व "स्वच्छता निरीक्षण अभियान" चलाया जाएगा।

5.20 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

–सायरन, सैटेलाइट फोन, हेल्पलाइन नंबर (1077), पुलिस वायरलेस और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाएगी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System – EWS) आपदा प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य है — आसन्न आपदा की स्थिति में समय रहते सूचना देकर जनहानि, पशुधन हानि तथा संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करना।

जनपद चम्पावत की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं संवेदनशील है, जहाँ भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूकंप, सड़क दुर्घटनाएँ, बादल फटना, जंगल की आग और नदी का जलस्तर बढ़ना जैसी घटनाएँ संभावित रहती हैं। अतः एक सुदृढ़ चेतावनी तंत्र का होना अत्यावश्यक है।

1. उद्देश्य

- समय रहते खतरे की सूचना जनसामान्य तक पहुँचाना।
- चेतावनी संदेशों की सटीकता और शीघ्रता सुनिश्चित करना।
- विभागीय समन्वय एवं सूचना प्रवाह को सुचारु बनाना।
- चेतावनी मिलने पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों की सक्रियता सुनिश्चित करना।

2. चेतावनी प्रणाली की संरचना (Warning System Structure)

2.1 सूचना प्राप्ति एवं प्रसारण श्रृंखला

1. राष्ट्रीय / राज्य स्तर से सूचना प्राप्ति

- भारतीय मौसम विभाग (IMD)
- केंद्रीय जल आयोग (CWC)
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA)

- आपदा संचालन केंद्र, देहरादून।

2. जनपद स्तर पर सूचना प्रसारण:

- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC), चंपावत द्वारा प्राप्त चेतावनी को संबंधित विभागों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों एवं जनता तक प्रसारित किया जाता है।
- सूचना माध्यम: व्हाट्सएप ग्रुप, SMS अलर्ट, वायरलेस, VHF, ईमेल, माइकिंग और स्थानीय रेडियो प्रसारण।

3. स्थानीय स्तर पर प्रसार:

- राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरी (चौकीदार) और स्वयंसेवी संगठन (NGOs) द्वारा जनता को चेतावनी की सूचना पहुँचाई जाती है।

4. चेतावनी के प्रमुख प्रकार (Types of Early Warning Alerts)

क्रम	आपदा का प्रकार	चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी	सूचना का माध्यम
1.	अतिवृष्टि / भारी वर्षा	भारतीय मौसम विभाग (IMD)	SMS, मोबाइल ऐप, DEOC
2.	भूकंप	IMD / NDMA	सायरन, मीडिया, वायरलेस
3.	भूस्खलन	भूगर्भ सर्वे विभाग / PWD	स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट
4.	बाढ़ / नदी जलस्तर	केंद्रीय जल आयोग / Irrigation Dept	जलस्तर मीटर, माइकिंग
5.	जंगल की आग	वन विभाग / FSI अलर्ट	मोबाइल ऐप, वायरलेस
6.	सड़क दुर्घटना / लैंड स्लाइड	पुलिस / PWD	कंट्रोल रूम सूचना
7.	स्वास्थ्य आपदा (महामारी)	स्वास्थ्य विभाग	मीडिया, आंगनबाड़ी सर्वेक्षण

5. प्रमुख संस्थागत जिम्मेदारियाँ

विभाग	मुख्य कार्य
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	समस्त चेतावनी सूचना का संकलन, सत्यापन एवं प्रसारण।
राजस्व विभाग / SDM कार्यालय	स्थानीय स्तर पर सूचना का प्रसार व त्वरित कार्यवाई।
पुलिस एवं अग्निशमन विभाग	सायरन प्रणाली व जन–सूचना का माइकिंग।
जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग	नदी जलस्तर की निरंतर मॉनिटरिंग।
स्वास्थ्य विभाग	महामारी एवं संक्रामक रोग संबंधी चेतावनी।
वन विभाग	जंगल की आग की निगरानी व सूचना प्रसार।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारण।

6. जनसामान्य को चेतावनी देने के माध्यम

- मोबाइल आधारित सूचना प्रणाली: कंट्रोल रूम द्वारा SMS एवं WhatsApp ग्रुप (DDMA Officials, Revenue Staff, Police, Media) के माध्यम से अलर्ट प्रसारित किए जाते हैं।
- सायरन प्रणाली: चयनित संवेदनशील गाँवों व टनकपुर बैराज क्षेत्र में सायरन अलर्ट प्रणाली लागू की जाती है।
- माइकिंग एवं लोक उद्घोषणा: ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा के दौरान लाउडस्पीकर द्वारा सूचना प्रसारित।
- मीडिया एवं रेडियो: AIR अल्मोड़ा, FM चैनल्स, केबल टीवी के माध्यम से चेतावनी सूचना।

- स्थानीय सूचना केंद्र स्थान, ग्राम सभा भवन, पंचायत घर में सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं।

7. चेतावनी के बाद की कार्रवाई

- संबंधित विभागों द्वारा अपने 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)' के अनुसार तत्काल तैयारी।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRTs) की सक्रियता।
- राहत शिविरों की तैयारी और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में निकासी कार्य।
- स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा नियंत्रण और सहायता कार्य प्रारंभ करना।

8. प्रणाली का परीक्षण एवं प्रशिक्षण

- जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बार 'चेतावनी प्रणाली परीक्षण (Mock Test)' किया जाएगा।
- सभी विभागों को चेतावनी सूचना के अभ्यास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ग्राम स्तर पर 'आपदा जागरूकता शिविर' आयोजित कर जनता को चेतावनी संकेतों का अर्थ समझाया जाएगा।

आकाशीय बिजली से खुद को रखें सुरक्षित-

भूकंप आने पर बचाव हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की द्वारा बनाये गये "BhuDev" एप का विवरण:-

- 15–30 सेकेंड पहले आपको मिल जाएगा भूकंप का एलर्ट।"
- यह एप एंड्रायड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है।
- प्ले स्टोर और एप स्टोर में "BhuDev" सर्च कर अपने फोन में इंस्टॉल करें।
- Welcome स्क्रीन में Get Started पर क्लिक करें।
- अपना फोन नम्बर इंटर करें।
- नियम और शर्तों से सहमत पर क्लिक करें।
- अपने परिवार के सदस्य या परिचित का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नम्बर डालें।
- अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

आमजन की मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये "Sachet App" & Portal–

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट के लिए राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और मोबाइल एप "Sachet" लांच किया गया। इस पोर्टल व एप के माध्यम से आमजन की मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र के दौरान यह राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और सचेत मोबाइल एप (**Sachet app**) लांच किया गया. यह पोर्टल आपदा रिम प्रसार से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।

5.21 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी– प्रत्येक राहत केंद्र में व्हीलचेयर, रैंप और सहायता कर्मियों की व्यवस्था रखी जाएगी।

पूर्व तैयारी (Pre&Disaster Preparedness)

क्र.	कार्य / गतिविधि	जिम्मेदार एजेंसी / अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	प्रत्येक ग्राम पंचायत / वार्ड में विकलांग व्यक्तियों की सूची तैयार कर अद्यतन रखना	समाज कल्याण विभाग, ग्राम प्रधान	सूची DEOC में भी रखी जाए
2	राहत शिविरों में रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय की व्यवस्था	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), PWD, नगर निकाय	निर्माण मानकों के अनुसार
3	प्रशिक्षित स्वयंसेवक (आपदा मित्र / NYK / NSS) को विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित करना	NYK / DDMA	सूची DEOC में उपलब्ध रहे
4	विद्यालयों, कार्यालयों और अस्पतालों में रैंप व व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना	शिक्षा विभाग, CMO, PWD	भवनों का निरीक्षण समय-समय पर
5	विकलांग व्यक्तियों को आपदा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना (SMS, घोषणाएं, रेडियो, ग्राम वार्ता)	सूचना विभाग, राजस्व विभाग	दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित हेतु वैकल्पिक संचार

4. निकासी प्रक्रिया (Evacuation Procedure)

1. प्राथमिक पहचान
   - ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) द्वारा पहले से तैयार सूची के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
   - निकासी टीम को इन स्थानों की जानकारी पहले से होगी।
2. सहायक टीम की नियुक्ति

- प्रत्येक ग्राम में 2–3 स्वयंसेवक विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित किए जाएंगे।
- SDRF / पुलिस / स्थानीय युवा मिलकर सहायता करेंगे।

3. सुरक्षित मार्ग और वाहन
   - व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन, स्ट्रेचर और अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी।
   - पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी, रस्सी सहायता या अस्थायी स्ट्रेचर का उपयोग किया जाएगा।
4. राहत शिविरों में विशेष व्यवस्था
   - प्रवेश द्वार पर रैंप, फर्श पर नॉन–स्लिप मैट, प्रकाश व्यवस्था, और अलग शौचालय सुविधा।
   - दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य संकेतक (Audio Alert)।
   - श्रवणबाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य चेतावनी संकेत (Flash Signal)।

5.22 अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–बिन्दु संख्या–5.10

5.23 संचार तंत्र

(दूरसंचार सेवाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया)

- BSNL नेटवर्क, VHF वायरलेस और NIC ईमेल नेटवर्क का प्रयोग।
- "चंपावत जिला प्रशासन" का आधिकारिक X (Twitter) और WhatsApp समूह द्वारा त्वरित सूचना प्रसारण।
- AIR और स्थानीय रेडियो के माध्यम से जनता को सतर्क किया जाएगा।

अध्याय– 06 प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

(Training and Capacity Development)

क्षमता विकास में आपदा प्रबन्धन के सभी विषयों को शामिल किया गया है। जिसमें मुख्यतः सभी स्तरों पर जन–जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, मॉक अभ्यास एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय अधिकारियों / कर्मचारियों का क्षमता विकास एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का संकलन किया गया है।

6.1 परीक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण

जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड राज्य का एक पर्वतीय जनपद है, जो भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध, भूकम्प तथा वनाग्नि जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर परीक्षण (Testing) एवं क्षमता निर्माण (Capacity Building) कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है।

जनपद में आपदा प्रबंधन प्रणाली को व्यवहारिक एवं सक्रिय बनाए रखने हेतु नियमित परीक्षण एवं अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत–

- जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर मॉक ड्रिल (Mock Drill) कराई जाती है।
- इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC) की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है।
- विभागों के बीच संचार, संसाधन आवंटन और समन्वय की क्षमता का आकलन किया जाता है।
- विभिन्न प्रकार की आपदाओं – भूकम्प, भूस्खलन, आग, बाढ़ आदि – के लिए अलग–अलग परिदृश्यों पर अभ्यास किया जाता है।
- परीक्षण के परिणामों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ताकि भविष्य में प्रतिक्रिया और बेहतर हो सके।

➤ परीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of Testing Programmes) –जनपद चम्पावत में परीक्षण कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

6.1.1 सरकारी अधिकारियों का परीक्षण एवं क्षमता निर्माण–

- आपदा की स्थिति में विभागीय समन्वय एवं नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के अनुसार प्रत्येक विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी का अभ्यास कराना।
- प्रमुख अधिकारियों, पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, विद्युत, राजस्व और शिक्षा विभागों की तैयारी का परीक्षण करना।
- आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) की कार्यप्रणाली और संचार प्रणाली का मूल्यांकन करना।

6.1.2 सामुदायिक स्तर पर परीक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षित निकासी अभ्यास आयोजित करना।
- स्थानीय युवाओं, महिला समूहों, स्वयंसेवकों और एनएसएस/एनसीसी इकाइयों को शामिल करना।
- आपदा के प्रति जन–जागरूकता अभियान, पोस्टर, नाटक, वीडियो, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम एवं सामाजिक मीडिया माध्यमों से समुदाय को प्रशिक्षित करना।
- समुदायों को 'पहला प्रत्युत्तरदाता (First Responder)' के रूप में सक्षम बनाना।

➢ परिणाम एवं प्रभाव– इन प्रशिक्षण एवं अभियान कार्यक्रमों के माध्यम से चंपावत जनपद में–
- प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है,
- विभागों के बीच समन्वय मजबूत हुआ है,
- और समुदायों में आपदा के प्रति सजगता व आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम– Annexure-11

6.2– प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर–

क्र० सं०	विषय	विवरण	प्रस्तावित समय	विभाग
		भूकंप जन–जागरूकता कार्यक्रम		
1	भूकम्प पूर्व तैयारी ब्रोशर का वितरण	जनपद में जोन V एवं IV के अंतर्गत आने वाली तहसीलों के राजकीय उच्चतर विद्यालयों, राजकीय कार्यालयों, पंचायत भवन	जनवरी से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2	भूकंप के प्रभाव विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन	जनपद में जोन V एवं IV के अंतर्गत आने वाली तहसीलें	सितम्बर से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से स्थानीय एनजीओ
3	भूकंप के प्रभाव विषय पर साइकिल रैली	जनपद एवं तहसील मुख्यालय	सितम्बर से दिसम्बर माह के मध्य	खेल/पर्यटन विभाग
4	अभ्यास एवं प्रभाव प्रदर्शन	विद्यालय, सरकारी भवन आदि	दिसम्बर माह	एस०डी०आर०एफ०/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
5	दीवार लेखन/बैनर के माध्यम से सुरक्षा निर्देश	जिले में स्थित माध्यमिक विद्यालय, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के दीवारों पर	जनवरी से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
		अग्नि आपदा आधारित समुदाय के जन–जागरूकता कार्यक्रम		
1	अग्नि आपदा तैयारी ब्रोशर का वितरण	जिले में स्थित माध्यमिक विद्यालय, पंचायत भवन	जनवरी माह से अप्रैल माह के बीच	वन विभाग, अग्निशमन तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
2	पोस्टर/विज्ञापन वितरण	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		
3	प्रभाव संबंधी जानकारी	जनपद मुख्यालय स्थित जीआईसी/इंटर कॉलेज एवं तहसील स्थित पंचायत भवन		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं वन विभाग कार्यालय
4	अभ्यास एवं प्रभाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं मुख्य चिकित्सा कार्यालय
		[illegible] आपदा हेतु समुदाय के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम		
	अभ्यास एवं प्रभाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय	जनवरी माह से अप्रैल माह के बीच	सिंचाई विभाग/SDRF/NDRF/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

8.2.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building)

संस्थागत क्षमता निर्माण का उद्देश्य जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों और आपदा प्रबंधन संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है ताकि वे आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही कर सकें।

8.2.1.1 अधिकारियों / नीति निर्धारकों का प्रशिक्षण (Officials / Policy Makers)

- जिला अधिकारी, विभागीय प्रमुख और नीति निर्माता नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- प्रशिक्षण का फोकस आपदा प्रबंधन नीतियों, आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं और समन्वय प्रक्रिया पर होगा।
- कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से Disaster Risk Reduction (DRR) रणनीतियों को अपनाने का प्रशिक्षण।

8.2.2 इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और अन्य पेशेवर (Engineers, Architects, Masons, Doctors, Nurses, Teachers and Other Professionals)

- भवन और अवसंरचना परियोजनाओं में भूकम्परोधी और सुरक्षित निर्माण तकनीकें लागू करने का प्रशिक्षण।
- स्वास्थ्य पेशेवरों को आपदा के दौरान आपातकालीन चिकित्सा और प्राथमिक उपचार में विशेषज्ञता।
- शिक्षकों को स्कूलों में आपदा जागरूकता और मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित करना।

8.2.3 पुलिस, अग्निशमन सेवा और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (Police, Fire Services, SDRF)

- खोज एवं बचाव (Search and Rescue) तकनीक, आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, प्राथमिक चिकित्सा और जनसम्पर्क संचालन।
- नियमित मॉक ड्रिल और सामुदायिक आपदा प्रबंधन अभ्यास।
- उपकरण और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण।

8.2.2 सामुदायिक क्षमता निर्माण एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (Community Capacity Building and Community Based Disaster Management)

सामुदायिक क्षमता निर्माण और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की आपदा निवारण, तैयारी और प्रतिक्रिया की क्षमता को सुदृढ़ करना है। जिला चम्पावत की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशीलता को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन तक पहुँचने में समय लग सकता है। ऐसे में समुदाय की स्व–प्रबंधन और प्राथमिक प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए निर्णायक होती है।

i. सामुदायिक क्षमता निर्माण के उद्देश्य– सामुदायिक क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय लोग आपदा की चेतावनी, प्राथमिक बचाव और राहत प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अंतर्गत शामिल है–

- आपदा जोखिम की पहचान और स्थानीय निगरानी– स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र में संभावित प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं की पहचान करना सिखाना। Landslide, Flood, Fire, Road Accident जैसी घटनाओं के लिए समुदाय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- प्राथमिक बचाव और राहत प्रशिक्षण– आपदा के समय प्राथमिक उपचार (First Aid), खोज एवं बचाव (Search – Rescue) और सुरक्षित निकासी (Evacuation) के लिए प्रशिक्षण। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन को सुरक्षित निकासी मार्ग और प्राथमिक बचाव तकनीक सिखाना।
- स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों का गठन– हर गांव या मोहल्ले में Village Disaster Management Committee का गठन। समिति के सदस्यों को आपदा जोखिम मूल्यांकन, योजना तैयार करने और प्राथमिक प्रतिक्रिया कार्यों में प्रशिक्षित करना।
- सामुदायिक जागरूकता अभियान IEC Activities- पोस्टर, पम्फलेट, सामुदायिक बैठकों और रेडियो / लोकल मीडिया के माध्यम से आपदा जागरूकता। मानसूनी मौसम, सर्दियों और जंगल आग के मौसम से पहले विशेष जागरूकता अभियान।

- संकट सूचना नेटवर्क– ग्रामीण स्तर पर आपदा चेतावनी के लिए संचार चैनल, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल अलर्ट, ढोल पत्र / पब्लिक नोटिस। आपदा के समय तत्काल सूचना साझा करना और स्थानीय बचाव कार्यों का समन्वय।

2. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM) के घटक– CBDM का उद्देश्य समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे आपदा की स्थिति में प्रभावी निर्णय ले सकें। इसके प्रमुख घटक हैं–
   - सामुदायिक आपदा योजना (Community Disaster Plan)– प्रत्येक गांव या मोहल्ले में आपदा प्रतिक्रिया योजना। प्राथमिक बचाव, सुरक्षित स्थान और राहत केंद्रों की पहचान।
   - सामुदायिक स्वयंसेवी नेटवर्क (Volunteer Network)– आपदा के समय खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और राहत वितरण में स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी। Civil Defence / Volunteers का प्रशिक्षण।
   - संसाधन और उपकरण उपलब्धता– सामुदायिक स्तर पर आवश्यक बचाव उपकरण, दवा, फ़र्स्ट-एड किट और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री का संग्रह। ग्रामीण स्कूलों, पंचायत भवनों या सामुदायिक केंद्रों में सुरक्षित भंडारण।
   - प्रशिक्षण और अभ्यास (Mock Drills)– नियमित मॉक ड्रिल और अभ्यास, ताकि समुदाय आपदा के समय अपने रोल को समझे और सही तरीके से कार्य कर सकें।
   - महिला और संवेदनशील समूहों का सशक्तिकरण– महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन को आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित करना। इन समूहों के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग, शरण स्थल और प्राथमिक सहायता केंद्र सुनिश्चित करना।

3. जिला चम्पावत में उपयोग का महत्व–
   - जिले की पर्वतीय भूगोल और कठिन सड़कों के कारण सरकारी टीमों का तुरंत पहुँच पाना मुश्किल हो सकता है।
   - समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राथमिक प्रतिक्रिया और बचाव समय में तेजी आती है।
   - सामुदायिक क्षमता निर्माण से स्थानीय लोगों में जागरूकता, आत्म-निर्भरता और जोखिम कम करने की संस्कृति विकसित होती है।

4. मुख्य रणनीतियाँ–
   - सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और मॉक ड्रिल्स।
   - ग्रामीण पंचायत और विद्यालय स्तर पर आपदा जागरूकता अभियान।
   - संवेदनशील समूहों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय।
   - स्थानीय स्वयंसेवकों के लिए Disaster Volunteer Network।
   - समुदाय आधारित आपदा योजना (Village Disaster Plan) का निरंतर अपडेट और अभ्यास।

6.2.3 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers – ToT)

Training of Trainers (ToT) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी संबंधित सेवा कर्मियों और अधिकारियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम प्रशिक्षक उपलब्ध हों। यह कार्यक्रम दिव्यांग–अनुकूल प्रशिक्षण (Disability Inclusive Training) पर केंद्रित है, ताकि सभी नागरिक, विशेष रूप से दिव्यांगजन, आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास में शामिल हो सकें। जिला चम्पावत में यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय और दूरदराज क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

1. उद्देश्य (Objectives)–
   - जिले के प्रशिक्षकों को Disaster Risk Reduction और Community Based Disaster Management प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम बनाना।
   - प्रशिक्षण मॉड्यूल को दिव्यांग–अनुकूल (Disability-Inclusive) बनाना ताकि विशेष जरूरत वाले समूह भी लाभान्वित हो सकें।
   - प्रशिक्षकों के माध्यम से विभिन्न विभागों, समुदायों और स्वयंसेवी समूहों में सतत प्रशिक्षण और जागरूकता सुनिश्चित करना।

2. लक्षित प्रतिभागी (**Target Participants**)
    - जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी
    - स्वास्थ्य पेशेवर (डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ)
    - इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री
    - पुलिस, अग्निशमन और SDRF State Disaster Response Team
    - शिक्षक और सामुदायिक स्वयंसेवक
3. प्रशिक्षण की विशेषताएँ (**Key Features of ToT**)
    - **विकलांग–अनुकूल प्रशिक्षण (Disability-Inclusive Training)**– दृश्य, श्रवण और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामग्री और अभ्यास। प्रशिक्षण सत्रों में सहायक तकनीकें, सांकेतिक भाषा और विशेष उपकरण शामिल।
    - **सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण (Theory and Practical)**– आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाएँ, आपदा चक्र, तैयारी और प्रतिक्रिया। खोज–बचाव (Search & Rescue), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid), आपातकालीन निकासी (Evacuation) अभ्यास।
    - **सामुदायिक और स्कूल आधारित अभ्यास**–प्रशिक्षकों को Community Drill और School Safety Programme आयोजित करने का प्रशिक्षण। मॉक ड्रिल, चेतावनी प्रणाली उपयोग और संवेदनशील समूहों के लिए रणनीतियाँ।
    - **संसाधनों और उपकरणों का प्रशिक्षण**–आपदा प्रतिक्रिया उपकरण, बचाव किट, जल और खाद्य प्रबंधन साधन। IEC (Information, Education –Communication) और लोक जागरूकता उपकरण।
4. लाभ (**Benefit**)
    - प्रशिक्षित प्रशिक्षक जिले के विभिन्न विभागों और समुदायों में निरंतर प्रशिक्षण देने में सक्षम होंगे।
    - विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।
    - समुदाय की स्व–प्रबंधन क्षमता और प्राथमिक प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा।
    - जिले में सतत क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास सुनिश्चित होगा।

6.2.3.1 नागरिक सुरक्षा / स्वयंसेवक (Civil Defence / Volunteers)

नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवक नेटवर्क जिला चम्पावत में आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह दल स्थानीय समुदाय को आपदा के समय सक्रिय भूमिका निभाने और आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाती है। स्वयंसेवक और Civil Defence personnel का उद्देश्य केवल आपदा के समय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, जागरूकता और समुदाय की सशक्तिकरण प्रक्रिया में भी योगदान देना है।

1. उद्देश्य (**Objectives**)–
- समुदाय में सतत जागरूकता और आपदा तैयारी को बढ़ावा देना।
- आपदा के समय प्राथमिक बचाव, खोज–बचाव और राहत वितरण में सक्रिय भूमिका निभाना।
- जिला प्रशासन और SDRF के साथ मिलकर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।
- संवेदनशील और विशेष जरूरत वाले समूहों (महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग) के लिए सहायता सुनिश्चित करना।

2. लक्षित स्वयंसेवक (**Target Volunteers**)
- ग्राम स्तर के स्थानीय स्वयंसेवक और नागरिक।
- स्कूल और कॉलेज छात्रों के स्वयंसेवक।
- महिलाएँ और युवाओं के समूह।
- सामाजिक संगठन और NGO से जुड़े सदस्य।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम (**Training Programmes**)

स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित घटकों पर केंद्रित होते हैं:

- प्राथमिक बचाव और चिकित्सा (**First Aid & Basic Rescue**)–घायलों की प्राथमिक चिकित्सा। आपातकालीन निकासी और सुरक्षित शरण स्थल तक पहुंच।
- आपदा जागरूकता (**Disaster Awareness**)-विभिन्न आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, जंगल आग, सड़क दुर्घटनाओं और भूकम्प के खतरे। चेतावनी प्रणाली और Early Warning Systems का उपयोग।
- सामुदायिक प्रतिक्रिया और राहत वितरण (**Community Response & Relief Distribution**)–राहत सामग्री का वितरण। सुरक्षित स्थानों पर शरणार्थियों का मार्गदर्शन। भोजन, जल और प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रबंधन।
- संचार और समन्वय (**Communication & Coordination**)–ग्राम स्तर पर आपदा सूचना का साझा करना। DDMA और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखना।
- विशेष समूहों के लिए प्रशिक्षण (**Special Needs Training**)–दिव्यांगजन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सुरक्षित निकासी। महिलाएं और संवेदनशील समूह के लिए प्राथमिक सहायता।

4. संगठनात्मक ढांचा (**Organizational Structure**)

- जिला स्तर: DDMA के अंतर्गत कोआर्डिनेशन समिति एवं नोडल अधिकारी।
- ब्लॉक / ग्राम स्तर: Block/ Village Volunteer Teams।
- विशेष जिम्मेदारी: प्रत्येक टीम में Team Leader और विशेष भूमिका वाले सदस्य।
- संपर्क प्रणाली: मोबाइल, रेडियो और अलर्ट सिस्टम के माध्यम से त्वरित सूचना।

5. गतिविधियाँ और जिम्मेदारियाँ (**Activities and Responsibilities**)

गतिविधि	जिम्मेदारी	समय / परिस्थिति
प्रारम्भिक चेतावनी साझा करना	स्वयंसेवक	आपदा के समय
खोज–बचाव और प्राथमिक चिकित्सा	प्रशिक्षित स्वयंसेवक	आपदा के दौरान
राहत सामग्री वितरण	स्वयंसेवक और ब्लॉक अधिकारी	आपदा के बाद
मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण	स्वयंसेवक / DDMA	नियमित / त्रैमासिक
आपदा जागरूकता अभियान	स्वयंसेवक	वर्षभर / विशेष मौसम के अनुसार

6.3 आपदा प्रबंधन शिक्षा (Disaster Management Education)

आपदा प्रबंधन शिक्षा का उद्देश्य बच्चों, युवाओं और पेशेवरों को आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और जोखिम न्यूनीकरण के लिए सक्षम बनाना है। जिला चम्पावत में इसे दो मुख्य स्तरों पर लागू किया जाता है – स्कूल और कॉलेज।

6.3.1 स्कूल (Schools)–

- सामुदायिक जागरूकता– बच्चों को आपदा के प्रकार, चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- मॉक ड्रिल– प्रत्येक स्कूल में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना ताकि बच्चे आपदा के समय सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें।
- सुरक्षित निकासी मार्ग और शरण स्थल– बच्चों को सुरक्षित निकासी मार्ग और नजदीकी शरण स्थलों की जानकारी देना।
- आपदा जागरूकता कार्यक्रम– खेल, पोस्टर, नाटक और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों में आपदा जागरूकता बढ़ाना।

6.3.2 कॉलेज (Colleges – Medical/ Engineering)

- पेशेवर प्रशिक्षण– मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना।
- प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क– छात्र वास्तविक आपदा परिदृश्यों में अभ्यास और परियोजना कार्य करें।
- विशेषीकृत कौशल–
  - ✓ मेडिकल कॉलेज– आपातकालीन चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, रोग नियंत्रण।
  - ✓ इंजीनियरिंग कॉलेज– संरचनात्मक सुरक्षा, भूस्खलन और बाढ़ समाधान तकनीकें।
- आपदा जागरूकता अभियान में भागीदारी– स्थानीय समुदाय में Awareness Campaign और Training Programs में सहयोग।

6.4 कौशल उन्नयन और फॉलो–अप प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill Upgradation and Follow&up Training Programmes)

- पहले से प्रशिक्षित अधिकारियों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों के लिए नियमित फॉलो–अप प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रम।
- नवीनतम उपकरणों और तकनीकों के उपयोग पर प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण के प्रभाव और दक्षता का मूल्यांकन।
- समुदाय और संस्थागत स्तर पर सतत क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

1. लक्षित समूह (टारगेट ग्रुप्स)
   - जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी
   - इंजीनियर, आर्किटेक्ट और तकनीकी पेशेवर
   - डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर
   - पुलिस, अग्निशमन, SDRF और अन्य आपदा प्रतिक्रिया टीम
   - सामुदायिक स्वयंसेवक और नागरिक सुरक्षा दल

2. प्रशिक्षण संरचना (**Training Structure**)

- सैद्धांतिक उन्नयन (Theory Upgradation)–
  - ✓ आपदा प्रबंधन के नवीनतम नियम, नीतियाँ और प्रोटोकॉल।
  - ✓ जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और सामुदायिक आपदा प्रबंधन (CBDM) की आधुनिक रणनीतियाँ।
- व्यावहारिक कौशल (Practical Skills)–
  - ✓ खोज–बचाव (Search & Rescue), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) और सुरक्षित निकासी (Evacuation) का अभ्यास।
  - ✓ उपकरण और तकनीकी साधनों का प्रशिक्षण, जैसे – GPS, GIS, Early Warning Systems।
- फॉलो–अप अभ्यास (Follow–up Drills)–
  - ✓ पूर्व प्रशिक्षण में सीखे गए उपायों का नियमित अभ्यास।
  - ✓ मॉक ड्रिल और आपदा सिमुलेशन।
  - ✓ प्रशिक्षण के प्रभाव और सुधार बिंदुओं का मूल्यांकन।
- सामुदायिक और संवेदनशील समूहों के लिए प्रशिक्षण–
  - ✓ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
  - ✓ स्थानीय स्वयंसेवकों और ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र।

6.5 प्रशिक्षित पेशेवरों का सूचीकरण (Inventory of Trained Professionals)

- जिले में प्रशिक्षित सभी पेशेवरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा–
  - इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री, मेडिकल पेशेवर, खोज–बचाव विशेषज्ञ।
  - विवरणों में नाम, विभाग, प्रशिक्षण की अवधि, विशेषज्ञता और उपलब्धता शामिल होगी।

6.6 विभिन्न संवेदनशील समूहों के लिए क्षेत्रीय डेटा दस्तावेजीकरण (Data Documentation with Sectoral Emphasis for Various Vulnerable Groups)

- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग और अन्य संवेदनशील समूहों का समग्र डेटा संग्रह।
- डेटा का उपयोग आपदा योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और राहत कार्यों में किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी विशेष जरूरत वाले समूहों को आपदा के समय उचित सहायता मिले।
- डेटा दस्तावेजीकरण में जोखिम-मूल्यांकन, आपदा प्रतिक्रिया क्षमता, निकासी-मार्ग और सहायता आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।

अध्याय–07 प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय

(Response and Relief Measures)

राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य– राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों का उद्देश्य आपदा प्रभावित जन समुदायों को योजनाबद्ध कार्यवाही द्वारा तत्काल एवं तत्पर राहत पहुंचाने एवं समय सीमा में बचाव कार्य कर जानमाल की क्षति को कम करना है ।

- आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के जीवन, संपत्ति और आजीविका की सुरक्षा करना।
- राहत एवं बचाव कार्यों के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर कार्यों में विलंब न होने देना।
- प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षित आश्रय, भोजन, पानी और संचार व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराना।
- जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करना।
- आपदा के बाद शीघ्र पुनर्वास एवं सामान्य स्थिति की बहाली करना।

7.1 प्रतिक्रिया योजना, बहु–आपदा प्रबंधन तैयारी और त्वरित मूल्यांकन– जनपद चंपावत के लिए बहु–आपदा प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय करते हुए सभी विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही की जाएगी।

7.1.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन–

- तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात राजस्व दल प्रारंभिक क्षति का आकलन करेंगे।
- स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, विद्युत, पेयजल, शिक्षा आदि विभाग अपने–अपने क्षेत्र की क्षति रिपोर्ट देंगे।
- प्रारंभिक रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर जिला आपात संचालन केंद्र (DEOC) को प्रेषित की जाएगी।

7.1.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट–

घटना की सूचना → तहसील स्तर → जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र → जिलाधिकारी → राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र।

इसके अनुसार सभी विभागों की तैनाती एवं कार्ययोजना सक्रिय की जाएगी।

7.1.3 चेतावनी और सतर्कता–

- मौसम विभाग, CWC, IMD, SDRF व पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त पूर्व चेतावनी को तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।
- ग्राम स्तर तक सूचना प्रसारण हेतु पंचायत सचिव, आशा, आंगनबाड़ी व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

7.1.4 जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक–

- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समूह तत्काल बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा।
- सभी विभाग अपने संसाधन और दल तैयार रखेंगे।

7.1.5 आपातकालीन संचालन केंद्र का सक्रियकरण–

- आपदा की स्थिति में DEOC 24×7 सक्रिय रहेगा।
- सूचना संग्रह, विश्लेषण, राहत सामग्री वितरण एवं समन्वय यहीं से किया जाएगा।

7.1.6 संसाधनों का संचालन–

- JCB, ट्रैक्टर, एंबुलेंस, वाटर टैंकर, क्रेन, बोट आदि संसाधनों को संबंधित विभागों से संचालित किया जाएगा।
- चंपावत, टनकपुर, लोहाघाट व पूरनपुर क्षेत्र पर तैनात उपकरण त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहेंगे।

7.1.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना–

- SDRF, NDRF, सेना, ITBP, SSB एवं रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं से आवश्यकता पड़ने पर सहायता ली जाएगी।

7.1.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल–

- स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा परामर्श शिविर लगाए जाएंगे।
- मनोवैज्ञानिक सहायता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7.1.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट–

- प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र से 48 घंटे के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट DEOC में प्राप्त होगी।
- इसके आधार पर राहत कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी।

7.1.10 मीडिया प्रबंधन एवं सूचना प्रसार–

- जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रवक्ता ही आधिकारिक सूचना जारी करेगा।
- सोशल मीडिया व प्रेस के माध्यम से सही सूचना प्रसारित की जाएगी ताकि अफवाहें न फैलें।

7.1.11 SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का विकास–

- प्रत्येक विभाग को आपदा प्रबंधन हेतु अपनी SOP तैयार रखनी होगी।
- SOP के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7.1.12 रिपोर्टिंग–

- सभी विभाग प्रतिदिन अपने कार्यों की स्थिति रिपोर्ट जिला आपात संचालन केंद्र को देंगे।
- संकलित रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

आपदाओं के स्तर–जनपद चंपावत के अनुसार

जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं पूर्व में घटित आपदाओं के दृष्टिगत भूस्खलन, बादल फटना, भूकम्प, हिमस्खलन, शीतलहरी, त्वरित बाढ़, सूखा, आँधी, तूफान एवं वनाग्नि आपदाओं की सम्भावना बनी रहती है। आपदा प्रबन्धन के विभिन्न स्तर पर इसकी योजना के मद्देनजर आपदाग्रस्त क्षेत्र एवं स्थिति से निपटने के लिये उच्च स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति की आख्या 2001 के अनुसार आपदाओं को तीन भागों क्रमशः L1, L2 एवं L3 में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य अवधि में L0 का उपयोग किया जाना चाहिए।

विभिन्न स्तरों के आपदाओं का स्तर एवं उत्तरदायी टीम–

क्र.सं.	आपदा की स्थिति (स्तर)	जिम्मेदार टीम
1	**स्तर L1 आपदा स्थिति** घटित आपदा का वह स्तर जिसमें जनपद में उपलब्ध संसाधनों/क्षमता से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन किया जाना सम्भव हो। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर सहायता हेतु तैयार रहेगा।	घटना प्रबंधन से सम्बन्धित विभाग तथा स्थानीय दल
2	**स्तर L2 आपदा स्थिति** यह आपदा की स्थिति का प्रतीक है जिसमें जनपद में अन्य जनपदों एवं राज्य स्तर से सहायता की आवश्यकता होती है। जिसमें राज्य स्तर अतिरिक्त संसाधनों एवं राज्य स्तरीय एजेन्सियों की तैनाती की जाती है एवं राज्य सरकार केन्द्रीय संसाधनों एवं एजेन्सियों को आवश्यक पड़ने हेतु सतर्क किया जाता है।	तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम
3	**स्तर L3 आपदा स्थिति** यह बहुत बड़े स्तर की आपदा की स्थिति है जिसका प्रभावी रूप से जनपद एवं राज्य स्तर के संसाधनों से प्रबन्धन किया जाना सम्भव नहीं होता है।	जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम

स्तर–1 स्थानीय स्तर की आपदा (Local Level Disaster)

ऐसी आपदा जो सीमित क्षेत्र (ग्राम या वार्ड स्तर) तक ही सीमित रहती है और जिसका निवारण स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय संसाधनों से किया जा सकता है।

उदाहरण–

- किसी गाँव में मकान का ध्वस्त होना
- छोटे स्तर का भूस्खलन
- सीमित दायरे में आग लगना
- बिजली या पानी की अस्थायी बाधा

जिम्मेदारी–

- ग्राम प्रधान / ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)
- तहसील प्रशासन / नायब तहसीलदार
- स्थानीय पुलिस व स्वास्थ्य उपकेंद्र

कार्यवाही–

- त्वरित राहत सामग्री वितरण
- प्राथमिक उपचार
- सूचना DEOC (जिला आपात संचालन केंद्र) को भेजना

स्तर–2 उप–जिला/तहसील स्तर की आपदा (Sub Divisional Level Disaster)

ऐसी आपदा जो तहसील या ब्लॉक स्तर तक प्रभाव डालती है और स्थानीय संसाधनों से निपटना कठिन हो जाता है।

उदाहरण–

- भारी भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध होना (जैसे टनकपुर/लोहाघाट मार्ग)

- बादल फटना या अतिवृष्टि से जनहानि
- स्थानीय नदी (जैसे लोहावती या शारदा) में बाढ़ की स्थिति

जिम्मेदारी–

- उपजिलाधिकारी (SDM) की निगरानी में राहत एवं बचाव कार्य
- तहसील आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस, SDRF की सहायता

कार्यवाही–

- प्रभावित लोगों को अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित करना
- सड़क एवं संचार व्यवस्था बहाल करना
- क्षति आकलन रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजना

स्तर–3 जिला स्तर की आपदा (District Level Disaster)

ऐसी आपदा जो जनपद के एक से अधिक विकासखण्डों को प्रभावित करती है और जिसके लिए समग्र जिला प्रशासन की सक्रियता आवश्यक होती है।

उदाहरण–

- पूरे चंपावत जिले में मूसलाधार वर्षा से सड़क व बिजली बाधित होना
- बड़ी जनहानि या संपत्ति हानि वाली घटना
- प्रमुख बाजार या नगर (टनकपुर, लोहाघाट, चंपावत) में बाढ़ या आग की स्थिति

जिम्मेदारी–

- जिलाधिकारी (Incident Commander)
- जिला आपदा प्रबंधन समिति (DDMC)
- सभी विभागीय नोडल अधिकारी

कार्यवाही–

- EOC को पूर्णतः सक्रिय करना
- SDRF / NDRF से सहायता प्राप्त करना
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को सूचना देना
- राहत शिविर एवं वितरण केंद्र स्थापित करना

स्तर–4 राज्य / राष्ट्रीय स्तर की आपदा (State / National Level Disaster)

जब आपदा इतनी व्यापक हो कि जनपद के सभी संसाधन अपर्याप्त हो जाएं और राज्य या केंद्र सरकार की सहायता आवश्यक हो।

उदाहरण–

- भीषण भूकंप या बड़े पैमाने पर भूस्खलन (जैसे टनकपुर/पिथौरागढ़ राजमार्ग का कटना)
- विनाशकारी बाढ़, महामारी, या बादल फटने की व्यापक घटनाएं
- बड़ी जनहानि एवं विस्थापन

जिम्मेदारी–

- राज्य सरकार, SDRF, NDRF, सेना, ITBP, SSB आदि का सहयोग
- जिलाधिकारी एवं राज्य आपदा प्रबंधन सचिव के संयुक्त निर्देशन में कार्यवाही

कार्यवाही–

- उच्च स्तरीय राहत एवं बचाव अभियान
- हवाई सहायता एवं राज्य आपात केंद्र की सक्रियता
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की दीर्घकालिक योजना

जनपद चम्पावत के सन्दर्भ में विशेष टिप्पणी–

- पर्वतीय भू–भाग के कारण यहाँ भूस्खलन और सड़क अवरोध सबसे सामान्य आपदाएँ हैं।
- टनकपुर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित तथा लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं।
- जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष मॉनसून सीजन से पूर्व "High-Risk Zone Mapping" कर ली जाती है।
- प्रत्येक स्तर पर स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, NCC, NYK, रेडक्रॉस एवं SDRF की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
- तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित राहत कार्य शुरू किए जाएंगे।
- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी।
- मौके पर ही प्राथमिक सहायता, बचाव कार्य एवं राहत वितरण किया जाएगा।

7.2 जिम्मेदारी मैट्रिक्स का विकास

7.2.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स

क्र.सं.	विभाग	जिम्मेदारी
1	राजस्व विभाग	राहत समन्वय एवं क्षति आकलन
2	पुलिस विभाग	सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, बचाव सहायता
3	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक उपचार, टीकाकरण एवं दवा आपूर्ति
4	विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति बहाली
5	जल संस्थान/जल निगम	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था
6	आपूर्ति विभाग	आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता
7	कृषि विभाग	फसल क्षति का मूल्यांकन
8	सिंचाई विभाग	बांध व जलाशयों की निगरानी

7.2.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहाँ पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती

- भूकंप, भूस्खलन, भवन ढहना, सड़क दुर्घटना आदि की स्थिति में QRT तत्काल सक्रिय होगा।
- स्थानीय पुलिस और SDRF प्राथमिक बचाव करेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग और फायर सेवा मौके पर पहुँचकर राहत प्रदान करेंगे।

आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व

- ➢ **पूर्व चेतावनी मिलने पर किए जाने वाले कार्य**
  - उच्च जोखिम क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना।
  - स्कूल, सामुदायिक भवन एवं पंचायत घरों को अस्थायी राहत शिविर बनाना।
  - आवश्यक सामग्री का भंडारण एवं वाहन तैयार रखना।
- ➢ **आपदा प्रतिवेदन कार्य का सक्रियकरण–**
  - सूचना प्राप्त होते ही DEOC सक्रिय किया जाएगा।
  - विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- ➢ **राहत एवं प्रतिवेदन के कार्य**
  - घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजना, मृतकों के परिजनों को सहायता देना।
  - राहत सामग्री वितरण और जनसंख्या पुनर्वास।
- ➢ **मानव बचाव कार्य**
  - SDRF, पुलिस, फायर सर्विस एवं स्थानीय स्वयंसेवक संयुक्त रूप से बचाव कार्य करेंगे।
  - महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ➢ **प्रारंभिक आकलन**
  - क्षति, जनहानि और संपत्ति हानि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
- ➢ **राहत वितरण**
  - पीड़ितों को भोजन, वस्त्र, दवाइयां, तंबू और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी।
- ➢ **अनुश्रवण (Monitoring)**
  - राहत कार्यों की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
  - नियंत्रण कक्ष से सभी टीमों की रिपोर्ट ली जाएगी।
- ➢ **प्रतिवेदन निष्क्रियकरण (Deactivation)**
  - स्थिति सामान्य होने पर राहत दलों को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाया जाएगा।
  - EOC की गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य कार्यप्रणाली में लौटेंगी।
- ➢ **पुनर्निर्माण कार्य**
  - क्षतिग्रस्त भवन, सड़क, जलापूर्ति और अन्य ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
  - आजीविका पुनर्स्थापन हेतु विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

अध्याय–08 आपदा पुनर्निर्माण एवं पुर्नस्थापना उपाय

(RECONSTRUCTION, REHABILITATION AND RECOVERY MEASURES)

परिचय – बिल्डिंग बैक बेटर (BBB) एक रणनीति है जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के दृष्टिगत समुदायों के लोगों के लिए जोखिम को कम करना है। बीबीबी (BBB) दृष्टिकोण आपदा जोखिम में कमी के उपायों को बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और आजीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पुनरुद्धार में एकीकृत करता है।

पुनर्निर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण– आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यों को सम्बन्धित विभागों (तालिका 8.1) द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- जनहानि क्षति आंकलन
- पशुधन क्षति आंकलन
- सामुदायिक अवस्थापना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- अवरुद्ध आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- मकान एवं अन्य सम्पत्तियों का क्षति आंकलन
- स्वास्थ्य सेवाओं एवं सहायता सामग्रियों का आंकलन
- पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- आपदा प्रभावितों की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- संवेदनशील वर्गों (दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

राहत और पुनर्वास (Relief and Recovery)

आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण राहत और पुनर्वास है। इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों और समुदायों को त्वरित सहायता, आवश्यक संसाधन और दीर्घकालिक पुनर्वास उपलब्ध कराना है। जिला चम्पावत में इस प्रक्रिया का संचालन डीडीएमए और जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जाता है।

8.1 सामान्य नीतिगत दिशानिर्देश (General Policy Guidelines)

1. प्राथमिकता निर्धारण (**Prioritization**):
    - सबसे पहले प्रभावित लोगों की जीवन रक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा।
    - गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य, जल, आश्रय और चिकित्सा सहायता।
    - बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत, जल आपूर्ति और परिवहन को पहले बहाल करना।
    - दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए स्थायी आवास और अवसंरचना पुनर्निर्माण।
2. नीतिगत दिशा–निर्देश:
    - आपदा के तुरंत बाद आपातकालीन राहत गतिविधियाँ।
    - प्रभावित समुदायों के लिए सुरक्षित और समावेशी पुनर्वास योजना।
    - संवेदनशील समूहों (बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग) को प्राथमिकता।
    - राहत और पुनर्वास गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही।

8.2 राहत और पुनर्वास समन्वय (Relief and Recovery Coordination – Role of DDMA)

1. मुख्य समन्वयकर्ता:
    - जिला कलेक्टर (DC) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)।
    - प्रभावित क्षेत्र में सभी सरकारी, अर्ध–सरकारी और NGO एजेंसियों के कामकाज का समन्वय।
2. **DDMA की जिम्मेदारियाँ:**
    - प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और प्राथमिक राहत का आयोजन।
    - यह तय करना कि कौन सी एजेंसी कहां और किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।
    - राहत वितरण, आवास, चिकित्सा सहायता, भोजन और जल आपूर्ति का समन्वय।
    - प्रभावित लोगों के लिए सूचना और संचार प्रणाली का संचालन।
3. समन्वय प्रक्रिया:
    - आपदा के तुरंत बाद District Collector द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करना।
    - संबंधित विभागों और NGO/स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता के लिए निर्देश जारी करना।
    - नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकें।
    - आपदा राहत और पुनर्वास गतिविधियों का फीडबैक और सुधार।

8.3 विस्तृत क्षति और हानि मूल्यांकन (Detailed Damage and Loss Assessment)

1. उद्देश्य: प्रभावित क्षेत्र की संपूर्ण क्षति और हानि का आकलन करना।
2. मूल्यांकन श्रेणियाँ:
    - मानव जीवन: मृत्यु और घायल होने वाले लोगों की संख्या।
    - आवास और संरचना: घर, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक भवनों का नुकसान।
    - अवसंरचना: सड़कें, पुल, विद्युत और जल आपूर्ति।

- कृषि और जीविकोपार्जनः फसलें, पशुधन और लघु व्यवसाय।
- पर्यावरणीय हानिः जंगल, भूमि और जल स्रोत।

3. प्रक्रियाः
   - जिला प्रशासन और विभागीय टीमों द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक सर्वेक्षण।
   - GIS और ड्रोन तकनीकों का उपयोग कर भौगोलिक हानि मूल्यांकन।
   - Damage Assessment Reports (DAR) तैयार करना।
   - रिपोर्ट के आधार पर राहत और पुनर्वास योजना को प्राथमिकता देना।

क्षति आंकलन प्रक्रिया– क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आंकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराया सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियो में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जायेगी तथा इन कार्यों को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्राविधान किया जायेगा।

क्षति आंकलन प्रारूप– आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं है तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.4 पुनर्स्थापन (Restoration)

आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र में सामान्य जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना पुनर्स्थापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। जिला चम्पावत में यह कार्य DDMA और जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जाता है।

8.4.1 बुनियादी अवसंरचना का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructure)

1. सड़क और परिवहन–
   - आपदा प्रभावित सड़कें, पुल और पैदल मार्ग तुरंत बहाल करना।
   - ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करना।
2. विद्युत और जल आपूर्ति–
   - विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर की मरम्मत।
   - जल आपूर्ति प्रणाली का संचालन, जल स्रोतों और टैंकों की सफाई।
3. सार्वजनिक भवन और स्कूल–
   - प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण।
   - मॉक ड्रिल के लिए सुरक्षा मानकों के अनुसार संरचनात्मक सुधार।
4. संचार नेटवर्क–
   - मोबाइल टावर, इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों को बहाल करना।
   - आपदा चेतावनी प्रणाली और सूचना संचार का संचालन।

8.4.2 आवश्यक सेवाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Essential Services as per Relief Code)

1. स्वास्थ्य सेवाएँ–
    - प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल सेवाओं को तत्काल बहाल करना।
    - आपातकालीन चिकित्सा टीम और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ तैनात करना।
2. शिक्षा–
    - स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण पुनः आरंभ करना।
    - आपदा प्रभावित छात्रों के लिए अस्थायी कक्षाएं और शैक्षणिक सामग्री।
3. खाद्य और जल–
    - प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित भोजन और पीने का जल।
    - राहत वितरण केंद्र और सामुदायिक किचन का संचालन।
4. सुरक्षा और पुलिसिंग–
    - Law and order बनाए रखना।
    - सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए पुलिस तैनाती।

यह सभी सेवाएँ राज्य/जिला राहत कोड के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में बहाल की जाती है।

8.4.3 आजीविका और रोजगार का पुनर्स्थापन (Restoration of Livelihoods)

1. कृषि–
    - प्रभावित खेतों में फसल बीज और कृषि उपकरण वितरण।
    - पशुपालन और मछली पालन के लिए सहायता।
2. लघु व्यवसाय और उद्योग–
    - छोटे व्यवसायियों और Self-Help Groups को आर्थिक सहायता।
    - आपदा प्रभावित दुकानों और उद्योग इकाइयों का पुनर्निर्माण।
3. स्थानीय रोजगार कार्यक्रम–
    - सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र और पुनर्वास परियोजनाओं में स्थानीय मजदूरी।
    - सामुदायिक पुनर्वास गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन।
4. महिला और संवेदनशील समूह–
    - महिला स्वयंसेवक और दिव्यांगजन के लिए विशेष आर्थिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
    - आजीविका पुनर्स्थापन योजनाओं में समावेशी भागीदारी।

8.5 पुनर्निर्माण / मरम्मत (Reconstruction / Repair)

आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र में स्थायी पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य जीवन, शिक्षा और आजीविका की बहाली के लिए महत्वपूर्ण है। जिला चम्पावत में यह प्रक्रिया DDMA और जिला प्रशासन के निर्देशन में की जाती है और इसमें समुदाय की भागीदारी को सर्वप्राथमिकता दी जाती है।

8.5.1 जीवन रेखा भवन / सामाजिक अवसंरचना का पुनर्निर्माण (Lifeline Buildings / Social Infrastructure)

1. अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र:
   - आपदा से प्रभावित अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण।
   - आपातकालीन चिकित्सा और जीवन रेखा सेवाओं के लिए संरचनात्मक मजबूती।
2. स्कूल और शिक्षा संस्थान:
   - प्रभावित स्कूल और कॉलेज भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण।
   - आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तकनीक का प्रयोग।
3. पंचायत भवन और सामुदायिक केंद्र:
   - स्थानीय प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भवनों का पुनर्निर्माण।
   - मॉक ड्रिल और आपदा प्रशिक्षण के लिए संरचनात्मक सुधार।

8.5.2 क्षतिग्रस्त भवनों का मरम्मत / पुनर्निर्माण (Damaged Buildings)

1. आवासीय भवन:
   - प्रभावित परिवारों के घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण।
   - संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भवन कोड का पालन।
2. व्यावसायिक भवन:
   - दुकानों, कार्यालयों और लघु उद्योग इकाइयों का पुनर्निर्माण।
   - आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए स्थानीय पुनर्निर्माण।
3. सुरक्षा मानक और निगरानी:
   - निर्माण कार्य में भूकम्प–प्रतिरोधी और बाढ़–प्रतिरोधी तकनीकें।
   - नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण।

8.5.3 पुनर्वास में मालिक संचालित दृष्टिकोण (Promote Owner Driven Approach in Recovery)

1. मालिक संचालित पुनर्निर्माण (**Owner Driven Approach**):
   - प्रभावित परिवारों को अपने घर और भवनों के पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका देना।
   - परिवारों के निर्णय और प्राथमिकताओं के अनुसार सामग्री और निर्माण तकनीक का चयन।
2. लाभ:
   - प्रभावित लोगों में स्वामित्व और जवाबदेही बढ़ती है।
   - पुनर्निर्माण की गति तेज होती है और समुदाय की संतुष्टि अधिक होती है।
   - स्थानीय मजदूरी और संसाधनों का प्रभावी उपयोग।
3. समर्थन:
   - जिला प्रशासन और NGOs तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
   - स्थानीय निर्माण टीम और स्वयंसेवक मार्गदर्शन में सहयोग।

8.6 पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Recovery Program)

आपदा के बाद प्रभावित समुदायों की सुरक्षा, आजीविका और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जिला चम्पावत में यह कार्यक्रम DDMA और जिला प्रशासन के नेतृत्व में लागू होगा है और इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का समावेश होता है।

8.6.1 अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Short&term Recovery Program)

1. उद्देश्य– प्रभावित परिवारों की आपदा के तुरंत बाद आजीविका सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता।
2. मुख्य उपाय:
   - आजीविका सुरक्षा (**Livelihood Security**):
     - ✓ आपदा प्रभावित किसानों, पशुपालकों और स्थानीय व्यापारियों के लिए तत्काल सहायता।
     - ✓ अस्थायी रोजगार और मजदूरी के अवसर।
   - ऋण और आर्थिक सहायता (**Loans and Financial Aid**):
     - ✓ छोटे कर्ज, सब्सिडी और आपदा राहत अनुदान।
     - ✓ Self-Help Groups और लघु व्यवसायियों के लिए विशेष सहायता।
   - सामाजिक सहायता (**Assistance / Aid / Grants**):
     - ✓ भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सामग्री।
     - ✓ अस्थायी आवास और सामुदायिक केंद्रों का संचालन।
   - समयसीमा:
     - ✓ प्रभावित लोगों को पहले 1-6 महीनों में राहत और आजीविका उपाय सुनिश्चित करना।

8.6.2 दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Long-term Recovery Program)

1. उद्देश्य: प्रभावित समुदायों के लिए सतत और आत्मनिर्भर आजीविका, संरचनात्मक सुरक्षा और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना।
2. मुख्य उपाय:
   - सतत आजीविका (**Sustainable Livelihood**):
     - ✓ कृषि और पशुपालन के लिए सुधारित तकनीक और प्रशिक्षण।
     - ✓ स्थानीय उद्योग, कुटीर और लघु व्यवसायों का पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता।
     - ✓ महिला और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
   - सामुदायिक पुनर्वास और अवसंरचना:
     - ✓ स्थायी आवास, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण।
     - ✓ बुनियादी सेवाओं (जल, विद्युत, सड़कों) का दीर्घकालिक सुधार।
   - सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व:
     - ✓ Owner Driven Approach के तहत समुदाय के निर्णय और भागीदारी।
     - ✓ स्थानीय स्वयंसेवक और संस्थाओं की भागीदारी।
   - पर्यावरण और जोखिम न्यूनीकरण:
     - ✓ आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तकनीक और पर्यावरण संरक्षण।
     - ✓ Flood, Landslide, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी।
   - समयसीमा:
     - ✓ दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम 6 महीनों से 3 साल तक लागू किया जा सकता है।

अध्याय–09 डीडीएमपी के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन (Financial Resources for Implementation of DDMP)

9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ–

भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं:

1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशानिर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशानिर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा "गंभीर" मानी जाती हैं।

3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इन फंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (mitigation) और पुनर्स्थापन (restoration) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा खतरों से प्रभावित हैं।

9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

1. जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष

- धारा 48 के तहत जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह कोष जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा।

- इस कोष का संचालन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2. जिला आपदा शमन कोष

- धारा 48 के तहत जिला स्तर पर आपदा शमन (mitigation) कोष की स्थापना की जाएगी।

9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ

- धारा 40 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अपने आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार करनी होंगी।
- प्रत्येक विभाग को वित्तीय प्रावधानों का अनुमान लगाकर उन्हें अपने वार्षिक बजट और पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करना होगा।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से परामर्श कर शमन परियोजनाओं (mitigation projects) के लिए उपयुक्त वित्त पोषण एजेंसियों की पहचान करनी होगी।

9.4 तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था

सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।

- इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे:
- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिम बीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होम लोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

9.5 अन्य वित्तीय विकल्प

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुनर्स्थापन कार्यों में किया जाएगा।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की सम्भावनाएँ तलाशी जाएँगी।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)

- <u>गृह अनुग्रह अहैतुक</u> **<u>(Ex-gratia)</u>**

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की निजी परिसम्पत्ति (जन हानि, पशु हानि, भवन क्षति एवं कृषि व भूमि) के संबंध में सम्बन्धित तहसील के आंकलनानुसार अनुमन्य सहायता राशि का वितरण संबंधित तहसीलदार के स्तर से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भवन में रखे खाद्यान्न सामग्री व कपड़ों हेतु तात्कालिक राहत सहित शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों में अलाव एवं जरूरतमंदों को कम्बल व वस्त्र आदि वितरण किया जाता है।

[illegible]

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible] (NDRF)	[illegible] (SDRF)	
1	[illegible]	4,00,000			[illegible]
2	[illegible]	2,50,000			[illegible]
3	[illegible]	74,000.00			
4	[illegible]	16,000.00			
5	[illegible]	5,400.00			
6	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]			
9	[illegible]	[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]			[illegible]
11	[illegible]	[illegible]			
12	[illegible]	[illegible]			[illegible]
13	[illegible]	[illegible]			[illegible]
14	[illegible]	[illegible]			
15	[illegible]	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]
17	[illegible]	[illegible]			[illegible]
18	[illegible]	[illegible]			[illegible]
19	[illegible]	[illegible]			
20	[illegible]	[illegible]			
21	[illegible]	[illegible]			[illegible]
22	[illegible]	[illegible]			[illegible]
23	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]			

➢ **परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction)**

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न विभागों की परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–33-7/2021-NDM-1 दिनांक–14 अगस्त 2024 के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के नये मानक निर्धारित किये गये है। उक्त नवीन मानकों के अनुसार एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. की रिकवरी व पुनर्निर्माण सहायता हेतु विभिन्न विभागों की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों यथा पुल, सड़क, तटबन्ध, पेयजल टैंक, पाईप लाईन, सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन तथा उपकरण एवं मशीनरी सहित

निजी परिसम्पत्तियों अन्तर्गत भवन क्षति हेतु 30 से 70 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत से अधिक के लिये पृथक–पृथक मानक निर्धारित किय गये है।

उपर्युक्तानुसार दिनांक–14.08.2024 के उपरान्त प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों एवं निजी परिसम्पत्ति (भवन क्षति) का गृह मंत्रालय भारत सरकार के राज्य आपदा मोचन निधि के (Recovery and Reconstruction) अन्तर्गत नवीन मानकानुसार प्रतिशत में आंकलन व सत्यापन किये जाने हेतु परगनावार तथा जनपद स्तर पर निम्नवत् समितियों का गठन किया गया है–

परगना स्तर हेतु समिति–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत) – अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लो.नि.वि. (प्रा.ख./नि.ख.) – सदस्य।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड – सदस्य।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, कार्यदायी संस्था – सदस्य।

उक्त समिति परगना स्तर पर विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति के सम्बन्ध में क्षति का स्थलीय निरीक्षण कर जियो कॉर्डिनेट फोटो सहित औचित्यपूर्ण आख्या के साथ संयुक्त रिपोर्ट प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के प्रस्ताव सहित जनपद स्तरीय समिति को संस्तुति के साथ प्रस्तुत करेगी।

जनपद स्तर हेतु समिति–

1. अपर जिलाधिकारी। – अध्यक्ष।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रा.ख. लो.नि.वि., चम्पावत। – सदस्य।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड – सदस्य।
4. अधिशासी अभियन्ता, कार्यदायी संस्था – सदस्य।

जनपद स्तरीय समिति विभागीय सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति के सम्बन्ध में तहसील स्तरीय समिति की आख्या का परीक्षण कर स्वीकृति के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की निकासी और पुनर्निर्माण निधि से सहायता के लिए मदें और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	घटक	कुल क्षति (70% से अधिक) (लाख में)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति) (लाख में)
आवास (खंड संख्या)	मैदानी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	1.80	0.93
	पहाड़ी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	2.00	1.00
शिक्षा (खंड संख्या)	प्राथमिक स्कूल	15.00	7.50
	माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25.00	12.50
स्वास्थ्य (खंड संख्या)	उपकेंद्र (मैदानी क्षेत्र)	18.40	9.20
	उपकेंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	15.81	7.91
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	41.98	20.99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	49.45	24.72
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	158.12	79.06
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	185.72	92.86

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदें और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	(पहाड़ी क्षेत्र)		
सामुदायिक भवन (इकाई संख्या)	आंगनवाड़ी	6.00	3.00
	ग्राम पंचायत/सामुदायिक भवन	10.00	5.00
सड़क एवं परिवहन (इकाई प्रति किमी॰)	i) प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) (हल्की/ गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	64.00	32.00
	(पहाड़ी क्षेत्र)	187.75	93.75
	ii) अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) (हल्की/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	53.5	26.75
	(पहाड़ी क्षेत्र)	159.99	80.00
	iii) गाँव की सड़कें (हल्की/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	मैदानी क्षेत्र	36.75	18.25
	पहाड़ी क्षेत्र	133.75	67.00

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड

सेक्टर और इकाई	आइटम	पूर्ण क्षति (70% से अधिक) (लाख में)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति) (लाख में)
	(v) अन्य मदें		
	पुल (प्रति संख्या)	3500	1750
	तटबंध (प्रति कि.मी.)	100	50
	बॉक्स कल्वर्ट (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	10	
	ह्यूम पाइप (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	2.5	
पेयजल (इकाई प्रति इकाई)	जल शोधन	0.5	0.25
	ओवरहेड टैंक	15	7.5
	उपकरण और मशीनरी	1	0.5
	इन्टेक पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
	वितरण पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
स्वच्छता (एक यूनिट प्रति इकाई)	विकेंद्रीकृत एसटीपी (5000 लोगों तक)	7	3.5
	विकेंद्रीकृत एसटीपी (5000 से अधिक लोग)	33	16.5
	सीवर लाइन (प्रति मीटर)	0.01	0.01

[illegible] के तहत सहायता के लिए मदें और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	[illegible]	पूर्ण क्षति (70% से अधिक क्षेत्र में)	गंभीर क्षति (30 – 70% क्षति क्षेत्र में)
	[illegible]	3	1.5
[illegible] मत्स्य पालन इकाइयाँ - प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 1 हेक्टेयर)	[illegible] (मैदानी क्षेत्र/ शहरी क्षेत्र)	1.75	0.875
	(मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
[illegible] इकाइयाँ (संख्या)	[illegible]	2.5	1.25
[illegible] इकाइयाँ- (संख्या)	[illegible]	0.25	

1) [illegible]

[illegible] अधिक नहीं होना चाहिए।

1) [illegible]

2) [illegible] के 30% तक [illegible] होगी।

3) [illegible] होगी।

4) [illegible] चाहिए।

5) [illegible] होगी।

➢ क्षमता विकास (Capacity Building)

आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों की क्षमताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व आवश्यक कार्य तथा राहत बचाव उपकरणों का क्रय किया जाना।

1. पंद्रहवें वित्त आयोग (15-FC) ने आपदा प्रबंधन अनुदान की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ–साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण संस्थागत, कार्यात्मक और तकनीकी घटकों का समर्थन करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण (P-CB) उप–खिड़की के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (SDRMF) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (NDRMF) का 10% आवंटित किया है।

तैयारी और क्षमता निर्माण उपाय–

1. आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदाओं की रोकथाम या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है। आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (M) के अनुसार तैयारी के दृष्टिगत किसी आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्परता की स्थिति के लिये.

2. इसके अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (B) के अनुसार क्षमता निर्माण में शामिल है–

- मौजूदा संसाधनों और अर्जित या निर्मित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान।
- उपरोक्त उप–खण्ड के अंतर्गत पहचाने गए संसाधनों का अधिग्रहण या सृजन करना।
- आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्मिकों का संगठन एवं प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वय।

9.7 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF)

आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन तथा जन–धन हानि की रोकथाम की दृष्टि से तात्कालिक रूप से कराये जाने अपरिहार्य हों, आपदा से सम्बन्धित ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 48 के अन्तर्गत "राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि" का गठन किये जाने एवं इस निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों एवं धनराशि व्यय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–284(1)/XVIII-(2)/19-12(07)/2018 दिनांक 08 मार्च, 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1296/XVIII-B-1/22-12(7)/2018 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा सम्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

9.8 15–जिलाधिकारी (NON SDRF)

ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) द्वारा निर्धारित मानकों में नहीं आते है एवं आपदा के दौरान तत्काल जन सुविधा बहाल किये जाने हेतु अपरिहार्य एवं आवश्यक हो तथा उक्त कार्य हेतु अन्य विभागीय बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य कराया जाना संभव न हो तथा प्रस्तावित कार्य सामान्य प्रकृति के नहीं हों एवं विभागीय मदों से नहीं कराया जा सकते हों का उल्लेख शासनादेश में किया गया है।

सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1244/XVIII-B-1/2024-12(03)/2023 दिनांक–18.12.2024 के क्रम में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF), 15–जिलाधिकारी (NON SDRF) हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण (राज्य सेक्टर) एवं 11–आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का

परीक्षण कर स्वीकृति किये जाने हेतु जनपद अन्तर्गत मूल्यांकन समिति एवं जिला कार्यकारिणी समिति का निम्नवत् गठित किया गया है–

1. उक्त मद अन्तर्गत जनपद को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु निम्न मूल्यांकन समिति गठित की जाती है। जो प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन कर प्रस्ताव संस्तुति सहित जिला कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।

1.	अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी.एम.ए., चम्पावत	– अध्यक्ष।
2.	प्रभारी अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत	–सदस्य/सचिव
3.	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., चम्पावत	– सदस्य।
4.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	– सदस्य।
5.	जिस विभाग का प्रस्ताव हो, उस विभाग का जनपद स्तर पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी	– सदस्य।
6.	वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत	– सदस्य।
7.	भू–वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चम्पावत	– सदस्य।

2. मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति किये जाने हेतु जिला कार्यकारिणी समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है–

1.	जिलाधिकारी, चम्पावत	–अध्यक्ष।
2.	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	–सदस्य।
3.	अपर जिलाधिकारी, चम्पावत /प्रभारी अधिकारी, आपदा	–सदस्य।
4.	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., चम्पावत	–सदस्य।
5.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	–सदस्य।
6.	वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत	–सदस्य।
7.	जिस विभाग का प्रस्ताव हो, उस विभाग का जनपद स्तर पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी	–सदस्य।
8.	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, चम्पावत	–सदस्य।
9.	भू–वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चम्पावत	–सदस्य।

उपरोक्तानुसार गठित मूल्यांकन समिति द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि, 15–जिलाधिकारी हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण (राज्य सेक्टर) एवं 11–आपदा न्यूनीकरण निधि (राज्य सेक्टर) अन्तर्गत जनपद हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त होने प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन कर सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित जिला कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। जिसके उपरान्त जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा मूल्यांकन समिति के संस्तुत प्राप्त प्रस्तावों की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा मूल्यांकन समिति की आहूत बैठक में समिति के समक्ष कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्वयं उपस्थित होकर शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में औचित्य एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित विभागों को धनराशि आवंटित की जायेगी–

1. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं अन्य मदों में स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद में ही व्यय की जायेगी।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग की दरों/विशिष्टियों के अनुरूप कार्यों को सम्पादित कराते हुये समय से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं, वह स्थल की आवश्यकतानुसार सही है तथा स्थल की आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये।

4. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/कार्यालयाध्यक्ष का होगा।
5. राज्य आपदा मोचन निधि मद अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में नवनिर्माण कार्यों में नहीं किया जायेगा।
6. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं अन्य मदों हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के सम्बन्ध में जाँच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित निर्माण इकाई के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जायेगी।
7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई के अधिकारी, जिनके नाम पर धनराशि स्वीकृत की गई है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृत कार्य, स्वीकृत लागत में पूर्ण किये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा, कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्य प्रारम्भ करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक से संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य संगत नियमों, समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के बाद क्षतिग्रस्त कार्य योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यों की फोटो ली जायेगी।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त तीनों स्थिति की फोटोग्राफ्स मय Co-ordinates (कोर्डिनेट्स) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
11. स्वीकृत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख एवं पंजिकाएं आदि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कार्यालय में सुरक्षित किए जायेंगे तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड अथवा अन्य विभागीय लेखादल के द्वारा लेखा परीक्षण हेतु मांगे जाने पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ऑडिट भी अपने स्तर से करवाया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी, स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे समर्पित किया जायेगा।
13. उक्त मदों में प्रस्तावित कार्य अपरिहार्य व तात्कालिक प्रकृति के होने के कारण जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मानसून आदि के पूर्व किये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है। अतः जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप प्रस्तावित कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाना होता है। लापरवाही की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।
14. उक्त मदों में स्वीकृत समस्त कार्यों को 45 दिन के अंदर पूर्ण करते हुए कार्य समाप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा कार्य की सत्यता, कार्य निर्धारित मानकानुसार होने एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण होने का प्रमाणीकरण सहित आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मय फोटोग्राफ, वित्तीय वर्ष, मद का नाम, से निर्मित व स्वीकृत धनराशि का विवरण का सूचना पट पर अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए प्रत्येक योजनावार उपभोग की गयी धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध किया जाना होगा।

११ पुनर्वास/विस्थापन

राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को नवीन पुनर्वास नीति–2021 के प्राविधानों के अधीन पुनर्वास/विस्थापन शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने पर भू–वैज्ञानिक तथा तहसील स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु वर्तमान में लागू पुनर्वास नीति–2021 सम्बन्धी शासनादेश संख्या–886/xviii-(B-2)/21-16(1) पुनर्वास नीति/2007 दिनांक 31 दिसम्बर 2021 के बिन्दु संख्या 03 में दिये गये निर्देश के क्रम में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या–100/xiii-33/विस्थापन/2022-23 दिनांक–23 जून 2022 के द्वारा में अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (आ.प्र.) को नोडल अधिकारी नामित करते हुये 06 सदस्यी जिला स्तरीय समिति गठित है।

- अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (आ.प्र.),चम्पावत —नोडल अधिकारी
- उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र) —सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता, प्रा.ख., लो.नि.वि., चम्पावत —सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग,चम्पावत —सदस्य
- भू–वैज्ञानिक,चम्पावत —सदस्य
- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, चम्पावत —सदस्य

उपरोक्तानुसार प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिस मद/प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी, यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार का होगा।
2. प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–886/XVIII-(B-2)/21-16(1)/पुनर्वास नीति/2007, दिनांक–31.12.2021 के माध्यम से जारी नीति/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
3. किसी परिवार के मुखिया के पुत्र/पुत्रियों को अलग–अलग परिवार तभी माना जायेगा, जब मुखिया के पुत्र/पुत्रियों के नाम परिवार रजिस्टर में अंकित होने के साथ ही उनके पृथक–पृथक राशन कार्ड हों, तो सभी परिवारों को पृथक–पृथक मानते हुये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आपदा प्रभावित परिवारों द्वारा विस्थापित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन भूकम्परोधी बनाये जाने होंगे तथा इस हेतु जनपद में प्रशिक्षित ट्रेनर (राजमिस्त्री) का सहयोग लिया जायेगा, एवं निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों का सत्यापन ब्लाक स्तर पर तैनात ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जायेगा तथा ऐसे निर्मित भवनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता परिवार की महिला मुखिया/पत्नी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि परिवार में महिला मुखिया/पत्नी नहीं है, तो वित्तीय सहायता सम्बन्धित पुरुष को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. पुनर्वास/विस्थापन हेतु बनाये जाने वाले भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं भूकम्परोधी मानकों के अनुसार समय से पूर्ण कराये जाने के लिये निर्माण कार्य की समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण कर मोनिटरिंग एवं गुणवत्ता का पर्यवेक्षण सम्बन्धित

उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियन्ता, सम्बंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं सम्बंधित ग्राम प्रधान की समिति के रूप में किया जायेगा।

7. संकटग्रस्त एवं संवेदनशील ग्रामों/क्षेत्रों के आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से भवन निर्माण कार्य हेतु उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से सम्बंधित व्यक्ति को दो समान किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी।

8. भवन निर्माण की प्रथम किश्त प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 12 माह के अन्दर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। बिन्दु संख्या–06 पर गठित समिति द्वारा भवन में लिंटर (Slab) पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्मित किये गये भवन की फोटोग्राफ्स सहित द्वितीय किश्त सम्बंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को मांग प्रेषित करने के उपरान्त प्रभावितों को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रभावित परिवार द्वारा पुनर्वासित भवन में निवास करने एवं पुनर्वास नीति के बिन्दु संख्या–17 का अनुपालन करना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विस्थापन भत्ता एवं गौशाला निर्माण सहित अन्य भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

10 प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भवन निर्माण का ले–आउट प्लान भूकम्परोधी तकनीक के अनुरूप हो।

11 प्रभावितों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि सम्बंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से ही आवंटित की जायेगी।

12 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से भवन का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से बैंक की प्रचलित गृह ऋण ब्याज की दर सहित धनराशि की वसूली कर तत्काल राजकीय कोष में जमा की जायेगी।

13 उक्त कार्य के विभिन्न चरणों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी सम्बंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा करायी जायेगी।

14 स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

15 उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्याय–10 जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा

(Procedure And Methodology for Monitoring, Evaluation, Updation And Maintenance of DDMP)

10.1 परिचय: जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद चम्पावत जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

10.2 DDMP के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), चम्पावत प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हितधारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, चम्पावत निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
- धारा 31, उपधारा (4) – जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 31, उपधारा (7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

10.3 DDMP की उचित निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, चम्पावत हर छह महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- वे विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (recommendations) देंगे।

10.4 DDMP के लिये आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।
- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श करके करेगा।

10.5 DDMP के अद्यतनीकरण की अनुसूची–

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगा।

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।

3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।
   अपडेटेड DDMP डेटा को जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।
   DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची (DDMRI)।
- मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर (DDMRI)।
- पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन (SOPs और चेकलिस्ट के माध्यम से)।
- प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- आपदा की घटनाओं में बदलाव।
- संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग।
- जनसंख्या संरचना में बदलाव।
- भू–राजनीतिक (Geo&political) माहौल में बदलाव।

क्र.सं.	माह	प्रस्तावित गतिविधियां
01	अक्टूबर	जीवन रेखीय विभागों द्वारा DDMP की समीक्षा
02	अक्टूबर – नवम्बर	DDMA को सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण
03	नवम्बर – दिसम्बर	संशोधनों का सभी हितधारकों में वितरण
04	मई – जून	SDMA को अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण/अपडेटेड योजना को DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड करना

10.6 DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

- प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

10.7 मॉक ड्रिल का आयोजन (Conduct of Mock Drills)- जनपद चंपावत आपदा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल (Mock Drill) आयोजित की जाती है, ताकि सभी विभागों, संस्थाओं तथा समुदायों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जा सके। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय एवं संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act, 2005) की धारा 30 (2) (x) के अनुसार:

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।
- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे।

इसी तरह, DM Act, 2005 की धारा 30 (2) (xi) यह निर्धारित करती है कि:

- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

10.7.1 जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष- जनपद चंपावत में मॉक ड्रिल के आयोजन की जिम्मेदारी निम्नलिखित एजेंसियों पर होती है –

- जिलाधिकारी, चंपावत (District Magistrate, Champawat)- मॉक ड्रिल की समग्र निगरानी, निर्देशन एवं अनुमोदन हेतु उत्तरदायी प्रमुख अधिकारी।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), चंपावत- ड्रिल की योजना, तैयारी, समन्वय एवं संबंधित विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है।

- राजस्व विभाग एवं आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC), चम्पावत – अलर्ट जारी करने, संचार व्यवस्था, रिपोर्टिंग एवं डेटा संकलन का कार्य करता है।
- एसडीआरएफ/एनडीआरएफ/फायर सर्विस/पुलिस विभाग– खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रॉस सोसाइटी– प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस सेवा और घायलों के प्रबंधन में सहयोग प्रदान करते हैं।
- शिक्षा विभाग, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट–गाइड– विद्यालयों एवं युवाओं को मॉक ड्रिल में भागीदारी हेतु प्रेरित करते हैं।
- स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें– सामुदायिक स्तर पर ड्रिल संचालन, प्रचार–प्रसार एवं जन–सहभागिता सुनिश्चित करती हैं।

10.7.2 ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम– जनपद चम्पावत में मॉक ड्रिल का आयोजन एक निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है –

क्रमांक	ड्रिल का प्रकार	आवृत्ति	संबंधित विभाग / संस्थान	उद्देश्य
1	जिला स्तरीय मॉक ड्रिल	वर्ष में कम से कम 1 बार	DDMA, SDRF, Police, Health Dept.	जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया एवं समन्वय की जांच
2	ब्लॉक/तहसील स्तरीय ड्रिल	प्रत्येक 6 माह में	तहसील प्रशासन, राजस्व, फायर यूनिट	स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया अभ्यास
3	विद्यालय सुरक्षा ड्रिल	वर्ष में 2 बार	शिक्षा विभाग, DDMA	बच्चों को सुरक्षित निकासी एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी देना
4	सामुदायिक स्तर की ड्रिल	प्रत्येक ग्राम/वार्ड में वार्षिक रूप से	ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संगठन	समुदाय को "पहला प्रत्युत्तरदाता" बनाने हेतु अभ्यास
5	अंतर–विभागीय ड्रिल	आवश्यकता अनुसार	सभी विभाग	संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण

ड्रिल के बाद संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करते हैं, ताकि योजना में सुधारात्मक सुझाव सम्मिलित किए जा सकें।

10.8 निगरानी और अंतराल मूल्यांकन (Monitoring and Gap Evaluation)

मॉक ड्रिल एवं आपदा प्रबंधन गतिविधियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु जनपद चम्पावत में नियमित निगरानी (Monitoring) एवं अंतराल मूल्यांकन (Gap Evaluation) किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

1. प्रत्येक मॉक ड्रिल के बाद पश्च मूल्यांकन बैठक (Post&Drill Review Meeting) आयोजित की जाती है।
2. ड्रिल में शामिल सभी विभागों से फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
3. रिपोर्ट के आधार पर कमियों (Gaps) की पहचान कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।
4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) इन बिंदुओं को अगली समीक्षा बैठक में सम्मिलित करता है।
5. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।
6. आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण, संसाधन, और योजना में संशोधन कर प्रभावशीलता बढ़ाई जाती है।

- परिणाम– इन प्रक्रियाओं से जनपद चम्पावत में आपदा प्रबंधन प्रणाली अधिक सक्रिय, सक्षम और उत्तरदायी बनी है। विभागों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है तथा समुदायों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्याय–11 डी.डी.एम.पी. के कार्यान्वियन के लिए समन्वय तंत्र

(Coordination Mechanism for implementation of DDMP)

उचित आपदा प्रबंधन के लिए जिला और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी हितधारक विभागों और स्थानीय निकायों जैसे एसपीपीडब्ल्यूडी, आई व पीएच, एसपीएसईबी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, फायर एंड होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एमआईटीसी, रेड क्रॉस, एनसीसी, एनजीओ के साथ आंतर–विभागीय और अंतर–विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। सीबीओ और अन्य स्थानीय प्राधिकरण के साझेदारी इस बात को मान्यता देती है कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था के प्रत्येक स्तर को व्यापक आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक योजना, सेवाओं, सूचना और संसाधनों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए।

जिले का डीडीएमपी एक तीन स्तरीय आपदा प्रबंधन समन्वय है जो नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर आधारित है। तहसील स्तर, उप–मंडल स्तर और जिला स्तर। यह प्रणाली समर्थन और सहायता को प्रगतिशील रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

व्यवस्थाओं में कई प्रमुख प्रबंधन और समन्वय संरचनाएँ शामिल हैं। व्यवस्थाओं को बनाने वाली प्रमुख संरचनाएँ हैं

- आपदा प्रबंधन समितियाँ तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर कार्यरत हैं। उपरोक्त समितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आपदाओं को कम करने, रोकने, तैयार करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने के लिए आवश्यक सभी उपायों की योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
- तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र आपदा संचालन के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधनों और सेवाओं का समन्वय करते हुए आपदा प्रबंधन समूहों का समर्थन करते हैं।
- जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए. और डी.डी.ई.सी. की कार्यान्वयन एजेंसियां विशिष्ट खतरों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं और आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करती हैं।

11.1 अंतर्विभागीय (Intra) तथा अंतर–विभागीय (Inter) समन्वय एवं क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

आपदा प्रबंधन एक बहु–विभागीय तथा समन्वित प्रक्रिया है। किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब विभिन्न विभाग, संस्थाएँ तथा संगठन एक–दूसरे के साथ समन्वित रूप से कार्य करें। अंतर्विभागीय (Intra-departmental) समन्वय से आशय किसी एक विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार्यों के उचित तालमेल से है, जबकि अंतर–विभागीय (Inter–departmental) समन्वय विभिन्न विभागों के बीच सहयोग, सूचना के आदान–प्रदान और संयुक्त कार्यवाई को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages) का अर्थ समान स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा समुदायों के बीच सहयोग से है। जिला आपदा प्रबंधन योजना चम्पावत में इन दोनों प्रकार के समन्वय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि आपदा के समय त्वरित, प्रभावी और संगठित कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. अंतर्विभागीय समन्वय (Intra-Department Coordination)

अंतर्विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विभाग के भीतर सभी इकाइयाँ और अधिकारी स्पष्ट रूप से अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें और आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही कर सकें।

- **स्पष्ट कार्य-विभाजन–** प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित कार्य-विभाजन करता है। आपदा की स्थिति में किस अधिकारी को कौन-सा कार्य करना है, इसका स्पष्ट उल्लेख विभागीय योजना में किया जाता है।
- **नियंत्रण एवं संचार व्यवस्था–** विभागों के भीतर प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित की जाती है ताकि सूचना का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। इसके लिए नियंत्रण कक्ष (Control Room), वायरलेस, टेलीफोन और अन्य संचार साधनों का उपयोग किया जाता है।
- **संसाधनों का प्रबंधन–** प्रत्येक विभाग अपने संसाधनों जैसे मानव संसाधन, उपकरण, वाहन, दवाइयाँ, मशीनरी आदि का सूचीबद्ध प्रबंधन करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरंत उपयोग किया जा सके।
- **प्रशिक्षण एवं अभ्यास–** विभाग अपने कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और समय-समय पर मॉक ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे कर्मचारियों की तैयारी और दक्षता बढ़ती है।
- **नियमित समीक्षा–** आपदा तैयारी की स्थिति का आकलन करने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित बैठकें और समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें।

2. अंतर-विभागीय समन्वय (Inter–Department Coordination)

अंतर-विभागीय समन्वय का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और तालमेल स्थापित करना है ताकि आपदा के समय सभी विभाग मिलकर समन्वित रूप से कार्य कर सकें।

- **जिला प्रशासन की भूमिका–** जिले में आपदा प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में होती है। जिला प्रशासन सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करता है और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- **प्रमुख विभागों की सहभागिता–** आपदा प्रबंधन में कई विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे–
    - ✓ राजस्व विभाग
    - ✓ पुलिस विभाग
    - ✓ स्वास्थ्य विभाग
    - ✓ लोक निर्माण विभाग
    - ✓ जल संस्थान/जल निगम
    - ✓ विद्युत विभाग
    - ✓ अग्निशमन सेवा
    - ✓ शिक्षा विभाग
    - ✓ वन विभाग
    - ✓ परिवहन विभाग

  इन सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय आपदा के समय अत्यंत आवश्यक होता है।
- **संयुक्त बैठकें एवं योजना निर्माण–** जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में आपदा जोखिम, तैयारी, संसाधनों की उपलब्धता और कार्ययोजना पर चर्चा की जाती है।
- **संयुक्त नियंत्रण कक्ष–** आपदा की स्थिति में जिला आपदा संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre) सक्रिय किया जाता है, जहाँ से सभी विभागों के कार्यों का समन्वय और निगरानी की जाती है।
- **संसाधनों का साझा उपयोग–** आपदा के समय विभिन्न विभाग अपने संसाधनों को साझा करते हैं, जैसे वाहन, मशीनरी, राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाएँ आदि। इससे राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनते हैं।

3. क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

क्षैतिज समन्वय का उद्देश्य सरकारी विभागों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं और समुदायों को भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करना है।

- सामुदायिक भागीदारी– स्थानीय समुदाय आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राम स्तर पर स्वयंसेवक, युवक मंडल और महिला समूह आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सहायता करते हैं।
- गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका– गैर–सरकारी संगठन (NGOs) राहत सामग्री वितरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास कार्य और जागरूकता कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।
- निजी क्षेत्र का सहयोग– निजी संस्थान और उद्योग भी संसाधन, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आपदा प्रबंधन में योगदान देते हैं।
- मीडिया की भूमिका– मीडिया आपदा से संबंधित जानकारी को तेजी से लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह लोगों को चेतावनी, सावधानियों और राहत उपायों के बारे में जागरूक करता है।

4. चम्पावत जिले में समन्वय व्यवस्था

चम्पावत जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक संगठित समन्वय प्रणाली कार्य करती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और जिला आपदा संचालन केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और राहत कार्यों के संचालन के लिए यह समन्वय प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

112 NGOs, CBOs एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र उद्योगों, निजी विद्यालयों एवं अस्पतालों के साथ समन्वय तथा ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय

आपदा प्रबंधन में सरकारी विभागों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए आपदा के समय त्वरित सहायता, जागरूकता तथा राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चम्पावत के अंतर्गत NGOs, CBOs और SHGs, उद्योगों, निजी विद्यालयों और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक संगठित व्यवस्था बनाई जाती है ताकि आपदा से पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान राहत कार्य और आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ–साथ ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर गठित टास्क फोर्स के साथ भी प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। इस समन्वय प्रणाली में क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) दोनों प्रकार की लिंकेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1. NGOs की भूमिका एवं समन्वय

गैर–सरकारी संगठन (NGOs) आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रमुख कार्य

- आपदा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री (भोजन, कपड़े, दवाइयाँ) वितरित करना।
- स्वास्थ्य शिविर और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता करना।
- बच्चों, महिलाओं और वृद्ध लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला प्रशासन NGOs के साथ पूर्व–समन्वय बैठकें आयोजित करता है।
- NGOs को जिला आपदा प्रबंधन योजना में सहयोगी संस्था के रूप में शामिल किया जाता है।
- आपदा के समय NGOs को विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में राहत कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है।
- जिला आपदा संचालन केंद्र के माध्यम से NGOs के साथ सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान किया जाता है।

2. CBOs (Community Based Organizations) की भूमिका

सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs) स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले संगठन होते हैं जो समुदाय के लोगों को संगठित करते हैं।

प्रमुख कार्य

- स्थानीय समुदाय को आपदा जोखिम और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- आपदा के समय स्थानीय स्तर पर बचाव और राहत कार्यों में सहयोग करना।
- प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी प्रशासन तक पहुँचाना।
- राहत सामग्री के सही वितरण में सहयोग करना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम पंचायत स्तर पर CBOs को आपदा प्रबंधन गतिविधियों में शामिल किया जाता है।
- जिला प्रशासन और CBOs के बीच नियमित संवाद और बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- CBOs के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

3. स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) की भूमिका

स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के संगठित समूह होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।

प्रमुख कार्य

- आपदा के समय राहत सामग्री के वितरण में सहयोग।
- प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।
- आपदा के बाद आजीविका पुनर्स्थापन (Livelihood Restoration) में सहायता।
- समुदाय में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम स्तर पर SHGs को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाता है।
- जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग SHGs के साथ समन्वय स्थापित करते हैं।
- SHGs के सदस्यों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

4. समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism)

NGOs, CBOs और SHGs के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए चम्पावत जिले में निम्नलिखित तंत्र अपनाया जाता है–

- पंजीकरण और डाटाबेस तैयार करना– जिले में कार्यरत सभी NGOs, CBOs और SHGs का डाटाबेस तैयार किया जाता है।
- नियमित बैठकें और संवाद– जिला प्रशासन समय–समय पर इन संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करता है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– इन संगठनों के सदस्यों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- संसाधनों का समन्वित उपयोग– आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है।
- सूचना और चेतावनी प्रणाली– आपदा की स्थिति में चेतावनी और महत्वपूर्ण जानकारी इन संगठनों के माध्यम से तेजी से समुदाय तक पहुँचाई जाती है।

5. उद्योगों (Industries) के साथ समन्वय

जिले में स्थापित उद्योग आपदा प्रबंधन में संसाधनों, उपकरणों और तकनीकी सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उद्योगों की भूमिका

- आपदा के समय मशीनरी, वाहन और उपकरण उपलब्ध कराना।

- राहत कार्यों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।
- प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक सहायता और पुनर्वास कार्यक्रम चलाना।
- कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- औद्योगिक क्षेत्रों में आपदा सुरक्षा मानकों का पालन करना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला प्रशासन द्वारा उद्योगों का डेटाबेस तैयार किया जाता है।
- उद्योगों के प्रतिनिधियों को जिला आपदा प्रबंधन बैठकों में शामिल किया जाता है।
- आपदा की स्थिति में उद्योगों के संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जाता है।

6. निजी विद्यालयों (Private Schools) के साथ समन्वय

निजी विद्यालय आपदा प्रबंधन में जागरूकता और सामुदायिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विद्यालयों की भूमिका

- छात्रों और शिक्षकों को आपदा सुरक्षा और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देना।
- विद्यालयों में मॉक ड्रिल और आपदा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
- आपदा के समय विद्यालय भवनों को अस्थायी राहत शिविर (Relief Camp) के रूप में उपयोग करना।
- विद्यार्थियों के माध्यम से समुदाय में जागरूकता फैलाना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी विद्यालयों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।
- विद्यालयों में आपदा प्रबंधन योजना (School Disaster Management Plan) तैयार की जाती है।
- समय–समय पर प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है।

7. निजी अस्पतालों (Private Hospitals) के साथ समन्वय

आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए निजी अस्पतालों का सहयोग आवश्यक होता है।

अस्पतालों की भूमिका

- घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आवश्यक दवाइयाँ, रक्त और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।
- आपदा के समय अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों और एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करना।

समन्वय व्यवस्था

- स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों का पंजीकरण और सूची तैयार करता है।
- आपदा की स्थिति में निजी अस्पतालों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए सक्रिय किया जाता है।
- जिला प्रशासन और अस्पतालों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है।

8. क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

क्षैतिज समन्वय का अर्थ विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के बीच समान स्तर पर सहयोग से है।

इसमें शामिल संस्थाएँ

- उद्योग
- निजी विद्यालय
- निजी अस्पताल
- गैर–सरकारी संगठन
- सामुदायिक संगठन

उद्देश्य

- संसाधनों का साझा उपयोग
- त्वरित सूचना का आदान–प्रदान
- राहत और बचाव कार्यों में सहयोग
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना

9. ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स गठित की जाती है जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करती है।

प्रमुख कार्य

- आपदा की स्थिति में प्रारंभिक सूचना जिला प्रशासन तक पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का संचालन।
- राहत सामग्री का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।

10. ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय

ग्राम स्तर पर गठित टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है।

ग्राम टास्क फोर्स की भूमिका

- आपदा के समय प्रारंभिक बचाव कार्य करना।
- प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- राहत शिविरों की व्यवस्था करना।
- स्थानीय स्तर पर जानकारी और चेतावनी का प्रसार करना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम टास्क फोर्स → ब्लॉक प्रशासन → जिला प्रशासन के बीच ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage) स्थापित किया जाता है।
- नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

11.3 ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages) तथा अंतर–ब्लॉक एवं अंतर–ग्राम समन्वय (Horizontal Linkages)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसी भी आपदा का पहला प्रभाव गाँव और स्थानीय समुदाय पर पड़ता है। इसलिए जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चम्पावत में ब्लॉक और ग्राम स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन टास्क फोर्स का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना है।

इस समन्वय व्यवस्था में दो प्रकार की लिंकिंग महत्वपूर्ण होती हैं–

- ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkages)– जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के बीच समन्वय।
- क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)– एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तथा एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच सहयोग और समन्वय।

1. ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाती है जो स्थानीय प्रशासन और ग्राम स्तर की समितियों के साथ मिलकर कार्य करती है।

ब्लॉक टास्क फोर्स की संरचना

- ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स में सामान्यतः निम्न सदस्य शामिल होते हैं–
- खंड विकास अधिकारी

- पुलिस प्रतिनिधि
- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
- शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
- राजस्व विभाग के अधिकारी
- पंचायत प्रतिनिधि
- स्वयंसेवी संगठन एवं स्थानीय स्वयंसेवक

प्रमुख कार्य

- आपदा की सूचना जिला प्रशासन तक पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों का समन्वय करना।
- राहत सामग्री के संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करना।
- स्थानीय संसाधनों जैसे वाहन, उपकरण और मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करना।
- ग्राम स्तर की टास्क फोर्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

समन्वय प्रणाली

- ब्लॉक टास्क फोर्स नियमित रूप से जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखती है।
- आपदा के समय ब्लॉक प्रशासन जिला आपदा संचालन केंद्र को स्थिति की जानकारी देता है।
- जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों को ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर तक पहुँचाया जाता है।

2. ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ग्राम स्तर की टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय के सबसे निकट होती है और आपदा के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है।

ग्राम टास्क फोर्स की संरचना

- ग्राम प्रधान
- ग्राम पंचायत सदस्य
- स्थानीय शिक्षक
- आशा कार्यकर्ता / स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- युवक मंडल एवं महिला समूह
- स्वयंसेवक

प्रमुख कार्य

- आपदा की स्थिति में तत्काल चेतावनी और सूचना का प्रसार करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में सहायता करना।
- प्राथमिक स्तर पर बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार प्रदान करना।
- राहत शिविरों की व्यवस्था और प्रभावित लोगों की सहायता करना।
- प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं की जानकारी ब्लॉक प्रशासन को देना।

समन्वय प्रणाली

- ग्राम टास्क फोर्स → ब्लॉक प्रशासन → जिला प्रशासन के बीच ऊर्ध्वाधर समन्वय स्थापित होता है।
- ग्राम स्तर की सूचना ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती है और फिर जिला स्तर तक पहुँचती है।

3. अंतर–ब्लॉक समन्वय (Inter&Block Coordination) – Horizontal Linkages

कई बार आपदा का प्रभाव एक से अधिक ब्लॉकों में फैल सकता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न ब्लॉकों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

उद्देश्य

- संसाधनों का साझा उपयोग
- राहत और बचाव कार्यों में सहयोग

- प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता प्रदान करना

प्रमुख गतिविधियाँ
- एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को वाहन, उपकरण और मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
- संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाना।
- आपदा की स्थिति से संबंधित सूचना का आदान–प्रदान करना।

4. अंतर–ग्राम समन्वय (Inter–Village Coordination) – Horizontal Linkages

आपदा के समय पड़ोसी गाँव एक–दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह सहयोग स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है।

प्रमुख कार्य
- पड़ोसी गाँवों के बीच संसाधनों और स्वयंसेवकों का साझा उपयोग।
- प्रभावित गाँवों को राहत सामग्री और आश्रय प्रदान करना।
- सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी आश्रय व्यवस्था करना।
- सूचना और चेतावनी का तेजी से प्रसार करना।

5. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

ब्लॉक और ग्राम स्तर की टास्क फोर्स को प्रभावी बनाने के लिए निम्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं–
- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मॉक ड्रिल और अभ्यास
- प्राथमिक उपचार और खोज एवं बचाव प्रशिक्षण
- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

11.4 राज्य स्तरीय विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली

आपदा प्रबंधन एक व्यापक और बहु–स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें जिला स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर के विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चम्पावत के अंतर्गत राज्य स्तर और जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों का उचित उपयोग तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत बनाया जा सके।

1. राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय

जिले में आपदा प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रमुख राज्य स्तरीय विभाग
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- पुलिस विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- सिंचाई विभाग
- विद्युत विभाग
- वन विभाग
- परिवहन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- शिक्षा विभाग

समन्वय के प्रमुख उद्देश्य

- आपदा से संबंधित नीतियों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- आवश्यक संसाधनों और तकनीकी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आपदा के समय राज्य स्तर से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करना।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करना।

समन्वय की प्रक्रिया

- जिला प्रशासन राज्य सरकार को आपदा की स्थिति से संबंधित नियमित रिपोर्ट और सूचना भेजता है।
- राज्य स्तर के विभाग आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और नीतियों को जिला स्तर पर लागू किया जाता है।

2. राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

आपदा प्रबंधन में अधिकारियों, कर्मचारियों और समुदाय की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रमुख उद्देश्य

- आपदा प्रबंधन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार तथा राहत कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना।

प्रशिक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ

- आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशालाएँ
- सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम
- मॉक ड्रिल और अभ्यास कार्यक्रम
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रशिक्षण

3. जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

जिला स्तर पर भी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान और विभाग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रमुख संस्थान

- जिला प्रशिक्षण केंद्र
- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र
- स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान
- शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र

प्रमुख कार्य

- सरकारी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खोज एवं बचाव (Search and Rescue) प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा प्रशिक्षण देना।
- विद्यालयों और समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

4. समन्वय की व्यवस्था

राज्य और जिला स्तर के विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय के लिए निम्न व्यवस्था अपनाई जाती है–

- नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करना।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संयुक्त योजना बनाना।

- विभिन्न विभागों के बीच सूचना और अनुभव का आदान–प्रदान करना।
- आपदा की स्थिति में संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का संचालन करना।

11.5 इंट्रा–ब्लॉक एवं इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Block and Intra-Village Coordination)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय प्रशासन और समुदाय द्वारा ही दी जाती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) चम्पावत के अंतर्गत ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों, समितियों तथा समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

इंट्रा–ब्लॉक समन्वय का अर्थ ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों और इकाइयों के बीच तालमेल से है, जबकि इंट्रा–ग्राम समन्वय का अर्थ ग्राम स्तर पर पंचायत, स्थानीय संगठनों और समुदाय के बीच सहयोग और समन्वय से है।

1. इंट्रा–ब्लॉक समन्वय (Intra-Block Coordination)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रमुख सहभागी

- खंड विकास अधिकारी
- राजस्व विभाग
- पुलिस विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- शिक्षा विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- कृषि विभाग
- पंचायत प्रतिनिधि

प्रमुख उद्देश्य

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- आपदा के समय बचाव और राहत कार्यों का समन्वय।
- विभिन्न विभागों के बीच सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान।
- स्थानीय संसाधनों का संगठित और प्रभावी उपयोग।

प्रमुख गतिविधियाँ

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन बैठकें आयोजित करना।
- विभागों के बीच समन्वित कार्ययोजना तैयार करना।
- राहत सामग्री के भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना।
- प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

2. इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Village Coordination)

ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है।

प्रमुख सहभागी

- ग्राम प्रधान
- ग्राम पंचायत सदस्य
- आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- शिक्षक
- स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- युवक मंडल एवं स्वयंसेवक

प्रमुख उद्देश्य
- आपदा के समय तात्कालिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्तर पर चेतावनी और सूचना का प्रसार करना।
- स्थानीय संसाधनों और स्वयंसेवकों का प्रभावी उपयोग करना।
- प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।

प्रमुख गतिविधियाँ
- ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन।
- समुदाय को आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- प्राथमिक उपचार और बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।
- राहत शिविरों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।

3. समन्वय को मजबूत करने के उपाय

इंट्रा-ब्लॉक और इंट्रा-ग्राम समन्वय को मजबूत बनाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं-
- नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- स्थानीय संसाधनों और उपकरणों की सूची तैयार करना।
- आपदा से संबंधित सूचना और चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

11.6 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के साथ समन्वय (पंचायती राज संस्थाएँ – जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर एवं ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये संस्थाएँ सीधे स्थानीय समुदाय से जुड़ी होती हैं। पंचायती राज संस्थाएँ जैसे जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर (ब्लॉक/क्षेत्र पंचायत) और ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय आपदा की स्थिति में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। अधिनियम की धारा 41 के अनुसार ये स्थानीय प्राधिकरण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर प्रभावी तथा सक्रिय समन्वय प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है।

1. जिला परिषद (Zila Parishad) के साथ समन्वय

जिला परिषद जिला स्तर की प्रमुख पंचायती राज संस्था होती है जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन गतिविधियों में सहयोग करती है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ
- जिले में आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों में संसाधनों और मानव शक्ति की व्यवस्था करना।
- पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला प्रशासन और जिला परिषद के बीच नियमित बैठकें और संवाद आयोजित किए जाते हैं।
- जिला परिषद के माध्यम से पंचायतों तक आपदा संबंधी निर्देश और योजनाएँ पहुँचाई जाती हैं।
- विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया जाता है।

2. मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Level / Block Panchayat) के साथ समन्वय

मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें (क्षेत्र पंचायत / ब्लॉक पंचायत) जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों का संचालन करना।
- ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
- राहत सामग्री के भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना।
- आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुँचाना।

समन्वय व्यवस्था

- ब्लॉक प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- ग्राम स्तर की सूचनाएँ ब्लॉक स्तर के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुँचती हैं।

3. ग्राम पंचायत के साथ समन्वय

ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- समुदाय को आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- राहत शिविरों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।
- प्रभावित परिवारों की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम पंचायत जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।
- ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

4. शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के साथ समन्वय

जिले के शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर पंचायत जैसी संस्थाएँ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- शहरी क्षेत्रों में आपदा जोखिम को कम करने के उपाय लागू करना।
- आपदा के समय आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्यों का संचालन करना।
- जल निकासी, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और राहत शिविरों की व्यवस्था करना।

समन्वय व्यवस्था

- शहरी निकाय जिला प्रशासन के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं।
- आपदा की स्थिति में शहरी निकाय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।

5. समन्वय प्रणाली की आवश्यकता

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए प्रभावी समन्वय प्रणाली की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है–

- आपदा के समय त्वरित निर्णय और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए।
- विभिन्न स्तरों के प्रशासन के बीच सूचना का प्रभावी आदान–प्रदान करने के लिए।
- संसाधनों और मानव शक्ति का संगठित उपयोग करने के लिए।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए।

11.7 पड़ोसी जिलों के DDMPs के साथ समन्वय (Linkage with DDMPs of Neighboring Districts)

आपदा प्रभाव एक जिले की सीमा तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पड़ोसी जिलों तक फैल सकती है। इसलिए पड़ोसी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (DDMPs) के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इस समन्वय से आपदा के समय संसाधनों का साझा उपयोग, त्वरित राहत कार्य और प्रभावी बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है।

चम्पावत जिले में पड़ोसी जिलों के साथ यह समन्वय क्षैतिज लिंकिंग (Horizontal Linkages) के रूप में कार्य करता है।

1. समन्वय के उद्देश्य

- आपदा सूचना का त्वरित आदान–प्रदान– पड़ोसी जिलों की आपदा की स्थिति, चेतावनी और बचाव की जानकारी तुरंत साझा करना।
- संसाधनों और मानव शक्ति का साझा उपयोग– बचाव वाहन, मेडिकल टीम, राहत सामग्री और उपकरण एक जिले से दूसरे जिले में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना।
- सहयोगी राहत और बचाव कार्य– सीमा क्षेत्र में प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाने और बचाव कार्यों का साझा संचालन।
- अनुभव और रणनीति साझा करना– आपदा प्रबंधन में मिले अनुभव और प्रशिक्षण का आदान–प्रदान करना।

2. समन्वय के प्रमुख माध्यम

- आपदा संचालन केंद्र (EOC) के माध्यम से संपर्क– प्रत्येक जिले का EOC पड़ोसी जिलों के EOC से सीधा संपर्क बनाए रखता है।
- साझा बैठकें और समीक्षा– आपदा पूर्व और आपदा के समय जिला अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करना।
- साझा मॉक ड्रिल (Joint Mock Drills)– सीमा क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास आयोजित करके आपदा प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाना।
- सूचना और अलर्ट प्रणाली– पड़ोसी जिलों के बीच रेडियो, वायरलेस, मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना साझा करना।

3. लाभ

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित और समन्वित बचाव कार्य।
- संसाधनों और तकनीकी सहायता का प्रभावी उपयोग।
- आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग और अनुभव साझा करना।
- सीमा क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन।

11.8 राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) के साथ समन्वय (Linkage with SDMP)

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disaster Management Plan – SDMP) राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है और इसमें आपदा से निपटने की रणनीति, संसाधनों की व्यवस्था, प्रशिक्षण और राहत–वितरण की दिशा–निर्देश शामिल होते हैं।

चम्पावत जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) को राज्य स्तर की SDMP के साथ लिंक करना अनिवार्य है ताकि जिले की गतिविधियाँ राज्य नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित हों। यह

लिंकिंग ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage) के रूप में काम करती है।

1. समन्वय के उद्देश्य

- राज्य नीति के अनुरूप जिला योजना का क्रियान्वयन– राज्य स्तर के दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को जिले में लागू करना।
- अतिरिक्त संसाधनों और तकनीकी सहायता का उपयोग– आपदा की स्थिति में राज्य EOC से अतिरिक्त मानव संसाधन, वाहन, राहत सामग्री और विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्राप्त करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– जिला अधिकारियों, ब्लॉक और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना– जिले की आपदा स्थिति, प्रभावित क्षेत्र, राहत और बचाव कार्यों की नियमित रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) तक भेजना।

2. समन्वय के माध्यम

- जिला आपदा संचालन केंद्र (District EOC)- जिला स्तर पर [illegible] के अनुसार गतिविधियों का नियंत्रण और निगरानी।
- रिपोर्टिंग और सूचना आदान–प्रदान– आपदा की स्थिति में त्वरित रिपोर्टिंग और निर्देश प्राप्त करना।
- राज्य स्तर के प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल– SDMP के अनुसार जिला स्तर पर प्रशिक्षण और आपदा अभ्यास (mock drills) आयोजित करना।
- संसाधन और सहायता अनुरोध प्रणाली– आपदा के समय राज्य से आपातकालीन संसाधन प्राप्त करना।

3. लाभ

- जिला स्तर की योजना राज्य स्तर की रणनीति और दिशा–निर्देशों के अनुरूप होती है।
- त्वरित निर्णय और आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
- संसाधनों का प्रभावी और संगठित उपयोग संभव होता है।
- जिले में आपदा प्रबंधन क्षमता और दक्षता बढ़ती है।

अध्याय– 12 मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) एवं चैकलिस्ट (Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist)

12.1 आपदा स्थिति की परिभाषा

आपदा स्थिति वह अवस्था है जब किसी प्राकृतिक या मानव–निर्मित घटना के कारण अचानक या धीरे–धीरे ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मानव जीवन, संपत्ति, आधारभूत संरचना, आजीविका तथा पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुँचती है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय समुदाय की अपनी क्षमता और संसाधन पर्याप्त नहीं होते, इसलिए स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता और समन्वित आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

उत्तराखंड के चम्पावत जिले में पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण कई प्रकार की आपदाएँ देखने को मिलती हैं, जैसे–

- भूस्खलन **(Landslide)**– भारी वर्षा के कारण पहाड़ों का खिसकना।
- बादल फटना **(Cloudburst)**– अचानक बहुत तेज वर्षा होना।
- बाढ़ **(Flood)**– नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ जाना।
- भूकम्प **(Earthquake)**– पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूकंपीय खतरा।
- वनाग्नि **(Forest Fire)**– गर्मियों में जंगलों में आग लगना।

जब किसी घटना से लोगों का जीवन, घर, सड़कें, खेती और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उसे आपदा स्थिति कहा जाता है।

उदाहरण–

- अगर चम्पावत जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो जाए और सड़कें बंद हो जाएँ, घरों को नुकसान पहुँचे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़े, तो यह एक आपदा स्थिति मानी जाएगी।

12.2 चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही तथा चेतावनी का प्रसार

जब किसी संभावित आपदा के बारे में मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या अन्य संबंधित एजेंसियों से चेतावनी प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों की जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नुकसान को कम किया जा सके।

- **चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही**– चेतावनी प्राप्त होते ही जिला प्रशासन निम्न कार्य करता है–
  - ✓ जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (EOC) को सक्रिय किया जाता है।
  - ✓ जिलाधिकारी (DM) और अन्य संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दी जाती है।
  - ✓ पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, पीडब्ल्यूडी, बिजली, जल संस्थान आदि विभागों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है।
  - ✓ संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल तैयारी की जाती है।

- ✓ आवश्यक होने पर राहत और बचाव दल (SDRF, NDRF, पुलिस, होमगार्ड) को तैयार रखा जाता है।
- ✓ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की निकासी योजना (Evacuation Plan) लागू की जाती है।

- चेतावनी का प्रसार **(Warning Dissemination)**– चेतावनी को अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है:
  - ✓ मोबाइल संदेश (SMS) और फोन कॉल के माध्यम से।
  - ✓ टीवी, रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से।
  - ✓ सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से।
  - ✓ पुलिस वाहन, लाउडस्पीकर और सायरन के माध्यम से।
  - ✓ ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के माध्यम से।
  - ✓ स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर पर लोगों को तुरंत सूचना देकर सतर्क किया जाता है।

12.3 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधनों तक पहुँच की प्रक्रिया

किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए वित्तीय (Financial) और तकनीकी (Technical) संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न विभागों और हितधारकों (Stakeholders) के साथ समन्वय स्थापित करता है।

- वित्तीय संसाधनों तक पहुँच (Financial Resources)– आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निम्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त की जाती है:
  - ✓ जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि (DDRF) से तत्काल राहत कार्यों के लिए धन का उपयोग।
  - ✓ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
  - ✓ आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) से सहायता प्राप्त करना।
  - ✓ जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन खर्चों के लिए विशेष बजट का उपयोग।
  - ✓ सरकारी योजनाओं और विभागीय निधियों का उपयोग।
  - ✓ गैर–सरकारी संगठन (NGO), निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग।
- तकनीकी संसाधनों तक पहुँच (Technical Resources)– आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभागों और एजेंसियों की तकनीकी सहायता ली जाती है:
  - ✓ स्वास्थ्य विभाग – चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की उपलब्धता।
  - ✓ पुलिस एवं होमगार्ड – सुरक्षा, खोज एवं बचाव कार्य।
  - ✓ अग्निशमन विभाग – आग बुझाने और बचाव कार्य।
  - ✓ लोक निर्माण विभाग (PWD) – सड़कों और पुलों की मरम्मत।
  - ✓ बिजली विभाग –बिजली आपूर्ति की बहाली।
  - ✓ जल संस्थान / जल निगम – स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
  - ✓ SDRF / NDRF– विशेषज्ञ बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन सहायता।
  - ✓ दूरसंचार विभाग – संचार सेवाओं को चालू रखना।
- हितधारकों (Stakeholders) की भूमिका– आपदा के समय विभिन्न हितधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
  - ✓ जिला प्रशासन – समन्वय और नेतृत्व।
  - ✓ स्थानीय निकाय और पंचायतें– स्थानीय स्तर पर सहायता।
  - ✓ एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन– राहत सामग्री और सेवाएँ प्रदान करना।
  - ✓ निजी क्षेत्र– संसाधन और तकनीकी सहयोग देना।
  - ✓ स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवक –बचाव और राहत कार्यों में सहयोग।

12.4 आपातकालीन प्रतिक्रिया में विभागों एवं हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के लिए विभिन्न विभागों और हितधारकों की स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन सभी का उद्देश्य राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना होता है।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• आपातकालीन योजना का क्रियान्वयन। • आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, सैन्य बलों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना। • समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन। • आपदा की स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना।
2.	पुलिस, होम गार्ड, पी. आर.डी.	• कानून और शांति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा। • मोटर मार्ग बाधित होने पर यातायात व्यवस्था। • दूरसंचार विहीन क्षेत्रों में वायरलेस के माध्यम से वैकल्पिक संचार व्यवस्था। • चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण
3.	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस आदि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
4.	स्वास्थ्य विभाग	• घायलों व प्रभावितों को चिकित्सीय सुविधा तथा उससे सम्बन्धी उपकरणों/दवाइयों की व्यवस्था किया जाना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना।
5.	विद्युत विभाग	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि। • क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। • आपदा की स्थिति में विद्युत बहाल करते हुये वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था किया जाना। • राहत कार्यों व शिविरों में विद्युत व्यवस्था
6.	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
7.	जनसंपर्क विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि जनपद स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। • सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जानकारी की खबरें प्रसारित करना। • समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबन्धन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण।

8.	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्वास कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के आंकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग/पी.एम.जी.एस.वाई	• नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना। • ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलिया का रख रखाव। • सड़क मार्ग अवरुद्ध होने पर डायवर्जन, आपातकालीन स्थिति में हेलीपैड सक्रिय किया जाना, क्षतिग्रस्त पुल/पुलिया, सड़कों की मरम्मत, आधारसंरचना क्षति आंकलन अन्य विभागों को तकनीकी सहयोग।
10.	राजस्व विभाग	• वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रतिक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। • आपातकालीन उपायों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण।
11.	वन विभाग	• वन्यजीव मानव संघर्ष की रोकथाम तथा आपदा के समय राहत बचाव कार्य में सहयोग। • वैकल्पिक वन मार्गों को आपदा की स्थिति में सुचारू किया जाना।
12.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	• आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था। • आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप में भोजन प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय कर राहत सामग्री/खाद्यान्न वितरण।
13.	पेयजल विभाग	• स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।
14.	नगर पालिका एवं जिला पंचायत	• सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था।
15.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	• प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निकालना, क्षति आंकलन, राहत शिविरों एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन , खोज एवं बचाव
16.	शिक्षा विभाग	• चिन्हित आपातकालीन राहत शिविरों कि व्यवस्था एवं समन्वय। • मानदेय स्कूलों में ए.एन.एफ. सम्बन्धी सुविधाएं एवं कार्मिकों हेतु भोजन आदि व्यवस्था।
17	सिंचाई विभाग	• नदी नालों से कटाव तथा जल भराव की स्थिति में तात्कालिक रूप से आबादी की सुरक्षा हेतु कार्य।
18.	उरेडा विभाग	• विद्युत विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था।
19.	पशुपालन	• आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप का नियंत्रित और जांचना। • सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों की सूची तैयार करना और आपदा की स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का आंकलन करना।

12.5 सूचना प्रबंधन एवं प्रसार रणनीति

आपदा की स्थिति में सही और समय पर सूचना का प्रबंधन तथा उसका प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य सटीक जानकारी एकत्र करना, उसे व्यवस्थित करना और समय पर संबंधित विभागों तथा जनता तक पहुँचाना होता है, ताकि प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया दी जा सके।

- सूचना प्रबंधन (Information Management)– आपदा के समय सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाती है–
    - ✓ सूचना एकत्र करना – प्रभावित क्षेत्रों से नुकसान, जनहानि, और आवश्यकताओं की जानकारी एकत्र की जाती है।
    - ✓ सूचना का विश्लेषण – प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर स्थिति का आकलन किया जाता है।
    - ✓ रिकॉर्ड और डाटा प्रबंधन – सभी जानकारी को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड और सुरक्षित रखा जाता है।
    - ✓ समन्वय – विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।
    - ✓ रिपोर्ट तैयार करना – जिला प्रशासन को नियमित रूप से स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाती है।
- सूचना का प्रसार (Information Dissemination)– आपदा के समय लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है:
    - ✓ टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से चेतावनी और जानकारी देना।
    - ✓ मोबाइल संदेश (SMS) और फोन कॉल के माध्यम से सूचना भेजना।
    - ✓ सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपडेट देना।
    - ✓ लाउडस्पीकर, सायरन और पुलिस वाहन के माध्यम से लोगों को सतर्क करना।
    - ✓ ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवकों के माध्यम से सूचना फैलाना।
    - ✓ मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सही जानकारी प्रदान करना।
- रणनीति के मुख्य उद्देश्य
    - ✓ लोगों तक सही और समय पर सूचना पहुँचाना।
    - ✓ अफवाहों और गलत जानकारी को रोकना।
    - ✓ सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना।
    - ✓ राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाना।

12.6 मीडिया प्रबंधन रणनीति आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान

आपदा के समय मीडिया प्रबंधन एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसका उद्देश्य है सटीक जानकारी समय पर जनता और संबंधित विभागों तक पहुँचाना, अफवाहों को रोकना और आपदा प्रतिक्रिया कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करना।

- मीडिया प्रबंधन के उद्देश्य
    - ✓ प्रभावित जनता को तत्काल और सटीक जानकारी प्रदान करना।
    - ✓ आपदा की गंभीरता, बचाव कार्य और सुरक्षा उपायों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना।
    - ✓ अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकना।
    - ✓ मीडिया के माध्यम से सरकारी राहत और बचाव गतिविधियों की स्थिति साझा करना।
    - ✓ विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
- मुख्य रणनीतियाँ
    - I. समय पर मीडिया ब्रीफिंग (Press Briefing)
        - ✓ नियमित अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करना।
        - ✓ आपदा की स्थिति, राहत कार्य और सहायता योजनाओं की जानकारी साझा करना।
    - II. मीडिया संपर्क अधिकारी (Media Liaison Officer)
        - ✓ जिला प्रशासन द्वारा एक अधिकारी को मीडिया संपर्क का प्रभारी नियुक्त करना।

✓ मीडिया से सीधे संपर्क और क्वेरी का उत्तर देना।

III. सत्यापन और पुष्टि

✓ सभी सूचना और आंकड़े सत्यापित स्रोतों से ही साझा करना।

✓ अफवाहों या असत्य सूचना का प्रसार रोकना।

IV. मल्टीमीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

✓ सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल संदेशों के माध्यम से जानकारी साझा करना।

✓ फोटो, वीडियो और लाइव अपडेट के माध्यम से स्थिति की स्पष्टता प्रदान करना।

V. स्थानीय मीडिया और सामुदायिक चैनल्स का उपयोग

✓ रेडियो, स्थानीय टीवी चैनल और ग्राम स्तर के लाउडस्पीकर से सूचना पहुँचाना।

✓ जनता को चेतावनी और सुरक्षा निर्देश देने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों का सहयोग लेना।

12.7 राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध (Request for State Government Assistance)

जब किसी आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन की अपनी संसाधन क्षमता पर्याप्त नहीं होती, तो तत्काल राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। इसका उद्देश्य राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से संचालित करना है।

- राज्य सरकार से सहायता अनुरोध की प्रक्रिया
  - ✓ स्थिति का आकलन (Assessment of Situation)– आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान, जनहानि, आवश्यकताओं और राहत कार्य की स्थिति का विवरण तैयार करना।
  - ✓ जिला आपदा प्रबंधन समिति (DDMC) की सिफारिश– जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में समिति आपदा के प्रभाव और आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करती है।
  - ✓ आधिकारिक अनुरोध पत्र (ॅििपबपंस त्मुनमेज स्मजजमत)– जिलाधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को लिखित अनुरोध भेजा जाता है।
  - ✓ अनुरोध पत्र में शामिल जानकारी:
    - ❖ प्रभावित क्षेत्रों का विवरण
    - ❖ मानव और संपत्ति को हुए नुकसान का अनुमान
    - ❖ आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और भौतिक संसाधन
    - ❖ राहत और बचाव कार्यों की प्राथमिकताएँ
  - ✓ सहायता की स्वीकृति और वितरण (Approval & Allocation)– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (SDRF / Special Grants), तकनीकी संसाधन, विशेषज्ञ टीम (NDRF/SDRF) और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
  - ✓ समन्वय और रिपोर्टिंग (Coordination – Reporting)– राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कायम रखना है। सहायता के उपयोग और कार्य की प्रगति की नियमित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है।
- सहायता के प्रकार
  - वित्तीय सहायता (Financial Assistance)
    - ✓ SDRF (State Disaster Response Fund)
    - ✓ विशेष अनुदान (Special Grants)
  - तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता (Technical – Expert Support)
    - ✓ NDRF/SDRF टीम
    - ✓ स्वास्थ्य और चिकित्सा टीम
    - ✓ अग्निशमन और खोज–बचाव दल

- भौतिक संसाधन (Material Resources)
  - ✓ राहत सामग्री (खाद्य, कपड़े, दवाइयाँ)
  - ✓ अस्थायी आश्रय (Tents, Shelters)
  - ✓ उपकरण और वाहन

12.8 राहत और पुनर्वास मानक (आपातकालीन प्रतिक्रिया / सहायता कार्य)

आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास के मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि आपातकालीन प्रतिक्रिया समय पर, प्रभावी और सुरक्षित तरीके से की जाए। ये मानक निकासी, खोज और बचाव, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, मृतकों और पशु शवों के निस्तारण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कवर करते हैं।

12.8.1 निकासी (Evacuation)

- ✓ उद्देश्य– खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- ✓ मानक–
  - Voulnerable groups (बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएँ, दिव्यांग) को प्राथमिकता।
  - एसेंबली पॉइंट / सुरक्षित स्थल: स्थानीय स्तर पर स्पष्ट रूप से चिन्हित।
  - शरणस्थल: भोजन, पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं से लैस।
  - परिवहन: बस, वैन, नाव आदि पर्याप्त।
  - रिपोर्टिंग: निकाले गए व्यक्तियों की सूची और दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखना।

12.8.2 खोज और बचाव (Search and Rescue)

- ✓ उद्देश्य– फंसे या असुरक्षित लोगों को ढूंढना और सुरक्षित निकालना।
- ✓ मानक–
  - प्रशिक्षित कर्मी– SDRF/NDRF, अग्निशमन विभाग, पुलिस।
  - उपकरण: लाइफ जैकेट, रस्सी, स्ट्रेचर, कटिंग टूल, नाव।
  - समन्वय: वॉकी-टॉकी/सैटेलाइट फोन के माध्यम से टीमों में संपर्क।
  - रिपोर्टिंग: बचाए गए लोगों की सूची तैयार करना।

12.8.3 क्षेत्र की घेराबंदी (Cordoning the Area)

- ✓ उद्देश्य: प्रभावित या खतरनाक क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश रोकना।
- ✓ मानक:
  - सीमा निर्धारण: बैरिकेड, टेप या सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से।
  - प्रवेश नियंत्रण: केवल अधिकृत कर्मी (बचाव, चिकित्सा, राहत) को अनुमति।
  - जन जागरूकता: मीडिया और घोषणा के माध्यम से खतरे से अवगत कराना।

12.8.4 यातायात नियंत्रण (Traffic Control)

- ✓ उद्देश्य: राहत और बचाव वाहनों तथा निकासी में बाधा न हो।
- ✓ मानक:
  - आपातकालीन सेवाओं के लिए प्राथमिक लेन।
  - दिशा परिवर्तन और संकेत (Diversions – Signage)।
  - महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात कर्मी तैनात।

12.8.5 कानून, व्यवस्था और सुरक्षा उपाय (Law and Order & Safety Measures)

- ✓ **उद्देश्य:** शांति बनाए रखना, लूटपाट रोकना और लोगों एवं संपत्ति की सुरक्षा।
- ✓ पुलिस और सुरक्षा बल तैनात।
- ✓ भीड़ प्रबंधन और राहत वितरण नियंत्रण।
- ✓ आवश्यक होने पर कर्फ्यू या प्रतिबंधित क्षेत्र लागू करना।

12.8.6 मृतकों का निस्तारण (Dead Body Disposal)

- ✓ **उद्देश्य:** स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- ✓ **मानक:**
  - मृत और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों (दिव्यांग सहित) का रिकॉर्ड।
  - निपटान पद्धति: संस्कार या दफन, स्थानीय रीति–रिवाज और स्वास्थ्य दिशा–निर्देशों के अनुसार।
  - स्वास्थ्य सुरक्षा: कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरण और प्रभावित क्षेत्र का डिसइन्फेक्शन।

12.8.7 पशु शवों का निस्तारण (Carcass Disposal)

- ✓ **उद्देश्य:** रोग और संक्रमण फैलने से रोकना।
- ✓ **मानक:**
  - गहरे गड्ढों में दफन, जल स्रोत से दूर।
  - लाइम या डिसइन्फेक्टेंट का उपयोग।
  - निस्तारित पशु शवों का रिकॉर्ड रखना।

12.8.8 अतिरिक्त मानक

- ✓ **चिकित्सा सहायता:** अस्पतालों और निकासी बिंदुओं पर प्राथमिक चिकित्सा।
- ✓ **राहत वितरण:** भोजन, पानी, कपड़े, दवा आदि के मानक प्रति व्यक्ति/परिवार।
- ✓ **मनोवैज्ञानिक सहायता:** प्रभावित लोगों के लिए काउंसलिंग।
- ✓ **अस्थायी शरण स्थल:** स्थान, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था के मानक।

12.9 मानवतावादी राहत और सहायता (Humanitarian Relief and Assistance)

आपदा के समय मानवतावादी राहत और सहायता का उद्देश्य प्रभावित जनसंख्या को तत्काल आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें भोजन, पानी, दवाइयाँ, आश्रय, कपड़े, मनोवैज्ञानिक सहायता और बुनियादी सुविधाओं की बहाली शामिल है।

12.9.1 भोजन (Food)

- ✓ **उद्देश्य**–प्रभावित लोगों को पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना।
- ✓ मानक–
  - प्रत्येक व्यक्ति के लिए दैनिक भोजन पैकेज।
  - बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष पोषण।
  - वितरण में समन्वय और रिकॉर्डिंग।

12.9.2 पेयजल (Drinking Water)

- ✓ उद्देश्य– स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
- ✓ मानक–
    - 1 व्यक्ति/दिन कम से कम 3–5 लीटर।
    - पानी की स्रोतों का नियमित परीक्षण और शुद्धिकरण।
    - टैंकर, बोतल या पानी के वितरण बिंदु बनाए जाएँ।

12.9.3 दवाइयाँ (Medicines)

- ✓ उद्देश्य– प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
- ✓ मानक–
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्थायी चिकित्सा शिविरों में आपूर्ति।
    - गंभीर और आपातकालिक मामलों के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर उपलब्ध।

12.9.4 मनोवैज्ञानिक और ट्रॉमा सहायता (Psycho–social and Trauma Care)

- ✓ उद्देश्य– आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहायता।
- ✓ मानक–
    - प्रभावित बच्चों और वयस्कों के लिए काउंसलिंग सेंटर।
    - प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और स्वयंसेवी सहायता।
    - सामाजिक समर्थन और सामुदायिक गतिविधियाँ।

12.9.5 कपड़े (Clothing)

- ✓ उद्देश्य– प्रभावितों को मौसमी और आवश्यक वस्त्र प्रदान करना।
- ✓ मानक–
    - परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त कपड़े।
    - बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष जरूरतें।

12.9.6 अन्य आवश्यक वस्तुएँ (Other Essential Needs)

- ✓ उद्देश्य– जीवन-निर्वाह के लिए अन्य वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- ✓ मानक–
    - रजाई, कंबल, बर्तन, खाने की सामग्री।
    - महिला और बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना।

12.9.7 शरण स्थल प्रबंधन (Shelter Management)

- ✓ उद्देश्य– सुरक्षित और समावेशी अस्थायी आश्रय स्थल।
- ✓ मानक–
    - दिव्यांगजन के लिए सुलभ (Accessible) सुविधाएँ।
    - पर्याप्त जगह, स्वच्छता, पानी और सुरक्षा।
    - राहत और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का समन्वय।

12.9.8 हेल्पलाइन प्रदान करना (Providing Helpline)

✓ उद्देश्य– प्रभावितों के लिए जानकारी और सहायता की तुरंत पहुँच।

✓ मानक–
- 24x7 हेल्पलाइन नंबर।
- राहत, खोज–बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी।
- स्थानीय भाषा और सरल संदेश।

12.9.9 बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और बहाली (Repairs and Restoration of Basic Amenities)

✓ उद्देश्य– प्रभावित क्षेत्रों में जीवन सामान्य करना।

✓ मानक–
- जल, बिजली, परिवहन, संचार और अन्य बुनियादी सेवाओं की बहाली।
- प्राथमिकता प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में।
- मरम्मत कार्यों की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग।

12.9.10 वीआईपी / उच्च अधिकारी दौरे का प्रबंधन (Management of VIP Visits)

आपदा के समय वीआईपी या उच्च अधिकारियों के दौरे का प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। इसका उद्देश्य है दौरे को सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना ताकि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकें और राहत कार्यों की स्थिति का आकलन कर सकें।

✓ उद्देश्य
- वीआईपी/उच्च अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र का सटीक और समय पर अवलोकन कराना।
- अधिकारियों की यात्रा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान न आने देना।
- मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखना।

✓ प्रबंधन के मुख्य उपाय (Key Management Measures)
- पूर्व योजना (Pre-Planning)
  - ❖ दौरे के दिन, समय, मार्ग और सुरक्षा उपायों का निर्धारण।
  - ❖ प्रभावित क्षेत्रों में स्थल और ब्रीफिंग तैयार करना।
- सुरक्षा प्रबंधन (Security Management)
  - ❖ पुलिस और होमगार्ड द्वारा मार्ग की सुरक्षा।
  - ❖ भीड़ नियंत्रण और सड़क मार्गों का अवरोधन।
- समन्वय (Coordination)
  - ❖ सभी विभागों के साथ संचार और नियंत्रण कक्ष (Control Room) सक्रिय करना।
  - ❖ आवश्यकतानुसार SDRF/NDRF और राहत दलों की उपस्थिति।
- सूचना और मीडिया प्रबंधन (Information – Media Management)
  - ❖ दौरे की सूचना जनता और मीडिया को समय पर देना।
  - ❖ वीआईपी दौरे के दौरान सूचना और मीडिया कवरेज का नियंत्रण।
- आपातकालीन तैयारी (Emergency Preparedness)
  - ❖ दौरे के मार्ग पर प्राथमिक चिकित्सा और बचाव सुविधाओं का प्रबंध।
  - ❖ संभावित जोखिम और आपात स्थिति के लिए बैकअप योजना।

12.9.11 आपातकालीन भंडार का रखरखाव (Maintenance of Emergency Reserves)

आपदा की स्थिति में आपातकालीन भंडार (Emergency Reserves) का उचित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के भंडार शामिल हैं, ताकि प्रभावित जनसंख्या को समय पर भोजन, पानी, दवा, उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

✓ उद्देश्य

- आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव सुनिश्चित करना।
- प्रभावित लोगों को संसाधनों की कमी से बचाना।
- सरकारी और निजी संसाधनों का समन्वित उपयोग करना।
- संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता बनाए रखना।

✓ आपातकालीन भंडार के प्रकार (Types of Emergency Reserves)

- भोजन और पेयजल (Food – Drinking Water)
- दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री (Medicines – First Aid Kits)
- राहत सामग्री (Relief Kits, Blankets, Clothing)
- सुरक्षात्मक उपकरण (Rescue – Safety Equipment)
- जैविक और पर्यावरणीय सुरक्षा सामग्री (Disinfectant, Sanitation Kits)

✓ रखरखाव मानक (Maintenance Standards)

- संग्रहण स्थल: साफ, सूखा, सुरक्षित और सुलभ।
- सामग्री का निरीक्षण: समय–समय पर मुद्दत समाप्ति, गुणवत्ता और उपलब्धता की जांच।
- लेखा–जोखा (Inventory Management): हर वस्तु का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग।
- रोटेशन नीति: भंडार की सामग्री का नियमित रूप से नवीनीकरण।
- निजी एजेंसियों के भंडार: जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन और समन्वय।

Annexure-A

2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एव सामाजिक/आर्थिक विवरण–

स्थिति– यह जनपद हिमालय क्षेत्र में 29°31'20.57"N उत्तरी अक्षांश से 80°6'10.42"E पूर्वी देशान्तर और 29°18'35.36"N उत्तरी अक्षांश तथा 80°18'36.02"E पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। जनपद की पूर्वी सीमा नेपाल से लगी हुयी है। नेपाल से लगने वाली सीमा की कुल लम्बाई 90 किमी. है जो कि 78 किमी. पहाडी क्षेत्र एवं 12 किमी. मैदानी क्षेत्र से लगी हुई है। काली (शारदा) नदी इस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को रेखांकित करती है। उत्तरी सीमा जनपद पिथौरागढ़ से मिली है तथा सरयू नदी इसकी सीमा रेखा है। पश्चिमी सीमा अल्मोड़ा तथा नैनीताल जनपदों से तथा दक्षिणी सीमा जनपद ऊधम सिंह नगर से मिलती है।

1	जनपद चम्पावत के सृजन की तिथि	15 सितम्बर, 1997
2	क्षेत्रफल	1788 वर्ग कि.मी.
3	जनसंख्या (2011 की गणना के अनुसार)	2,59,648
4	महिलाएं	1,28,523
5	पुरूष	1,31,125
6	अनुसूचित जाति	47,383
7	अनुसूचित जन जाति	1,339
8	ग्रामीण जनसंख्या	2,13,124
9	शहरी जनसंख्या	46,524
10	स्त्री–पुरुष अनुपात	958 : 1000
11	जनसंख्या घनत्व	147 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी.
12	जनपद में साक्षरता	79.83 प्रतिशत
13	पुरुष साक्षरता	91.61 प्रतिशत
14	महिला साक्षरता	68.05 प्रतिशत
15	राजस्व ग्रामों की संख्या	(कुल ग्राम –705, राजस्व ग्राम –691, गैर आबाद ग्राम–43 आबाद वन ग्राम –13, गैर आबाद वन ग्राम –12)
16	ग्राम पंचायतों की संख्या	312
17	न्याय पंचायतों की संख्या	24
18	विकास खण्ड	04 (चम्पावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी)
19	क्षेत्र पंचायतों सदस्यों की संख्या	134
20	जिला पंचायतों सदस्यों की संख्या	15
21	परगने	04 (चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरि (टनकपुर))
22	तहसील	05 (चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरि (टनकपुर), बाराकोट)
23	उप तहसील	02 (पुल्ला (गुमदेश), मंच)
24	कानूनगो क्षेत्र	9
25	पटवारी क्षेत्र	71
26	नगर पालिका परिषद्	03(चम्पावत–09 वार्ड, लोहाघाट–07 वार्ड, टनकपुर–17 वार्ड)
27	नगर पंचायत	01 (बनबसा–07 वार्ड), नवसृजित पाटी
28	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
I	लोकसभा	01 (आरक्षित)
II	विधानसभा	02 (54–लोहाघाट, 55–चम्पावत)
29	पुलिस स्टेशन	08 (04 ग्रामीण, 04 शहरी)
30	पुलिस चौकियां	10
29	डाकघर	82 (05 नगरी, 77 ग्रामीण)
30	रोडवेज बस डिपो	02 (लोहाघाट, टनकपुर)
31	रेलवे स्टेशन	02

32	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें	31
33	अन्य व्यवसायिक बैंक	21
34	ग्रामीण बैंक शाखायें	08
35	सहकारी बैंक शाखायें	09
36	सस्ते गल्ले की दुकान	344 (323 ग्रामीण, 21 नगरीय)
37	बायोगैस संयंत्र	278
38	शीत भण्डार	05
39	कृषि	
i	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	12.48 ह. हैक्ट.
ii	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	1.30 ह. हैक्ट.
iii	सकल सिंचित क्षेत्रफल	2.40 ह. हैक्ट.
iv	खाद्यान्न उत्पादन	25.93 ह.मी.टन
v	गन्ना	0.33 ह.मी.टन
vi	तिलहन	1.26 ह.मी.टन
vii	आलू	7.33 ह.मी.टन
40	वर्षा	सामान्य–1284.40 मि.मी., वास्तविक–1178.00 मि.मी.
41	तापमान	उच्चतम 35°C न्यूनतम (-4°C)
42	सिंचाई	
i	(नहरों की लम्बाई 2022–23 के अनुसार)	285.40
ii	नलकूप	39
iii	व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्पसेट	24
43	पशुपालन	
i	(कुल पशुधन)	168751
ii	पशु चिकित्सालय	15
iii	पशुधन सेवा केन्द्र	22
iv	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	32
44	सहकारिता	
i	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियाँ	23
ii	समितियों की सदस्य	33,533
45	उद्योग	
i	(औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखाने)	02
ii	खादी उद्योग एवं लघु औद्योगिक इकाईयाँ	3374
iii	खादी उद्योग एवं लघु औद्योगिक इकाईयों में कुल कार्यरत व्यक्ति	10146
46	शिक्षा	
i	जूनियर बेसिक स्कूल	453
ii	सीनियर बेसिक स्कूल	89
iii	उच्चतर/माध्यमिक विद्यालय	105
iv	महाविद्यालय	04
v	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	03
vi	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	09
vii	पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग	04/01
47	चिकित्सालय एवं औषधालय	
i	एलोपैथिक	05
ii	आयुर्वेदिक	26
iii	होम्योपैथिक	05
iv	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	18
v	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	04

vii	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र	88
viii	विशेष चिकित्सालय (क्षय)	01
48	पक्की सड़कों की लम्बाई	
i	कुल सड़कों की लम्बाई	1660.44
ii	लो.नि.वि. द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई	1439.09
49	विद्युत	
i	विद्युतीकृत कुल ग्राम	632
ii	विद्युतीकृत आबाद ग्राम	632
iii	विद्युतीकृत नगर	04
iv	विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियाँ	470
v	विद्युतीकरण से अवशेष अनु.जाति बस्तियां	38
50	नल/हैण्डपम्प ड्रिलिंग मार्क-2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गये	
i	ग्राम	632
ii	नगर	04
iii	नल/हैण्डपम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति से अवशेष अनु.जाति	87

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का विवरण–

क्र.सं.	नाम	कुल वार्डों की संख्या	सम्बन्धित तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार		
					पुरुष	महिला	योग
1	नगर पालिका परिषद चम्पावत	09	चम्पावत	10.00	6443	6313	12756
2	नगर पालिका परिषद लोहाघाट	07	लोहाघाट	4.50	4239	3693	7932
3	नगर पालिका परिषद टनकपुर	11	पूर्णागिरि (टनकपुर)	1.699	12891	8593	21484
4	नगर पंचायत बनबसा	07	पूर्णागिरि (टनकपुर)	0.88	3275	2748	6023
योग				17.079	26848	21347	48195

जनपद अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण–

क्र.सं.	विद्युत परियोजना का नाम	कार्यदायी विभाग	विद्युत क्षमता	आवश्यक डिस्चार्ज (क्यूमेक)
1	एन.एच.पी.सी. पावर हाउस टनकपुर (बनबसा)	नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन	3X30.6=92 मेगावाट	552
2	सप्तेश्वर पावर हाउस	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा)	300 किलोवाट	0.48
3	गौड़ी पावर हाउस	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा)	200 किलोवाट	0.22

विकास खण्डवार ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत एवं पंचायत घर–

विकासखण्ड	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	पंचायतघर	जिला मुख्यालय से विकास खण्ड की दूरी कि.मी. में
चम्पावत	08	115	84	05 कि.मी.
लोहाघाट	07	67	67	18 कि.मी.
पाटी	05	83	73	45 कि.मी.
बाराकोट	04	48	48	20 कि.मी.
योग जनपद	24	313	300	

विकास खण्डवार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या विवरण–

विकासखण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	स्त्री
चम्पावत	471.02	20522	96607	49169	47438
लोहाघाट	216.00	9539	45333	22815	22518
पाटी	216.44	7976	51541	26097	25444
बाराकोट	130.16	5647	26576	13046	13530
योग जनपद	1033.62	43686	220517	111127	109390

विकास खण्ड मुख्यालय से ग्रामों की दूरी का विवरण–

विकास खण्ड	01 कि.मी. से कम	01–03 कि.मी.	03–05 कि.मी. से अधिक	05 कि.मी. से अधिक	कुल योग
चम्पावत	00	01	09	103	113
लोहाघाट	01	04	07	55	67
पाटी	02	01	03	79	85
बाराकोट	00	05	03	40	48
योग जनपद	03	11	22	277	313

जनपद की तहसील, विकास खण्ड, थाने, चौकियां तथा संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र–

तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	थानों का नाम	चौकियों का नाम	संसदीय क्षेत्र	विधान सभा क्षेत्र
चम्पावत	चम्पावत	कोतवाली चम्पावत	1. चौकी चम्पावत बाजार 2. चौकी मंची	01–अल्मोड़ा	54–चम्पावत
लोहाघाट	लोहाघाट	थाना लोहाघाट	–		55–लोहाघाट
पाटी	पाटी	1. थाना पाटी 2. थाना रीठा	चौकी देवीधुरा		
बाराकोट	बाराकोट	–	बाराकोट		
पूर्णागिरि (टनकपुर)	चम्पावत	1. थाना टनकपुर 2. थाना बनबसा	1. चौकी ठुलीगाड़ 2. चौकी बाटा 3. चौकी मनिहारगोठ 4. चौकी टुन्नीगाड़ 5. चौकी शारदा बैराज बनबसा		54–चम्पावत
उप तहसील					
मंच	चम्पावत	थाना तामली		01–अल्मोड़ा	54–चम्पावत
पुल्ला	लोहाघाट	कोतवाली पंचेश्वर	1. चौकी महाकाली 2. चौकी पंचेश्वर		55–लोहाघाट

जलवायु एवं वर्षा– जनपद चम्पावत की जलवायु सम शीतोष्ण है। गर्मियों में घाटियों में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों अत्यधिक ठण्ड रहती है। जनपद का उच्चतम तापमान 35°C तथा न्यूनतम तापमान (-4°C) है। जनपद की सामान्य वर्षा लगभग 1231 मि.मी. है। जून से सितम्बर तक मासिक औसत वर्षा 86 मि.मी. है और शेष अवधि में 37.22 मि.मी. है।

भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति– जनपद चंपावत उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत स्थित है। यह जनपद हिमालय की मध्य पर्वतमाला में बसा हुआ है और इसका भौगोलिक विस्तार लगभग 29°15' उत्तरी अक्षांश से 29° 35' उत्तरी अक्षांश तथा 80° 05' पूर्वी देशांतर से 80° 30' पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जनपद के उत्तर में पिथौरागढ़, पश्चिम में अल्मोड़ा, दक्षिण में ऊधमसिंह नगर, तथा पूर्व में नेपाल देश की सीमा लगती है। चंपावत की स्थलाकृति मुख्यतः पर्वतीय एवं दुर्गम है। यहाँ की ऊँचाई

लगभग 400 मीटर से 2500 मीटर तक परिवर्तित होती है। जनपद में कई ऊँचे पर्वत, गहरी घाटियाँ और तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, जिनसे नदियाँ और गाड़–गधेरे बहते हैं। प्रमुख नदियों में लोहावती नदी, लधिया नदी और शारदा नदी उल्लेखनीय हैं।

क्षेत्र की मिट्टी अधिकतर बलुई दोमट एवं शैलमय है, जिससे कृषि योग्य भूमि सीमित है। वर्षा मुख्यतः दक्षिण–पश्चिमी मानसून से होती है और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1500–2000 मिमी. के बीच रहती है।

पर्वतीय भूभाग, ढालदार क्षेत्र और भूस्खलन–प्रवण संरचना के कारण यह जनपद भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि एवं सड़कों के कटाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। वहीं निचले तराई क्षेत्र बाढ़ की संभावना वाले माने जाते हैं।

भौतिक स्वरूप, नदियाँ एवं भू–उपयोगिता– जनपद की प्रमुख नदियाँ काली, सरयू, पनार, लधिया, रतिया, क्वैराला एवं लोहावती जो अलग–अलग भागों से निकलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। जनपद चम्पावत की धरातलीय बनावट ग्लेशियर से निकले पहाड़, जिनमें ग्रेनाइट तथा चूने के पत्थरों का सम्मिश्रण है। जनपद की निचली घाटियों में दोमट तथा अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है। ऊँचाई वाले स्थानों में पथरीली तथा बलुई किस्म की मिट्टी अधिकतर क्षेत्रों में विद्यमान है।

जनपद के कृषि क्षेत्रफल 72880 हैक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्रफल 2434 हैक्टेयर है। जनपद के भाबर क्षेत्र में धान, गेहूँ, सब्जी, आम, लीची, अमरूद एवं पपीते का उत्पादन होता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में गेहूँ, धान की पैदावार के साथ ही आलू, अदरक, सन्तरा, नीबू, माल्टा, सोयाबीन, भट, गहत, तथा बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है।

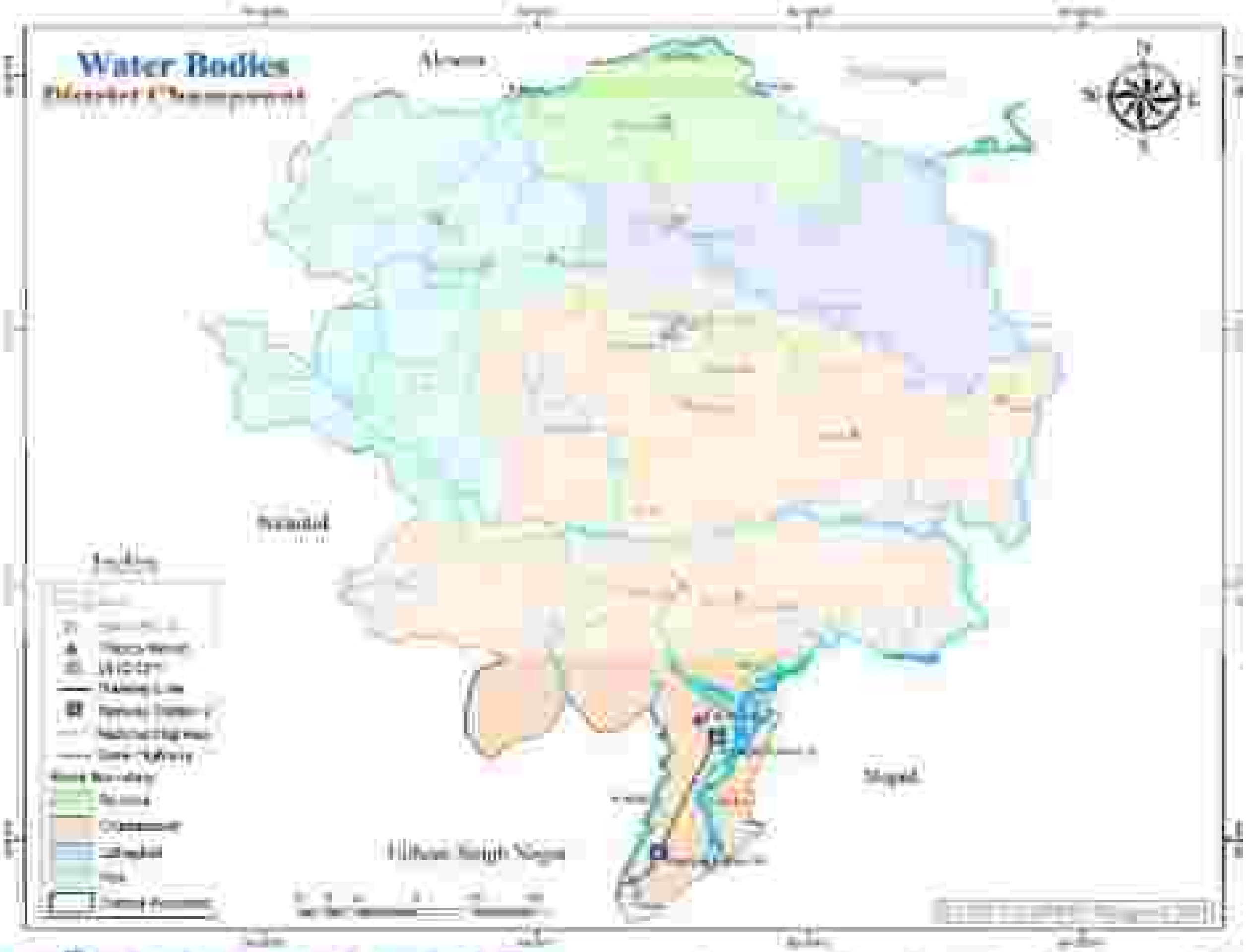

प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा– जनपद चम्पावत प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण एक पर्वतीय जनपद है, जहाँ वन, जल, जैव–विविधता एवं खनिज संसाधनों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। ये संसाधन न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का प्रमुख आधार भी हैं।

➢ वन क्षेत्र–

- जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- यहाँ के वनों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ चीड़, बांज, बुरांश, देवदार, सागौन, तून, साल, रिंगाल आदि हैं।
- ऊँचाई के अनुसार वनस्पति में परिवर्तन पाया जाता है।
- निचले क्षेत्रों में चीड़ एवं सागौन के वन।
- ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में बांज, बुरांश, देवदार के सघन वन।

➢ जैव–विविधता–

- चम्पावत के वन क्षेत्र में विभिन्न जंगली जीव–जन्तु पाए जाते हैं, जैसे – तेंदुआ, भालू, काकड़, जंगली सूअर, साही, मोर और विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ।
- यह क्षेत्र राज्य की जैव–विविधता संरक्षण योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

➢ जल संसाधन–

- जनपद में अनेक गाड़–गधेरे, झरने एवं नदियाँ हैं, जो यहाँ के प्रमुख जलस्रोत हैं।
- मुख्य नदियाँ– लोहावती, लधिया, पश्चिमी रामगंगा, और शारदा नदी।
- ये नदियाँ पेयजल, सिंचाई एवं लघु जलविद्युत उत्पादन में उपयोगी हैं।
- पर्वतीय भूभाग के कारण यहाँ जल संरक्षण एवं जलग्रहण क्षेत्र का विशेष महत्व है।

➢ खनिज संसाधन–

- जनपद के कुछ क्षेत्रों में चूना पत्थर, स्लेट, और पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) के भण्डार पाए जाते हैं।
- इन खनिजों का सीमित स्तर पर निर्माण कार्यों एवं स्थानीय उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

➢ पर्यावरणीय एवं आर्थिक महत्व–

- वन एवं प्राकृतिक संसाधन मृदा अपरदन, भूस्खलन एवं सूक्ष्म जलवायु संतुलन को नियंत्रित करते हैं।
- ये संसाधन स्थानीय जनसंख्या के लिए ईंधन, चारा, औषधीय पौधे, और पर्यटन अवसरों का प्रमुख स्रोत हैं।
- वनों का संरक्षण एवं संवर्धन आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के लिए आवश्यक है।

कृषि एवं फसल चक्र– जनपद में कुल 72,580 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त 4,122.50 है. क्षेत्रफल में बाग है। जो कि जनपद के क्षेत्रफल का लगभग 3.5 प्रतिशत है। जनपद की फसल सघनता लगभग 158 है। समस्त जोतों में लघु एवं सीमान्त कृषकों की जोत 84.2 प्रतिशत है। जनपद में जोतों का औसत आकार 0.6 हे० है। रबी की फसल के दौरान जनपद की मुख्य फसलें गेंहू, सरसों, मसूर एवं मटर है जबकि खरीफ फसल में धान, मडुवा, आलू, उड़द, मक्का एवं सोयाबीन है। जनपद में नगदी फसलों के रूप में आलू, चौलाई तथा बेमौसमी फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। जनपद में 2,389.00 है. क्षेत्रफल सब्जी उत्पादन किया जाता है। जनपद में फलों की पैदावार का विवरण निम्नवत् है–

फल	सेब	नाशपाती	आडू	प्लम	खुमानी	अखरोट	नींबू प्रजाति	आम	लीची	अमरूद	अनार	अन्य फल
क्षेत्रफल है. में	221.00	318.00	281.00	153.50	57.00	186.00	1229.00	877.00	281.0	8.00	181.00	468.00

विद्युत उत्पादन– जनपद में प्रमुखतः शारदा नदी पर बांध बनाकर नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) के माध्यम से विद्युत उत्पादन गृह को संचालित किया जाता है। परियोजना से 92 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) के माध्यम से जनपद मुख्यालय से लगभग 30 कि.मी. दूरी पर स्थित सप्तेश्वर पावर हाउस से 300 किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालय से लगभग 08 कि.मी. दूरी पर गंडक नदी पर स्थित गौड़ी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से 200 किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है।

यातायात एवं संचार व्यवस्था– जनपद में मुख्यतः यातायात जीप एवं बसों से संचालित किया जाता है। लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र दूरसंचार नेटवर्क से आच्छादित है। पुलिस विभाग के द्वारा प्रत्येक थाना, चौकी क्षेत्र वायरलेस व्यवस्था से आच्छादित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वन प्रभाग में पृथक वन संचार व्यवस्था है। वर्तमान में वायरलेस सेट एवं सैटेलाइट फोन व्यवस्था से आन्तरिक भागों में संचार व्यवस्था सुधरने की आशा है। जनपद से किसी भी दैनिक समाचार पत्र का संस्करण प्रकाशित नहीं किया जाता है, किन्तु जनपद के समाचारों का प्रकाशन प्रमुख गैर जनपदीय समाचारों के माध्यम से ही होता है।

खनिज संसाधन– जनपद चंपावत भौगोलिक रूप से हिमालय की मध्य पर्वतमाला में स्थित है, जहाँ की भूसंरचना मुख्यतः शिलामय (rocky) एवं अवसादी संरचना (sedimentary formations) से निर्मित है। यद्यपि यह जनपद खनिज उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ स्थानीय उपयोग के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, जो निर्माण कार्यों एवं लघु उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं।

➢ **प्रमुख खनिज पदार्थ**– जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित खनिज पाए जाते हैं–

- चूना पत्थर (**Limestone**) सीमित मात्रा में लोहाघाट, चंपावत, पाटी एवं बाराकोट क्षेत्रों के आसपास पाया जाता है। इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों एवं चूना निर्माण में किया जाता है।
- स्लेट (**Slate Stone**) मुख्यतः लोहाघाट एवं पाटी ब्लॉकों के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका उपयोग छत की पट्टियों एवं सजावटी पत्थर के रूप में होता है।
- बिल्डिंग स्टोन / बोल्डर– जनपद के गाड़–गधेरे एवं नदी घाटों (जैसे शारदा, लधिया और लोहावती) से भवन निर्माण हेतु बोल्डर, मिट्टी, रेत आदि का दोहन किया जाता है।
- क्ले (मिट्टी)–कुछ तराई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ईंट निर्माण हेतु उपयोगी चिकनी मिट्टी उपलब्ध है।

➢ **खनिज दोहन एवं नियंत्रण**– जनपद में खनन गतिविधियाँ खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं। खनन कार्यों की निगरानी हेतु खनन विभाग, जनपद चंपावत तथा जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। अवैध खनन को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा विशेष गश्त एवं निगरानी अभियान संचालित किए जाते हैं।

➢ **पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण**– अनियंत्रित खनन से मृदा अपरदन, भूस्खलन, जल स्रोतों का प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जनपद में खनन कार्यों को पर्यावरणीय स्वीकृति (**Environmental Clearance**) एवं सतत खनन नीति के तहत नियंत्रित किया जाता है। खनन के बाद पुनः वृक्षारोपण एवं भू–सुधार कार्य कराए जाने की नीति अपनाई जाती है।

➢ **आर्थिक महत्व**– उपलब्ध खनिज संसाधन स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। निर्माण सामग्री के रूप में इनका उपयोग जनपद के सड़क, भवन एवं ग्रामीण विकास कार्यों में किया जाता है। नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण खनन नीति से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

भूमि उपयोग एवं वर्गीकरण– जनपद चंपावत एक प्रमुख पर्वतीय जनपद है, जिसकी भूमि उपयोग प्रणाली भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व के अनुसार विविध प्रकार की है। अधिकांश क्षेत्र ऊबड़–खाबड़, ढालदार और वनाच्छादित है, जिससे कृषि योग्य भूमि सीमित है।

➢ **भूमि का सामान्य स्वरूप**– जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,766 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अधिकांश भूमि पर्वतीय है, जबकि निचले भागों में कुछ समतल एवं कृषि योग्य क्षेत्र पाए जाते हैं। भूमि उपयोग की दृष्टि से जनपद में वन भूमि का प्रभुत्व है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 65–70% भाग घेरती है।

➢ भूमि वर्गीकरण– जनपद चंपावत की भूमि को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	अनुमानित प्रतिशत / विवरण
1	वन भूमि	लगभग 65–70%–चीड़, बांज, बुरांश, देवदार आदि वनों से आच्छादित क्षेत्र।
2	कृषि योग्य भूमि	लगभग 15–18%–मुख्यतः घाटी क्षेत्रों एवं कम ढाल वाले भूभागों में।
3	अनुपजाऊ भूमि / बंजर भूमि	लगभग 5–7% –चट्टानी एवं तीव्र ढाल वाले क्षेत्र।
4	निवास एवं निर्माण क्षेत्र	लगभग 2–3%–शहरी एवं ग्रामीण बस्तियाँ जैसे चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, पूर्णागिरि।
5	चारागाह एवं अन्य उपयोग	लगभग 2–3%–पशुपालन हेतु प्रयोग में आने वाली भूमि।

➢ भूमि उपयोग के प्रमुख पैटर्न– ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का उपयोग मुख्यतः वन संरक्षण एवं चराई के लिए होता है। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में धान, गेहूं, मडुवा, झंगोरा, और दालों की पारम्परिक खेती की जाती है। निचले तराई भागों (टनकपुर एवं आसपास) में धान, गन्ना, सब्जियाँ व फल की व्यावसायिक खेती की सम्भावना अधिक है। शहरी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग आवास, सड़क, प्रशासनिक भवनों और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बढ़ रहा है।

➢ भूमि उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ– वनों की अंधाधुंध कटाई और अनियंत्रित निर्माण से भूमि की स्थिरता पर प्रभाव पड़ रहा है। भूस्खलन, मृदा अपरदन, और जल निकासी की कमी से कृषि भूमि प्रभावित होती है। सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण जनसंख्या दबाव और आजीविका के विकल्पों में असंतुलन देखा जाता है।

➢ सतत भूमि प्रबंधन हेतु सुझाव– ढालदार भूमि पर कन्टूर खेती (Contour Farming) एवं टेरेसिंग (Terracing) को बढ़ावा देना। मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। वन क्षेत्र का संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना। भूमि उपयोग योजना को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के दृष्टिकोण से समायोजित करना।

जनपद की सीमा से लगे अन्य जनपद/प्रदेश/देश एवं सीमायें–

उत्तर में	पिथौरागढ़
दक्षिण पूर्व में	नेपाल
दक्षिण में	ऊधम सिंह नगर
पश्चिम में	नैनीताल
उत्तर पश्चिम में	अल्मोड़ा

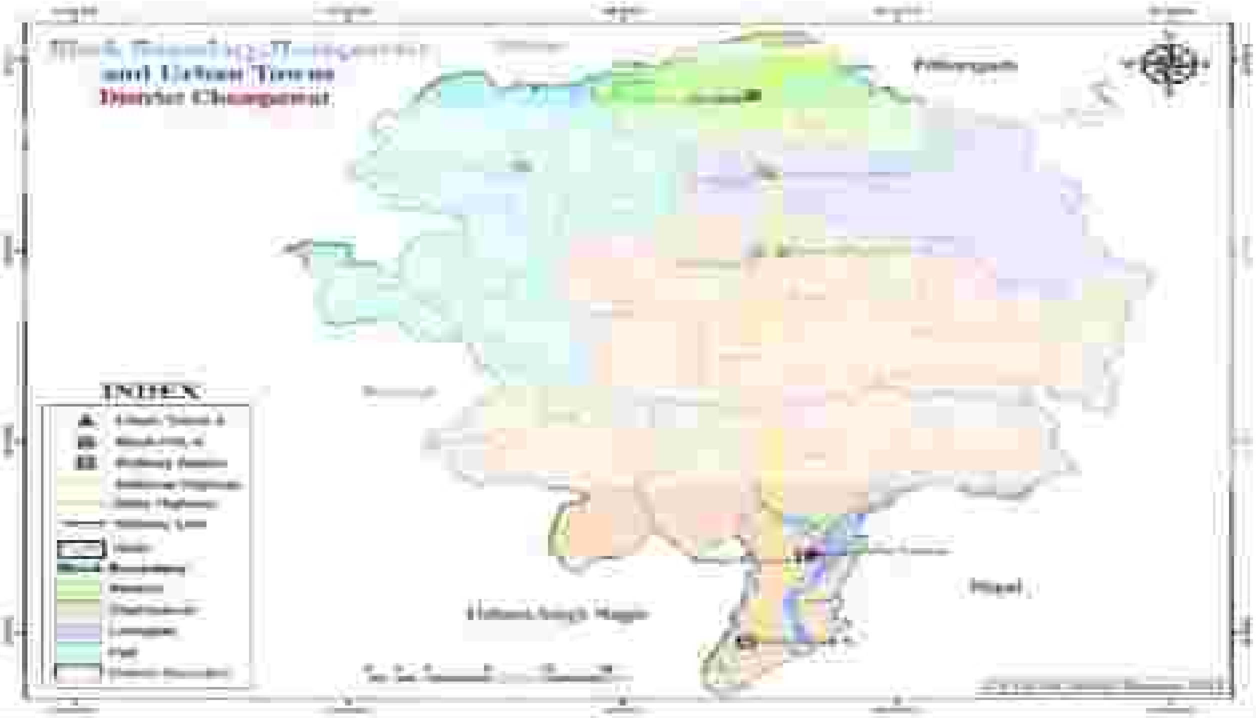

जनपद को अन्य राज्य/जनपद से जोड़ने वाले विभिन्न माध्यम–

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	जुड़ने वाले राज्य/जनपद	माध्यम	सीमा
1	बाराकोट/घाट	अल्मोड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग–309 ए	सरयू नदी
	बाराकोट/घाट	पिथौरागढ़ (गंगोली घाट)	राष्ट्रीय राजमार्ग–309 ए	सरयू नदी
2	बाराकोट/घाट	पिथौरागढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	रामगंगा
3	बनबसा	ऊधमसिंह नगर	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	हुड्डी नदी
4	धौनिक	नैनीताल, अल्मोड़ा	राज्य मार्ग–10	–
5	पैठाणाडिबि	नैनीताल	राज्य मार्ग–64 मौनार के पास	लधिया नदी

Annexure-1

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मोटर मार्गों का विवरण						
Sn.	**Name of Division**	**Category of Roads**	**Total Numbers**	**Type**		**Total Length**
				Kutcha	**Pucca**	**(Kms)**
1	NHAI	NH 09 (**Jagbudu-Kakraligate**)	1		14.35	14.35
2	NH	NH 09 (**Kakraligate-Ghat**)	1		118.00	118.00
		NH 309A(Ghat-Panar)	1		7.00	7.00
	Total				**125.00**	**125.00**
3	PWD CPT	SH	5	0	207.33	207.33
		MDRs	1	4	14.00	18.00
		ODRs	2	0	4.83	4.83
		VRs	218	63.095	273.51	336.61
		LMVs	5	3.11	2.70	5.81
		Bridal Roads	7	68.71	9.59	78.30
Total			**236**	**138.915**	**511.955**	**650.87**
4	PWD LGT	SH	2	0.000	133.920	133.920
		MDRs	1	0.000	18.000	18.000
		ODRs	2	0.250	14.955	15.205
		VRs	163	173.390	329.720	503.110
		LMVs	6	1.500	2.260	3.760
		Bridal Roads	8	49.225		49.225
Total			**182**	**226.365**	**498.850**	**725.215**
5	PMGSY CPT	VRs	**20**	**0**	**192.40**	**192.40**
6	PMGSY LGT	VRs	**22**		**201.30**	**201.30**
7	NPCC	VRs	**6**		**51.08**	**51.08**
8	RWD	VRs	**12**		**26.63**	**26.63**
10	PIU Thuligad	INBR (Indo Nepal Border Road)	**1**		**42.31**	**42.31**
All Total			**482**	**365.28**	**1664.375**	**2029.665**

SUMMARY

Total	NH 09 (**Jagbudu–Kakraligate**) (NHAI Rudrapur)	1	0.00	14.35	14.35
	NH 09 (**Kakraligate-Ghat**) (NH LGT)	1	0.00	118.00	118.00
	NH 309A(Ghat-Panar) (NH LGT)	1	0.00	7.00	7.00
	SH	7	0	341.25	341.25
	MDRs	2	4.000	32.000	36.000
	ODRs	4	0.250	19.775	20.025
	VRs	439	238.485	1075.140	1313.63
	LMVs	11	4.610	4.96	9.57
	Bridal Roads	15	117.935	9.590	127.525
	INBR (Indo Nepal Border Road)	1		42.31	42.31
Total		**482**	**365.28**	**1664.375**	**2029.665**

Annexure-2

जनपद अन्तर्गत चिन्हित क्रोनिक लैण्ड स्लाइड जोन्स (37) का विवरण–

क्र.सं.	विभाग / खण्ड का नाम	मोटर मार्ग का नाम	संवेदनशील क्षेत्र का स्थान
1	राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट	राष्ट्रीय राजमार्ग–09 (ककराली गेट से घाट तक) 118.00 कि.मी.	निकट चल्थी पुल कि.मी. 88.700
2			निकट स्वाला कि.मी. 106.345 से 106.450
3			निकट धौन कि.मी. 112.350 से 112.430
4			निकट सतोला कि.मी. 154.845 से 155.063
5			निकट घुरुनी कि.मी. 159.050 से 159.150
6			निकट घाट बैंड कि.मी. 168.605 से 168.705
7		राष्ट्रीय राजमार्ग 309 ए (घाट–पनार) 7.00 कि.मी.	निकट घाट पुल कि.मी. 187.435
8			निकट पनार कि.मी. 6.90
9	पी.एम.जी.एस.वाई. चम्पावत	अमोड़ी–उचकोट मोटर मार्ग	कि.मी. 2.00 एवं कि.मी. 3.00
10		स्वाला पोथ मोटर मार्ग	कि.मी. 5.00
11		धौन दयूरी रोड से बजौन मोटर मार्ग	कि.मी. 3.00, 5.00, 3.00
12		सिप्टी–अमकढ़िया मोटर मार्ग	कि.मी. 10.00
13		चल्थी–नौलापानी मोटर मार्ग	कि.मी. 7.00
14	पी.एम.जी.एस.वाई. लोहाघाट	खुटियाल गाँव से खाल मोटर मार्ग	किमी 03 से 06 व किमी 10 से किमी 13 के बीच
15		मौखापीपल से पोथा मोटर मार्ग	किमी 06 से किमी 9 के बीच
16		रीठा से रमक मोटर मार्ग	किमी 15 से किमी 20 के बीच
17		टाककन्दा से बालातड़ी	किमी 5.00 से किमी 8.00 के बीच
18		रीठासाहिब से मिरतोला मोटर मार्ग	किमी 01 से किमी 1.500 के बीच
19		लागो पनिया रीठासाल मो0मा0 से छानीकोट मोटर मार्ग	किमी 01 से किमी 1.500 के बीच
20		खेतीखान से डुंगराबिरौला मोटर मार्ग	किमी 8.00 से किमी 8.500 के बीच
21		पानिया से रीठासाल उच्चीकरण	किमी 1.500 से 2.00 किमी के बीच
22		बौसकलवाड़ी से जाख जनवान्ड	किमी 4.00 से 4.450 किमी के बीच
23		पाटी से गुम मोटर मार्ग	किमी 7.00 से किमी 14.00 के बीच
24		रीठा से चूका	किमी 1.325 से किमी 2.000 के बीच व किमी 8.000 से 9.00 के बीच
25		रैसलबैण्ड से किमराकोट मोटर मार्ग	किमी 0.360 से 0.450 किमी के बीच
26		गल्लागाँव से देवलीगढ़ी उच्चीकरण	किमी 2.00 से 2.50 किमी एवं 6.500 से 7.000 के बीच
27		बैड़ाबिड़वाल से जुगलखाल मोटर मार्ग	किमी 3.00 से किमी 06.00 के बीच
28		सिमलखेत सिंघोली	किमी 2.00 से 3.00 किमी एवं 8.500 से 9.000 के बीच
29		पलिया से धुनौली	किमी 0.00 से 0.500 किमी एवं 1.0 से 3.00 के बीच
30		बाराकोट सिमलखेत से पहलपुरा मोटर मार्ग	किमी 2.00 से 2.50 किमी के बीच
31		चल्थी से चुनियाल मोटर मार्ग	किमी 0.00 से 0.500 किमी 6.00 से किमी

			7.00 के बीच
32		एन0एच0 125 टनकपुर चम्पावत से बापरू तल्ला मोटर मार्ग	किमी 2.00 से 4.00 किमी के बीच
33		बाराकोट से कोटेश मोटर मार्ग	किमी 2.00 से 5.50 किमी के बीच
34	एन.पी.सी.सी., चम्पावत	कोटा–चल्थी मोटर मार्ग	कि.मी. 8.00
35		पखुली–बलतोली मोटर मार्ग	कि.मी. 9.00
36		बडोली मोटर मार्ग	कि.मी. 2.00, 6.00
37		आमनी मोटर मार्ग	कि.मी. 6.00, 7.00
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., चम्पावत		—	—
निर्माण खण्ड लो.नि.वि., लोहाघाट		—	—

Annexure-3 अग्नि संवेदनशील / अति संवेदनशील क्षेत्र

Range	Block	Compart	Area (Heq)	WC (Working Circle)	Fire_Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	1	85.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	2	50.1	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	3	87.4	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	4	122.5	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	5	91	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	6	138.1	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	7	120.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	8	88.2	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Gaidakhanda Block	9	71.7	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	10	93.1	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	12	48.8	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	14	88.4	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	15	83.8	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	16	89.1	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	17	100.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon East	21	106.1	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	28	44.9	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	39	53.1	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	40	147.7	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon East	11a	57.1	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	11a	33.4	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon East	12b	29.1	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	11b	34.8	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	13a	22	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Gaidakhanda Block	13b	61.3	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	13b	66.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon East	18b	55.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	18a	71.8	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	18b	49.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon East	22b	50.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon East	24b	54.9	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	35a	32.8	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	35b	52.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	36a	27.9	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	36b	38.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	37a	44.7	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	37b	7.5	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Gaidakhanda Block	3b	37.3	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	9a	98	Chir	Very Sensitive
Bhingrara	Palbelon West	9b	20.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Amkhandi Block	2	155.78	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Basta East Block	1	317.3	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Basta West	4	167.8	Sal	Very Sensitive
Boom	Chhini Block	8	143.3	Sal	Very Sensitive

Range	Block	Compart	Area (Hsq)	WC (Working Circle)	Fire_Sensitive
Boom	Chhani Block	15a	120.6	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Chhani Block	15b	59.9	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Khaldunga Block	8a	55.8	Sal	Very Sensitive
Boom	Kot Kandri Block	1f	80.3	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Mathiabang Block	7	167.8	Chir	Very Sensitive
Boom	Mathiabang Block	3a	38.9	Chir	Very Sensitive
Boom	Mathiabang Block	3b	49.5	Sal	Very Sensitive
Boom	Uparakot Block	2	118.2	Sal	Very Sensitive
Boom	Uparakot Block	6a	146.5	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Boom	Uparakot Block	6b	37.9	Sal	Very Sensitive
Champawat	Kranteshwar East	10	81.6	Chir Working Circle	Very Sensitive
Champawat	Kranteshwar East	11a	153.4	Chir Working Circle	Very Sensitive
Champawat	Kranteshwar East	2b	176.3	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Champawat	Kranteshwar West	13a	137.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Champawat	Kranteshwar West	13b	107.7	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Champawat	Sooni Block	4b	74.5	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Champawat	Sooni Block	5a	109.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Champawat	Sooni Block	5b	173.13	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Bhatkhya Block	8	59.3	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Delgara East	10b	60.3	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Devi Dhura West	10b	29.1	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Dholigaon Block	3b	34.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Gagar Block	1	88.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	1	53	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	2	76.5	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	3	67.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	4	101.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	7	81.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	8	70	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	9	75.3	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	10	58.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	11	93.1	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	12	66.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	13	68.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	15	38.5	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	14a	88.6	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	14b	10.8	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	6a	40.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Khujeti North	6b	65.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Mornaula East	10	78.4	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Mornaula East	17b	50.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Mornaula East	19b	20.1	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Mornaula East	21a	57	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Mornaula East	21b	10.5	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Mornaula East	22b	52.7	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Mulakot Block	7	59.1	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Narsingh Danda	11	102.4	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive

Devi Dhura	Punash Block	1	35	Chir Working Circle	Very Sensitive
Range	**Block**	**Compart**	**Area (Hect)**	**WC (Working Circle)**	**Fire_Sensitive**
Devi Dhura	Thak Block	6	3.6	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Devi Dhura	Thak Block	7	14.9	Chir Working Circle	Very Sensitive
Devi Dhura	Thak Block	9	78.1	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Bapru Block	Bapru	10	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	17a	18.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	17b	47.9	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	18a	48.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	18b	38	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	21a	44.7	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	21b	13.4	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	22a	18.7	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	5a	42.5	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	6a	59.5	Chir Working Circle	Very Sensitive
Kali Kumaon	Chhira Block	9a	11.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	1	84.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	11	86.6	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	13	17.6	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	15	11.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	20	22.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	24	34.2	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	29	136	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	12a	70.4	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	12b	53.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	14a	157.8	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	14b	42.1	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	16a	74.5	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	16b	40.5	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	17a	31.6	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	17b	83.9	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	18a	38	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	18b	23.9	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	18c	18.6	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	19a	66.4	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	19b	35.6	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	25a	65.4	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	25b	12	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Lohaghat	Dungrabanda	9b	33	Chir Working Circle	Very Sensitive
Lohaghat	Gangnaula Block	Gangnaula	18.2	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
Lohaghat	Khilpati Block	Khilpati	53.6	Protection-cum-Improvement	Very Sensitive
			6901.21		

Annexure-4 वर्ष 2016 से वर्तमान तक मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृत/घायल व्यक्तियों का विवरण–

क्र. सं.	घटना तिथि	घटना स्थान/ग्राम	वन रेंज	वन प्रभाग	तहसील	वन्यजीव	मानव क्षति का प्रकार	
							घायल	मृत्यु
1	15.01. 2016	ग्राम छतोला	लोहाघाट	चम्पावत	लोहाघाट	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
2	24.07. 2016	ग्राम चुमिकल	लोहाघाट		लोहाघाट	भालू	सामान्य घायल	—
3	10.06. 2016	ग्राम कालौनी	भिंगराड़ा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	—
4	08.10. 2016	सिन्हा तिवारी	लोहाघाट		लोहाघाट	बाघ	—	मृत्यु
5	15.10. 2018	नगरुं	लोहाघाट		लोहाघाट	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
6	15.09. 2018	देवली खाकर	देवीधुरा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	—
7	07.09. 2018	जाख	देवीधुरा		पाटी	भालू	सामान्य घायल	—
8	28.01. 2019	कन्डी	काली कुमाऊँ		बाराकोट	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
9	14.04. 2019	सकैनी सोनपीपल	देवीधुरा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	—
10	20.07. 2019	ग्राम कोटला	देवीधुरा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	—
11	18.01. 2019	डनगांव	लोहाघाट		लोहाघाट	भालू	आंशिक रूप से घायल	—
12	12.07. 2020	काली छटोली	भिंगराड़ा		पाटी	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
13	22.10. 2020	बुडनी	भिंगराड़ा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	—
14	24.10. 2020	टैना	देवीधुरा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	—
15	08.11. 2020	डुंगराबोरा	लोहाघाट		लोहाघाट	गुलदार	—	मृत्यु
16	02.09. 2020	पैना	देवीधुरा		पाटी	भालू	—	मृत्यु
17	12.06. 2021	नेड़	काली कुमाऊँ		बाराकोट	बाघ	—	मृत्यु
18	08.12. 2021	छतला	चम्पावत		चम्पावत	गुलदार/बाघ	—	मृत्यु
19	31.01. 2022	नघान	भिंगराड़ा		पाटी	गुलदार/बाघ	—	मृत्यु
20	04.05. 2022	विसुंग वन पंचायत	मनाॅवा		चम्पावत	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
21	25.06. 2022	बाराकोट रेस्ट हाउस	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
22	22.08. 2022	घर के पास खेतों में (जन–चिमली)	चम्पावत		चम्पावत	बाघ	—	मृत्यु

23	02.03. 2022	फाफराली	चम्पावत		चम्पावत	गुलदार	सामान्य घायल	—
क्र. सं.	घटना तिथि	घटना स्थल / ग्राम	वन रेंज	वन प्रभाग	तहसील	वन्यजीव	मानव क्षति का प्रकार: घायल	मृत्यु
24	13.07. 2022	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
25	13.07. 2022	अमरूबैण्ड	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
26	16.09. 2022	अमरूबैण्ड मोटर मार्ग	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
27	01.10. 2022	ग्राम सोयाटी	भिंगराड़ा		पाटी	भालू	गंभीर रूप से घायल	—
28	18.11. 2022	ग्राम चिल्लाटिवाड़े	काली कुमाऊं		बाराकोट	गुलदार	सामान्य घायल	—
29	04.12. 2022	ठडेरा धुरा पुल्लापानी	भिंगराड़ा			गुलदार	गंभीर रूप से घायल	—
30	11.12. 2022	ग्राम पुडकोटिल	चम्पावत		चम्पावत	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
31	20.01. 2023	ग्राम उल्ली	काली कुमाऊं		बाराकोट	गुलदार	सामान्य घायल	—
32	28.03. 2023	पूर्णा चौकी	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
33	26.12. 2023	ग्राम लोटखा	देवीधुरा		पाटी	जंगली सुअर	सामान्य घायल	—
34	18.04. 2023	श्यामलाताल से इनामपुर	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
35	28.05. 2023	फकड़ैना से खटीमा आते समय	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
36	28.05. 2023	फकड़ैना से खटीमा आते समय	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
37	30.08. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
38	30.08. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
39	31.08. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
40	01.09. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
41	24.09. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—
42	25.09. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	गंभीर रूप से घायल	—
43	25.09. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	गंभीर रूप से घायल	—
44	27.09. 2023	ग्राम नतुकला पो–उनि	चम्पावत		चम्पावत	सांप	सामान्य घायल	—
45	25.09. 2023	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरी	गुलदार	सामान्य घायल	—

46	02.07.2023	पूर्वी छीनी ग्र0–1	बूम		पूर्णागिरि	गुलदार	–	मृत्यु
क्र. सं.	घटना तिथि	घटना स्थान / ग्राम	वन रेंज	वन क्षेत्र	तहसील	वन्यजीव	मानव क्षति का प्रकार	
							घायल	मृत्यु
47	12.09.2023	ग्राम नरसौला	भिंगराडा		पाटी	बाघ	–	मृत्यु
48	26.12.2023	[illegible] गधा	बूम		पूर्णागिरि	बाघ	गंभीर रूप से घायल	–
49	16.12.2023	छीनी ग्र0–52	[illegible]		पूर्णागिरि	भालू	गंभीर रूप से घायल	–
50	01.02.2024	वन पंचायत सूनखाट	देवीधुरा		पाटी	जंगली भालू	गंभीर रूप से घायल	–
51	07.04.2024	ग्राम प्रयोली	भिंगराडा		पाटी	बाघ	सामान्य घायल	–
52	04.07.2024	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरि	गुलदार	सामान्य घायल	–
53	09.07.2024	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	बूम		पूर्णागिरि	गुलदार	सामान्य घायल	–
54	17.07.2024	ग्राम कापड़ी	देवीधुरा		पाटी	गुलदार	सामान्य घायल	–
55	18.07.2024	[illegible] सीमा	लोहाघाट		लोहाघाट	गुलदार	सामान्य घायल	–
56	17.09.2024	ग्राम [illegible]	चम्पावत		चम्पावत	गुलदार	सामान्य घायल	–
57	20.09.2024	ग्राम [illegible]	काली कुमाऊँ		बाराकोट	बाघ	–	मृत्यु
58	18.10.2024	[illegible]	लोहाघाट		लोहाघाट	गुलदार	गंभीर रूप से घायल	–
59	28.10.2024	ग्राम [illegible]	काली कुमाऊँ		बाराकोट	गुलदार	सामान्य घायल	
59	02.01.2025	[illegible]	बूम		पूर्णागिरि	गुलदार	सामान्य घायल	–
56	03.01.2025	[illegible]	बूम		पूर्णागिरि	गुलदार	सामान्य घायल	–

Annexure-5

माँ पूर्णागिरि मन्दिर में आने वाले दर्शनार्थियों का वर्ष 2024 व 2025 का विवरण–

क्र.सं	माह	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	मार्च	497000	516310
2	अप्रैल	595000	625508
3	मई	616000	473010
4	जून	42821	423660
योग		**1750821**	**2038488**

वर्ष 2025 में माँ पूर्णागिरि मन्दिर में आने वाले अधिकतम दर्शनार्थियों व वाहनों का विवरण–

दिनांक	वृद्ध	पुरुष	महिला	बच्चे	कुल योग
17.03.2025	6000	24000	21500	14000	65500

दिनांक	बड़े वाहन	छोटे वाहन	मोटर साईकिल	साईकिल	कुल योग
20.03.2025	630	1778	508	0	2916

Annexure-6

जनपद अन्तर्गत कलवर्ट/नालियों का विवरण–

क्र.सं.	विभाग	मोटर मार्ग का नाम/प्रकार/नम्बर	कुल कलवर्ट की संख्या	नालियों/नाले की कुल लम्बाई (कि.मी.)/संख्या
1	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोहाघाट	राष्ट्रीय राजमार्ग–09	314	116.44
		राष्ट्रीय राजमार्ग–309 ए	38	5.00
2	निर्माण खण्ड लो.नि.वि., लोहाघाट	राज्य मार्ग	588	133.92
		मुख्य जिला मार्ग	79	18.00
		अन्य जिला मार्ग	61	16.20
		ग्रामीण मार्ग	1996	501.41
3	प्रा.ख. लो.नि.वि., चम्पावत	राज्य मार्ग	1037	155.00
		मुख्य जिला मार्ग	80	15.00
		अन्य जिला मार्ग	25	3.50
		ग्रामीण मार्ग	1683	250.00
4	पी.एम.जी.एस.वाई. चम्पावत	ग्रामीण मार्ग	1033	198.05
5	पी.एम.जी.एस.वाई. लोहाघाट	ग्रामीण मार्ग	1509	233.96
6	एन.पी.सी.सी. चम्पावत	ग्रामीण मार्ग	189	47.83
7	नगर पालिका परिषद, चम्पावत	नगरीय क्षेत्र बड़े नाले	0	5
8		छोटे नाले		11
9	नगर पालिका परिषद, टनकपुर	नगरीय क्षेत्र बड़े नाले	0	3.00
		छोटे नाले		14.00
10	नगर पालिका परिषद, लोहाघाट	नगरीय क्षेत्र बड़े नाले	0	4.50
11		छोटे नाले		10.00
12	नगर पंचायत, बनबसा	नगरीय क्षेत्र बड़े नाले	0	4.00
13		छोटे नाले		7.00
	योग		**9139**	**1745.81**

Annexure-7

जनपद अन्तर्गत संचार विहीन क्षेत्रों का विवरण–

क्र. सं.	ग्राम	मतदान केन्द्र का क्रमांक व नाम	मतदान स्थल का क्रमांक व नाम	विवरण (राजस्व उप निरीक्षक की आख्या)
1	56–सल्ली	56–रा.प्रा.वि.सल्ली	60–रा.प्रा.वि.सल्ली	ग्राम सल्ली में BSNL के नेटवर्क आते है। लेकिन रेंज कम है। कुछ–कुछ जगहों पर Jio के नेटवर्क की उपलब्धता रहती है।
2	79–डुडम	80–रा.प्रा.वि. डुडम	89–रा.प्रा.वि. डुडम	ग्राम डुडम में BSNL के कुछ–कुछ जगहों पर नेटवर्क की समस्या है। BSNL नेटवर्क सोलर पावर बैकअप से संचालित है।
3	81–फाकनईगल्ली	82–रा.प्रा.वि. डाकाफाकनई डुडम	91–रा.प्रा.वि. डाकाफाकनई डुडम	ग्राम फाकनई में BSNL के नेटवर्क आते है। BSNL नेटवर्क सोलर पावर बैकअप से संचालित है।
4	80–डाडामल्ला	81–रा.प्रा.वि. लोहाखुला	90–रा.प्रा.वि. लोहाखुला	ग्राम डाडा में BSNL के नेटवर्क आते है। BSNL नेटवर्क सोलर पावर बैकअप से संचालित है।
5	78–मनियाबौड़ (अमगढ़ी)	79–रा.प्रा.वि. अमगढ़ी	88–रा.प्रा.वि.अमगढ़ी	ग्राम मनियाबौड़ (अमगढ़ी) में BSNL के कुछ–कुछ जगहों पर नेटवर्क की समस्या है। BSNL नेटवर्क सोलर पावर बैकअप से संचालित है।
6	74–पोथ	74–रा.प्रा.वि. खिरद्वारी	82–रा.प्रा.वि. खिरद्वारी	ग्राम खिरद्वारी में दूरसंचार कम्पनी जीयो, BSNL, VI के नेटवर्क उपलब्ध है।
7	74–पोथ	75–रा.प्रा.वि. गंगसीर	83–रा.प्रा.वि.गंगसीर	ग्राम गंगसीर मट्टी क्षेत्र छोट पोन्दी में दूरसंचार कम्पनी Jio, BSNL, VI के नेटवर्क आंशिक रूप से उपलब्ध है।
8	106–चन्दनी	114–वन विभाग चौकी बैलगोठ चन्दनी	145–वन विभाग चौकी बैलगोठ चन्दनी	ग्राम बैलगोठ चन्दनी में Jio व VI कम्पनी के नेटवर्क आंशिक रूप से उपलब्ध रहते हैं।

Annexure-5

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण–

Sn.	Position of IRS	Abrev	Nomination in IRT	NAME	Mob.
1	Responsible Officer	(RO)	DM/Chairman DDMA, Champawat	Mr. Manish Kumar	7579106767
2	Incident Commander	(IC)	CDO Champawat	Mr. G.S. Khati	8650888880
3	Deputy Incident Commander	(DIC)	SP Champawat	Mr. Ajay Ganpti Kumbhar	9411112707
4	Information & Media	(IMO)	DIO Champawat	Mr. D.S. Karki	8650888886
5	Liaison Officer	(LO)	DDO Champawat	Mr. D.S. Digari	8445869967
6	Safety Officer	(SO)	SDM Champawat	Mr. Anurag Arya	9411423317
7	Nodal Officer (Air Operation)	(NO)	ADM Champawat	Mr. K N Goshwami	9411333165
8	Operation Section Chief	(OSC)	SP Champawat	Mr. Ajay Ganpti Kumbhar	9411112707
8(a)	Staging Area	(SAM)	SDM Champawat	Mr. Anurag Arya	9411423317
8(b)	Rescue & Response Branch Director	(RRBD)	SDM Champawat	Mr. Anurag Arya	9411423317
8(c)	Transport Branch (Road, Rail, Water & Air Unit) Director	(TBD)	ARTO Tanakpur Champawat	Mr. Surendar Kumar	9456512364
9	Planning Section Chief	(PSC)	CDO Champawat	Mr. G.S. Khati	8650888886
9 (a)	Situation Unit Leader	(SUL)	DDO Champawat	Mr. D.S. Digari	8445869967
			BDO Champawat	Mr. A.S. Adhikari	9411702000/ 6398630651
9 (B)	Resource Unit Leader	(RUL)	DO PRD	Mr. B.S. Kharyat	9761165792
			PC Homgard	Ms. Sunita Arya	7248162360
9(c)	Documentation Leader	(DUL)	DESTO	Ms. D.K. Tiwari	6392648595
9(d)	Demobilization Leader	(DEUL)	DPRO	Mr. B.K. Arya	7906958760
10	Logistic Section Chief	(LSC)	ADM Champawat	Mr. K N Goshwami	9411333165
(a)	Service Brach Director	(SBD)	DSO Champawat	Ms. Priynka Bhatt	8791264617
i	Communication Leader	(CUL)	DIO NIC	Mr. Dhurv Rawat	7982599739
ii	Medical Unit Leader	(MUL)	CMO Champawat	Dr. D&K Chouhan	7417563832
			CVO Champawat	Dr. Vasundara Garbiyal	8476822444
iii	Food Unit Leader	(FUL)	DSO Champawat	Ms. Priynka Bhatt	8791264617
B.	Support Branch Director	(SUBD)	CEO Champawat	Mr. M.S. Bhist	9411127547
i	Resource Provisioning Unit Leader	(RPUL)	Ex En. PD PWD Champawat	Er. M.C. Paladhya	9927953807

ii	Facilities Unit Leader	(FAUL)	Ex En. PD PWD Champawat	Er. M.C. Paladiya	9927953807
iii	Ground Support Unit Leader	(GSUL)	ARTO Tanakpur Champawat	Mr. Surendar Kumar	9456512364
			DSO Champawat	Ms. Priynka Bhatt	8791264617
C	Finance Branch Director	(FBD)	STO Champawat	Ms. Seema Bangwal	9411756889
I	Time Procurement & Cost Unit Leader	(TPCUL)	STO Champawat	Ms. Seema Bangwal	9411756889
ii	Compensation/Claim Unit Leader	(CCUL)	ADM Champawat	Mr. K N Goshwami	9411333165

Annexure-9

समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य— NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

Guideline for School Disaster Preparedness

- ***School Disaster Management Plan***

1. Formation of School Disaster Management Committee
   Members: CRC, Trustee, Principal, Vice principal, BEO, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, students, and other Departmental officers.
2. Orientation program for SDMC, School teachers & Students.
3. Formation of School Disaster Management Teams
   Detail of Teams:
   (a) Early warning & Communication
   (b) Search & Rescue
   (c) First Aid
   (d) Evacuation Team
   (e) Awareness Generation Team

   Members: Trustee, Principal, Vice principal, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, One or Two students.
4. Mapping Exercises:
   (a) Hazard, Risk & Vulnerability mapping of school
   (b) Resource mapping of school
   (c) Evacuation mapping of school
5. Resources availability in school
6. Emergency contact details
7. Training for SDMTs
8. Awareness Generation related activities:
   (a) Drawing competition & exhibitions on disasters
   (b) Essay competition
   (c) Vorkuta spradha (Speech)
   (d) Debate
   (e) Rally
   (f) Play/Street play
   (g) Do's & Don'ts painting about Earthquake, Flood, Road Accident, Fire, Industrial Accident etc. on main wall of school
   (h) Do's & Don'ts speaking by students in morning/ Noon pray of school.
9. Mock Drill

4.6.1– विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना–

योजना बनाने की तारीख –
विद्यालय का नाम –
ग्राम –
विकास खण्ड –
तहसील –
जनपद –
नगर पालिका वार्ड संख्या:

1. भवन स्थिति –
   1.1 [illegible] एवं [illegible]
   1.2 [illegible] एवं [illegible]
   1.3 [illegible]

क्र. सं.	विभागों के नाम	फोन नं.
1	राज्य कन्ट्रोल रूम	
2	जनपद कन्ट्रोल रूम	
3	अग्निशमन	
4	पुलिस चौकी/थाना	
5	एम्बुलेन्स	
6	कार्यालय जिलाधिकारी	
7	उप जिलाधिकारी कार्यालय	
8	नजदीकी चिकित्सालय	
9	मुख्य चिकित्सा केन्द्र	
10	विकास खण्ड अधिकारी	
11	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	
12	[illegible]	

विद्यार्थियों की संख्या कक्षावार –

क्र.सं.	कक्षा	बालक	बालिका	विकलांग	संख्या
1	1-5				
2	6-12				
कुल					

एन सी सी छात्र
स्काउट एवं गाइड
एन.एस.एस. छात्र

2. विद्यालय का विवरण –

कमरों की कुल संख्या	पक्के कमरों की संख्या	टिन की छत वाले कमरों की संख्या	प्लास्टिक/घास की छत वाले कमरों की संख्या

2.1 मुख्य सड़क से दूरी –
2.2 अग्निशमन केन्द्र से दूरी –
2.3 पुलिस चौकी/थाने से दूरी –
2.4 जिला मुख्यालय से दूरी –
2.5 निकटतम बाजार से दूरी –
2.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी –
2.7 सीढ़ियों की संख्या:
2.8 बाहर जाने के रास्तों की संख्या:

3. संसाधन सूची –

संख्या	मूलभूत आवश्यकताएँ	हाँ	नहीं	संख्या	दूरी
1	हैण्ड पम्प				
2	वाटर सप्लाई				
3	खुला स्थान				
4	खेल का मैदान				
5	छत पर जाने के लिए पक्की सीढ़ियाँ				
6	लकड़ी की सीढ़ियाँ				
7	पानी के टैंक				
8	मोटी रस्सियाँ				
9	टेलीफोन				
10	[illegible]				
11	इंटरनेट				
12	[illegible]				
13	विद्यालय से बाहर निकलने हेतु गेट				

14	प्राथमिक चिकित्सा किट				
15	रस्सियाँ सेट एवं इवैकुएशन चेयर				
16	स्ट्रेचर				
17	हेलमेट				
18	बैटरियाँ				
19	गैस मास्क				
20	सौर ऊर्जा के उपकरण				
21	जीप/बस/अन्य वाहन				

4. विद्यालय के आसपास सुरक्षित स्थान पर अस्थाई आश्रय के लिए स्थान –
5. विद्यालय के आसपास सामुदायिक भवन –
6. वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते –
7. खतरों से स्थान की दूरी –

संख्या	खतरा	विद्यालय से दूरी	टिप्पणी
1	नदी		
2	गदेरा		
3	बाँध/पुल		
4	चट्टान		
5	बिजली के खम्भे / हाईटेंशन तार		
6	पानी की टंकियों से		
7	बड़े पेड़ से		
8	ऊँची इमारतों से		
9	ज्वलनशील पदार्थों से		
10	राष्ट्रीय राजमार्ग से		

8 विद्यालय सुरक्षा योजना –

8.1 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति

क्र.सं.	नाम	पद	दूरभाष संख्या
1			
2			

8.2 विद्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण –

संख्या	स्थानों का नाम	उक्त स्थान से दूरी

8.3 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के परामर्श से विद्यालय का जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण

क्रमांक	विद्यालय के आवश्यक सेवाएं/व्यवस्था	आपदा (जिससे सेवा/व्यवस्था प्रभावित हो सकती है)			
		भूकम्प (हाँ/नहीं)	भू-स्खलन (हाँ/नहीं)	बाढ़ (हाँ/नहीं)	अग्निकाण्ड (हाँ/नहीं)
1	भवन अवसंरचना				
2	पेयजल				
3	विद्युत व्यवस्था				
4	दूरसंचार व्यवस्था				
5	सड़क / पहुँच मार्ग				
6	अन्य				

8.4 विभिन्न आपदा टास्क दल

क– निष्कासन दल –

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ख – प्राथमिक चिकित्सा दल –

1			
2			

ग – खोज व बचाव दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम

1			
2			

घ – जागरूकता (Awareness) दल

क्र.सं	सदस्यों के नाम	पद	प्रशिक्षकों के नाम
1			
2			

(प्रधानाचार्य का नाम, सील व हस्ताक्षर)

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चैक लिस्ट

क्र.सं	सूची	हाँ/नहीं	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ियाँ आने-जाने में बाधा रहित है ?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है ?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं ?		
4	क्या कहीं पे बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं ?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ?		
6	क्या खिड़कियाँ और अलमारी ठीक है ?		
7	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते है ?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित है ?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ?		
10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (Fire Extinguisher) कार्य करने की स्थिति में है ?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की बोरी पर्याप्त मात्रा में है ?		
12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है ?		
13	क्या विद्यालय में पानी की पाइप है ?		
14	क्या विद्यालय में पानी का नल है ?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ?		
16	क्या सीढ़ियाँ इमरजेंसी प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये है ?		
17	विद्यालय भवन की आयु ?		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं ?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य है ?		
20	विद्यालय के बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है ?		
21	क्या चेतावनी साइन बोर्ड लगे है ?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे है ?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या नजदीक कोई बहुमंजिला भवन है ?		

Annexure-10

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

1–सामान्य परिचय :

ग्राम पंचायत	
ग्राम प्रधान का नाम व दूरभाष	
ग्राम विकास अधिकारी का नाम व दूरभाष नं0	
स्वयंसेवक प्रशिक्षक का नाम व दूरभाष नं0	
तहसील	
विकासखण्ड	
जनपद	[illegible]

2–सामान्य सूचनायें :

कुल परिवारों की संख्या		स्कूलों में छात्र संख्या	
कुल जनसंख्या		पंचायत सदस्यों की संख्या	
पुरुष		जल संसाधन का माध्यम	
महिलायें		मन्दिरों की संख्या	
अस्पताल की संख्या		मुख्य पैदावार	
साक्षरता केन्द्र/प्रौढ़ शिक्षा		विकलांगों की संख्या	
स्कूलों की संख्या विवरण		कुल रोगी की संख्या एवं नाम	

3–शिक्षण संस्थान एवं छात्रों का वर्गीकरण :

आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रों की संख्या	आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रों की संख्या
4–6		12–16	
7–12		16 से अधिक	

4–जनसंख्या :

SC		ST		OBC		GEN		Total	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष

5–भौगोलिक विवरण

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (है0)	कृषि योग्य भूमि (है0)	वन भूमि (है0)	चारागाह (है0)	बंजर व अन्य भूमि (है0)

6–जीविकोपार्जन का विवरण :

जीविकोपार्जन के स्रोत	लोगों की संख्या	परिवारों की संख्या
कृषि		
दैनिक मजदूर		
अन्य मजदूर		
दस्तकारी		
छोटे-मोटे व्यवसाय		
नौकरी		
अन्य		

7–संसाधन सूची :

क्रमांक	मूलभूत संरचनायें	हाँ	नहीं	खतरा क्षेत्रों में हैं	सम्बन्धित व्यक्ति का दूरभाष नं0
1	विकासखण्ड कार्यालय				
2	ग्राम पंचायत कार्यालय				
3	संचार केन्द्र				
4	आंगनबाड़ी				
5	पटवारी				
6	विद्यालय–प्राथमिक				
7	माध्यमिक				
8	अन्य–सामुदायिक भवन				
9	दूरभाष सुविधा				
10	आवश्यक वस्तुओं की दुकान				

11	पोस्ट ऑफिस				
12	बैंक/आउटलेट				
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान				
14	स्वास्थ्य सुविधाएँ स्वास्थ्य केन्द्र (उप) चिकित्सा केन्द्र अस्पताल/आशा आंगनवाड़ी केन्द्र				
15	दूरभाष/मोबाईल				
16	सड़क				
17	पशु चिकित्सा केन्द्र				
18	दुग्ध–सहकारी संघ				
19	स्वयंसेवी संस्थाएं/संगठन				
20	अन्य				

8–गाँव के संगठन :

संख्या	संगठन के प्रकार	सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1	महिला मंगल दल		
2	युवक मंगल दल		

9–संकट/संवेदनशीलता का आंकलन : आपदा का इतिहास (पिछले 20 वर्ष का)

संख्या	आपदा	वर्ष	क्षति का विवरण				
			जनहानि	पशुहानि	मकान	फसल	सार्वजनिक सम्पत्ति
1.	भूस्खलन						
2	अतिवृष्टि						
3	बादल फटना						
4	आकाशीय बिजली						
5	बाढ़						
6	भूकम्प						
7	हिमस्खलन						
8	आगजनी						
9	बर्फबारी						
10	सूखा						
11	अन्य						

10–आपदा का मौसमी कलेण्डर :

संख्या	आपदा	माह			
		जनवरी–मार्च	अप्रैल–जून	जुलाई–सितम्बर	अक्टूबर–दिसम्बर
1	भूस्खलन				
2	अतिवृष्टि				
3	बादल फटना				
4	आकाशीय बिजली				
5	बाढ़				
6	भूकम्प				
7	हिमस्खलन				
8	आगजनी				
9	बर्फबारी				
10	सूखा				
11	अन्य				

11–खतरे के स्थान से दूरी

संख्या	खतरा	गाँव से दूरी	टिप्पणी
1.	नदी		
2.	गधेरा		
3.	सेतु/पुल		
4.	भूस्खलन का स्थान		
5.	अन्य		

12–जोखिम समूह आंकलन :

क्र.सं.	जोखिम समूह	संख्या	टिप्पणी

1	गर्भवती महिला/दूध पिलाती माताएं		
2	पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे		
3	वृद्ध/अशक्त		
4	अकेली/विधवा महिलाएं		
5	अपंग/विकलांग		
6	बीमार/रोगी		
7	घास/मिट्टी के घर		
8	नदी के पास के घर		
9	अन्य		

13—विद्युत आपूर्ति

14—जलापूर्ति

15—संचार व्यवस्था

16—स्वास्थ्य केन्द्र

17—यातायात के साधन

18—आपदा पूर्व तैयारी

(क) सुरक्षित स्थान ________________________________

(ख) सूचना तंत्र ________________________________

(ग) आश्रय स्थल की सूचना:—

19—ग्रामस्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	पिता/पति का नाम	राजस्व ग्राम/तोक	शैक्षिक योग्यता	पद/व्यवसाय	दूरभाष	हस्ताक्षर

20—ग्राम की आम सभा से सहमति प्रस्ताव

राजस्व उपनिरीक्षक का नाम हस्ताक्षर	ग्राम विकास अधिकारी का नाम हस्ताक्षर	ग्राम प्रधान का नाम हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन मानचित्र

ग्राम का सामुदायिक जोखिम मानचित्र

Annexure-11

जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	प्रशिक्षण तिथि
01	खोज एवं बचाव प्रशिक्षण।	राजकीय इण्टर कॉलेज, अमोड़ी	05.08.2024
02	ऊर्जा कार्यालय में पी.एल.वी. की आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।	जिला ऊर्जा कार्यालय चम्पावत	14.10.2024
03	बाढ़/भूकम्प/भूस्खलन वनाग्नि से बचाव सम्बन्धी प्रशिक्षण, जनपद के 11 विद्यालयों पर 01 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष–2024–25।	सम्बन्धित विद्यालय	04.10.2024 से 19.10.2024 तक
04	नशे के विरूद्ध बहुउद्देशीय विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर।	स्वामी विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय खेल मैदान, चौड़ीराय, लोहाघाट	30.11.2024
05	आपदा एवं राहत बचाव सम्बन्धी प्रशिक्षण जनपद के पी.आर.डी. एवं होमगार्ड के जवानों को पुलिस लाईन चम्पावत में 03 दिवसीय प्रशिक्षण।	पुलिस लाईन चम्पावत	16.03.2024 से 18.03.2024 तक
06	जनपद अन्तर्गत 11 विद्यालयों में 01 दिवसीय आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी पूर्व तैयारी, त्वरित राहत–बचाव कार्य सम्बन्धी जानकारी/प्रशिक्षण–मॉक अभ्यास जन जागरूकता कार्यक्रम।	सम्बन्धित विद्यालय	05.12.2023 से 20.12.2023 तक

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎ दूरभाष :

05965-230819, 230703

📱 मोबाइल :

+91 7895318895 | 7579060090 | 9528135726

✉ ई-मेल :

deoccpt@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,
जनपद चम्पावत, उत्तराखंड ।